म माला, खंड 43, अंक 1

सोमवार, 31 जुलाई, 1995
9 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद—विवाद

हिन्दी संस्करण

चौदहवां-सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 43 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 31 जुलाई, 1995 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ/कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	नीचे से 2	डा0 कृपा सिन्धु भाई	डा0 कृपा सिन्धु भोई
(iii)	बायां 12	अम्बारासु, श्री (मद्रास मध्य)	अन्बारासु, श्री आर॰ (मद्रास मध्य)
(iv)	नीचे से 5	(गढ़व)	(गढ़वाल)
(v)	7	विखलिया	चिखलिया
(v)	बायां 15	श्री पंक	श्री पंकज
(v)	दायां 11	जेमा	जेना
(vi)	बायां 5	तीरकी	तीरकी
(vi)	नीचे से 6	दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर) का लोप किया जाए ।	
(vii)	दायां 3	पालवान	पासवान
(vii)	दायां 6	पासी	पासी
(vii)	दायां 23	फारक	फास्क
(viii)	दायां नीचे से 6	मीणा	मीणा
(viii)	दायां नीचे से 4	प्रमथेरा	प्रमथेश
(ix)	बायां 6	मुसोलन, डा॰एन॰	मुसोलन, डा॰एन॰
(ix)	बायां 8	मूर्ति, श्री एस॰वी॰चन्द्रशेखर	मूर्ति, श्री एम॰वी॰चन्द्रशेखर
(xi)	बायां	(सुरा)	(तुरा)
(xii)	बायां 5	मुहोराम	मुहीराम
3	13	श्री पीयुष तरीकी	श्री पीयूष तीरकी
51	18	पुरुद्धार	पुनरुद्धार
103	17	विभाग से राज्यमंत्री	विभाग में राज्यमंत्री
115	पृथम	टाइम्स आफ	टाइम्स आफ इण्डिया
210	नीचे से 4	राज्य में	राज्य मंत्री
231	16	रसाय	रसायन
299	नीचे से 7	अध्यक्ष महोदय	अध्यक्ष महोदय

विषय-सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 1, सोमवार, 31 जुलाई, 1995, 9 श्रावण, 1917 (शक)

विषय		कॉलम
सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची दसवीं लोक सभा—7-30		**iii-xvi**
लोक सभा के पदाधिकारी—31		xiii
मंत्रिपरिषद—मंत्रीमंडल के सदस्य—32—36		xiv
राष्ट्र गान		**1**
निधन संबंधी उल्लेख		**1-15**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		**15-22**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	2—4	15—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**22-284**
तारांकित प्रश्न संख्या :	1 और 5—20	22—52
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1—167	52—283
दिल्ली में अपराध की घटनाओं में वृद्धि के बारे में		**284-341**
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**341-352**
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक,—पुरः स्थापित		352
नियम 377 के अधीन मामले		**353-356**
(एक) पंजाब से गुजरने वाली गंग नहर की शीघ्र मरम्मत कराने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता।		
श्री बीरबल		353
(दो) उड़ीसा में सुन्दरगढ़ में अरबा—झोराबहल सामुदायिक सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने के लिए अधिक धन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता।		
कुमारी फ्रिडा तोपनो		353
(तीन) उड़ीसा के खदान क्षेत्रों में वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता।		
डा. कृपासिन्धु भाई		354

*सी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता।	
डा. कार्तिकेश्वर पात्र	354
(पांच) पूरे देश में लाटरी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता।	
श्री दाऊ दयाल जोशी	355
(छह) "हैंक यान" की कीमतों में वृद्धि रोकने की आवश्यकता।	
श्री सत्यगोपाल मिश्र	355
(सात) बिहार में लम्बित दुर्गावती पनबिजली परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता।	
श्री छेदी पासवान	356
संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	**357-392**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	357
श्री गिरधारी लाल भार्गव	358
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	362
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	368
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	375
श्री श्रीकान्त जेना	378
श्री विजय कुमार यादव	382
श्री दाऊ दयाल जोशी	384
श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	386
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	388
डा. एस.पी. यादव	389

सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

दसवीं लोक सभा

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी. वेल्लौर

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए.आर. (कोलाबा)

अनवर, श्रीमती के. पद्मश्री (नेल्लौर)

अम्बारासु, श्री (मद्रास मध्य)

अमरावाल सिंह जी (मेरठ)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेन्कासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री वसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा. फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

आदित्यन, श्री आर. घनुषकोडो (तिरुवेन्दूर)

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्वालम्बा, श्री (नागालैण्ड)

ईरानी, श्रीमती शीला एफ. (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

इस्लाम, श्री नुरूल (धबरी)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के.पी. (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो. (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओडियार, श्री वनैया (दावणोरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनौजिया, डा. जी.एल. (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड.एम. (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

कामसन, प्रो. एम. (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरुमल, श्री पी.पी. (कुड्डालोर)

काले, श्री शंकर राव दे. (कोपरगांव)

कस्बां, श्री राम सिंह (चुरु)
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)
कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी.के. (कोयम्बटूर)
कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)
कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)
कुमार मंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)
कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)
कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कुलमरिया, श्री रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एस. (क्विलोन)
कृष्णा स्वामी, श्री एम. (वान्डिवाशी)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)
केवल सिंह, श्री (भटिंडा)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कैनिथी, डा. विश्वनाथम (श्रीकाकुलम)
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)
कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी (कुरनल)
कोंतालां, श्री रामकृष्ण (अनेकापल्ली)
कोली, श्री गंगा राम (ब्याना)
कौल, श्रीमंती शीला (राय बरेली)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)
खनोरिया, मेजर डी.डी. (कांगड़ा)
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़व
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपुर)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

ग

गंगवार, डा. परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गजपति, श्री गोपीनाथ (बरहामपुर)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गालिब, श्री गुरचरण सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)
गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)
गिरियप्पा, श्री सी.पी. मुडला (चित्रदुर्ग)
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)
गुंडेवार, श्री बी.के. (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरायिंकिल)
गमांग, श्रीं गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, डा. महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौडा, प्रो. के. वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरुम्बुदूर)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी (कराड)

चाक्को, श्री पी.सी. (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडा भाई (आनन्द)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

विखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (माल्दा)

चौधरी, स्क्वैड्न लीडर कमल (होशियारपुर)

चौधरी, डा. के.वी.आर. (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्री पंक (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री रूद्रसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

वौरे, श्री बापू हरि (धूलै)

चौहान, श्री चेतन पी.एस. (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशिंगाबाद)

छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम.आर.कादम्बूर (तिरनेलवेली)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयमोहन, श्री ए. (तिरुपत्तूर)

जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)

जांगड़े, श्री खेलन, राम (विलासपुर)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा.बी.जी. (गुलवर्गा)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जीवरत्नम, श्री आर. (अरांकोनम)

जेमा, श्री श्रीकान्त (कटक)

जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

जोशी, श्री अन्ना (पुणे)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी.जे. (दमन और दीव)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिडिवनाम, श्री के. राममूर्ति (टिडिवनाम)

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच. (बड़ौदा)

टोपे, श्री अंकुशराम (जालना)

ठाकुर, श्री गाभाजी भंगाजी (कपड़बंज)

ठाकर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहदे)

डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा. राम चन्द्र (बोरभुम)

त

तंगकाबालु, श्री के.वी. (धमपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तिरिया, कुमारी, सुशीला (मयूरभंज)

तीरको, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरति वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा. रमेशचन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो.के.वी. (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी.सी. (मुक्तुपुजा)

थिटे, श्री बापसाहिब (बारामती)

थुंगन, श्री पी.के. (अरूणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई–उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शाहडोल)

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरुर)

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरुर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई–उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री ओश वन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा–पश्चिम)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई–दक्षिण)

देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती विभू कुमारी (त्रिपुरा–पूर्व)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत, बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो. प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा बिठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)

नायकर, श्री डी.के. (धारवाड उत्तर)

नारायणन, श्री पी.जी. (गोबिचेट्टिपालयम)

निकम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)

नेताम, श्री अरविन्द (काकेर)

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भोमप्पा (बागलकोट)

पांडियन, श्री डी. (मद्रास–उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल (केराना)

पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड़)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)
पटेल, श्री बृशिण (सीवान)
पटेल, श्री भीम सिंह (रीवा)
पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
डा. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टोनम)
पवार, डा. वसंत (नासिक)
पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर–पूर्व)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लाट्र)
पाटोदार, श्री रामेश्वर (खांरगोन)
पाटील, श्री अनवरी बसवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन. (इरनदौल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दोसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाचौला, श्री वी. आर. नायडू (खम्माम)
पालवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासो, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिलो)
पेरूमान, डा. पी. वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराग (चन्द्रपुर)
प्रकाश, श्री शशि (चेल)
प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)
प्रभु श्री आर. (नोलगिरि)
प्रभु झाट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रमाणिक, श्री, आर. आर. (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी. श्री निवास (वामराज नगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी. एल. शर्मा (पूर्वी दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओरकार (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता–दक्षिण)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा॰ असीम (नवद्वीप)
बालयोगी, श्री जी॰एम॰सी॰ (अमालपुरम)
बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बूटा सिंह, श्री (जालौर)
बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भौंसले, श्री प्रतापराव बी॰ (सतारा)
भोई, डा॰ कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (भुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)
मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)
मरबानिआंग, श्री पीटर जी॰ (शिलांग)
मरान्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)
मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस॰ (तुमकुर)
मल्लू, डा॰ आर॰ (नगर कुरनूल)
मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडोह)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)
माडे गौडा, श्री जो॰ (माण्डया)
माडे, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांजो)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मोणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री प्रमथेरा (बरहामपुर)
मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुजाहिद, श्री बी॰ एम॰ (धारवाड़–दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मुसोसन, डा. एन. (करूर)
मुरुमु, श्री रूप चन्द (झाड़ाग्राम)
मूर्ति, श्री एस. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस. (विशाखापटनम)
मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मैथ्यू, श्री के. एम. (इदुक्को)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)
मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री रामलखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, डा. एस. पी. (सम्भल)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशाली जिला)
रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजरंविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)
राजुलु, डा. आर. के. जी. (शिवकासी)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रकुमार, श्री एल. एस. आर. (चिंगलपट्ट)
राजेश कुमार, श्री (गया)
राजेश रजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
राजेश्वरन, डा. वी. (रामनाथमुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बाम्बा (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन. जे. (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामदेव राम, श्री (पलामू)
राम बदन, श्री (लालगंज)
राम बाबू, श्री ए. जी. एस. (मदुरै)
राममूर्ति, श्री के. (कृष्णागिरी)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (हरिद्वार)
रामासामो, श्री रामगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)
राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड़)
राय, श्री कल्पनाथ (घौसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्र पाडा)
राय, श्री राम निहोर (राबर्ट्सगंज)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा॰ सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सोरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री डी॰ वेंकटेश्वर (बापतला)
राव, श्री जे॰ चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी.वी॰ नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री वी॰ कृष्ण (विक्बल्लापुर)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो॰ रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा॰ लाल बहादुर (हाथरस)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई—दक्षिण मध्य)
राही, श्री राम लाल, (मिसजरिज)
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी॰ (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर॰ सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए॰ इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री ए॰ वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम॰ बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री जी॰ मंगा (निज़ामाबाद)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बा रामा (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एम॰ जी॰ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बी॰ एन॰ (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री वाई॰ एस॰ राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मण, प्रो॰ सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लालजानवाशा, श्री एस॰ एम॰ (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
लवली आनन्द, श्रीमती (वैशाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानी लाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, प्रो॰ रीता (धनबाद)
वर्मा, कुमारी विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)
वाड्डे, श्री शोभनाद्रेश्वर राव (विजयवाड़ा)
वान्डायार, श्री के.टी॰ (थंजावुर)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी.एस॰ (पालघाट)
विलयम्स, मेजर जनरल आर॰ जी॰ (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई (राजकोट)
व्यास, डा॰ गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी॰ (चिकोडो)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)
शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिगडा, श्री डी. बी. (दहानू)

शिवप्पा, श्री के.जी. (शिमोगा)

शिवरामन, श्री एस. (ओट्टापलम)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)

शल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्री धारण, डा. राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिन्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए. (सुरा)

संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्रुवार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतोपुरम)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)

साक्षी जीं, डा. (मथुरा)

नादुल, श्री धर्मण्णा मोंड्य्या (शोलापुर)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेंट)

सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंदनाल, श्री एस.बी. (बेलगांव)

सिद्धार्थ, श्रीमती डी.के. तारादेवी (चिकमगलूर)

सिल्वेरा, डा.सी. (मिजोरम)

सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अर्जुन (सतना)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्री खेँलसाय (सरगुजा)

सिंह, डा. छत्रपाल, (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री देवी, बक्स (उन्नाव)

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरिया गंज)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

सिंहदेव, श्री के.पी. (ढैंकानाल)

सुख राम, श्री (मंडी)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)

सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुरेश, श्री कोडीकुनोल (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेठ, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नानी)
सैकिया, श्री मुहोराम (नौगोंग)
सैयद, श्री शहाबुद्दीन (किरानगंज)
सोडी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सौन्दरम, डा॰ (श्रीमती) के॰ एस॰ (तिरुबेंगौड़)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री सरद दिघे

श्री पीटर जी मरबनिआंग

श्री नीतिश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री तारा सिंह

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री राम नाईक

श्री पी. सी. चाक्को

श्रीमती संतोष चौधरी

प्रो. रीता वर्मा

महासचिव

(डा. आर. सी. भारद्वाज)

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन :

श्री पी. वी. नरसिंह राव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रानिकी, परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रेत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य, रक्षा, जम्मू और काश्मीर मामले के मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री ए. आर. अन्तुले
खाद्य मंत्री	श्री अजित सिंह
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री बूटा सिंह
रेल मंत्री	श्री सी.के. जाफर शरीफ
बिना विभाग के मंत्री	श्री दिनेश सिंह
वस्त्र मंत्री	श्री जी. वेंकट स्वामी
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री	डा. जगन्नाथ मिश्र
उद्योग मंत्री	श्री के. करुणाकरण
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री माधव राव सिंधिया
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	श्री एन.के.पी. साल्वे
श्रम मंत्री	श्री पी.ए. संगमा
विदेश मंत्री	श्री प्रणव मुखर्जी
रसायन तथा उर्वरक मंत्री	श्री राम लखन सिंह यादव
गृह मंत्री	श्री एस.बी. चव्हाण
शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गमांग

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के.पी. सिंह देव
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी. चिदम्बरम्
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश कुमार शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गगोई

राज्य मंत्री

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. सी. सिल्वेरा
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच. आर. भारद्वाज
कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के. वी. तंग्का बालू
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम. अरूणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मारंग्रेट आल्वा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मतंग सिंह
मानव संसाधन विकास मत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी कार्य कार्य तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी. के. थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी. एम. सईद
जल–ससाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी. वी. रंगय्या नायडू
विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री	श्री आर. एल. भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में रांज्य मंत्री	कर्नल राव राम सिंह
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस. कृष्ण कुमार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती उर्मिला सी. पटेल
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल

उप मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोबार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा

सोमवार, 31 जुलाई, 1995/9 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई

11.03 म.पू.

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने साथियों का आपसे और आपके माध्यम से सभा से परिचय कराना चाहता हूं :

1. श्री ए. आर. अन्तुले
2. डा. जगन्नाथ मिश्र
3. श्री के. करुणाकरन

(व्यवधान)

11.04 म.पू.

निधन संबंधी उल्लेख

प्रो. एन. जी. रंगा आदि का निधन

अध्यक्ष महोदय : मानवीय सदस्यों, मैं अति दुख के साथ सभा को हमारे चार भूतपूर्व साथियों, अर्थात्, प्रो. एन. जी. रंगा और सर्वश्री भोला राउत, एस. टी. सिंह तथा बृजेन्द्र सिंह के निधन के बारे में सूचना देना चाहता हूं।

प्रो. एन. जी. रंगा दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के 1957 से 70 तक और 1980 से 91 तक सदस्य रहे और आन्ध्र प्रदेश के तेनाली, चित्तूर, श्रीकाकुलम और गुन्टूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह 1952 से 56 और 1977 से 79 के दौरान राज्य सभा के भी सदस्य रहे।

इसके पूर्व, वह केन्द्रीय विधान सभा और अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे। वह 1929 से 30 तक मद्रास सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रहे।

प्रो. रंगा भारत के सबसे लम्बी अवधि तक रहे संसद सदस्यों में से एक थे। वह भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता था। वह जीवन के आरंभ में ही स्वतंत्रता आंदोलन से काफी प्रभावित हुये थे और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण कई बार जेल भी गए थे।

प्रो. रंगा एक समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने किसानों, बुनकरों तथा खेतिहर मजदूरों के कल्याण में विशेष रुचि दिखाई और उनके उत्थान के लिये कार्य किया। उनका किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व करने का लम्बा अनुभव था और इसी वजह से 1936 से 52 के दौरान पांच बार अखिल भारतीय किसान सम्मेलनों के अध्यक्ष बनाये गए थे। वह 1952 से 59 के दौरान अखिल भारतीय सहकारिता कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। तत्पश्चात, 1977 में वह किसानों के राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष बनाये गए।

प्रो. रंगा ने काफी यात्राएं की थीं और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1946 में लंदन में और 1949 में कनाडा में आयोजित विश्व किसान सम्मेलनों में प्रतिनिधि के रूप में गए थे, और 1948 में सोन फ्रांसिस्को में हुये अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भी प्रतिनिधि के रूप मे गए थे। वह 1954 से 69 के दौरान आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों में शिष्टमण्डल के सदस्य थे और 1964 से 65 आयोजित अंतर संसदीय संघ के सम्मेलनों में भी शिष्टमण्डल के सदस्य थे।

प्रो. रंगा एक योग्य और अनुभवी संसदविद थे और उन्होंने अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल के दौरान दलितों और ग्रामीण लोगों की कठिनाइयों को उठाने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों और विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध सलाहकार समितियों के सदस्य में रूप में दक्षतापूर्वक कार्य किया।

प्रो. रंगा एक लेखक थे और उन्होंने विभिन्न विषयों के ऊपर कई पुस्तकें लिखी इनमें से प्रमुख हैं– 'क्रेडो आफ वर्ल्ड पीसेन्ट्स', 'हिस्ट्री आफ किसान मूवमेंट', 'रेवोल्यूशनरी पीसेन्ट्स', 'कालोनियल एण्ड कलर्ड पीपल्स प्लान' और आत्मकथात्मक कार्य जिसका शीर्षक 'फाइट फार फ्रीडम' है।

उनको देश की सेवा करने के लिये 1991 में पद्म विभूषण के पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। संसदविदों ने प्रो. रंगा को उनके संसदीय जीवन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सम्मानित किया था। वह एक ऐसे संसदविद थे जिनका सभी सम्मान करते थे और सभा में उनके भाषणों को अति शांतिपूर्वक सुना जाता था।

प्रो. रंगा का 8 जून, 1995 को 95 वर्ष की आयु में आन्ध्र प्रदेश के गुन्तूर जिले में अपने पैतृक गांव निदूब्रोलू में निधन हो गया।

उनके निधन से हमने एक उत्कृष्ट संसदविद, एक कट्टर गांधीवादी और एक किसानों की कठिनाइयों के लिये लड़ने वाले व्यक्ति को खो दिया है।

श्री भोला राउत अंतरिम संसद, और 1950 से 77 तक और 1980 से 89 तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा में बिहार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सारन, चम्पारन, बेतिया और बगहा का प्रतिनिधित्व करते रहे।

वह दलितों और समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रचंड समर्थक थे और गरीबी के उन्मूलन और शिक्षा के प्रसार के लिये निरंतर कार्य कर रहे। उन्होंने बिहार के दलित वर्गों के लिये स्कूलों की स्थापना करके महान कार्य किया है। वह बिहार राज्य दलित वर्ग लीग के सचिव थे। वर्ष 1951 में वह अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के कोषाध्यक्ष बने और 1966–67 में इसी संगठन के सचिव बने। वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सफाई मजदूर संगठनों से जुड़े हुये थे।

वह अपने लम्बे संसदीय कार्यकाल में दलितों और उपेक्षित वर्गों की समस्याओं से संबद्ध मुद्दो को उठाया करते थे। वह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री भोला राउत की 3 जुलाई, 1995 को 81 वर्ष की आयु में बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के मधूचपर गांव में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

श्री एस. टी. सिंह ने 1962 से 67 तक तीसरी लोक सभा में आंतरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1972 से 74 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

इसके पूर्व, वह मणिपुर विधान सभा के सदस्य थे और 1967–68 में मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष भी थे।

श्री एस. टी. सिंह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और छुआछूत को समाप्त करने के लिये कठिन परिश्रम करते रहे।

एक कुशल प्रशासक के रूप में, वह 1953 से 57 तक मणिपुर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। इस महान सभा की सदस्यता के दौरान उन्होंने लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री एस. टी. सिंह की 85 वर्ष की आयु में 3 जुलाई, 1995 को इम्फाल में मृत्यु हो गई थी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ने 1967 से 70 तक चौथी लोक सभा में राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

श्री बृजेन्द्र सिंह 1972 में एक अवधि के लिये राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। वह भरतपुर की भूतपूर्व रियासत के राजस्थान राज्य में विलय के पूर्व राजा थे।

श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह का 8 जुलाई, 1995 को राजस्थान में भरतपुर में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

हम इन साथियों के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोकसंतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं भेजने में सम्पूर्ण सदन मेरे साथ होगा।

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भारी मन से प्रो. एन. जी. रंगा को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री रंगा एक उत्कृष्ट सांसद, गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, किसानों के मसीहा, विख्यात विद्वान और शिक्षाविद थे। वह भारत के महान सपूतों में से एक थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में लगा दिया था। प्रो. रंगा की शैक्षिक उपलब्धियां उत्कृष्ट थीं। आक्सफोर्ड से आये युवा विद्वान के रूप में उन्होंने स्वतंत्रत संग्राम में भाग लिया और अपने जीवन के कई वर्ष जेल में गुजार दिये। उनका भारत के किसानों की कठिनाइयों की गहरी जानकारी थी और आजादी के पूर्व व आजादी के पश्चात् उनके हितों के लिये लड़ने हेतु हमेशा तत्पर रहते थे। प्रो. रंगा ने अंग्रेजी और तेलुगू दोनों में ही काफी अधिक लेखन किया था हमने उस उत्कृष्ट संसदविद को खो दिया है जिसको हमने संसदीय जीवन के 50 वर्ष पूरे होने पर "संसद फलक" (प्लेक ऑफ पार्लियामेंट) से सम्मानित किया था।

मुझे श्री भोला राउत के निधन पर भी गहरा दुख है। वह दलितों के मसीहा थे और सफाई मजदूरों तथा कर्मचारियों के जीवन और कार्य की स्थिति को सुधारने में गहरी रुचि रखते थे।

मैं चौथी लोक सभा के सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूं। श्री सिंह को अपने बतखों का शिकार करने के मैदान को विश्व के श्रेष्ठतम पक्षी विहार में बदलने अर्थात केणलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, भरतपुर, के लिये हमेशा याद किया जाता रहेगा क्योंकि इससे परिस्थिति विज्ञान और पक्षियों से संबंधित अध्ययन करने में लोगों की रुचि बढ़ेगी।

मैं तीसरी लोक सभा के सदस्य श्री एस. टी. सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। उनकी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सुधार में विशेष रुचि थी।

मैं इन सुविख्यात सदस्यों के निधन पर अपना गहरा दुख और राष्ट्र की संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, सदन का शायद ही कोई ऐसा सत्र होता है जब हम पहले दिन किसी न किसी अपने दिवंगत साथी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पि करने का कठोर कर्म न करते हों।

आज आपने और सदन के नेता ने जिन दिवंगत साथियों के प्रति शोकांजलि प्रस्तुत की है उन साथियों से मेरा परिचय था। उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला था। उनका योगदान अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा प्रोफेसर रंगा का।

जब मैं 1957 में पहली बार लोक सभा का सदस्य चुनकर आया तो मैंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम के जो अनेक सेनानी सदन की शोभा बढ़ा रहे थे, उनमें प्रोफेसर रंगा भी थे। उनका योगदान विशिष्टता लिये हुए था। आक्सफोर्ड की शिक्षा उनको देश की मिट्टी से अलग नहीं कर सकी थी। सारा जीवन प्रोफेसर रंगा संघर्ष करते रहे। वे किसानों के प्रवक्ता थे, व्याख्याता थे। कृषि और किसान उनके दो प्रिय विषय थे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों के पक्ष में आवाज उठाने के लिए प्रोफेसर रंगा लखनऊ तक गये थे। कहीं भी किसानों पर शोषण का समाचार उनको मिलता वे आंदोलित हो जाते थे। और उनकी वाणी की तीव्रता सब को प्रभावित करती थी।

आचार्य रंगा कांग्रेस पाटी से सम्बन्धित थे फिर वे प्रतिपक्ष में आ गये थे। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हो गये थे। उनकी कुशाग्र–बुद्धि, उनकी वाक्–पटुता, संसदीय कुशलता, जब वे प्रतिपक्ष में थे तो देखने लायक थी। वे सही आलोचना करते थे, खरी आलोचना करते थे। जिस बात को ठीक समझते थे, निर्भीकतापूर्वक कहते थे। नेहरू जी के साथ जो प्रोफेसर रंगा की जो नोंक–झोंकें हुआ करती थीं वे अभी तक मुझे याद हैं लेकिन नेहरू जी उन्हें बड़े आदर और अपनेपन भाव से आचार्य रंगा कहा करते थे। वे सचमुच में थे भी आचार्य कोटा परमिट राज के विरोध में, जिन लोगों ने देश में पहले आवाज उठायी, उनमें प्रोफेसर रंगा भी थे। उनका विचारों से किसी से मतभेद हो सकता था मगर उनका निष्कलंक सार्वजनिक जीवन, त्याग और तपस्या, मैं सोच–समझकर शब्दों का प्रयोग कर रहा अनुकरणीय रहेगी। पिछली लोक सभा में देखता था कि वे तिपहिये पर बैठकर सदन में आया करते थे। स्पष्ट है कि राजनीति उनके लिये एक सेवा का माध्यम थी, अपना भला करने का साधन नहीं। यह बात अलग है कि वे किसी पद पर नहीं बैठे मगर ऐसे व्यक्ति किसी पद के मोहताज नहीं होते। आचार्य रंगा के रूप में भारतीय राजनीति का एक महारथी उठ गया है। एक दिग्गज हमारे बीच से हमें छोड़कर चला गया है।

भोला राउत जी अनेक वर्षों तक संसद से जुड़े रहे। उनके व्यवहार की मिठास, संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी जागरूकता और जिस दलित वर्ग से वे आते थे, उस दलित वर्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सब को आकृष्ट करती थी।

मणिपुर के श्री एस. टी. सिंह और भरतपुर के श्री बृजेन्द्र सिंह का आपने उल्लेख किया। वे भी अपने ढंग से संसदीय लोकतंत्र को सबल बनाने में योगदान दिया करते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सभी दिग्गज दिवंगत महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे विचार पहुंचा दिये जायें, यह आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं प्रधान मंत्री जी और वाजपेयी जी की जो भावनायें हैं, उनके साथ अपने को समबद्ध करता हूं। हमने प्रोफेसर रंगा को इस सदन में वर्षों तक देखने और सुनने का काम किया है आज इस तरह के जितने आदर्श पुरुष हैं जो इस देश की राजनीति में प्रेरणा देते हैं तथा उन सब लोगों से भारत राष्ट्र को मज़बूत करने की तथा निरंतर संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। प्रोफेसर रंगा को देख कर लगता था कि वे भारतीय संस्कृति के जीवन प्रतीक हैं।

हिन्दुस्तान के किसान आंदोलन में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। राजनीति पर बहुत कीचड़ उछाला जाता है। राजनैतिक जीवन आज संकट में है और उसकी विश्वसनीयता पर आज पूरे देश में लोगों के बीच ऐसी चर्चा है जो मन को

तकलीफ पहुंचाती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रो. रंगा जैसे आदर्श और धरती से जुड़े हुए नेता वर्षों तक इस सदन में रहे, इस देश की अच्छी तरह से खिद्मत की और हिन्दुस्तान के किसान के दर्द और तकलीफ को उन्होंने समझा। वर्षों तक मैंने स्वर्गीय चौधरी साहब के साथ काम किया है। वज जिन व्यक्तियों का नाम बड़े आदर से लिया करते थे, प्रो. रंगा उनमें सबसे ऊपर होते थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर आजादी के दौर में और आजादी के बाद भी किसानों की तकलीफ, हिन्दुस्तान के गांवों की तकलीफ को आवाज देने में उनकी आवाज सक्षम थी। जिस तन को लेकर वह आए थे, वह बिना दाग लगे इस देश की सब तरह से खिद्मत करके चला गया। मैं उनको श्रद्धांजलि ही अर्पित नहीं करता हूं बल्कि अपनी संपूर्ण चेतना से कामना करता हूं कि उनके जैसे आदर्श पुरुष इस देश में पैदा होते रहें और उनके आदर्शों तथा उनके जीवन से विशेष तौर पर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वह प्रेरणा लेते रहें।

श्री ब्रजेन्द्र सिंह जी को आधुनिक भरतपुर बनाने का श्रेय जाता है। वह एक किसान राजा जरूर थे लेकिन मैंने बहुत राजाओं को देखा है। किसान के प्रति, अपनी जमीन के प्रति उनको बहुत लगाव था। भरतपुर में कई संस्थाओं के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया।

श्री भोला राउत जी हिन्दुस्तान के उस इलाके से आते थे जहां से गांधी जी ने हिन्दुस्तान की आजादी को जन–जन तक पहुंचाकर चंपारन का ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया था। वाकई में उस धरती और जमीन की सुगन्ध कहीं आती थी तो भोला राउत जी में आती थी। इस सदन में भी और बाहर भी उनका बराबर का संघर्ष था। वे सदन में ही नहीं लड़ते थे अपितु बाहर भी उसी मुस्तैदी और ताकत से लड़ा करते थे।

श्री एस. टी. सिंह जी से मेरे परिचय बहुत कम था। मैं प्रो. रंगा सहित सदन के इन दिवंगत साथियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास और यकीन रखता हूं कि हम लोग प्रो. रंगा के अरमानों को धरती पर उतारने के लिए अपने को समर्पित करेंगे और काम में लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी दिवंगत सांसदो को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल और अपनी ओर से अपने प्रतिष्ठित पूर्व साथियों जिन्हें हमने इस अन्तर–सत्रावधि के दौरान खो दिया है, के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उसके प्रति अपने को सम्बद्ध करता हूं। और मैं सच्ची संवदेना और दुःख व्यक्त करता हूं।

महोदय, हम सभी को प्रो. रंगा को बड़े नजदीक से जानने का सौभाग्य मिला था; और पांचवीं लोक सभा से लेकर, हमें उन्हें एक सम्मानित सांसद के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखने का सौभाग्य मिला था। वह इस सभा के विचार–विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे और जब कभी भी किसानों अथवा कृषक समुदाय के हितों का विरोध करने वाला मामला सभा में आता था तो समस्याओं को निपटाने में हमें उनके अति महत्वपूर्ण विचारों का योगदान मिलता था। सच्चाई तो यह है कि संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपनी समर्पित सेवा से वह भारत के संसदीय जीवन का एक अंग बने और उनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है, उसे भरना अत्यधिक मुश्किल है। इस देश के कृषक समुदाय की रहन–सहन की दशाओं के उत्थान में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा और उनको खोकर देश ने समाज के पददलित वर्गों के निर्भीक और समर्पित सेनानी को खो दिया है। एक बार पुनः, मैं प्रो. एन. जी. रंगा और अन्य पूर्व सांसदों, जिन्हें हम खो चुके हैं, के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। मैं आपसे अपनी शोक संवदेना शौक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, उन दिवंगत लोगों में से, जिनका आज हम शोक मना रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसे थे, जो इस संसद के लिए आदर्श रूप हो गये हैं। मेरा इशारा प्रो. एन. जी. रंगा की ओर है। जब मैं इस सभा में आया, निःसंदेह, उस समय मैं नवयुवक था और वह अनुभवी सांसद थे। वह बड़े स्पष्टवक्ता थे और निर्भीकता से अपने विचार रखते थे, निःसंदेह, अक्सर हमारे मतभेद हुआ करते थे। उस समय एक युवा कम्युनिस्ट होने के नाते मुझे कई बार उनके आक्रोश और आलोचना का शिकार होना पड़ा था। लेकिन अपने कैरियर और जीवन के अंतिम क्षणों में उनका स्वभाव मैत्रीपूर्ण और स्नेही हो गया था। स्वभाव से वह इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वह सार्वजनिक क्षेत्र के कड़े विरोधी थे। इसी वजह से श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ अक्सर उनकी झड़पें हुआ करती थीं। लेकिन वह अपने विचारों पर बहुत अडिग थे।

इस के अलावा वे सारा जीवन इस देश के किसानों के अग्रणी मसीहा बने रहे, बीच में कुछ समय के लिए वह भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी की ओर आकर्षित हुए और इस सभा में इसके

नेता बन गये। लेकिन हमेशा ही उन्हें यह लगता रहा कि यह पार्टी उनकी अपनी पार्टी नहीं है। यह पार्टी मुख्य रूप से किसानों का नहीं बल्कि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली थी और इसी दौरान, वह पुनः कांग्रेस पार्टी में लौट आये। लेकिन यहां हमने उन्हें हमेशा ही सुबह 11.00 बजे से लेकर सभा के स्थगित होने तक बैठे हुए देखा। काश उनकी भांति अनुशासनप्रिय कुछ और सदस्य भी होते। वह संसदीय शिष्टाचार और साधुता का आदर्श रूप थे। वह यहां पूरे दिन बैठा करते थे। कुछ लोग सोचते थे कि वह सो रहे हैं क्योंकि उनकी आंखें बन्द रहती थीं, लेकिन वह अत्यधिक सचेत और जागरूक और सचेत रहा करते थे और थोड़े–थोड़े समय के उपरांत अपनी प्रसिद्ध उक्ति 'सुनिए, सुनिए' से हस्तक्षेप किया करते थे, जो हमें भली प्रकार याद है। हमें सचमुच उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके स्मृति और अपने सारे जीवन के दौरान उन्होंने जो कार्य किया, उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। वे बड़े सरल और संयमी स्वभाव के थे। मैंने उन्हें मध्याह्न भोजन दौरान और दिन के समय यहां इडलियां और इसी प्रकार का भोजन लेते हुए देखा है। वह किसी भी प्रकार की विलासिताप्रियता अथवा आराम प्रिय आदतों के आदी नहीं थे। अब हमारे पास इस तरह के कुछ ही व्यक्ति बचे हैं। मैं अन्य साथियों की मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करता हूं। श्री भोला राउत चम्पारण के अदम्य किसानों, जिन्होंने जमींदारी प्रथा, सूदखोरी तथा शोषण के विरुद्ध कई साहसिक लड़ाइयां लड़ी, के उपयुक्त प्रतिनिधि थे। श्री भोला राउत उनके प्रवक्ताओं में से एक थे।

मणिपुर से सांसद श्री एस. टी. सिंह ने भी, जब वह सदस्य थे, इस सभा की काफी सेवा की थी। महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री ने भरतपुर के अंतिम प्रशासक के बारे में इस तथ्य का उल्लेख किया कि भरतपुर पक्षी भ्यारण्य की स्थापन का मुख्य श्रेय उन्हीं को जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी उस स्थापना पर गया है उसने वहां पत्थर का एक बड़ा फ्लक देखा है जो अभी भी वहां मौजूद है, जिस पर पुराने दिनों में पूर्व भरतपुर प्रशासकों द्वारा बत्तखों के शिकार आयोजित करने, किस समय, किस वाइसरॉय, किस गवर्नर को आमंत्रित किया गया और दिन में शिकार के दौरान उन्होंने कितने जोड़े बत्तखों को, जिनकी संख्या कई बार सैंकड़ों, हजारों में होती थी, मारा, का तिथि–वार ब्यौरा दिया गया है। उसके सभी आंकड़े दिये गये हैं। अब, उस अंतिम प्रशासक, जिनके लिए हम आज शोक मना रहे हैं, की वजह से अब यह इस देश का एक अभूतपूर्व पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। पशु–पक्षियों के प्रति उनके स्नेह की वास्तव में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से शोकत संतृप्त परिवार के प्रति अपनी तथा अपनी पार्टी की संवेदना व्यक्त करता हूं और यह कामना करता हूं कि अन्य सभी सदस्य, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, की आत्मा को शांति पहुंचे।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेल्लवेल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं, अपनी पार्टी की ओर से प्रो. रंगा जी, जो हमारे राजनीतिक सुधारक श्री अरिनर अन्ना के घनिष्ठ मित्र थे, जो अपने सरल जीवन और उच्च विचारों के कारण एक सच्चे गांधीवादी थे, की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। वह नवयुवकों के लिए अनुकरणीय थे। अतः, मैं प्रो. रंगा के शोक संतप्त परिवार के प्रति पीठासीन अधिकारी के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि हालांकि प्रो. रंगा सत्ता पक्ष के उप–नेता थे, फिर भी जो कोई सदस्य अच्छे प्रश्न रखता था, वह यह कहकर "बहुत खूब, बहुत खूब" उसका उत्साह बढ़ाया करते थे। उनकी इसी प्रेरणा से मैं अच्छे संसदीय जीवन की ओर अग्रसर हो सका। हम अन्य दिवंगत सदस्यों के भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त करते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, प्रोफेसर एन. जी. रंगा भारतीय राजनीति मे भीष्म पितामह जैसा स्थान रखते थे और लगभग 60 वर्षों तक भारतीय राजनीति के क्षितिज पर दैदीप्यमान सितारे की तरह वे चमकते रहे। एक सर्वमान्य किसान नेता के रूप में यह देश उनको सदैव याद रखेगा। अपनी नौजवान अवस्था से लेकर जीवन के अंतिम दिनों तक, बड़ी भावना और विश्वास के साथ वे इस देश के गरीब को, इस देश के गांवों को और इस देश के किसान को याद करते रहे और उनकी लड़ाई की अगुवाई करते रहे। उनके काम से इस देश के उन लोगों को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी जो इस देश के गरीब से, इस देश के किसानों से और महनतकश लोगों से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष जी, यहां बहुत–सी बातें उनके बारे में कही गयीं हैं जो अक्षरशः सत्य हैं लेकिन एक–दो बातें जिनका प्रभाव मेरे मन पर बराबर पड़ा, वे हैं कि वे अपने अनुजों के साथ इतना प्यार और स्नेह करते थे कि जहां कहीं मिल जाते थे, कंधे पर हाथ रखकर, प्यार से, मौहब्बत से सबसे हालचाल पूछते थे।

मैं एक बात जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। 1990 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैंने सामाजिक न्याय के मुद्दों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। उस वक्त देश में सामाजिक न्याय के मुद्दे बहुत चर्चा के विषय थे और कई लोगों ने उस

सम्मेलन का बहुत विरोध किया, लेकिन मैंने बहुत सारे विरोधों के बावजूद रंगा जी को निमंत्रित किया था।

रंगा जी उस सम्मेलन में आए। उन्होंने एक घंटे तक भाषण दिया और उन लोगों को जो सामाजिक न्याय के मुद्दों का विरोध कर रहे थे बड़ी खरी–खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की थी और आज इन मुद्दों को मजबूत बनाना देशभक्ति का काम है। इससे मुझे और मेरे साथियों को उस आन्दोलन को चलाने में बहुत बड़ी शक्ति मिली।

वह इस बात का प्रमाण था कि रंगा जी कभी भी जीवनभर गरीब को उसकी समस्याओं को, उसके अधिकार को, उसके मान–सम्मान को और उसके गौरव को नहीं भूले तथा उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ते रहे। उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी।

अध्यक्ष जी, हमारे अन्य साथी, विशिष्ट सदस्य जो दिवंगत हुए श्री भोला राउत, श्री एस.टी. सिंह एवं श्री ब्रजेन्द्र सिंह उनके प्रति आपने और नेता सदन ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके परिवारों तक हमारा शोक संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीशर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर एन. जी. रंगा की मृत्यु से राष्ट्र ने विशेष रूप से इस महान संस्थान संसद ने एक सच्चा मित्र और दार्शनिक खो दिया है। उन्होंने इस देश विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के मामलों में एक अद्वितीय भूमिका निभाई है। उन्होंने महात्मा गांधी का संदेश दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया और किसानों, बुनकरों, महिलाओं, ग्रामीण दस्तकारों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि स्वतंत्र भारत में उनके हितों की रक्षा की जाएगी भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए सैकड़ों कक्षाओं का आयोजन किया और उन कक्षाओं में राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास और सार्वजनिक जीवन से संबंधित अनेक अन्य पहलुओं की मूल जानकारी दी जिनसे विख्यात नेता उभर कर सामने आए जो बाद में इस देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे।

वह किसानों और ग्रामीणों के सच्चे मित्र थे। उन्होंने महान प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जो उन दिनों भारतीय जनता के प्यारे नेता थे, द्वारा शुरू की गई सहकारी कृषि का विरोध किया था। उन्होने इसका जोरदार विरोध किया था क्योंकि यह राष्ट्र और किसानों के हित में नहीं था। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया।

जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया है वह बहुत दयालु व्यक्ति थे और वह युवा संसदविदों को प्रोत्साहित करते थे चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो। वह कतिपय कमियों के बारे में आत्मीयता के साथ उन्हें बताया करते थे और अच्छे सुझाव दिया करते थे कि किस तरह से अभी भी उनका कार्य निष्पादन बेहतर बन सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं। मैं अपने दल की ओर से किसानों के महान नेता की श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आपसे हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का अनुरोध करता हूं।

श्री चित्तबसु (बारसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से आपके साथ, प्रधान मंत्री जी के साथ और इस सभा के अन्य विशिष्ट सहयोगियों के साथ प्रो. एन. जी. रंगा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

आपने ठीक ही कहा है कि प्रो. रंगा हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता का संदेश देश के दूर–दराज के गांवों तक पहुंचाया। मुझे यह याद करते हुए प्रसन्नता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ उनके घनिष्ठ संबंध था। वह हमारे देश के किसानों के हितों की रक्षा में अग्रणी थे। वस्तुतः हमारे देश में किसान आंदोलन से यह देखा गया है कि उन्होंने हमारे में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तदनन्तर अन्य किसान संगठन विकसित हुए, लेकिन सबसे पहले कार्य उन्होंने ही शुरू किया।

वह विद्वान व्यक्ति थे। मुझे उनके साथ देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने का अवसर मिला और एक युवा सांसद होने के नाते मुझे हमेशा उनकी आत्मीयता प्राप्त हुई। उन्होंने पाठकों के लिए अनेक मूल्यवान तथा रुचिपूर्ण पुस्तकें लिखीं। वह अद्वितीय दक्षता के संसदविद थे। देश को उनके सादे जीवन गरीबों के हितों के लिए उनके सर्मपण का अनुकरण करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उनके अनेकों मित्रों रिश्तेदारों और शोक–संतप्त परिजनों को हमारी सच्ची सहानुभूति संप्रेषित करने का आग्रह करता हूं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ और अनेक दलों के नेताओं के साथ प्रो. रंगा और

अन्य विशिष्ठ सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक और दुख व्यक्त करता हूं।

जहां तक श्री रंगा का संबंध है, हम उन्हें "वयोवृद्द सांसद" ठीक ही कहते थे। वह एक राजनीतिज्ञ, एक महान विद्वान और दलितों के हितों के लिए अग्रणी योद्धा थे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वह सादे जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वह इतने सहानुभूति रखने वाले, दयालु और मृदुभाषी थे कि हम आज भी उनकी मित्रता को भूल नहीं सकते हैं। मैं प्रो. रंगा के शोकसंतप्त परिवार के साथ हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

जहां तक अन्य विशिष्ट संसदविदों का संबंध है, मैं उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना प्रेषित करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तरीकी (अलपुरद्वारस) : अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने और प्रधानमंत्री जी ने तथा दूसरे दलों के नेताओं ने कहा है, मैं उनके साथ एकमत हूं। हमारे जो साथी आज इस पार्लियामेंट में नहीं हैं, उनको बड़े आदर से विशेषकर प्रोफेसर रंगा साहब को, जिनको मैं बहुत नजदीक से देखा था तथा रोज सुबह उनके साथ तालकटोरा व नॉर्थ एवेन्यू में मार्निंग वॉक किया करता था। वे हमेशा एक लाठी लेकर चलते थे। वे बहुत सीधे–सादे व साधारण किस्म के आदमी थे, वे सबसे प्यार किया करते थे। उनके पास किसी भी दल के चाहे वे बच्चे हों या बूढ़े आते थे, वे सबसे समान आदर के साथ बातचीत करते थे। उनको विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल आर. एस. पी. की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो दो–तीन हमारे और साथी, जो कि आज हमारे साथ नहीं हैं, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार वालों के पास अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि पहुंचाने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष जी, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से, उससे पहले जिन साथियों ने जिन अल्फाज में प्रोफेसर रंगा तथा दूसरे साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसके साथ अपने आपको जोड़ता हूं। मुझे प्रोफेसर रंगा की एक बात याद आती है और मुझे यकीन है कि उन्होंने दूसरे साथियों से भी यही कहा होगा। वे कहा करते थे कि पार्लियामेंट में पिछले कुछ साल से लंग्स पावर का कब्जा हो गया है।

मैं समझता हूं कि आप इस लंग पावर के कब्जे को कम करने और प्रो. रंगा की ख्वाहिश को पूरा करने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकते हैं। आज प्रो. रंगा और दूसरे दिवंगत साथियों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम इस पार्लियामेंट की मर्यादाओं को फिर से बहाल करके लंग पावर का जो कब्जा होता जा रहा है, उससे इसको निजात दिलाएं। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी श्री भोला राउत के अलावा किसी के साथ व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। मुझे उनके साथ कहीं पर कुछ दिनों तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे साधारण परिवार से आते थे लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे। अफसोस है कि प्रो. रंगा जैसे पार्लियामैंनटेरियन के साथ काम करने का अनुभव हम प्राप्त नहीं कर सके। इस सदन के जो अन्य दो साथी रहे हैं, उनके प्रति आपने, सदन के नेता, विरोधी दल के नेता और अन्य दलों के नेताओं ने जिस तरह से अपनी भावना को प्रकट किया है, उन भावनाओं के साथ मैं अपनी भावना भी जोड़ता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे महान् शहीदों की आत्माओं को शान्ति दे। उनके परिवार तक हमारी संवदेना पहुंचाने का कष्ट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : प्रो. रंगा की हकीकत पसन्दाना पॉलिसी बहुत पहले ही हिन्दुस्तान में आ चुकी थी लेकिन उसकी मुखालफत की गई और अब उसको कबूल किया गया। एक बेबाक, निडर और हकीकत पसन्द कायद को मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से ताजियत पेश करता हूं और ऐवाम के जज्बात से अपने आपको बावस्ता करता हूं।

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد) :
پروفیسر رنگا کی حقیقت پسندانہ پالیسی بہت پہلے
ہی ہندوستان میں آچکی تھی لیکن اسکی مخالفت کی
گئی، اور اب اسکو قبول کیا گیا۔ ایک بیباک نڈر اور
حقیقت پسند قائد کو میں اپنی اور اپنی پارٹی کی
طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور ایوان کے جذبات
سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान में कुछ देर का मौन धारण करेंगे।

11.47 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

11.49 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युत क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

*2. **श्री हरिन पाठक :**
श्री के. जी. शिवप्पा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके फलस्वरूप निकट भविष्य में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित हो जाएंगी और इनसे कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा;

(ग) क्या इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजी निवेश जारी हैं; और

(घ) इन समझौता ज्ञापनों के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अब तक विभिन्न राज्य सरकारों/राज्यों बिजली बोर्डों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र में लगभग 21270 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए 1.11995 से 18.2.1995 तक 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विद्युत परियोजनाओं के निजी विकासकर्ताओं को ठेका देने के लिए 18.2.1995 के बाद से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त प्रस्तावों के बारे में निवेश संबंधी स्थिति की जानकारी, परियोजनाओं के वित्तीय समापन के पश्चात् ही प्राप्त हो पाएगी।

(घ) परियोजनाओं के तत्परता से क्रियान्वयन के लिए बाधाओं को दूर करने हेतु समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के माध्यम से समय-समय पर दिए गए ठेके समेत निजी क्षेत्र के सभी प्रस्तावों के कार्य की प्रगति की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा की कमी के कारण सरकार ने यह नीति बनाई है कि प्राईवेट सैक्टर और ज्वाइंट वैन्चर से विभिन्न राज्यों में पावर प्रोजैक्ट डाले जाएंगे। मंत्री महोदय ने बताया कि 57 एम.ओ.यू. साइन हुए हैं। सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी बनाई हैं जिसके अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये से ऊपर के जो भी प्रोजैक्ट होंगे, उनको सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी से कनकरैंस लेनी पड़ेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने पावर प्रोजैक्ट स्पैशली गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के सैन्ट्रल अथारिटी के पास बाकी हैं और वे कब तक देंगे क्योंकि वे सब 200-500-1000 करोड़ रुपये के हैं?

श्री एन. के. पी. साल्वे : अध्यक्ष महोदय, वह लिमिट 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। गुजरात में कुल 9 एम. ओ. यू. साइन हुए हैं। और वह 4170 मैगावाट के हैं, जिनकी लागत 14,889 करोड़ रुपये बनकर आती है। सी.ई.ए. के सामने ऐसे कुल जमा 41 प्रस्ताव के करीब हैं. ..**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक : कुल 41 के करीब प्रस्ताव हैं, जो उनके विचाराधीन हैं। गुजरात का आंकड़ा मेरे पास नहीं है।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि जो पैंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं, वह सब क्लियर हुए हैं। कि नहीं हुए हैं।

ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज अभी-अभी मुझे डा. चिदम्बरम से इन्फोर्मेशन मिली, है, जो एटोमिक ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, कि महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार ने तारापुर पावर प्रोजैक्ट की तीसरी इकाई के लिए सम्मति दे दी है और दोनों सरकारों ने धन देने का भी फैसला कर लिया है। अब 500 मैगावाट के लिए सिर्फ केन्द्र सरकार की सम्मति की आवश्यकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कब तक इस पावर प्रोजैक्ट को सम्मति दे देगी?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायेंगे तो वह जवाब देंगे।

श्री एन. के. पी. साल्वे : यह इस मंत्रालय से बाहर का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : माननीय मंत्री महोदय ने उन समझौता ज्ञापनों की संख्या का उल्लेख किया है जिन पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वह जानते हैं कि जिन समझौता–ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे देश के कुछ निश्चित राज्यों से संबंधित हैं तथा देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी इन समझौता ज्ञापनों में पूरी तरह उपेक्षा की गई है। यदि ऐसी बात है, तो वे राज्य कौन–कौन से हैं जहां अधिकतम संख्या में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा वे राज्य कौन–से हैं जिन्हें समझौता–ज्ञापनों से वंचित रखा गया है? क्या सरकार इस समय बिजली की कमी वाले राज्यों तथा बिहार और केरल जैसे राज्यों में भी, पूंजी–निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है? इन राज्यों में स्थिति बहुत खराब है और मैं देख रहा हूं कि केरल के लिए ऐसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। केरल में कायनकुलम परियोजना का एक प्रस्ताव था, वह भी नहीं आरंभ किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : इस पर मैं मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री एन. के. पी. साल्वे : 57 समझौता ज्ञापनों का विवरण इस प्रकार है–

आंध्र प्रदेश	28
असम	1
मध्य प्रदेश	6
उड़ीसा	1
तमिलनाडु	10
उत्तर प्रदेश	10 और
केन्द्रीय सरकार	1

जहां तक कायनकुलम परीयोजना का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को राग में आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने अच्छी प्रगति की है, और मामला अब कैबिनेट समिति के समक्ष है। उसके तत्काल बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कायनकुलम परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 18 फरवरी, 1995 से हमने नीतिगत परिवर्तन कर दिए हैं और खुली बोली किसी भी समझौता ज्ञापन के लिए अनिवार्य हो गया है क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या आप आठ तीव्रगामी परियोजनाओं को बदलने जा रहे हैं जिन्हे पहले ही अर्थात् 18 फरवरी, 1995 के पहले स्वीकृति दी जा चुकी है अथवा ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उन परियोजनाओं की समीक्षा करनी है और एनरॉन ए. इ. एस. और दूसरी परियोजनाओं सहित आठ तीव्रगामी परियोजनाओं से संबंधित सभी बातों पर फिर से विचार करना है।

श्री एन. के. पी. साल्वे : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्टेनलेस स्टील का उत्पादन

*3. **श्री महेश कनोडिया** :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेनलेस स्टील के उत्पादन की घरेलू क्षमता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में स्टेनलेस स्टील की मांग तथा पूर्ति के बीच कितना अंतर रहा;

(ग) क्या स्टेनलेस स्टील की खपत बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा–पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"स्टैनलैस स्टील का उत्पादन" के बारे मे श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला तथा श्री महेश कनोडिया द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1995 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र की क्षमता 70,000 टन वेदाग इस्पात स्लैब/प्लेट/बिलेट तथा छड़ों का उत्पादन करने की है। वे विद्युत चाप भट्टी इकाइयां निजगें गौण परिशोधन सुविधाएं हैं, बेदाग इस्पात

का उत्पादन कर सकती हैं। उन विद्युत चाप भट्टी इकाइयों जिनमें इस प्रकार की सुविधाएं हैं, की विमान क्षमता 17.5 लाख टन है। इसके अतिरिक्त उन परंपरागत विद्युत चाप भट्टी/प्रेरणा भट्टी इकाइयों, जिनमें गौण परिशोधन सुविधाएं नहीं है, में भी बेदाग इस्पात का उत्पादन किया जा सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बेदाग इस्पात का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (टन)
1992–93	2,15,000
1993–94	2,85,000
1994–95	3,61,000

बेदाग ईस्पात का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त है।

(ग) जी हां।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2000–01 तक बेदाग इस्पात की खपत बढ़कर लगभग 6.14 लाख टन हो जाएगी। बेदाग इस्पात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में पहले ही पर्याप्त क्षमता है।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1993–94 और 1994–95 में स्टेनलैस स्टील का कितनी मात्रा में आयात किया गया? उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और वर्ष 1995–96 के लिये क्या लक्ष्य रखा गया? देश में कौन–कौन से पब्लिक सैक्टर के स्टील प्लांट हैं जिनका आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने का प्रस्ताव है और इस कार्य में कितनी लागत आने का अनुमान है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, फिलहाल हमारे देश में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन पर्याप्त है और हमारे पास इसकी अतिरिक्त क्षमता है। उस विशिष्ट प्रकार की स्टेनलैस स्टील के लिए वर्ष 1994–95 के दौरान केवल 15,000 टन के लगभग स्टील बाहर से आयात किये जाने का अनुमान है, जिसकी हमारे देश में उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके लिए विदेशी मुद्रा में कितने धन की आवश्यकता है इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं बाद में माननीय सदस्य को ये आंकड़े भेज दूंगा या सभा पटल पर रख दूंगा।

जहां तक उत्पादन का संबंध है, दुर्गापुर एलाय स्टील प्लान्ट में 70,000 टन स्टेनलैस स्टील का उत्पादन किया जा सकता है और सेकन्डरी क्षेत्र में 1750 लाख टन स्टेनलैस स्टील उत्पादन किये जाने की क्षमता भी है। अतः कुल मिलाकर यह स्थिति है। इसके अतिरिक्त स्टेनलैस स्टील अलॉय का उपयोग धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है। विदेशों में भी हमारे स्टेनलैस स्टील अलॉय की मांग हो रही है। हमारे सलेम स्टील प्लान्ट ने आस्ट्रेलिया और अमेरिका को कुछ मात्रा में इस अलॉय का निर्यात किया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि स्टेनलैस स्टील का उपयोग अधिकांशतः बर्तनों। उपकरणों, आंशिक तौर पर आटोमोबाइल क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में भी होता है। अतः भविष्य में इसकी संभावनाएं उज्ज्वल हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के 'ग' भाग में इस बात को स्वीकार किया है कि स्टेनलैस स्टील की खपत वास्तव में बढ़ती जा रही है। इसा बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने स्टेनलैस स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कोई विशेष उपाय किये हैं और गुजरात में स्टेनलैस स्टील की मांग और पूर्ति कितनी है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : जैसा कि मैंने कहा है, स्टेनलैस स्टील पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस समय हम इसकी क्षमता बढाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसकी मांग बढ़ गई और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सेकन्डरी रिफाईनिंग सहित विद्युत चाप भट्टी (इलैक्ट्रिक आर्फ फर्नेस में उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता है। मेरे पास गुजरात में संबंधित मांग और आपूर्ति के आंकड़े नहीं है लेकिन मैं यह आश्वासन दे सकता हूं सारे देश में स्टेनलैस स्टील मटेरियल की कोई कमी नहीं है। बर्तनों उपकरणों के रूप में अथवा अन्य क्षेत्रों में स्टेनलैस स्टील पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

एनरॉन विद्युत परियोजना

*4. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में एनरॉन विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी विवाद की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का पालन न करने पर अमरीका द्वारा दी गई चेतावनी सहित इस विवाद का ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीकी चेतावनी के फलस्वरूप भारतीय विद्युत परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ने की सभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने यह सूचित किया है कि दभोल स्थित एनरॉन विद्युत्त परियोजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। केन्द्र सरकार को समीक्षा समिति की सिफारिशों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में अमरीका सरकार से किसी प्रकार की कोई चेतावनी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इस अवस्था में केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एनरॉन विद्युत परियोजना का मामला आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। काउंटर गारंटी समेत जिन शर्तों पर यह समझौता हुआ, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में वह चर्चा का विषय बन गया है। देश के अन्दर भी कई ऐसे संस्थान हैं जो कि विवाद के चलते इस तरह के प्रोजैक्ट्स को ले सकते हैं बशर्ते : वही मदद उनकी की जाये जो कि एनरॉन के साथ शर्तें लगा कर की गईं। क्या सरकार उन पर विचार करने को तैयार है?

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री एन. के. पी. साल्वे : महोदय, यह प्रश्न मिलने के बाद हमने यह मामला जानने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया कि यह किस स्तर का विवाद है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचना दी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा एनरॉन परियोजना का अध्ययन करने के लिए गठित पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को भेज दी गई है।

श्री राम नाईक : महोदय, वे वह बात नहीं बता रहे हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। अब वह महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने जो कुछ कहा है उसको पढ़ रहे हैं।

यदि वह महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहे हैं तो उन्हें वह बात कहनी चाहिए जो कि महाराष्ट्र सरकार ने कही है।

श्री एन. के. पी. साल्वे : यदि माननीय सदस्य मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे तो बेहतर होगा।

जहां तक महाराष्ट्र सरकार का संबंध है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया है...**(व्यवधान)** जब तक हमें राज्य विद्युत बोर्ड अथवा महाराष्ट्र सरकार से प्रामाणिक तौर पर कुछ भी पता नहीं चलता है तब तक मैं समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्षत महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वीजा जारी किया जाना

*1. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा गत छः महीनों के दौरान प्रतिदिन प्रान्त–वार औसतन कितने वीजा जारी किए गये;

(ख) क्या भारतीय उच्चायोग ने हाल ही में पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को उदार और कारगर बनाया है तथा इसका समाचार पत्रों और विज्ञापनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने भी भारतीयों के लिए ऐसी ही सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन ने गत छह महीनों के दौरान पाकिस्तान के चार प्रान्तों के लिए प्रत्येक कार्य–दिवस पर औसतन 110 वीजा जारी किए।

(ख) और (ग) जनवरी, 1995 में कराची स्थित भारत के

प्रधान कोंसलावास के बन्द हो जाने के परिणामतः भारत का हाई कमीशन सिंध और बलूचिस्तान से प्राप्त वीजा अनुरोधों को भी निपटा कर रहा है। इस कार्य को पहले कराची स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास निपटाता था। इसके परिणामतः वीजा अनुरोधों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन ने वीजा कार्य–विधि को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि जिस दिन पासपोर्ट प्राप्त होते हैं उसी दिन वीजा जारी किया जा सके। इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ–साथ टोकन प्रणाली लागू करना, सिंध और बलूचिस्तान के निवासियों के लिए विशेष काउन्टर खोलना और वास्तविक आक्समिकताओं तथा व्यापार/सम्मेलन संबंधी यात्राओं के मामले में वीजा शीघ्र जारी करना शामिल है। पाकिस्तान स्थित हमारे हाई कमीशन ने पाकिस्तानी संचार माध्यमों में इन उपायों का व्यापक रूप से प्रचार किया है।

(घ) और (ङ) खेद की बात है कि पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रिकों के मामले में प्रतिबंधात्मक वीजा प्रणाली अपनाए हुए है जिसमें मामला–दर–मामला आधार पर वीजा अनुरोधों का पूर्व साक्ष्यांकन करना शामिल है जिसके परिणामतः वीजा जारी करने में काफी विलम्ब हो जाता है और पाकिस्तान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों को असुविधा होती है।

[हिन्दी]

कश्मीर का मुद्दा

*5 **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और विशेषतः कश्मीर में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को हल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ निर्देशित विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय समर्थन दे रहा है, उन्हें दुष्प्रेरित कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है। सीमा के पार से आतंकवाद को मिलने वाला यह समर्थन गहरी चिन्ता का विषय है। इस संबंध मे पाकिस्तान का आचरण सर्वथा अस्वीकार्य है क्योंकि इससे शिमला समझौते का तथा अन्तर–राज्यीय आचरण के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदण्डों का उल्लंघन हो रहा है।

(ख) सरकार आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है और भारत के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों के संचालन के लिए आतंकवादियों को बाहर से मिलने वाली सामग्रीगत, वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता के बारे में सतर्क बनी रहेगी।

सरकार ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वह आतंकवादियों और विध्वंस तत्वों को समर्थन देना–बंद कर दे।

(ग) और (घ) सरकार पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को जिनमें जम्मू और कश्मीर से संबद्ध मसले भी शामिल हैं, की शिमला समझौते को रूप रेखा के अनुरूप शान्तिपूर्ण ढंग से और विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार कई अवसरों पर और सभी स्तरों पर पाकिस्तान को इस बात से अवगत कराती रही है कि वह सभी अनसुलझे मसलों पर व्यापक और सार्थक बातचीत करने को तैयार है।

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों में उर्वरक संयंत्र

*6 **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक संयंत्र कहां–कहां पर स्थापित किए जाएंगे, इनका पूंजी परिव्यय कितना होगा और इनके संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(घ) इन संयंत्रों से उर्वरकों की घरेलू मांग किस सीमा तक पूरी हो सकेगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) ओमान और ईरान में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

देश	प्रस्तावित संयुक्त उद्यम भागीदार	स्थिति	उत्पादन क्षमता	परियोजना की संभावित लागत
1. ओमन	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कुभको), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) और ओमान ऑयल कम्पनी ओमान	सर. के समीप	15 लाख मी. टन यूरिया प्रतिवर्ष	897 मिलियन अमेरिकी डालर वित्तीय अधिभारों के साथ (जुलाई,. 1994 आंकड़े)
2. ईरान	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (कृभको) केशम फ्री एरिया अथोरिटी (क्यूएमएए) आफ ईरान	केशम द्वीप	7.26 लाख मी. टन यूरिया प्रतिवर्ष	343.5 मिलियन अमेरिकी डालर (मार्च, 1994 आंकड़े)

उपर्युक्त आंकड़े इस स्तर पर अंतिम मात्र हैं।

(ग) अंतिम निवेश निर्णयों के अभाव में इन संयंत्रों के प्रचालन की संभावित तिथियों को नहीं बताया जा सकता।

(घ) सरकारी खाते में यूरिया के आयातों में इन संयंत्रों के वास्तविक उत्पादन की सीमा तक कमी की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा

*7. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में फ्रांस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) फ्रांस के नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की बैठकों के दौरान कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों के बारे में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है ताकि उन्हें हमारे बीच विद्यमान श्रेष्ठ राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंधों के समतुल्य लाया जा सके। जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, फ्रांस ने यह बात दोहराई कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत का समर्थन करता है और भारत की पारदर्शिता की नीति का स्वागत करता है। आतंकवाद और उग्रवाद; विश्व आर्थिक परिदृश्य,

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार एवं सुधार के संबंध में दोनों देशों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी उन्होंने विचार–विमर्श किया।

प्रधान मंत्री की फ्रांस की यात्रा से उम्मीद है कि विभिन्न क्षेत्रो में फ्रांस के साथ हमारे संबंधों को तथा भारत–यूरोप संघ संबंधों को और बल मिल सकता है।

(ग) प्रधान मंत्री की फ्रांस की यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन का कार्य निष्पादन

*8. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू पत्तन द्वारा वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के लिए कार्य निष्पादन लक्ष्य क्या रखे गए थे;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष वार कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) इसकी कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन के मामले में कार्गो हैंडलिंग के लिए नियत लक्ष्य तथा लक्ष्य–प्राप्ति के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

(मिलियन टन में)

	लक्ष्य	वास्तव में हैंडल किया गया कार्गो
1992–93	3.71	3.01
1993–94	3.63	3.39
1994–95	3.95	5.01

(ग) पत्तन ने 1994–95 में पहले ही अपनी 4.7 मिलियन टन की कार्यशील क्षमता पार कर ली है। जहां तक 5.9 मिलियन टन की अभिकल्पित क्षमता का संबंध है, पत्तन ने पहले ही निजी पार्टियों से अतिरिक्त कंटेनर हैंडलिंग उपकरण पट्टे पर ले लिए हैं ताकि वह अपनी क्षमता पूरी कर सके।

चीन द्वारा पाकिस्तान को एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति

*9. **श्री दत्ता मेघे :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन से एम–11 प्रक्षेपास्त्र करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में इन सदस्य देशों में से प्रत्येक देश की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(घ) सरकार पाकिस्तान द्वारा इन प्रक्षेपास्त्रों की प्राप्ति को देखते हुए क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की कार्यसूची में शामिल तो नहीं है लेकिन सरकार ने अपने मूल्यांकन से तथा इस संबंध में भारत की चिन्ताओं से मित्र देशों को और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्यों को अवगत करा दिया है।

(ग) सभी संबंधित देशों ने हमारी चिन्ताओं पर गौर किया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार अमरीकी सरकार की स्थिति यह है कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि क्या इन कार्यवाहियों से अमरीकी प्रतिबंध कानून का या प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत चीन की प्रतिबद्धता का उल्लंघन होता है अथवा नहीं। चीन की सरकार ने इन खबरों का खण्डन किया है।

(घ) सरकार इस मामले से संबंधित घटनाओं पर संजीदा नजर रखे हुए है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है, और सरकार हमारे हितों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

पत्तनों में मूलभूत सुविधाएं

*10. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों के भीतर पेट्रोलियम उत्पादनों के चढ़ाने/उतारने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे पर्याप्त ड्राफ्ट डिसप्लेमंट वाले घाट, यांत्रिक लदान उपकरण तथा पर्याप्त डॉक लाइनों के लिए ट्रेस्ट्ल्स प्रदान किए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) अनेक महापत्तनों पर पी. ओ. एल. हैंडलिंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण/विस्तार की आवश्यकता है। कुछ पत्तनों पर हैंडल किया गया वास्तविक पी. ओ. एल. यातायात विद्यमान क्षमता से पहले ही अधिक हे जो नीचे तालिका में देखा जा सकता है :

(मिलियन टन)

क्रम सं.	पत्तन का नाम	विद्यमान क्षमता	हैंडल किया गया यातायात 1994–95
1.	पारादीप	0.00	0.34
2.	मद्रास	8.50	11.97
3.	मुरगांव	1.50	1.94
4.	बम्बई	18.00	20.07
5.	कंडला	17.00	10.95

उपर्युक्त के अतिरिक्त तेल कंपनियों ने कंडला, बम्बई, विशाखापत्तनम, नव मंगलूर और कोचीन पत्तनों पर तेल हैंडलिंग सुविधाओं के विस्तार की विशेष मांग की है।

(ग) कंहला, बम्बई, विशाखपत्तनम, नव मंगलूर और कोधीन पत्तनों पर पी. ओ. एल. हैंडलिंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए 769.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से कुल 8 प्रमुख स्कीमों का कार्यान्वत पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है जिनके चालू होने पर पी. ओ. एल. हैंडलिंग क्षमता 26.50 मिलियन टन तक बढ़ जाएगी।

दिल्ली किराया विधेयक

*11. **श्री डी. वैंकटेश्वर राव :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने क. कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है वि हाल ही में पारित दिल्ली किराया विधेयक, 1995 में किये गर प्रावधानों को लेकर दिल्ली के निवासियों में भारी असंतोष है

(ख) क्या सरकार को इस मामले में अभ्यावेदन भी प्राप हुए हैं?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने क विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क से (घ) दिल्ली किराया विधेयक, 1995 के पक्ष में तथा इस विधेयव के मुख्यतः समझा गया किराया, किरायेदारी करारों का पंजीकरप किरायेदारी की उत्तराधिकार प्राप्यता, किराये की वृद्धि दर तथ परिसर के कब्जे को पुनः प्राप्त करने सम्बन्धी कुछेक प्रावधानं के विरुद्ध अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं। इस विधेयक को संसद वं दोनों सदन पहले ही पारित कर चुके हैं और फिलहाल इस पर राष्ट्रपति की सहमति का इन्तजार है।

उर्वरक का उत्पादन और सप्लाई

*12. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा :**
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसायनिक उर्वरकों की वार्षिक आवश्यकता, खपत तथा उत्पादन का वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरकों के घरेलू उत्पादन, वितरण तथा इनके लिए दी जाने वाली राज सहायता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने रासायनिक उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) सीमान्त तथा छोटे किसानों को सस्ते मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और खपत के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है। जहां तक आवश्यकता का सम्बन्ध है, राज्यों की मांगों का मूल्यांकन आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1995 के अन्तर्गत आवंटन के निर्धारण के लिए नियंत्रित उर्वरकों के सम्बन्ध में किया जाता है। इस समय यूरिया एक मात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण और संचालन नियंत्रणों के अधीन है। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए यूरिया के फसलवार (ईसीए) आवंटन और प्रभावी बिक्रियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ख) से (घ) कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाओं से नाइट्रोजन और फॉस्फेट पोषकों की स्थापित क्षमता में क्रमशः 17 लाख टन और 0.31 लाख टन की बढ़ोत्तरी होगी। यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम किया गया है यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता और मांग के बीच के अन्तर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यूरिया के नियंत्रित मूल्य पर सरकार द्वारा भारी राज सहायता दी जानी जारी है।

25.8.92 से फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिया गया। इन उर्वरकों की मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा शासित है। इन उर्वरकों के खुले बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी के प्रभाव को कम करने के लिए चालू वर्ष के दौरान अनियंत्रित उर्वरकों के लिए विशेष रियायत योजना बनाई गई है।

इस योजना के अंतर्गत म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी) तथा स्वदेशी डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की बिक्री पर प्रति टन 1,000 रुपये की रियायत दी गई है। फॉस्फेट तथा पोटाश मात्रा पर आधारित अनुपातिक रियायत स्वदेशी सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) तथा काम्पलेक्स ग्रेड उर्वरकों पर भी उपलब्ध है। फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की कुल उपलब्धता बिल्कुल संतोषजनक है।

(ङ) राज–सहायता प्राप्त उर्वरकों का लाभ कृषकों की सभी श्रेणियों को उपलब्ध है।

विवरण-I

(000 मी. टन)

क्रमांक	राज्य	1992–93						
		उत्पादन			खपत			
		एन	पी	एन+पी	एन	पी	के	एन+पी+के
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	369.40	276.00	645.40	1021.66	410.70	81.75	1514.10
2.	कर्नाटक	112.20	41.90	154.10	419.60	239.61	120.95	780.15
3.	केरल	237.90	143.60	381.50	83.93	47.25	71.79	202.97
4.	तमिलनाडु	599.20	368.60	967.80	455.34	161.54	182.62	799.49
5.	अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.30	0.12	0.27	0.69
6.	पान्डीचेरी	0.00	0.00	0.00	9.27	3.21	3.98	16.46
7.	गुजरात	1794.10	615.80	2409.90	496.17	181.14	39.29	716.61
8.	मध्य प्रदेश	397.20	54.70	451.90	502.01	255.92	35.10	793.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	महाराष्ट्र	946.60	184.70	1131.30	731.00	280.00	121.00	1132.00
10.	राजस्थान	164.90	33.10	198.00	349.40	136.05	5.07	490.52
11.	दादर एवं नगर ह.	0.00	0.00	0.00	0.65	0.42	0.08	1.16
12.	गोवा	235.80	94.40	330.20	3.21	1.89	1.84	6.94
13.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.15	0.04	0.01	0.20
14.	हरियाणा	200.00	11.80	211.80	464.71	141.42	2.51	608.64
15.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	24.47	3.75	2.38	30.61
16.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	33.52	10.14	0.75	44.41
17.	पंजाब	460.20	31.70	491.90	934.53	254.26	10.57	1199.35
18.	उत्तर प्रदेश	1323.20	54.10	1377.30	1785.46	345.74	48.52	2179.72
19.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.48	0.06	0.01	0.54
20.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	11.02	1.33	0.04	12.39
21.	आसाम	136.80	0.70	137.50	16.10	5.28	5.13	26.51
22.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	6.68	1.90	0.58	9.16
23.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	1.57	1.24	0.18	2.99
24.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.27	0.30	0.09	0.74
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.61	0.38	0.11	1.10
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	5.13	2.52	1.28	8.93
27.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.30	0.14	0.05	0.50
28.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.41	0.55	0.25	1.20
19.	टी बोर्ड (एन॰ ई॰)	0.00	0.00	0.00	27.01	4.88	11.56	43.45
30.	बिहार	191.60	28.50	220.10	474.59	100.20	20.96	595.45
31.	उड़िसा	192.50	240.50	133.00	142.59	33.08	21.28	202.95
32.	पश्चिम बंगाल	68.70	126.10	194.80	424.68	212.64	93.96	731.28
	अखिल भारत	7430.30	2306.20	9736.50	8426.83	2843.97	893.92	12154.53

1993-94 के दौरान उर्वरक का राज्यवार उत्पादन और खपत (000 मी. टन)

राज्य का नाम	उत्पादन (1993—94)			खपत (1993—94)			
	एन	पी	एन+पी	एन	पी	के	एम+पी+के
1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	489.9	197.4	687.3	1085.74	369.51	88.09	1543.34
केरल	262.2	112.8	375.0	77.60	33.12	66.11	176.83
कर्नाटक	100.0	31.1	131.1	472.81	215.82	116.40	805.03
तमिलनाडु	487.5	233.0	710.5	413.88	181.34	205.69	780.91
पांडिचेरी				11.52	3.82	3.9	19.27
अंडमान निकोबार दीप समूह				0.22	0.10	0.03	0.35
कुल दक्षिण क्षेत्र	1339.6	564.3	1903.9	2061.77	783.71	480.25	3325.73
पश्चिम क्षेत्र							
गोआ	215.3	50.1	265.4	3.12	1.86	1.09	6.07
मध्य प्रदेश	413.2	45.5	458.7	521.20	235.95	16.83	773.6.98
महाराष्ट्र	902.3	155.1	1057.4	804.31	259.02	130.85	1194.18
गुजरात	1702.7	641.1	2343.8	472.89	157.02	39.18	669.09
राजस्थान	247.9	14.7	258.6	365.98	133.75	2.63	502.38
दमन एवं दीव				0.15	0.04	0.01	0.20
दाद एवं नगर हवेली				0.68	0.38	0.02	1.08
कुल पश्चिमी क्षेत्र	3477.4	906.5	4383.9	2168.8	788.2	190.61	3146.96
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	129.4	20.6	150.0	471.64	98.67	15.01	585.32
उड़ीसा	188.6	177.1	365.7	154.59	34.17	18.95	207.71
पश्चिमी बंगाल	35.0	68.4	103.4	425.31	183.21	136.57	745.09
आसाम	87.3	0.2	87.5	20.72	4.96	7.70	33.40

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा				5.25	1.72	0.89	7.85
मणिपुर				8.20	0.86	0.05	9.11
मेघालय				1.82	1.13	0.27	3.22
नागालैंड				0.50	0.46	0.14	1.10
अरुणाचल प्रदेश				0.28	0.21	0.08	0.57
मिजोरम				0.36	0.43	0.15	0.94
सिक्किम				0.61	0.28	0.09	0.98
कूल पूर्वी क्षेत्र	440.3	266.3	706.6	1089.28	326.12	179.90	1595.30
उत्तर क्षेत्र							
हरियाणा	237.5	3.8	214.3	522.88	148.44	0.36	671.68
पंजाब	478.9	20.6	499.5	946.52	245.49	7.47	1199.48
उत्तर प्रदेश	1257.5	54.3	1311.8	1893.52	359.65	38.75	2291.92
हिमाचल प्रदेश				24.65	2.34	1.62	28.61
जम्मू एवं कश्मीर				35.17	6.56	0.60	42.33
दिल्ली				13.28	2.44	0.02	15.74
चण्डीगढ़				0.51	0.02	0.00	0.53
कुल उत्तर क्षेत्र	1973.9	76.7	2052.6	3436.53	764.94	48.82	4250.29
चाय बोर्ड				32.66	6.55	8.84	46.05
कुल अखिल भारतीय	7231.2	1815.8	9047.0	8788.57	2669.34	908.42	12366.33

1994-95 के दौरान उर्वरक का राज्यवार उत्पादन और खपत (000 मी. टन)

राज्य का नाम	उत्पादन (1994–95)			खपत (1994–95)			
	एन	पी	एन+पी	एन	पी	के	एम+पी+के
1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	507.3	268.8	776.1	1109.15	382.9	109.95	1601.19

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल	263.5	132.6	418.1	83.72	42.66	75.23	201.61
कर्नाटक	133.8	47.2	181.0	482.50	202.61	119.46	804.57
तमिलनाडु	606.7	370.5	977.2	481.86	102.36	278.12	25334
पांडिचेरी				12.69	3.96	3.93	20.58
अ. एवं नि. दीपसमूह				0.40	0.12	0.32	0.84
कुल द. क्षेत्र	1531.3	819.1	2350.4	2170.32	824.80	587.1	3582.13
पश्चिमी क्षेत्र							
गोआ	224.4	88.0	312.4	3.53	1.41	1.43	6.37
मध्य प्रदेश	386.4	73.3	459.7	547.54	286.35	29.85	863.74
महाराष्ट्र	896.9	161.9	1058.8	948.00	379.00	187.00	1514.00
गुजरात	1756.9	724.8	2481.7	562.50	200.99	50.16	813.65
राजस्थान	522.8	16.3	539.1	473.73	147.93	7.94	629.64
दमन एवं दीव				0.13	0.05	0.01	0.19
दादर एवं नगर हवेली				0.67	0.41	0.4	1.12
कुल प. क्षेत्र	3787.4	1064.3	4851.7	2536.10	1016.18	276.43	3828.71
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	174.8	27.4	202.2	525.62	95.52	34.03	655.17
उड़ीसा	214.8	323.8	538.6	159.54	37.51	23.58	220.6
प. बंगाल	36.4	100.2	136.6	450.42	160.35	136.08	746.85
आसाम	73.3	0.2	273.5	21.95	4.85	9.79	36.59
त्रिपुरा				5.19	2.21	1.36	8.76
मणिपुर				8.96	2.03	0.32	11.31
मेघालय				2.24	1.15	0.19	3.58
नागालैंड				0.26	0.28	0.11	0.65
अरुणाचल प्र.				0.30	0.24	0.11	0.65
मिजोरम				0.31	0.30	0.22	0.83

1	2	3	4	5	6	7	8
सिक्किम				0.71	0.21	0.06	0.98
कुल पूर्व क्षेत्र	499.3	451.6	950.91	1175.50	304.65	205.85	1686.00
उत्तर क्षेत्र							
हरियाणा	209.3	12.6	221.9	550.14	151.63	2.12	703.89
पंजाब	483.5	34.8	518.3	1032.15	265.14	16.44	1313.13
उत्तर प्रदेश	1434.6	110.3	1544.9	2085.59	424.91	73.19	2563.69
हिमाचल प्रदेश				29.16	2.55	2.26	33.97
जम्मू एवं कश्मीर				41.73	8.89	1.45	52.07
दिल्ली				14.20	2.06	0.04	16.30
चण्डीगढ़				0.36	0.04	0.00	0.40
कुल उ॰ क्षेत्र	2127.4	157.7	2285.1	3733.33	856.22	95.50	4684.05
चाय बोर्ड				26.33	5.77	16.65	48.75
कुल अखिल भारतीय	7945.4	2492.7	10438.1	9641.58	3008.62	1181.44	13829.64

(एन॰ आई॰ सी॰ द्वारा कम्प्यूटरीकृत)

विवरण-II

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान मौसमवार ई.सी.ए. आबंटन और बिक्री

क्र.सं.	राज्य	खरीफ 1992		रबी 1992–93		खरीफ 1993		रबी 1993–94		खरीफ 1994		रबी 1994–95	
		ई.सी.ए. आबंटन	बिक्री	ई.सी.ए. आबंटन	बिक्री	ई.सी.ए. आबंटन	बिक्री	इ.सी.ए. आबंटन	बिक्री	ई.सी.ए. आबंटन	बिक्री	ई.सी.ए. आबंटन	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	859.65	640.93	1041.83	913.04	836.55	776.22	1071.14	965.46	907.04	776.82	1102.97	1009.27
2.	कनार्टक	375.75	321.09	298.06	275.95	372.56	369.20	282.47	302.38	421.55	386.83	351.35	347.28
3.	केरल	52.56	50.85	47.02	44.77	68.68	61.58	53.84	46.02	73.08	57.37	51.92	49.14
4.	तमिलनाडु	266.29	220.96	570.16	487.53	236.53	229.03	468.57	422.19	214.50	224.29	510.40	479.29
5.	अंडमान और निकोबार	0.41	0.00	0.22	0.23	0.24	0.45	0.44	0.24	0.55	0.41	0.44	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	पाण्डीचेरी	7.98	6.11	11.67	7.39	9.48	7.15	11.45	11.94	8.43	9.54	13.78	11.22
7.	गुजरात	381.15	320.01	431.30	454.96	354.64	327.04	451.96	372.12	367.82	391.05	537.30	550.70
8.	मध्य प्रदेश	535.70	438.95	464.24	448.91	522.50	506.36	478.50	422.77	600.82	560.25	550.50	519.73
9.	महाराष्ट्र	888.03	771.01	451.28	455.73	927.40	870.34	507.98	521.89	1008.70	900.68	666.60	591.58
10.	राजस्थान	258.50	240.10	407.00	390.84	313.50	298.16	522.50	376.63	363.00	352.34	539.50	504.30
11.	दादर और नगर हवेली	0.89	0.00	0.25	0.00	1.03	1.03	0.33	0.33	1.29	1.29	0.26	0.25
12.	गोवा	2.95	2.14	2.20	2.12	3.04	2.26	2.09	1.73	3.08	3.06	2.20	1.41
13.	दमन एवं दीव	0.22	0.00	0.66	0.00	0.25	0.17	0.09	0.08	0.22	0.17	0.14	0.09
14.	हरियाणा	425.02	376.42	586.00	520.61	446.60	431.37	598.40	579.65	462.00	439.93	643.50	614.83
15.	हिमाचल प्रदेश	31.78	29.79	20.13	14.53	18.41	18.41	11.91	11.91	20.93	20.93	22.00	22.00
16.	जम्मू और कश्मीर	50.83	40.82	26.58	21.72	54.33	51.27	30.66	23.23	58.15	55.33	24.16	19.78
17.	पंजाब	881.68	765.52	1093.37	985.64	887.85	827.30	1117.08	1065.06	898.42	867.49	1122.00	1068.24
18.	उत्तर प्रदेश	1554.97	1354.50	2269.24	2177.47	1605.80	1519.56	2600.01	2277.10	1765.50	1675.44	2603.70	2272.35
19.	चण्डीगढ़	0.33	0.33	0.42	0.42	0.31	0.31	0.66	0.66	0.32	.32	0.44	0.44
20.	दिल्ली	8.20	7.67	15.67	14.57	8.24	8.79	18.62	18.48	8.67	7.64	19.79	21.73
21.	बिहार	514.15	434.03	541.00	499.98	540.50	430.63	593.99	486.66	569.88	491.09	601.08	524.49
22.	उड़ीसा	173.88	155.63	94.41	78.08	200.74	165.02	95.43	83.19	214.89	157.23	108.60	111.20
23.	पं. बंगाल	276.44	275.93	540.96	482.40	288.48	517.95	544.98	432.06	337.77	334.27	552.83	472.26
24.	आसाम	25.91	21.68	19.91	16.13	23.91	23.30	23.82	24.23	25.34	26.84	27.50	27.15
25.	मणिपुर	15.83	11.20	4.95	2.72	16.46	15.63	1.89	1.36	19.80	14.43	4.40	3.19
26.	मेघालय	2.05	0.78	2.09	1.29	2.30	1.98	2.20	0.36	2.42	2.26	2.75	1.71
27.	नागालैण्ड	0.53	0.10	0.24	0.10	0.55	0.00	0.39	0.28	0.33	0.51	0.22	0.19
28.	सिक्किम	1.65	0.65	0.86	0.13	1.10	0.61	0.66	0.20	1.10	0.30	0.72	0.32
29.	त्रिपुरा	5.76	3.69	6.77	6.72	8.80	2.04	7.82	4.18	6.35	9.73	8.79	4.56
30.	अरूणाचल प्रदेश	0.31	0.07	0.22	0.06	0.22	0.04	0.25	0.00	0.25	9.21	0.30	0.09
31.	मिजोरम	0.22	0.21	0.22	0.10	0.33	0.32	0.28	0.02	0.44	0.14	0.50	0.18
32.	टी बोर्ड (एनई)	30.80	27.60	35.38	35.38	37.50	32.83	44.00	50.09	38.50	17.90	38.50	36.0
अखिल भारत		7631.41	6518.77	8984.40	8339.52	7788.83	7296.25	9544.41	8502.50	8381.14	7786.09	10109.14	9265.0

मद्रास पत्तन न्यास

*13. **श्री पी. कुमारासामी :**
डा. पी. वल्ललपेरूपान :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास पत्तन न्यास के दक्षिणी घाट और पूर्वी घाट के समन्वित विकास के लिए हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार ने मद्रास पत्तन से संबंधित कुछ और योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है और इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इससे संबंधित कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख और ग) एक बहुमंजिले ट्रांजिट शेड के निर्माण से संबंधित एक योजना सरकार द्वारा दिनांक 19.6.1995 को 18.38 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई है।

(घ) यह परियोजना सरकारी आदेशों के जारी होने की तारीख से 30 महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

हज सद्भावना शिष्टमंडल, 1995

*14. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज, 1995 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा सऊदी अरब भेजे गये सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्य कौन–कौन हैं;

(ख) सऊदी अरब में इस शिष्टमंडल के कार्यक्रमों और कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिष्टमंडल पर किए गए व्यय का प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस शिष्टमंडल ने हज व्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कोई सिफारिशें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शिष्टमंडल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हज 1995 के दौरान भारत सरकार का 22 सदस्यीय हज सद्भावना शिष्टमंडल सऊदी अरब भेजा गया था। शिष्टमण्डल की संरचना का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ख) सद्भावना शिष्टमंडल 5 से 26 मई, 1995 तक सऊदी अरब में रहा। हमारे शिष्टमंडल के नेता सऊदी अरब नरेश द्वारा दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए। हमारे शिष्टमंडल के नेता और उप–नेता ने हज यात्रा के सिलसिले में विशेष रूप से भारतीय हाजियों के हित कल्याण के संदर्भ में मौजूदा और नियोजित इंतजामातों पर विचार–विमर्श करने के लिए सऊदी हज मंत्री से मुलाकात की। एक अन्य अवसर पर हमारे शिष्टमण्डल के शेष सदस्यों ने सऊदी हज मंत्री से मुलकात की और सऊदी अरब और शिष्टमंडलों के नेताओं के सम्मान में मंत्री द्वारा दिए गए रात्रि भोज में हमारे शिष्टमंडल के वैकल्पिक नेता शरीक हुए। हमारे शिष्टमंडल ने मक्का के गवर्नर से भी मुलाकात की। जद्दाह में हमारे शिष्टमंडल के प्रवास के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

हमारे शिष्टमंडल ने ऐसे अनेक भवनों जहां भारतीयों को ठहराया गया था और इस प्रयोजनार्थ स्थापित शिविर, औषधालयों में जा जाकर हज–1995 के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए किए गए इंतजामातों की समीक्षा की।

(ग) हमारे शिष्टमंडल पर हुए व्यय का ब्यौरा मुख्य शीर्षवार इस प्रकार है :

1.	हवाई किराया	6,54,720	रुपए
2.	दैनिक भत्ता	8,53,475	रुपए
3.	प्रवास व्यवस्था	96,32,219	रुपए
4.	परिवहन	10,63,898	रुपए
5.	विविध	6,983	रुपए
	योग =	1,22,11,295	रुपए

(घ) और (ङ) उम्मीद है कि शिष्टमंडल भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगा।

विवरण

हज 1995 के लिए भारत सरकार के सद्भावना शिष्टमंडल की संरचना

1. श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री
   —शिष्टमंडल के नेता
2. डॉ. फारूक अब्दुल्ला
   —शिष्टमंडल के उपनेता
3. श्री सलामतुल्ला, अध्यक्ष, केन्द्रीय हज समिति
4. डॉ. जैनल अवेदीन, विधायक, प्रतिपक्ष के नेता, पश्चिम बंगाल
5. श्री अब्दुल गफूर पारेख, नागपुर
6. मौलवी मोहम्मद मोअज्जम अहमद, नायब इमाम फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली।
7. डॉ. अम्मार रिजवी, सदस्य विधानपरिषद उत्तर प्रदेश
8. श्री कादिर पीरजादा पंचायती, उपाध्यक्ष गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी
9. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, सांसद
10. मौलाना जमील अहमद हलियासी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मस्जिद इमाम संगठन।
11. श्री अनीस मजीद अहमद, विधायक नागपुर
12. श्री ई. अहमद, सांसद
13. श्री मोहम्मद अब्दुल अली, आर्कोट नबाब तमिनाडु
14. श्री पी.पी. जकारिया, सचिव,
    केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
15. श्री पीर हसन सन्नी निजामी, साजदा नशीन,
    दरगाह निजामुद्दीन औलिया
16. श्री कोकब हमीद; उपनेता, कांग्रेस विधायक दल,
    उत्तर प्रदेश
17. श्री अल्ताफ अहमद, अतिरिक्त सालोसोटर जनरल
18. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सांसद
19. श्री अहमद राजी, इस्लामी अध्ययन विभाग
    जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली
20. श्री अब्दलु रशीद बाबा, श्रीनगर
21. श्री सिराज पिराचा, अध्यक्ष, दिल्ली राज्य वक्फ बोर्ड।
22. श्री राजेन हबीब ख्वाजा, आई.ए.एस., शिष्टमण्डल सचिव

[हिन्दी]

मोइली समिति की सिफारिशें

*15. **श्री कांशीराम राणा :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीरे (मुलैस) और अल्कोहल पर नियंत्रण समाप्त करने के बाद उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं की जांच करने हेतु श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित कार्य दल की सिफारिशों की जांच की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख सिफारिशें कौन–कौन सी हैं, और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) शीरे और अल्कोहल को नियन्त्रण करने से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए 4 नवम्बर, 1993 को राज्यों के आबकारी मंत्रियों की बैठक में एक कार्यदल का गठन किया गया था जिसमें कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के आबकारी मंत्री शामिल थे।

कार्यदल की मुख्य सिफारिशें हैं–अल्को–रसायन उद्योगों, देशी शराब और मवेशी तथा मुर्गी चारा निर्माताओं को राज्य सरकारों द्वारा आबंटित करने के लिए 70 प्रतिशत चीनी कारखानों और डिस्टिलरियों के लिए इन सामग्रियों के स्वीकृत/लाइसेंसशुदा उपयोगकर्ताओं को और पेय अल्कोहल के निर्माताओं को बेचने के लिए उपलब्ध किया जाये। अल्कोहल और शीरे की कीमत का विनियमन के विषय पर कार्यदल की सिफारिश यह है कि चुनिंदा सेक्टरों के लिए 70 प्रतिशत तक शीरे और अल्कोहल को निर्धारण करना जिसका इन सामग्रियों की कीमतों पर उपयुक्त प्रभाव पड़ेगा।

कार्यदल ने यह भी सिफारिश की है कि विभिन्न राज्यों के बीच नीति संबंधी मतैक्य शीरे और अल्कोहल के विनियंत्रण के बाद उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा और वह ऐसे मतैक्य पर आधारित होगा कि अलग–अलग राज्य उनके द्वारा उनके अधिनियम और नियमों में उनके लगाए गए नियंत्रणों के प्रतिबंध को समाप्त करने या कम करने के प्रतिबन्धात्मक सख्ती का उपयुक्त उपाय करे।

कार्यदल की रिपोर्ट हाल ही में 22 जून, 1995 को हुई बैठक

में प्रस्तुत की गई थी। बैठक में मतैक्य नहीं था और राज्यों ने कार्यदल की सिफारिशों पर भिन्न–भिन्न विचार व्यक्त किए। कार्यदल की सिफारिशों से संबंधित विचार पर कानूनी निहितार्थों के साथ जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन और फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया

*16. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 के अंत तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रत्येक एकक को कितना–कितना घाटा हुआ; और

(ख) मार्च, 1995 के अंत तक उपरोक्त दोनों संगठनों से प्रत्येक में एकक–वार कितनी पूंजी निवेश किया गया?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के विभिन्न एककों में सरकार द्वारा किए गए साम्य के रूप में पूंजी निवेश और एकक वार संचित हानियां नीचे दी गई हैं :

(रु. करोड़)

एकक का नाम	1994–95 दौरान हानि (अनंतिम)	संचित हानि (–)/ लाभ (+) (अनंतिम)	साम्य के रूप में पूंजी निवेश
1	2	3	4
I. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.			
नामरूप	(–) 154.80	(–) 869.81	210.13
दुर्गापुर	(–) 126.93	(–) 930.20	47.20
बरौनी	(–) 126.33	(–) 862.13	76.38
हल्दिया	–	–	363.05
व्यापार कार्यकलाप	–	(+) 26.23	–
	(–) 408.06	(–) 2635.91	696.76
II. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड			
सिन्दरी	(–) 50.88	(–) 634.96	275.55
गोरखपुर	(–) 65.34	(–) 472.51	47.05
रामागुण्डम	(–) 102.35	(–) 478.50	149.08
तालचर	(–) 118.43	(–) 717.07	155.81
अन्य	(–) 8.87	(–) 148.46	23.09
	(–) 345.87	(–) 2451.50	651.39

* हल्दिया उर्वरक परियोजना पर 31.3.95 तक रु. 897.85 करोड़ (अनंतिम) का व्यय किया गया था। इस परियोजना के आरम्भण क्रियाकलाप बारम्बार उपस्कर खराबियों के कारण अक्तूबर, 1986 में लम्बित कर दिए गए थे।

[अनुवाद]

दिल्ली की विद्युत आपूर्ति

*17. **श्री तारा सिंह :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार दिल्ली की उसकी बढ़ती हुई देय राशियों के भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1995 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के लिये विद्युत आपूर्ति विनियमित करने हेतु योजनाएं बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी) से खरीदी गई विद्युत का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करता रहा है। दिनांक 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार, एन टी पी सी को डेसू द्वारा देय बकाया राशि विलम्ब भुगतानों के कारण उत्पन्न 74.63 करोड़ रुपये के प्रभार समेत 396.02 करोड़ रुपये है। समय से भुगतान न किये जाने की स्थिति में सरकार के पास एन टी पी सी के पक्ष में 44 करोड़ रुपये मूल्य के साख–पत्र के अनुरूप डेसू को विद्युत आपूर्ति नियंत्रित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहेगा। वर्तमान में नियंत्रण हेतु किसी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

रायल्टी की दरें

*18. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु खनिजों पर रायल्टी दर को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खान मंत्रालय ने, कोयला, लिग्नाइट तथा निर्माण हेतु रेत को छोड़कर, प्रमुख खनिजों की रायल्टी की वर्तमान दरों पर विचार करने तथा उसके साथ-साथ रायल्टी की दरों के बारे में सरकार को सिफारिश करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है जिससे खनिज क्षेत्र के तीव्र विकास में सहायता मिलेगी।

(ग) अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस मामले पर निर्णय लेगी।

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की पुरुद्धार योजना

*19. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की पुनर्वास योजना में अंतर्ग्रस्त पूंजीगत परिव्यय को किस तरह से उपलब्ध करने का है; और

(ग) यह रुग्ण इस्पात संयंत्र कितने समय में सामान्य रूप से कार्य करने लगेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए सेल को बजटीय सहायता उपलब्ध करने के मुद्दे के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बनने के परिणामस्वरूप इसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के खण्ड-15 की शर्तों के अनुसार बी. आई. एफ. आर. में दर्ज करा दिया गया है। बी. आई. एफ. आर. के पास दर्ज रुग्ण कम्पनियों के संबंध में पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण योजना बी. आई. एफ. आर. की मंजूरी/अनुमोदन से ही शुरू की जा सकती है। इसलिए इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सदस्यता

*20. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता हेतु कोई प्रयास किये गये है/किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत ने यह कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। गत संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता ने अपने वक्तव्य में इस आशय की घोषण की थी। सरकार अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन जुटाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास कर रही है।

उर्वरक संवर्धन और कृषि अनुसंधान डिवीजन

1. **श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी** : क्या **रयासन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के उर्वरक संवर्धन और कृषि अनुसंधान डिवीजन के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस यूनिट की सेवाओं का उपयोग शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किया जाता है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस यूनिट को कृषि मंत्रालय को हस्तान्तरित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप किसानों को क्या लाभ मिलेंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) में अपने

"प्रयोगशाला से भूमि कार्यक्रम" के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एच एफ सी) को नियुक्त किया है। एच एफ सी के उर्वरक प्रवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग (एफ पी एण्ड ए आर डी) ने कम्पनी के सामान्य विपणन कार्यों के अलावा दुर्गापुर एवं सिन्दरी स्थिति कृषि विज्ञान केन्द्रों के भाग के रूप में प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं अन्य क्रियाकलापों जैसे बागवानी, मतस्य पालन, मुर्गी पालन को शुरू किया है। एफ पी एण्ड ए आर डी 1995–96 से जैव–कीट नाशकों और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाओं के प्रयोग में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए गहन कार्यक्रम बनाने में भी रत है।

(घ) इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वात्तर क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता

2. **डा. जयन्त रंगपी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जल–विद्युत क्षमता का आकलन करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इन राज्यों द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तथा संबंधित राज्यों की विद्युत की आवश्यकता कितनी–कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जल–विद्युत क्षमता का पता लगाने तथा उसका उपयोग करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1987 में देश में पूरे किए गए नदी तट से सम्बन्धित जलविद्युत शक्यता के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार 60 प्रतिशत के भार अनुपात पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलविद्युत शक्यता 31857 मेगावाट पर मूल्यांकित की गई है।

राज्य	जल विद्युत शक्यता (6% भार अनुपात पर मेगावाट)
अरुणाचल प्रदेश	26756
आसाम	351
मणिपुर	1176
मेघालय	1070
मिजोरम	1455
नागालैण्ड	1040
त्रिपुरा	9
कुल :	31857

(ग) इस समय माह जून, 1995 और अप्रैल 1995 के जून, 1995 की अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता की तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत संसाधनों का वृहत मात्रा में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा और उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम (नीपको) द्वारा और राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम लि. (एन एच पी सी) द्वारा दोहन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत योजनाओं के अन्वेषण कार्यों में भी लगा हुआ है।

संसाधनों में अभिवृद्धि करने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि देश में जल विद्युत क्षमता का विकास किया जा सके।

विवरण

विद्युत आपूर्ति वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े मि. यू. में)

क्षेत्र/राज्य	जून, 1995		अप्रैल, 1995–जून, 1995	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
आसाम	245.0	202.8	680.7	562.1
मणिपुर	27.5	22.0	81.9	44.8
मेघालय	35.6	35.6	88.6	84.5
मिजोरम	13.0	11.2	38.7	24.8
नागालैण्ड	12.5	11.7	36.5	26.5
त्रिपुरा	34.4	21.2	91.4	54.5
एन.ई.आर.	381.0	313.0	1060.0	824.0

नेल्को में प्रदूषण

3. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में नेल्को के अल्यूमिनियम स्मेल्टर का प्रदूषण स्तर काफी ऊपर चला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाए जाने वाले प्रदूषणरोधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. के उड़ीसा में अंगुल स्थित एल्युमिनियम प्रगालक से हो रहा उत्सर्जन स्तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

1. प्रदूषण करने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिःस्राव मानदण्ड अधिसूचित किए गए है।
2. उद्योगों को निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा न करने वाली ईकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3. उद्योगों की स्थापना और प्रचालन के लिए पर्यावरण संबंधी दिशा–निर्देश बनाए गए हैं।
4. प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरणों की स्थापना और सघन क्षेत्रों से प्रदूषण करने वाले उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
5. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।
6. छोटे स्तर की औद्योगिक यूनिटों के समूह में एक–समान बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक योजना आरंभ की गई है।
7. प्रदूषण प्रभावों पर जन जागरूकता अभियान आरंभ किए गए हैं।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

4. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कुल कितने इस्पात का उत्पादन हुआ।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार रुग्ण घोषित किये गये इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में जिन इस्पात संयंत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

राज्य	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
आंध्र प्रदेश	154	604	977	1208	1570
असम	19	11	8	4	2
बिहार	4529	4921	5266	5534	5740
चंड़ीगढ़	24	64	55	34	39
गोआ	–	–	9	5	41
गुजरात	83	60	53	56	51
हरियाणा	167	149	133	103	151
हिमाचल प्रदेश	58	29	18	–	49
जम्मू और कश्मीर	49	47	47	45	47
कर्नाटक	351	320	288	269	269
केरल	51	42	28	–	–
मध्य प्रदेश	3109	3351	3326	3554	3658
महाराष्ट्र	1037	832	811	615	925
उड़ीसा	1114	1132	1190	1153	1277
पांडीचेरी	95	116	99	32	32
पंजाब	364	213	219	237	279
राजस्थान	80	32	35	51	54
तमिलनाडु	136	81	96	76	98
उत्त प्रदेश	319	223	164	106	86
पश्चिम बंगाल	1333	1340	1280	1287	1408
कुल सूचित	13072	13567	14102	14369	15776
कुल अनुमानित	359	570	447	337	168
प्रेरण भट्टी इकाइयां	800	900	1200	1200	1500
कुल योग :	14231	15037	15749	15906	17444

*डी. जी. टी. डी. इकाइयां कास्टिंग्स का उत्पादन करती है।

(ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से ली गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान रूग्ण विद्युत चाप भट्टी इकाइयों का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	1990	1991	1992	1993	*1994	कुल
आन्ध्र पदेश	–	–	1	1	–	2
गुजरात	1	–	1	–	1	3
हरियाणा	1	1	–	–	–	2
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	–	1
मध्य प्रदेश	1	1	–	–	–	2
महाराष्ट्र	–	3	–	1	1	5
उड़ीसा	1	–	–	–	–	1
तमिलनाडु	–	–	–	–	1	1
उत्तर प्रदेश	–	–	–	1	1	2
पश्चिम बंगाल	3	–	1	–	–	4
कुल :	7	5	3	4	4	23

*8.11.94 की स्थिति के अनुसार।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में किसी भी इस्पात संयंत्र को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

[अनुवाद]

केरल में त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

5. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की कम वर्षा को देखते हुए केरल के नगरों विशेष रूप से उत्तर केरल के मालाबार क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) कन्नूर जिले में पन्नियान्नूर कस्बे के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत एक जल आपूर्ति स्कीम की जा रही है। 233.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली इस स्कीम का सीपीएचईईओ द्वारा तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन कर दिया गया है। वर्ष 1993–94 के दौरान 28.21 लाख रुपये और वर्ष 1994–95 के दौरान 37.62 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

6. **श्री राम कापसे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता सहित कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अलग से एक वित्तीय संस्थान की स्थापना करने हतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर योजना आयोग अथवा अन्य किसी मंत्रालय ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किए जाने को संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

7. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** 5 मई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7793 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर झुग्गियों के अवैध निर्माण को रोकने हेतु समय पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने समय पर कार्यवाही न करने के लिये अधिकारियों पर उत्तरदायित्व तय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण/निर्माण को कब तक हटा दिया जाएगा।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) कई वर्षों से, अधिकांशतः 1987 से पूर्व सरकारी रिहायशी कालोनियों के आस पास खुले स्थानों पर झुग्गियों के निर्माण जैसे अतिक्रमण हुए थे क्योंकि इन स्थलों के चारों ओर बाड़ नहीं लगायी गई थी और उनकी निगरानी का भी कोई प्रबन्ध नहीं था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि उनकी जमीनों से ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस अथवा अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों को इसकी सूचना दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की जमीनों से अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

मेगा सिटी स्कीम

8. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जुलाई, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मेगा सिटी स्कीम फाइनली टेक्स ऑफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो मेगा सिटी योजना में दिल्ली को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि बंगलौर तथा हैदराबाद जैसे छोटे शहरों को इस योजना में शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर फिर से विचार करने तथा दिल्ली को इस योजना में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली को मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना में शामिल नहीं किये जाने के कारण ये है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के साथ–साथ संघ शासित को दिल्ली की भी राजधानी है जिसकी एक विधान सभा है और दिल्ली को केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वार्षिक योजना दोनों से धनराशि उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार का दिल्ली को मेगा शहर योजना में शामिल करने संबंधी मामले पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुछ लेटिन अमरीकी देशों के साथ समझौता

9. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रिनिदाद और टबेगो सहित कई लेटिन अमरीकी देशों के साथ किसी समझौते और समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषताओं का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों के साथ राजनयिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने संबंधी सम्भावनाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां, हालांकि त्रिनिदाद और टबेगो के साथ कोई करार/समझौता ज्ञापन सम्पन्न नहीं हुआ लेकिन हाल ही में भारत और कुछ लातिन अमरीकी देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुए थे :

(एक) राजनयिक संबंधों की स्थापना के संबंध में 28 सितम्बर, 1994 को न्यूयार्क में भारत सरकार और होंडूरास गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

(दो) उच्च–स्तरीय वार्षिक विपक्षीय परामर्शों के संबंध में 21 अप्रैल, 1995 को नई दिल्ली में भारत गणराज्य और कोलम्बिया गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

(तीन) उच्च स्तरीय/वार्षिक द्विपक्षीय परामर्शों के संबंध में 2 जून, 1995 को सान्तियागो में भारत गणराज्य और चिली गणराज्य के बीच एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

(ख) भारत और होंडूरास के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच अनिवासी राजदूतों के स्तर पर राजनयिक संबंधों की स्थापना तथा वाणिज्य, आर्थिक संस्कृति एवं अन्य क्षेत्रों में संवर्धन के लिए विशेष रूप से योगदान करने की बात कही गई है।

भारत और कोलम्बिया तथा भारत और चिली के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापनों में सिद्धान्ततः यह व्यवस्था है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत तथा इन देशों के बीच समग्र संबंधों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करने के लिए भारत तथा इन देशों के विदेश कार्यालय द्विपक्षीय रूप से परामर्श करेंगे। इन परामर्श बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों की अध्यक्षता संबंधित देश के विदेश मंत्री/विदेश संबंध मंत्री करेंगे।

(ग) इन समझौता ज्ञापनों के सम्पन्न होने के बाद देशों के साथ भारत के राजनयिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के आसार पर्याप्त रूप से उज्ज्वल हुए हैं और उन्हें गति मिली है।

[हिन्दी]

रावघाट में लौह अयस्क

10. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले के रावघाट में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी॰ एस॰ आई॰) द्वारा लोहा और इस्पात उद्योग के लिये उपयुक्त बड़े लौह अयस्क निक्षेपों का सर्वेक्षण किया गया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित विवरण के अनुसार छः निक्षेप हैं।

निक्षेप	भण्डार (10 लाख टन)
ए	48
बी	84
सी तथा डी	84
ई	26
एफ	498
कुल :	740

एक ब्लॉक नामतः निक्षेप "एफ" के ब्लाक "ए" में भिलाई इस्पात संयंत्र ने चरण–1 पूरा कर लिया है और इसमें 2550 लाख टन का भण्डार प्रमाणित हो गया है।

एमेनेस्टी रिपोर्ट

11. **डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के सम्बन्ध में एमेनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। इस रिपोर्ट के भारत से संबंधित भाग में अन्य बातों के साथ–साथ पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में नजरबंदियों, व्यक्तियों के लापता हो जाने और हिरासत में हिंसा इत्यादि के सम्बन्ध में सामान्य स्वरूप के कई आरोप भी शामिल हैं। इनमें टाडा अधिनियम के सम्बन्ध में गलत बयानियों तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण भी शामिल है। भारत सरकार ऑल एमनेस्टी इंटरनेशनल की सभी रिपोर्टों की जांच करती है और उनका समुचित उत्तर देती है।

[अनुवाद]

पूर्वी तट नहर

12. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वीतट नहर को पुनः चालू करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नहर को पारादीप पत्तन से होकर हुगली से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कलकत्ता और पारादीप को जोड़ने वाली पूर्वीय तटीय नहर के संबंध में एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक परामर्शदाता के माध्यम से शुरू किया गया है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश की धनराशि

13. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर 1989–90 से 1995–96 तक की अवधि के लिए किसी कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची तैयार की थी;

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितने निर्माण कार्यों को मंजूर किया है;

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध मे कोई अंतिम निर्णय लिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1989–95 की अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे थे।

(ख) वर्ष 1989 से आज तक मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 10 निर्माण कार्यों का अनुमोदन किया गया है।

(ग) और (घ) बजटगत प्रावधानों की उपलब्धता के अध्याधीन प्रतिवर्ष अनुमोदित केन्द्रीय सड़क निधि निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

बिहार में पुलों की मरम्मत

14. **श्री छेदी पासवान** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार मे गत तीन वर्षों के दौरान, प्रांतवर्ष, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितने पुल ढह गए हैं;

(ख) उनमें से कितने पुलों की मरम्मत की गई तथा शेष पुलों की मरम्मत कब तक कर दी जाएगी; और

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी पुल के ढह जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाराष्ट्र में सर्वेक्षण

15. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पाए गए खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में खनिज भंडारों की खोज संबंधी प्रयासों को और तेज करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और थाने जिले में सोने, तांबे, टंगस्टन, मैंग्नीज आयामी पत्थर, प्लेटीनम ग्रुप की धातुएं (पीजीई) तथा कोयले के गवेषण के लिए सर्वेक्षण किया है। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र में कोयले के 158 मिलियन टन के कुल भंडार, नागपुर भंडारा क्षेत्र में 2.3 से 8.4 ग्राम/टन औसत ग्रेड वाले सोने के 0.137 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क और नागपुर–भंडारा जिलों में (1.66 प्रतिशत सीयू वाले) ताप अयस्क के 0.15 मिलियन टन भंडारों का आकलन किया गया है।

(ग) और (घ) अगली पंचवर्षीय योजना की कार्य योजना की तैयारी अभी शुरू नहीं की गई है।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

16. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ विद्युत संयंत्रों का विस्तार करने एवं उन्हें आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के आधुनिकीकरण/विस्तार कार्य के पूरा होने पर राज्यवार विशेषकर राजस्थान में इनकी क्षमता में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) जी, हां, पुराने ताप विद्युत संयंत्रों से सम्बन्धित एक नवीकरण आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) कार्यक्रम (सोपान–1) क्रियान्वयन की अग्रिम अवस्था में है और यह 1995–96 के दौरान पूरा हो जाएगा। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सोपान–2 का क्रियान्वयन 8वीं योजना के दौरान हाथ में ले लिया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों से सम्बन्धित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के सोपान–1 और सोपान–2 में जिन विद्युत संयंत्रों को शामिल किया गया है उनका ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I व विवरण–II में दिया गया है।

जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि संबंधी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन स्कीमों को शामिल किया गया है, उनका ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य पूरा हो जाने पर जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के द्वारा 521 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने की आशा है। इस प्रकार जोड़े जाने वाली सम्भावित क्षमता का ब्यौरा भी विवरण–III में दिया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों से सम्बन्धित आर एण्ड एम कार्यक्रम के अधीन किसी प्रकार की क्षमता अभिवृद्धि नहीं होगी।

राजस्थान के किसी भी जल विद्युत केन्द्र के नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धि से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी ताप विद्युत केन्द्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है।

विवरण-I

नवीकरण एवं आधुनिककरण कार्यक्रम (सोपान-1) के अधीन ताप विद्युत केन्द्रों की विभिन्न आर एण्ड एम स्कीमों का ब्यौरा

संगठन/नवीकरण स्कीम		आर एण्ड एम के अधीन शामिल किए गए यूनिट की संख्या तथा क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट)	क्षमता (मेगावाट)
1		2	3
एनटीपीसी/बदरपुर	5	3X100+2X210	720.00
डीईएसयू/आई पी	5	1X35+3X6.5+1X60	282.50
एचएसईबी	5		400.00
फरीदाबाद	3	3X60	180.00
पानीपत	2	2X110	220.00
पीएसईबी/भटिण्डा	4	4X110	440.00
यूपीएसईबी	27		2374.00
पांकी	4	2X52+2X110	284.00
ओबरा	13	5X50+3X100+5X200	1550.00
हरदुआगंज	10	3X30+2X50+4X60+1X110	540.00
एमपीईबी	21		1562.50
कोबरा	10	1X10+3X30+4X50+2X120	540.00

1		2	3
अमरकन्टक	4	2X30+2X120	300.00
सतपुड़ा	7	5X62.5+1X200+1X120	722.50
जीईबी	10		1014.00
गांधी नगर	2	2X120	240.00
धुवरण	6	4X63.5+2X140	534.00
उकाई	2	2X120	240.00
एमएसईबी	9		915.00
कोराडी	4	4X120	480.00
नासिक	2	2X140	280.00
भुसावल	1	1X62.5	62.50
पारस	2	1X30+1X62.5	92.50
पीएसईबी	9		742.50
कोठागुण्डय	8	4X60+4X110	680.00
रामागुण्डम "बी"	1	1X62.5	62.50
टीएनईबी	8		1080.00
इन्नौर	5	2X60+3X110	450.00
तूतीकोरिन	3	3X210	630.00
एनएलसी/नवेली	9	3X100+6X50	600.00
ओएसईबी/तेलचर	4	4X62.5	250.00
डीवीसी	13		1235.00
चन्द्रपुर	6	3X120+3X140	780.00
बोकारो	4	3X50+1X55	205.00
दुर्गापुर	3	2X55+1X140	250.00
बीएसईबी	16		763.50
पैटराटू	8	4X50+2X100+2X110	620.00
बरौनी	4	2X15+2X50	130.00
कारबीगाहिया	4	2X1.5+1X3+1X7.5	13.50
डब्ल्यबीएसईबी	8		800.00
सन्तालदीह	4	4X120	480.00

1		2	3
बन्देल	4	4X80	320.00
डीपीएल/दुर्गापुर	5	2X30+1X70+2X75	280.00
एएसईबी/नामरूप	5	3X23+1X12.5+1X30	111.60
	कुल : 163		12,570.50

आग से क्षतिग्रस्त

विवरण-II

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम (सोपान-2) के अधीन ताप विद्युत केन्द्रों की विभिन्न आर एण्ड एम स्कीमों का ब्यौरा

क्रम संख्या	संगठन/ताप विद्युत केन्द्र का नाम		आर एण्ड एम के अधीन शामिल यूनिटों की सं. तथा क्षमता अभिवृद्धि	क्षमता (मेगावाट)
1	2		3	4
1.	एनटीपीसी/बदरपुर	5	3X95+2X210	705.000
2.	डीईएसयू/आई पी	5	1X30+3X62.5+1X60	277.500
3.	एचएसईबी/फरीदाबाद	3	3X60	180.000
	पानीपत	2	2X110	220.000
4.	पीएसईबी/रोपड़	2	2X210	420.000
	भटिण्डा	2	4X110	440.000
5.	आरएसईबी/कोटा	2	2X110	220.000
6.	यूपीएसईबी/ओबरा	13	5X50+3X100+5X200	1550.000
	पानकी	4	2X32+2X110	284.000
	हरदुआगंज	8	1X30+2X40+4X60+1X105	485.000
	परीछा	2	2X110	220.000
7.	एमपीईबी/अमरकण्टक	4	1X30+1X20+2X120	290.000
	कोरबा (ई)	6	4X50+2X120	440.000
	कोरबा (डब्ल्यू)	2	2X210	420.000
	सतपुडा	9	5X62.5+1X200+3X210	1142.000
8.	जीईबी/युकाई	5	2X120+2X200+1X210	850.000
	गांधी नगर	2	2X120	240.000

1	2		3	4
	धुवरण	6	4×63.5+2×140	534.000
	वानकबोरी	3	3×210	630.00
9.	एमएसईबी/कोरडी	7	4×115+1×200+2×210	1080.000
	नासिक	5	2×140+3×210	910.000
	भूसावल	3	1×58+2×210	478.000
	चन्द्रपुर	4	4×210	840.000
	पारली	5	2×30+3×20	690.000
	पारस	2	1×20+1×58	78.000
10.	टीएनईबी/इन्नौर	5	2×60+3×110	450.000
	तूतीकोरिन	3	3×210	630.000
	मट्टूर	4	4×210	840.000
11.	एसीएसईबी/कोठागडम (ए)	4	4×60	240.000
	कोठागडम (वीएंडसी)	4	2×105+2×110	430.000
	नेल्लौर	1	1×30	30.000
12.	एनएलसी/नैवेली	9	6×50+2×100	600.000
13.	उब्ल्यूबीपीडीसीएल/कोलाघाट	2	2×210	420.000
14.	डब्ल्यूबीएसईबी/सन्तालदीह	4	4×120	480.000
15.	डीवीसी/चन्द्रपुरा	6	3×120+3×140	780.000
	दुर्गापुर	4	1×140+1×210+2×75	500.000
	बोकारो	3	3×50	150.000
16.	डीपीएल (डब्ल्यूबी)/दुर्गापुर	5	2×30+1×70+2×75	280.000
17.	बीएसईबी/पटरादू	10	4×40+2×90+2×105+2×110	770.000
	बरौनी	4	2×50+2×105	310.000
	मुजफ्फरपुर	2	2×110	220.000
18.	ओएसईबी/तेलचर	6	4×60+2×110	460.000
19.	एएसईबी/बौगाईगांव	4	4×60	240.000
	चन्द्रपुर	1	1×30	30.000
	कैथलगुड़ी और गोलकी	7	3×2.705+4×2.705	18.935
	लकवा	4	4×15	80.000
	नामरूप	5	3×23+1×12.5+1×30	111.500
	कुल योग :	210		21,644.435

विवरण-III

जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता अभिवृद्धि संबंधी स्कीमों का ब्यौरा

क्रम संख्या	संगठन/परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	क्षमता में सुधार से संभावित अभिवृद्धि
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	मचकुंड चरण–1	3X17+	–
	चरण–2	3X21.5	
2.	नीजाम सागर	3X5	
3.	लोवर मेलेरू	4X115	–
4.	श्रीसैलम	7X110	–
	बिहार		
5.	सुबरिखा	2X65	–
	गुजरात		
6.	उकई	4X75	–
	हिमाचल प्रदेश		
7.	बस्सी	4X15	–
8.	गिरी	2X30	6.0
	जम्मू और कश्मीर		
9.	चेनानी	5X4.66	–
10.	लोवर झेलम	3X35	–
11.	सम्बल सिंध	2X11.3	–
	कर्नाटक		
12.	महात्मा गांधी	4X12+4X18	–
13.	नागझारी (यूनिट–2)	6X135	15.0
14.	पारावती	8X89.1	115.2
15.	सारावती	2X89.1	28.8
16.	शिवासमुन्द्रम	6X3+4X6	

1	2	3	4
	केरल		
17.	नेरीअमंगलम	3X15	9.0
18.	पौरींगलकटू	4X8	–
19.	सबरीगिरी	6X50	–
20.	शोलायार	3X18	–
	महाराष्ट्र		
21.	कोयना–1 और 2	4X65+4X75	20.0
22.	कोयना–3	4X80	–
	मेघालय		
23.	केरीडमकुलाई	2X30	–
24.	उमीयम 1 और 2	4X9+2X9	
	उड़ीसा		
25.	हीराकुंड–1 (यू–1 और 2)	2X37.5	37.5
26.	हीराकुंड–1 (यू–3 और 4)	2X24	16.0
27.	हीराकुंड–1 (यू–5 और 6)	2X37.5	21.0
28.	हीराकुंड–1	2X24+4X37.5	–
29.	हीराकुंड–2	2X24	–
	पंजाब		
30.	यूबीडीसी–1	3X15	–
	तमिलनाडु		
31.	कदमपाराई	4X100	–
32.	कुन्दह–3	3X60	–
33.	मेट्टूर डैम	4X10	–
34.	मोथार	3X12	–
35.	पपनासम	4X5.8	4.0
36.	पायकारा	3X6.65+2X11+2X14	–
37.	शोलायार–1	2X35	
	त्रिपुरा		
38.	गोमती	3X5	–

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
30.	चीला	4X35	–
40.	खतीमा	3X13.8	--
41.	ओवरा	3X33	–
42.	पथरी	3X6.8	–
43.	रामगंगा	3X66	–
44.	रिहन्द	6X50	–
45.	तिलोठ	3X30	9.0
	पश्चिमी बंगाल		
46.	जलढाका–1	3X9	–
	केन्द्रीय क्षेत्र बीईएमबी		
47.	भाखड़ा आर.बी.	5X132	185.0
48.	देहार (यू 2, 3 और 4)	6X165	–
49.	गंगूवाल (यू 2)	2X24.2+1X29.25	3.43
50.	कोटला (यू 3)	2X24.2+1X2925	3.92
	डीवीसी		
51.	मैथोन	3X20	–
52.	पन्चेट	1X40	–
	एनएचपीसी		
53.	बैरा स्यूल	3X60	30.0
54.	लोक तक	3X35	17.0
	नीपको		
55.	खंडोगं	2X25	–
	कुल :	9658	521.0

खनिज संसाधनों का दोहन

17. **श्री हरिश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खनिज संसाधनों के दोहन हेतु विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए खनन नीति को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खनन परियोजनाओं हेतु गैर–सरकारी पूंजी निवेशकों/विदेशी पूंजी निवेशकों/अनिवासी भारतीयों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मंजूर की गई और कार्य–निष्पादन के लिये शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1994–95 में खनिजों का खनिज–वार कितना उत्पादन किया गया और इसकी गत दो वर्षों के उत्पादन की तुलना में इनका उत्पादन कितना रहा; और।

(ङ) जिन प्रमुख खनन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनमें कितनी प्रगति हुई है और इसका उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने मार्च, 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की थी जिसे दिनांक 5.3.1993 को सभा के पटल पर रखा गया था।

(ग) और (ङ) केन्द्र सरकार, खनन पट्टों के लिए विभिनन राज्य सरकारों द्वारा निवेशकों से प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों की जांच नहीं करती।

(घ) पिछले तीन वर्षों में गैर–ईंधन और गैर–परमाणु खनिजों का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है :

विवरण

पिछले तीन वर्षों में खनिजों का उत्पादन

(मूल्य करोड़ रु. में)

			1992–93		1993–94		1994–95	
			मांग	मूल्य	मांग	मूल्य	मांग	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	
धात्विक								
खनिज								
बाक्साइट	ह.टन	5115.8	73.09	5649.5	73.12	5084.3	76.77	
क्रोमाइट	ह.टन	1080.9	196.79	1054.8	241.33	1021.1	233.82	
तांबा अयस्क	ह.टन	5210.8	221.36	5008.6	200.49	4711.0	193.15	
स्वर्ण	किग्रा	1850.0	81.35	2075.0	88.97	2050.0	105.42	
लौह अयस्क	ह.टन	55818.0	713.52	58338.0	897.15	58253.0	895.85	
सीसा साद्र	टन	60704.0	47.30	53255.0	39.59	48535.0	37.65	
मैगनीज अयस्क	ह.टन	1902.6	154.76	1677.2	138.05	1546.6	127.29	
चांदी	किग्रा	46560.0	31.27	56197.0	37.27	61941.0	41.15	
जस्ता अयस्क	टन	301437.0	208.70	283228.0	141.18	274864.0	138.61	
अधात्विक खनिज								
एपेटाइट	ह.टन	16.8	0.61	12.3	0.65	11.1	0.61	
फोस्फोरांइट	ह.टन	650.3	62.21	1033.4	118.29	1307.3	149.6	
एस्बेस्टस	टन	43788.0	2.08	42699.0	1.60	36137.3	1.52	
बैराइटस	ह.टन	405.5	12.17	616.8	24.49	536.6	22.94	
हीरा	कैरेट	18017.0	9.17	19522.0	11.20	45560.0	93	

1	2	3	4	5	6	7	8.
डोलोमाइट	ह.टन	3086.4	40.40	3508.8	56.21	3196.9	54.67
फायरक्ले 2/	ह.टन	438.7	3.22	418.4	3.59	365.9	2.96
फ्लूराइट (ग्रेडिड)	टन	3125.0	0.80	3985.0	1.13	3183.0	1.12
फ्लूराइट (सांद्र)	टन	19598.0	9.58	22773.0	11.86	18938.0	9.87
जिप्सम	ह.टन	1628.1	20.00	1698.3	22.31	1742.7	23.00
काओलिन	ह.टन	649.1	26.45	655.8	33.08	663.2	34.62
कायनाइट	टन	9716.01	0.71	10576.0	0.39	8915.0	10235
सिलिमेनाइट	टन	20049.0	2.75	12362.0	1.71	11718.0	1.70
लाइमस्टोन	ह.टन	76617.0	503.31	83705.0	571.52	83831.0	572.72
लाइमकंकर	ह.टन	59.3	0.31	130.7	0.54	105.6	0.43
लाइमसैल	ह.टन	99.9	1.84	90.3	1.88	88.6	1.84
कैल्कैरियस सैंड	ह.टन	83.1	0.58	243.1	1.69	290.2	2.03
मैग्नेसाइट	ह.टन	540.9	35.60	374.3	24.42	354.4	22.96
अभ्रक (कच्चा)	टन	2507.0	1.97	2084.0	2.10	1664.0	1.70
पायराइट्स	ह.टन	130.1	5.66	114.3	4.97	105.4	4.54
स्टीटाइट	ह.टन	381.7	11.16	400.5	12.23	389.9	13.06

[हिन्दी]

भारत अमरीका का समझौता

18. **श्री राजवीर सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा अमरीका के बीच 1994 के दौरान विद्युत क्षेत्र में हुए प्रमुख सरकारी समझौतों के स्वरूप सीमावधि और विस्तार संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन द्विपक्षीय समझौतों के लागू होने से बी.एच.ई.एल., एनटीपीसी, एनएचपीसी, आदि जैसे सरकारी उपक्रमों अथवा किन्हीं अन्य घरेलू संगठनों पर विपरीत असर पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन सरकारी उपक्रमों की यथास्थिति बनाए रखने तथा देश के विद्युत उत्पादन में इनका अधिक सहयोग लेने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बेरोजगार होने वाले फालतू श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) भारत सरकार तथा अमरीका सरकार के बीच विद्युत क्षेत्र में आवधिक परामर्श के लिए एक समझौता ज्ञापन और ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, तथा पर्यावरण संवर्धन सम्बन्धी ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आशय पत्रों के चार विवरणों पर वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए गये थे। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा अमरीका सरकार के बीच समझौता पूरा हो जाने के बाद इनके प्रभावी होने के सम्बन्ध में आशय पत्र के विवरणों में प्रावधान किया गया है।

(ख) इन आशय पत्र के विवरणों या समझौता ज्ञापन का बीचएचईएल, एनटीपीसी एनएचपीसी आदि पर किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विद्युत परियोजनाओं के निजीकरण के संबंध में विश्व बैंक नीति

19. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1995 को "बिजनेस स्टैंडर्ड" में वर्ल्ड बैंक ब्लास्ट्स पालिसी लैप्सेज इन पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेटाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज "इण्डिया–कंट्री इक्नॉमिक मेमोरेंडम" में, अन्य बातों के साथ–साथ, द्विस्तरीय टैरिफ अधिसूचना के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं, जो कि भारत सरकार के जांचाधीन है।

फारबिसगंज दरभंगा सड़क (बिहार)

20. **श्री सुकदेव पासवान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा अनुशासित उत्तर बिहार की सीमा पर फारबिसगंज से दरभंगा तक की महत्वपूर्ण सड़कों संबंधी योजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना पर कार्य शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो कार्य कब से शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) माननीय सदस्य संभवतः राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बिहार में मुजफ्फरपुर–दरभंगा–फोरबेसगंज सड़क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं। 8वीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बहुत ही कम आवंटन किए जाने के कारण इस स्थिति में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

महाराष्ट्र की शहरी विकास योजना

21. **श्री विलासराय नामनाथराव गूंडेवार : क्या शाहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार को कोई नई शहरी योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की चालू शहरी विकास योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई शहरी अवस्थापना परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु नवम्बर, 1993 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परियोजना की अनुमानित लागत 2609 करोड़ रुपये है। प्रस्ताव में संस्थागत विकास, शहर अवस्थापना विकास, ऊर्जा वितरण और पर्यायवरणीय सुरक्षा जैसे घटक शामिल हैं। इस प्रसार को आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विश्व बैंक को अनुशासित किया गया था। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी स्पष्टीकरण दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए विदेशी सहायता

22. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री अरविंद त्रिवेदी :
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख–रखाव के लिए कुछ देशों से वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ देशवार कितना धन प्राप्त हुआ;

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन पर इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत कुल धनराशि से खर्च किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने हील ही में इस संबंध में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से भी बात की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता/ऋण प्राप्त हुआ है; और

(च) उक्त समझौते में शामिल और स्वीकृत सहायता/ऋण से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992–1993 से 1994–95 तक के दौरान सरकार ने देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जापान सरकार के साथ चार ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं.	ऋण समझौता	परियोजना का नाम	ऋण की राशि (जापानी येन, मिलियन में)	हस्ताक्षर करने की तारीख
1.	आईडी–पी91	उत्तर प्रदेश में नैनी में यमुना नदी पर पुल का निर्माण	10037	24.1.94
2.	आईडी–पी92	आंध्र प्रदेश में रा. रा.–5 के चिलाकलूरीपेटा–विजयवाड़ा खंड में 4 लेन बनाना।	11360	24.1.94
3.	आईडी–पी100	उड़ीसा में रा. रा.–5 के जगतपुर–चांदीखोल खंड में 4 लेन बनाना।	5836	28.2.95
4.	आईडी–पी101	उत्तर प्रदेश में रा. रा. 24 के हापुड़ बाई पास सहित गाजियाबाद–हापुड़ खंड में 4 लेन बनाना।	4827	28.2.95

चूंकि इन परियोजनाओं की विस्तृत इंजीनियरिंग तैयार की जा रही है इसलिए कोई खर्चा नहीं किया गया है।

(घ) से (च) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाण, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए दिनांक 22 मार्च, 1995 को एशियाई विकास बैंक के साथ 245 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण, राशि के लिए एक ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य–वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

ऋण सहायता वाली परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे एशियाई विकास बैंक (22.3.1995 को ऋण पर हस्ताक्षर किए गए)

क्रम सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	कार्य का नाम	लम्बाई किमी.	अनुमोदित लागत करोड़ रु.
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	8	गुड़गांव–हरियाणा/राजस्थान सीमा (36.63 से 108.18 किमी. तक) की मौजूदा 2 लेन वाली पेवमेंट को मजबूत करने सहित 4 लेन बनाना	70.55	177.86

1	2	3	4	5	6
2.	राजस्थान	8	हरियाणा/राजस्थान सीमा से कोटपुतली तक (107.18 से 162.50 किमी. तक) मौजूदा 2 लेन वाली पेवमेंट को मजबूत बनाने सहित 4 लेन बनाना	55.38	120.64
3.	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज से पानागढ़ तक (474 से 516 किमी.) मौजूदा 2 लेन वालीं पेवमेंट को मजबूत करने सहित 4 लेन बनाना	42	143.35
4.	विहार	2	बरूआ अड्डा से बाराकर तक (396.75 से 441.44 किमी.) में 2 लेन वाली मौजूदा पेवमेंट को मजबूत बनाने सहित 4 लेन बनाना।	42.7	127.89
5.	आंध्र प्रदेश	9	नन्दीगामा से विजयवाड़ा (217 से 265 किमी.) तक में मौजूदा 2 लेन वाले कैरिज वे को मजबूत करना और 252 से 265 किमी. तक में 4 लेन बनाना।	48	67.32
6.	आंध्र प्रदेश	5	इल्लूरू कस्बे के लिए 17.88 किमी. (53.80 से 69.20 किमी.) लम्बा बाई पास और 3.4 से 13 किमी. तक 4 लेन बनाने सहित विजयवाड़ा से इल्लूरू (3.4 से 53.8 किमी. और 69.2 से 75 किमी.) तक में मौजूदा 2 लेन वाले कैरिज वे को मजबूत करना।	74.08	135.42
			जोड़	332.71	772.48

[अनुवाद]

फ्लोटेड विद्युत उत्पादन

23. **श्री एस. एम. लालजान वाशा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय चल रहे विद्युत संकट से निबटने के लिए आपात् उपाय के रूप में कोई "प्लोटिंग" विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बंगलादेश के साथ अन्तः क्षेत्रों की अदला-बदली

24. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच "तीन बीघा" गलियारे को बंगला देश को हस्तान्तरित करने के संदर्भ में 1982 को हुए समझौते में उठाए गये मसलों का सन्तोषजनक ढंग से समाधान कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो बकाया मुद्दे क्या हैं और क्या इस संबंध में उस देश के साथ कोई बातचीत चल रही है;

(ग) क्या सरकार ने बंगला देश के साथ व्यापक पैमाने पर अन्तः क्षेत्रों की अदला–बदली के संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार भारत–बंगला देश भू–सीमा करार, 1974 के प्रावधानों के पूर्ण क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। इस करार के प्रावधानों के अनुसार, भारत के अदला–बदली योग्य अंतः क्षेत्रों का बंगलादेश में तथा बंगला देश के अदला–बदली योग्य अंतः क्षेत्रों का भारत में किसी प्रतिपूर्ति दावे के बिना विलय किया जाना है। इस मामले में शीघ्र प्रगति करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई बढ़ाना

25. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पिछले 20 वर्षों से बढ़ाई नहीं गई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने 1445 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का विस्तार करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए बिहार सरकार ने लगभग 1400 कि. मी. लम्बी सड़कों के छः प्रस्ताव भेजे हैं। तथापि आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के अल्प आबंटन के कारण फिलहाल किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

[अनुवाद]

गुजरात में कस्बों और शहरों का विकास

26. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मझोले शहरों/कस्बों के समेकित विकास हेतु योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अंतर्गत गुजरात राज्य में चुने/विकसित किये गये शहरों/कस्बों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस हेतु कुछ अन्य देशों ने भी सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1979–80 से 1994–95 तक, छोटे तथा मझौले कस्बों की समेकित विकास की योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के तहत गुजरात राज्य के 43 नगरों को शामिल किया गया है। तथा राज्य सरकार को 1310.070 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गयी है। राज्य सरकार ने बताया है कि दिसम्बर, 1994 तक 1738.665 लाख रु. व्यय हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आई डी एस एम टी योजना के तहत शामिल किए गए गुजरात राज्य के कस्बे जारी की गई केन्द्रीय सहायत तथा सूचित व्यय

(वर्ष 1979–80 से 1994–95 तक)

क्र.स.	कस्बों के नाम	केन्द्रीय सहायता (रु. लाखों में)	सूचित व्यय (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	आनन्द	40.000	101.940
2.	पतन नॉर्थ	39.760	93.350
3.	पोरबंदर	28.370	22.090
4.	वलसाद	41.740	69.780
5.	वारावत पट्डन	24.500	70.700
6.	पातनपुर	40.000	71.020
7.	अंखतेश्वर	38.340	70.950
8.	दाहोद	39.950	65.660
9.	महमदाबाद	26.250	23.570
10.	गोधरा	60.000	90.180

1	2	3	4
11.	भुज	30.000	51.180
12.	अमरेती	40.000	117.200
13.	मेहसाना	36.020	108.060
14.	खंभात	44.350	54.700
15.	कलाले सैन	40.000	68.460
16.	सानंद	8.000	14.220
17.	देहगाम	19.500	26.375
18.	दीखा	12.150	8.860
19.	महुआ	46.000	101.040
20.	बिल्लीमोरा	43.000	92.490
21.	विसनगर	46.000	73.210
22.	उपलेटा	46.000	31.330
23.	उना	46.000	86.930
24.	गोंडाल	20.000	26.830
25.	नौसारी	23.000	26.560
26.	हिम्मतनगर	29.750	59.410
27.	जूनागढ़	29.750	8.890
28.	सुरेन्द्र नगर	37.500	43.480
29	बोताड	15.000	7.790
30.	मोरबी	25.000	8.730
31.	सिधपुर	40.000	25.920
32.	केसोड	20.000	26.670
33.	वीरमगांव	20.000	13.050
34.	वधवान	24.000	–
35.	भडूच	24.000	–
36.	नाडियाड	57.240	–
37.	पासिताना	24.000	–
38.	बोरसाद	22.000	–
39.	धोराज	7.000	–
40.	पेटलाड	15.50	–
41.	पादरा	36.00	–
42.	सावरकंधा	11.00	
43.	दभोही	13.50	–
	कुल :	1310.070	1738.665

[हिन्दी]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

27. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995 से जून 1995 तक देश में विद्युत की अधिकतम मांग और आपूर्ति की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जून, 1995 तक देश में जल–विद्युत, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा राज्यवार कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की अलग–अलग विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) देश में जनवरी, 95 से जून, 95 तक विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) देश में अप्रैल–जून, 1995 के दौरान उत्पादित ऊर्जा (एनटीपीसी केन्द्रों समेत) की राज्यवार और श्रेणीवार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

30.06.95 की स्थिति के अनुसार देश में एनटीपीसी की विद्युत उत्पादन क्षमता 16,789 मेगावाट है।

विवरण-I

वास्तविक व्यस्ततम कालीन मांग बनाम व्यस्ततम काल के दौरान पूरी की गई मांग (सभी आंकड़े निबल मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	जनवरी, 1995—जून, 1995			
	व्यस्ततम कालीन मांग	व्यस्ततम काल के दौरान पूरी की गई मांग	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	147	147	0	0.0
दिल्ली	2085	1975	1110	5.3
हारयाणा	2000	1925	75	3.8
हिमाचल प्रदेश	440	440	0	0.0
जम्मू और काश्मीर	825	600	225	27.3
पंजाब	4000	3463	537	13.4
राजस्थान	2660	2412	248	9.3
उत्तर प्रदेश	6550	5042	1508	25.0
उत्तरी क्षेत्र	16950	14290	2660	15.7
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	5500	4898	602	10.9
मध्य प्रदेश	5080	3970	1110	21.9
महाराष्ट्र	8310	7357	953	11.5
गोवा	170	170	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	18235	15601	2634	14.4
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	5100	4177	923	18.1
कर्नाटक	4200	3235	965	23.0
केरल	1825	1549	276	15.1
तमिलनाडु	5000	4145	855	17.1
दक्षिणी क्षेत्र	15130	12335	2795	18.5

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1675	1028	647	38.6
डी.वी.सी.	1520	1030	490	32.2
उड़ीसा	1875	1480	395	21.1
पश्चिम बंगाल	2670	2385	285	10.7
पूर्वी क्षेत्र	7320	5766	1554	21.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	55	36	19	34.5
आसाम	500	345	155	31.0
मणिपुर	75	59	16	21.3
मेघालय	79	79	0	0.0
मिजोराम	43	31	12	27.9
नागालैण्ड	33	26	7	21.2
त्रिपुरा	84	46	38	45.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	840	620	220	26.2
अखिल भारतीय	57530	48066	9464	16.5

विवरण-II

अप्रैल, 1995 जून, 1995 के दौरान राज्य वार/प्रणाली ताप विद्युत उत्पादन

1	2	3	उत्पादन (मि.यू.) प्रकार अप्रैल, 1995 जून, 1995 4
1.	**दिल्ली**		
	डीईएसयू	ताप विद्युत	608
	बदरपुर (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	951
2.	**जम्मू और कश्मीर**		
	जम्मू और कश्मीर	ताप विद्युत	0
		जल विद्युत	229
		कुल	229
	सलाल (एनएचपीसी)	जल विद्युत	594
3.	**हिमाचल प्रदेश**		
	एचपीएसईबी	जल विद्युत	362
	बैरात्यूल	जल विद्युत	368
	चमेरा (एनएचपीसी)	जल विद्युत	804
4.	**हरियाणा**		
	एचएसईबी	ताप विद्युत	691
		जल विद्युत	72
		कुल	763
5.	**राजस्थान**		
	आरएसईबी	ताप विद्युत	1119

1	2	3	4
		जल विद्युत	168
		कुल	1287
	अन्ता जीटी (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	408
	आरएपीएस (एनपीसी)	न्यूक्लीयर	0
6.	**पंजाब**		
	पीएसईबी	ताप विद्युत	2171
		जल विद्युत	905
		कुल	3076
7.	**उत्तर प्रदेश**		
	यूपीएसईबी	ताप विद्युत	4413
		जल विद्युत	1437
		कुल	5850
	सिंगरौली (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	3644
	रिहन्द (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	1836
	दादरी ताप (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	1103
	ऊंछाहार (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	765
	औरिया जीटी (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	1000
	दादरी जीटी (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	1176
	टनकपुर (एनएचपीसी)	जल विद्युत	132
	एनएपीएल (एनपीसी)	न्यूक्लियर	652
8.	**गुजरात**		
	जीईबी	ताप विद्युत	5792
		जल विद्युत	219
		कुल	6011
	ए.ई. कम्पनी (पुरानी)	ताप विद्युत	57
	साबरमती कम्पनी (ए.ई.कं.)	ताप विद्युत	646
	वतवा जीटी (ए.ई.कं.)	ताप विद्युत	131
	जीआईपीसीएल	ताप विद्युत	274
	केएपीएस (एनपीसी)	न्यूक्लियर	402
	कवास जीटी (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	644
	गन्धार जीटी (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	431
9.	**महाराष्ट्र**		
	एमएसईबी	ताप विद्युत	9115
		जल विद्युत	576
		कुल	9691
	ट्राम्बे (टीईसी)	ताप विद्युत	2312
	टाटा (टीईसी)	जल विद्युत	420
	टीएपीएस (एनपीसी)	न्यूक्लियर	564
	दहानु (बीएसईएस)	ताप विद्युत	73
10.	**मध्य प्रदेश**		
	एमपीईबी	ताप विद्युत	3004
		जल विद्युत	395
		कुल	4299
	कोरबा एसटीपीएस (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	3697
	विन्ध्याचल एसटीपीएस (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	2111
11.	**आन्ध्र प्रदेश**		
	एपीएसईबी	ताप विद्युत	3611
		जल विद्युत	939
		कुल	4550
	विज्जेस्वरम	ताप विद्युत	134
	रामागुंडम एसटीपीएस (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	3812
12.	**कर्नाटक**		
	केपीसी	ताप विद्युत	1145
		जल विद्युत	3046
		कुल	4191

1	2	3	4
	केईबी	जल विद्युत	179
	सतपुड़ा निजी	जल विद्युत	1
13.	**केरल**		
	केएसईबी	जल विद्युत	1625
	मणियर निजी	जल विद्युत	7
14.	**तमिलनाडु**		
	टीएनईबी	ताप विद्युत	4333
		जल विद्युत	954
		कुल	5287
	नैवेली (एनएलसी)	ताप विद्युत	3153
	एमएपीएस (एनपीसी)	न्यूक्लियर	305
15.	**बिहार**		
	बीएसईबी	ताप विद्युत	355
		जल विद्युत	23
		कुल	378
	बेनुघाट (टीवीएनएल) ताप विद्युत	ताप विद्युत	0
	कहलगॉव (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	585
6.	**उड़ीसा**		
	ओएसईबी	ताप विद्युत	143
		जल विद्युत	996
		कुल	1139
	इब घाटी (ओपीजीसी)	ताप विद्युत	301
	तलचेर एसटीपीएस (एनटीपीसी)	ताप विद्युत 206	
	तलचेर (पुरानी) (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	63
7.	**पश्चिम बंगाल**		
	डब्ल्यूबीएसईबी	**ताप विद्युत**	**754**
		जल विद्युत	**19**
		कुल	**773**

1	2	3	4
	कोलाघाट (डब्ल्यूबीडीपीसी)	ताप विद्युत	1674
	डीपीएल	ताप विद्युत	225
	मुलाभोर (सीईएससी)	ताप विद्युत	88
	न्यूकोसीपोर (सीईएससी)	ताप विद्युत	195
	दक्षिणी (सीईएससी)	ताप विद्युत	283
	टीटागढ़ (सीईएससी)	ताप विद्युत	४७४
	कोसबा जीटी (सीईएससी)	ताप विद्युत	5
	फरक्का एसटीपीएस (एनटीपीसी)	ताप विद्युत	1723
18.	**सिक्किम**	जल विद्युत	9
19.	**आसाम**		
	ए एस ई बी	ताप विद्युत	353
20.	**मेघालय**	जल विद्युत	75
21.	**त्रिपुरा**	ताप विद्युत	27
		जल विद्युत	11
		कुल	38
22.	**मणिपुर**		
	लोकतक (एनएचपीसी)	जल विद्युत	36
23.	**अरुणाचल प्रदेश**	जल विद्युत	3
	केन्द्रीय क्षेत्र-प्रणाली		
1.	**बीबीएमबी**	जल विद्युत	2938
2.	डीवीसी	ताप विद्युत	1492
		जल विद्युत	22
		कुल	1514
3.	एनईईपी	ताप विद्युत	13
		जल विद्युत	204
		कुल	217

1	2	3	4
अखिल भारत			
		ताप विद्युत	74224
		न्यक्लियर	2003
		जल विद्युत	17758
		कुल	93995

[अनुवाद]

उर्वरक आयात

28. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन–किन उर्वरक एजेन्सियों से उर्वरकों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) देश में इस समय उर्वरक इकाइयों की इकाई–वार उत्पादन क्षमता निर्यात और आयात के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग से राज्य मंत्री (श्री एडुअर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) यूरिया, म्यूरियेट आफ पोटाशा (एमओपी) एवं डाई–अमोनियम फास्फेट (डीएपी) भारत में आयात किये जाने वाले तीन मुख्य उर्वरक हैं। इनमें केवल यूरिया विवरण नियंत्रण के अंतर्गत है और इसका आयात सरणिबद्ध है।

1994–95 के दौरान संलग्न विवरण–I में सूचिबद्ध पार्टियों से सरकारी खाते में 28.70 लाख टन यूरिया आयात किया गया।

एमओपी एवं डीएपी को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और इनके आयात को असरणिबद्ध किया है। देश की एमओपी की सम्पूर्ण आवश्यकता आयातों द्वारा ही पूरी की जाती है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 1994–95 के दौरान लगभग 18.50 लाख टन एमओपी एवं 8.25 लाख टन डीएपी का आयात किया गया।

1994–95 के दौरान बंगला देश को 7.40 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) एवं बहरीन, आबुधाबी एवं ताईवान को 300 टन एनपीके उर्वरक निर्यात हेतु "अनापत्ति" स्वीकार किया गया है। देश में उर्वरक एककों की एककवार उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

उन पार्टियों के नाम जिनसे 1994-95 के दौरान यूरिया आयात की गई

1. मै. कतर फर्टिलाइजर्स, कतर
2. मै. पी आई सी, कुवैत
3. मै. सबिक मार्किटिंग, साउदी अरब
4. मै. रुवैस फर्टिलाइजर्स, रुवेस
5. मै. ट्रान्सफर्ट मिडल ईस्ट, दुबई
6. मै. देस ट्रेडिंग, बंगला देश
7. मै. कोनाग्रा इन्टरनेशनल, सिंगापुर
8. मै. जी. प्रेमजी, सिंगापुर
9. मै. यूनिफर्ट, यूरोप
10. मै. एजीएम इन्डस्ट्रिज
11. मै. ट्रान्सअमोनिया एजी, स्विटजरलैंड
12. मै. फर्सम, स्विटजरलैंड
13. मै. क्रीसेंट, दुबई
14. मै. फर्टीकेम, स्विटजरलैंड
15. मै. फैरिको, आयरलैंड
16. मै. नैशनल आयल कारपोरेशन, लिबिया
17. मै. वीटीआई फर्टास्को लिमिटेड, साइप्रस
18. मै. पी टी प्राइमाकमैक्सिंडो
19. मै. टॉयफर इंटरनेशनल, सिंगापुर
20. मै. हेलम, जर्मनी
21. मै. आई बी ई ट्रेड कारपोरेशन, न्यूयार्क
22. मै. इटोकू इंटरनेशनल, यू.एस.ए.
23. मै. सुमितोमो, यू.एस.ए.
24. मै. कारगिल एशिया पैसिफिक लिमिटेड, एमस्टरडम

विवरण-II

उर्वरक आयात के संदर्भ में 21.7.1995 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 28 के उत्तर में निर्दिष्ट परिशिष्ट-11

1.4.1995 की स्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता (,000 मी. टन)

संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	स्थापित क्षमता मात्रा
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र		
एफसीआई		
सिंदरी आधु.	यूरिया	330.0
गोरखपुर	यूरिया	285.0
रामागुंडम	यूरिया	330.0
तालचर	यूरिया	330.0
कुल		1275.0
एनएफएल		
नंगल–1	कैन	320.0
नंगल–2	यूरिया	330.0
भटिंडा	यूरिया	511.5
पानीपत	यूरिया	511.5
विजयपुर	यूरिया	726.00
	कुल	2399.0
एचएफसी		
नामरूप–1	ए/एस	100.0
नामरूप–2	यूरिया	330.0
नामरूप–3	यूरिया	385.0
दुर्गापुर	यूरिया	330.0
बरौनी	यूरिया	330.0
	कुल	1475.5
फैक्ट		
उद्योगमंडल	ए/एस	225.0
	20 : 20	148.5
	कुल	373.50
कोचीन–1	यूरिया	330.0
कोचीन–2	20 : 20	420.0
	डीएपी	65.0
	कुल	1188.5
आरसीएफ		
ट्राम्बे	यूरिया	99.0
	15 : 15 : 15	300.0
ट्राम्बे–4	एएनपी (20.8 : 20.8)	361.0
ट्राम्बे–5	यूरिया	330.0
थाल	यूरिया	1485.0
	कुल	2575.0
एमएफएल मद्रास	यूरिया	177.6
	14 : 28 : 14	126.5
	17 : 17 : 17	450.5
	कुल	754.6
सेल राउरकेला	कैन	480.0
एनएलसी, नवेली	यूरिया	152.2
पीपीएल पारादीप	डीएपी	720.0
उपोत्पाद	ए/एस	184.5
एसएसपी	एस एस पी	80.0
पीपीसीएल	एस एस पी	264.0
एचसीएल : खेतड़ी	एस एस पी	188.0
कुल सार्वजनिक क्षेत्र :		11735.8
सहकारी क्षेत्र		
काण्डला	10 : 26 : 26	400.0

1	2	3
	12 : 32 : 16	270.0
	डी ए पी	245.0
	कुल	935.00
कलोल	यूरिया	396.0
फूलपुर	यूरिया	495.0
आवला	यूरिया	726.0
	कुल	252.0
कृभको : हजिरा	यूरिया	1452.0
कुल सहकारी क्षेत्र :		4004.0
निजी क्षेत्र		
जीएसएफसी : बडोदा	यूरिया	367.2
	ए/एस	228.0
	डीएपी	108.0
	कुल	703.2
डीएफएल : विजाग	28 : 28	251.0
	14 : 35 : 14	96.52
	कुल	347.52
एसएफसी : कोटा	यूरिया	330.0
आईइएल, कानुपर	यूरिया	675.0
जेडएसी : गोवा	युरिया	280.5
	19 : 19 : 19	0.0
	28 : 28	150.0
	डीएपी	150.0
	कुल	580.5
एसपीआईसी : टूटीकोरिन	यूरिया	512.0
	डीएपी	415.0
	कुल	927.0
एमसीएफ : मंगलौर	यूरिया	340.0
	डीएपी	138.0
	कुल	478.0
ईआईडी–पैरी, इन्नौर	16 : 20	95.0
जीएनएफसी : भरुच	यूरिया	594.0
	23 : 23 : 00	164.00
	सीएएन	142.50
	कुल	900.50
टीएसी : टूटीकोरिन	ए/सी	64.0
एचएलएल : हल्दिया	डीएपी	153.4
उर्प–उत्पाद	ए/एस	34.0
पीएनएफ : नंगल	ए/सी	64.0
डीएफपीसीएल : तलौजा	23 : 23	230.0
जीएसएफसी : सिक्का	डीएपी	326.0
जीएफसी : काकीनाडा	डीएपी	300.0
एनएफसीएल : काकीनाडा	यूरिया	495.0
आईजीएफसीसी : जगदीशपुर	यूरिया	726.0
चम्बल फटि.	यूरिया	742.5
टीसीएल : बबराला	यूरिया	742.5
एसएसपी यूनिट्स	एसएसपी	4613.4
कुल निजी क्षेत्र :		13527.6
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)		29267.4

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण

29. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति के पश्चात दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में उनके नाम से कितनी अवधि के पश्चात् क्वार्टरों का आवंटन कर दिया जाता है;

(ख) इस समय क्वार्टरों की आवंटन सूची में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु दिल्ली और अन्य स्थानों में और फ्लैटों का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शहरवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शाहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) दिल्ली मे अभी वास हेतु प्रतीक्षारत केन्द्र सरकारी के कर्मचारियों की कुल संख्या 26680 है (ब्लाक वर्ष 1994–95 के लिए आमंत्रित आवेदनों की सीमित संख्या के आधार पर)।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण–II मे है।

विवरण-I

30.6.1995 को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में आजकल निम्नलिखित वर्षों से सेवारत कर्मचारियों को बारी आधार पर (टाइप-I से टाईप-IV) क्वार्टर आबंटित किए जा रहे हैं

टाइप	दिल्ली	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
I	15	13	16	12
II	29	21	22	23
III	32	29	28	17
IV	28	25	21	26

टाइप-IV (विशेष) और उससे ऊपर के वास के सम्बन्ध में बारी आधार पर आबंटित किये जा रहे (1-7-1995 की स्थिति के अनुसार) अधिकारियों को वेतन

IV (विशेष)	6300/–	–	–	–
V (डी–II)	6700/–	5250/–	4875/–	4800/–
(डी–I)	8900/–	–	–	–
VI(सी–II)	7400/–	6700/–	6700/–	6425/–

विवरण-II

(II) 1995-96 के दौरान पूरे किए जाने वाले क्वार्टर

1	2
दिल्ली	196
बम्बई	70
मद्रास	--
कलकत्ता	440
अन्य स्टेशन	698
योग :	1404

(III) 1994-95 के दौरान निर्माण हेतु स्वीकृत मकान

दिल्ली	518
बम्बई	1168
मद्रास	276
कलकत्ता	140
अन्य स्टेशन	1555
योग :	3657

शीतल पेय

30. **श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शीतल पेय कंपनियां इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के पदार्पण के कारण बद होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या सरकार का स्वदेशी शीतल पेय कंपनियों की सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) शीतल पेय कंपनियों को सरकारी सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति

31. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री नीतिश कुमार :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी इसे धीरे–धीरे बन्द किए जाने तथा दिल्ली परिवहन निगम के कार्य–संचालन क्षेत्र में कमी किए जाने के विरोध में आन्दोलन करते आ रहे हैं;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम को 1991–92 से प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ है और इसने इन वर्षों के दौरान कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कितना खर्च किया;

(ङ) प्रत्येक वर्ष के अन्त में दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कितनी बसें थीं और कितनी बसें मरम्मत के लिए कार्यशालाओं मे थीं; और

(च) इन वर्षों के दौरान निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कुछेक वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद स्थिति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) निम्न किराए ढांचे, प्रचालन को अधिक लागत, फालतू स्टाफ और सामाजिक दायित्वों इत्यादि के कारण दिल्ली परिवहन निगम को पिछले काफी समय से हानि हो रही है।

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के कारण, दि.प.नि. के कर्मचारियों ने अपनी समझ के अनुसार अनेक मामले आन्दोलन के लिए उठाए हैं।

(घ) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(लाख रु.)

वर्ष	पूर्व अवधि समायोजन के बाद कार्यशील हानि (ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़कर)	कुल हानि (ब्याज और मूल्यह्रास सहित)	देतन और अन्य सुविधाएं
1991–92	8385.97	20381.84	14341.65
1992–93	5392.89	24527.58	15560.90
1993–94	7147.61	28184.08	15370.94
1994–95	6598.92	30703.90	15228.48
(अनन्तिम)			

(ङ) 1991–92 से अब तक प्रति वर्ष के अंत में दि.प.नि. के बेड़े में बसों की संख्या, ऐसी बसें जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है और जो वर्कशाप में पड़ी हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	वर्ष के अंत में बेड़े की संख्या	वर्ष के अंत में बेकार पड़ी बसें, उन बसों को छोड़कर जिन्हें सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है (लगभग 10 प्रतिशत)
1991–92	4375	34
1992–93	3840	31
1993–94	3502	60
1994–95	3480	1082
1995–96 (24.7.1995 को)	3481	1760

(च) दि.प.नि. को अर्थक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :

(एक) फालतू स्टाफ को कम करने के लिए दि.प.नि. में सवैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम लागू करना,

(दो) 21.6.94 से दि.प.नि. के किराए ढांचे को युक्तिसंगत बनाना,

(तीन) जनशक्ति के अनुपात में कमी,

(चार) भर्ती पर प्रतिबंध,

(पांच) घाटे वाले और लाभ वाले मार्गों का नियमित आधार पर वास्तविक संतुलन रखा जा रहा है।

(छः) वर्ष–दर–वर्ष अर्थोपाय क्षण प्रदान किया गया है, जैसा नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1991–92	67.0
1992–93	40.0
1993–94	41.51
1994–95	24.0

[अनुवाद]

कश्मीर की घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ

32. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "पाक हैंड इन कश्मीर एक्सपोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अमरीकी हाऊस रिपब्लिकन रिसर्च कमेटी के आतंकवाद और अपारम्परिक युद्ध के कृतिक बल ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के सक्रिय सहयोग से कश्मीर में आतंकवादी हिंसा और भी बढ़ेगी और देश के अन्य भागों में भी फैलेगी;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस बारे में प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकृष्ट किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 30 जून, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित अधिकांश उद्धरण हाउस रिपब्लिकन रिसर्च कमेटी द्वारा गठित "आतंकवाद और अपारम्परिक युद्ध से सम्बद्ध कार्यदल" के लिए श्री योसेफ बोडांसकी द्वारा 21 मई, 1994 को तैयार की गई रिपोर्ट "दी कश्मीर कनेक्सन" से हैं। यह समिति अमरीकी हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिवज के रिपब्लिकन सदस्यों को अनुसंधान में सहायता देती है। इसी लेखक ने दी फ्रीमेन सेन्टर फार स्ट्रेटजिक स्टेडीज आफ हासटन, टेक्साज के तत्वावधान में अप्रैल, 1995 में "पाकिस्तान कश्मीर स्ट्रेटजी" नामक एक अन्य रिपोर्ट प्रकाशित की है।

सरकार का बराबर यह मानना रहा है कि इस बात के अकाटय साक्ष्य हैं कि पाकिस्तान भारत में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को प्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है सरकार इस बात से मित्र देशों को अवगत कराती रही है जिनमें अमरीका भी शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार को स्थिति की जानकारी है और वह पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ तथा हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इन उपायों में आसूचना तंत्र को मुस्तेद करना, सूचना का आदान–प्रदान करना तथा केन्द्र तथा राज्य अभिकरणों द्वारा सूचना का आदान–प्रदान और समन्वित कार्रवाई करना, सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत बनाना, जम्मू तथा कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों, सीमा–क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ाना एवं भारत–पाक सीमा के संवदेनशील क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ लगाने और फ्लडलाइटिंग की व्यवस्था करना शामिल है। सरकार का इन प्रयासों को व्यापक तथा सतत रूप से करने रहने का विचार ह।

(ङ) जी, हां

(च) यह जग जाहिर है कि भारत में आतंकवाद में पाकिस्तान का प्रत्यक्ष हाथ है और इस विषय को लेकर हमारी जो चिन्ताएं हैं उनसे भी व्यापक सहमति है।

दामोदर घाटी निगम

33. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज इकानॉमिक कोआपरेशन फंड दामोदर घाटी निगम की मेथोन राइट बैंक ताप विद्युत परियोजना हेतु धनराशि प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह धनराशि परियोजना लागत को पूरा करने हेतु पर्याप्त होगी और यदि नहीं, तो शेष धनराशि कैसे जुटाने का विचार है;

(घ) क्या विस्तृत अभियांत्रिकी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई कार्यवाही आरंभ की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो आज की तिथि में परियोजना की स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) ओवरसीज इकानोमिक्स कारपोरेशन फण्ड (ओईसीएफ) ऑफ जापान के प्रस्ताव पर दामोदर घाटी निगम ने मैथान दायां तट नहर परियोजना के 210–210 मेगावाट के 4 यूनिटों की क्षमता को बढ़ाकर प्रत्येक यूनिट की क्षमता 250 मेगावाट किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संशोधित व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जानी अपेक्षित है तथा सभी अपेक्षित सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां भी प्राप्त की जानी अपेक्षित है और विभिन्न निवेक्ष/लिंकेज सुनिश्चित किए जाने हैं।

बंगलौर में संदूषित पेय जल

34. **श्री वी. श्री निवास प्रसाद** :
श्री जी. देवराय नायक :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1995 के "टाइम्स ऑफ" में "बंगलौर ड्रिकिंग वाटर अनफिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बंगलौर में उपलब्ध पेयजल अत्यधिक संदूषित है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार जल संदूषण के कारण का पता लगाने के लिये एक केन्द्रीय दल बंगलौर भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बंगलौर में हानिरहित पेय जल उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलौर जल आपूर्ति एवं मल–जल व्ययन बोर्ड ने सूचित किया है कि बंगलौर शहर के लोगों के लिए जल आपूर्ति को अपेक्षित मानक के अनुसार शोधित किया जाता है जो पीने योग्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जल आपूर्ति राज्य का विषय है, इसलिए सम्बद्ध राज्य अभिकरण द्वारा ही उचित उपाय किए जाने होते हैं। बंगलौर जल आपूर्ति एवं मल–जल व्ययन बोर्ड क्लोरीनीकरण, जल नमूनों का प्रतिदिन परीक्षण, खराब–जंग लगे पाइपों को बदलने आदि जैसे आवश्यक उपाय कर रहा है।

भारत में विदेशी फर्में

35. **श्री राम विलास पासवान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विनियमों को विदेशों में लागू नियमों के अनुरूप करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

36. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :**
डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और कार्यालय ने कितने पासपोर्ट जारी किए;

(ख) आवदेन पत्रों के बकाया रहने के क्या कारण हैं और इन आवदेन पत्रों पर पासपोर्ट जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जार रहे हैं;

(ग) क्या इस कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास द्वारा प्राप्त किए गए पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या और जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्राप्त आवदेन	जारी किए गए पासपोर्ट
1992	1,41,194	1,18,892
1993	1,42,674	1,88,416
1994	1,29,139	1,34,949

(ख) आवेदनों के बकाया रहने का मुख्य कारण यह है कि उनमें पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है और आवेदन अधूरे थे। तथापि, कार्यालय सुविधाओं में वृद्धि करने, प्रणालियों तथा कार्यविधियों की पुनरीक्षा करने, नियमित निरीक्षणों एवं अनुवर्ती कार्रवाई और पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण की वजह से बकाया पड़े आवदेनों की संख्या में काफी कमी आई है। 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार बकाया आवेदनों की संख्या 67,667 थी जो 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसर घट कर 2851 रह गई है।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

37. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :**
श्रीमती सुशीला गोपालन
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कायमकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा मंजूरी किस तारीख तक दे दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने मुख्य संयंत्र की स्थापना हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना के लिए धनराशि दिए जाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा 400 मेगावाट की क्षमता वाली कायमकुलम संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रखे गए प्रस्ताव को लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा जनवरी, 1995 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। सरकार से इस परियोजना को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन देने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) एनटीपीसी ने इस परियोजना के मुख्य संयंत्र पैकेज के वास्ते जून, 95 में बोलियां आमंत्रित की हैं। बोलियों को सेतम्बर, 1995 में खोले जाने का कार्यक्रम है।

(ङ) और (च) परियोजना को 250 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी वाणिज्यिक उधारों और एनटीपीसी के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस्पात क्षेत्र में रेल वैगनों की कमी

38. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वैगनों की कमी के कारण हाल ही में विभिन्न संयंत्रों में इस्पात की ढुलाई संबंधी कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस कमी का ब्यौरा क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) 1995–96 को प्रथम तिमाही में सरकारी क्षेत्र को विभिन्न इस्पात इकाइयों में लोहे और इस्पात को ढुलाई पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रभाव पड़ा। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के संबंध में जावक प्रेषण के लिए वैगनों की उपलब्धता को औसतन कमी आवश्यकता से 15 प्रतिशत कम रही जबकि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी. एस. पी.) के संबंध में यह कमी लगभग 25 प्रतिशत थी।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) ने भी सूचित किया है कि प्रथम तिमाही के दौरान प्रेषण कार्यक्रम की तुलना में वास्तविक प्रेषण में टन आधार पर लगभग 10 प्रतिशत की कमी थी।

ढुलाई में इस कमी से देश में विभिन्न प्रयोक्ता केन्द्रों को प्रेषण करने में उसन्तुलन हुआ। सड़क द्वारा ढुलाई का सहारा लेने के अतिरिक्त लोहे और इस्पात के उत्पादों को ढुलाई में सुधार करने के प्रयासों के रूप में इस्पात संयंत्र संबंधित रेलवे प्राधिकारियों के साथ सतत् आधार पर कार्यवाई कर रहे हैं।

लौह अयस्क का आयात

39. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष गैर–सरकारी क्षेत्र की इस्पात कम्पनियों को देश में सही मात्रा में लौह–अयस्क आयात करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितनी मात्रा में लौह–अयस्क आयात किया जाएगा; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) मौजूदा आयात–निर्यात नीति के अन्तर्गत लौह अयस्क का आयात करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात की ताप/गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

40. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित ताप और गैस–आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) आठवी योजना के अनुमानों के अनुसार राज्य में कितनी अतिरिक्त विद्युत की मांग है; और

(ग) अखिल भारतीय औसत की तुलना में आज तक राज्य में प्रति व्यक्ति की विद्युत उपलब्धता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) गुजरात की उन ताप और गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दी जानी है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गुजरात बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 1994–95 की तुलना में 1995–96 और 1996–97 के दौरान राज्य में विद्युत की अतिरिक्त मांग क्रमशः 489 मेगावाट और 908 मेगावाट होने की सम्भावना है।

(ग) वर्ष 1993–94 के लिए गुजरात में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 299 कि.वा.घं. के अखिल भारत आंकड़े की तुलना में 590 कि.वा.घं. थी।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम और खाता	कार्यनिष्पादन एजेन्सी	परिकल्पित ईंधन
1	2	3	4
	सरकारी क्षेत्र		
1.	कवास सीसीजीटी द्वितीय चरण 550 मेगावाट जिला–सूरत	एनटीपीसी	नाथपा/गैस
	निजी/संयुक्त क्षेत्र		
2.	जामनगर टीपीएस 2×250 मेगावाट जिला–जामनगर	रिलायंस पावर लि.	पेट्रोलियम कोक
3.	जीआईपीसीएल के लिए पावर प्लांट (सीसीजीटी) 145 मेगावाट जिला–बड़ौदा	जीआईपीसीएल	नाथपा/डिस्टीलाटा/ गैस
4.	गंगरौल (लिग्नाइट) टीपीएस 1×250 मेगावाट जिला–सूरत (संयुक्त क्षेत्र)	जीआईपीसीएल	लिग्नाइट
5.	अकरीमोटा (लिग्नाइट) टीपीएस 2×120 मेगावाट जिला–कच्छ (संयुक्त क्षेत्र)	जीपीसीएल	लिग्नाइट
	घोघा (लिग्नाइट) टीपीएस 2×120 मेगावाट, भावनगर (संयुक्त क्षेत्र)	जीपीसीएल	लिग्नाइट

1	2	3	4
7.	बेतवा सीसीबीटी 140 मेगावाट, अहमदाबाद।	मै. एईसी लि.	नाथपा/एचएसडी
8.	इस्सार सीसीजीटी 510 मेगावाट हजीरा।	मै. ईस्सार पावर लि.	नाथपा

भारत-बंगलादेश वार्ता

41. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से, फरक्का विवाद को स्थाई रूप से हल करने, गंगा नदी के जल के बंटवारे, पारगमन व्यापार, सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोहियों की समस्या तथा आपसी हित के अन्य मामलों पर ढाका में जून, 1995 में आयोजित की गई भारत–बंगलादेश विदेश सचिव स्तर की वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ख) इस निष्कर्ष पर क्या अनुवर्ती कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जून 1995 में सम्पन्न भारत और बंगलादेश के विदेश सचिवों के बीच हुई बातचीत में द्विपक्षीय सम्बन्धों से संबद्ध बहुत–से मसलों पर चर्चा हुई और यह बातचीत उपयोगी रही। हमारे विदेश सचिव ने बंगलादेश के विदेश और जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री से भी मुलाकात की। फरक्का मसले के संबंध में भारत की यह इच्छा दोहराई गई कि वह जल विवाद का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कार्य करने के लिए तैयार है। यह सहमति हुई कि संयुक्त नदी आयोग का पुनः आयोजन किया जाएगा तथा जल प्रवाहों की संयुक्त मानीटरिंग पुनः शुरू की जाएगी। सीमा क्षेत्रों में अवैध आप्रवासन विद्रोह की समस्याओं से संबद्ध भारत की चिन्ताओं से बंगलादेश प्राधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इस बात पर सहमति हुई है कि दोनों देशों के गृह सचिवों के बीच अगले दौर की बातचीत यथाशीघ्र की जाएगी। विदेश सचिवों ने दोनों देशों के बीच व्यापार से संबद्ध मसलों और भारत द्वारा अपेक्षित पारगमन सुविधाओं पर भी विचार–विमर्श किया। दोनों पक्षों ने वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

बिना बारी के सरकारी आवास

42. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के दौरान बिन बारी के कितने सरकारी फ्लैट (वर्ग–वार) आवंटित किए गए हैं;

(ख) बिना बारी के आवंटन हेतु क्या मार्ग–निर्देश निर्दिष्ट किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मार्ग निर्देशों की समीक्षा करने का है जिससे सामान्य पूल के आवास के बिना बारी के आवंटन को न्यूनतम स्तर तक रखा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) बिना बारी के आवंटन निम्नलिखित व्यक्तियों को किये जाते हैं :

1. केन्द्रीय मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा योजना आयोग के सदस्यों के निजी स्टाफ।
2. सेवा निसुत/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रित।
3. टी. बी. कैंसर, हृदय रोग जैसे चिकित्सा आधारों पर तथा अपंग कर्मचारियों को।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख कार्मिकों को।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियम 317 ख 25 के तहत नियमों में छूट देकर अनुकम्पा आधारों पर।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय ने अन्तरिम आदेश में टी. बी. तथा कैंसर जैसे चिकित्सा आधारों के अलावा बिना–बारी के सभी आवंटनों पर रोक लगा दी है। अतः फिलहाल दिशा–निर्देशों की समीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

विवरण

श्रेणी	1993	1994	1995 (जून तक)
1	2	3	4
I	203	255	93

1	2	3	4
II	1002	1166	324
III	417	866	330
IV	244	290	98
IV (विशेष)	05	09	03
V ए (डी II)	101	118	32
V बी (डी I)	30	59	18
VI ए (सी II)	55	48	10
योग	2057	2811	908

गुजरात में विद्युत की मांग

43. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में विद्युत की मांग इराकी उपलब्धता से बढ़ गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर–सरकारी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में कुछ और विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्तावित संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित संयंत्रों को स्वीकृति प्रदान करने और उन पर कार्य आरम्भ करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) अप्रैल जून, 95 की अवधि के दौरान गुजरात में ऊर्जा की आवश्यकता 9410 मि.यू. थी, जिसकी तुलना में उपलब्धता 8898 मि.यू. थी।

(ख) से (घ) गुजरात में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रकट की गई रुचियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	विदेशी भारतीय	क्षमता	अनन्तिम लागत (करोड़ रु. में)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	अकरीमोटा टीपीएस	भारतीय	240 मे.वा.	840.00	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
2.	कोयस्टल टीपीएस		1×100 मे.वा.	3500.00	बोली के अधीन
3.	घोघा		1×250 मे.वा.	875.00	बोली के अधीन
4.	जीआईपीसीएल एक्सपेन्शन पी.पी.	भारतीय	145 मे.वा.	399.00	गुजरात इण्डस्ट्री पावर कं. लि.
5.	हज़ीरा सीसीपीपी	भारतीय	1×55 मे.वा.	1765.94	मै. इस्सार ग्रुप
6.	जामनगर	भारतीय	2×250 मे.वा.	1967.00	रिलायन्स पावर लि.
7.	मंगरौल टीपीएस	भारतीय	250 मे.वा.	1082.81	गुजरात इण्डस्ट्री पावर कं. लि. बड़ौदा
8.	पगुथान जीबीपीपी	विदेशी/ भारतीय–जेबी	655 मे.वा.	2296.14	गुजरात टोरेन्ट इनर्जी कारपोरेशन लि./ सिमन्स जमर्नी।
9.	पीपावार		1×615 मे.वा.	2152.00	बोली के अधीन

सरकार समय–समय पर प्रस्तावों पर प्रगति की समीक्षा कर रही है और आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने के लिए प्रर्वतकों/राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

44. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और इसकी खपत कितनी है;

(ख) देश में ऐसे कितने संयंत्र हैं जहां विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है;

(ग) भारत के सभी गांवो में कब तक बिजली उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रमुख उपभोक्ताओं पर विद्युत कर की भारी राशि बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) प्रथम तिमाही अप्रैल–जून, 95 के दौरान व्यस्तम कालीन मांग का महीना जून, 95 रहा, जबकि देश में 56370 मेगावाट की व्यस्ततम कालीन मांग की अपेक्षा 47514 मेगावाट व्यस्ततम कालीन मांग की आपूर्ति की गई।

(ख) इस समय 50 ताप विद्युत केन्द्र, 3 न्यूक्लीय विद्युत केन्द्र और 63 जल विद्युत केन्द्र हैं, जिनमें अप्रैल–जून, 95 की अवधि के दौरान लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन किया गया है।

(ग) देश के सभी गांवों को विद्युत सप्लाई की सुविधा उपलब्ध कराना, राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता और इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित अन्य निवेशों से सम्बन्धित हैं। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधनों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वार्षिक आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राज्य बिजली बोर्डों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी बकाया देय राशियों की मात्रा को कम करके दो महीनों के राजस्व की राशि तक सीमित रखें।

[अनुवाद]

केरल की चावल मिलें

45. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कार्यरत चावल मिलों के लिए विस्तार सेवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या हैं,

(ख) क्या इन केन्द्रों के लिए 1995–96 के दौरान कोई बजट आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केरल में इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त कोई विस्तार सेवा केन्द्र काम नहीं कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केरल में अपेक्षाकृत कम मात्रा में धान पैदा होता है इसलिए 1995–96 के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है।

केरल में विद्युत की मांग

46. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **बिद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान केरल में विद्युत की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) विद्युत की पूर्ति संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु राज्य में किसी नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इस संयंत्र के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) केरल में वर्ष 1991–92 से 1994–95 तक की विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार है :

(आंकड़े निवल मि.यू. में)

	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4	5
आवश्यकता	7440	7700	7990	8902
उपलब्धता	7197	7416	7836	8831
कमी	243	284	154	71
प्रतिशत	3.3	3.7	1.9	0.8

(घ) से (च) 8वीं योजना के दौरान केरल में क्षमता अभिवृद्धि का परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्षमता अभिवृद्धियों का परियोजनावार ब्यौरा (चालू तथा के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत स्कीमें)

परियोजना का नाम	प्रकार	स्थिति	कुल अधिष्ठापित क्षमता	8वीं योजना 1992–97 के दौरान लाभ
ब्रह्मपुरम डीजी	(ता)	एस	100.0	100.0
कक्कड	(एच)	एस	50.0	50.0
कल्लाडा	(एच)	एस	15.0	15.0*
कुट्टीयाडी विस्तार	(एच)	एस	50.0	0.0
लोअर पेरियार	(एच)	एस	180.0	180.0
मलानकारा	(एच)	एस	7.0	7.0
पेपारे एचई	(एच)	एस	3.0	3.0
पोरिंगलकुथू–4	(एच)	एस	6.0	16.0
पुयानकुट्टी	(एच)	एस	240.0	0.0
कसारगोडे डीजी	ता)	सी	60.0	0.0
कोझीकोडे डीजी	(ता)	सी	120.0	0.0
आदिरापल्ली	(एच)	सी	160.0	0.0
कायमकुलम सीसीजीटी	(ता)	सी	400	0.0
कुल जोड़			1401.0	371.0

सी —के वी प्रा द्वारा स्वीकृत की गई।

* पहले ही चालू की जा चुकी है।

एस स्वीकृत।

परियोजनाएं चालू करने की तारीखों का निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने तथा तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही पता चल सकेगा।

इस्पात का निर्यात

47. **श्री श्रीकांत जेना : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात के निर्यात हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित उत्पादन लक्ष्य में कमी की गैर–सरकारी क्षेत्र की सहायता से पूर्ति की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अनुसंधान और विकास संबंधी क्या–क्या कार्य शुरू किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस्पात के निर्यात में मददगार के रूप में कार्य करता है क्योंकि वर्तमान आयात–निर्यात नीति में इस प्रकार का निर्यात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है। इस्पात मंत्रालय से सन् 2001–2002 तक 60 लाख टन इस्पात का निर्यात करने का अनुमान लगाया है। 1994–95 में 13 लाख टन इस्पात का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) इस्पात की मांग (निर्यात के लिए मांग सहित) 190 लाख टन के वर्तमान स्तर से 2001–2002 में बढ़कर 370 लाख टन होने की सम्भावना है। मांग में इस वृद्धि को निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के जरिए और सरकारी क्षेत्र के मौजूदा इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के जरिए पूरा किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र में लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत सामान के आयात पर से सीमा शुल्क कम करना, और

(6) आयात–निर्यात नीति का उदारीकरण।

आठ प्रमुख परियोजनाओं जिनकी विक्रेय इस्पात की क्षमता भग 67 लाख टन है और जिनमें लगभग 12,240 करोड़ रुपए निवेश हुआ है, को वित्तीय संस्थानों ने मंजूरी दे दी है। 68 ख टन क्षमता की 10 और परियोजनाएं इस समय मूल्यांकनाधीन

(घ) एकीकृत इस्पात संयंत्र ऊर्जा संरक्षण, धमन भट्टी गदकता, क्वालिटी नियंत्रण, सिन्टर संयंत्र की उत्पादकता आदि ों में अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं। कई लघु इस्पात त्रों/गौण इस्पात उत्पादकों ने भी विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्य आरम्भ किए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य लागत में कमी करना, नई श्रेणियों का विकास करना, प्रक्रियाओं और ऊर्जा संरक्षण में सुधार करना है।

विदेशों में भारतीय सूचना प्रणाली

48. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी कांग्रेस में 1996 के लिए भारत को 70 मिलियन डालर की अमरीकी सहायता न दिए जाने संबंधी प्रस्ताव के अस्वीकृत होने सम्बन्धी समाचार की जानकारी है, जैसाकि 30 जून, 1995 के "पेट्रियट" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विश्व में विशेष तौर पर अमरीका में भारत समर्थक लॉबी को संवर्धित और सुदृढ़ करने तथा अमरीकी सहायता संबंधी प्रस्ताव पर इस मतदान की दृष्टि से विदेशों में भारतीय सूचना प्रणाली को संवर्धित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाशिंगटन स्थित भारतीय मिशन अमरीकी कांग्रेस में भारत संबंधी घटनाओं पर सक्रिय नजर रखता रहा है और प्रभावशाली कांग्रेस सदस्यों तथा मतनिर्माताओं का समर्थन जुटाता रहा है ताकि भारत की हित चिन्ताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। जन सम्पर्क फर्म डेनियल जे. एडेल मैन वाईवाइड इंक के सहयोग से हमारे कौंसलावास और समर्थन जुटाने वाली फर्म मैसर्स राफेली, स्पीस, स्प्रिंगर एण्ड स्मिथ मिशन के प्रयासों में सहयोग कर रही है। एक गहन जन सूचना अभियान भी शुरू किया जा रहा है जिसमें अमरीकी विचारधारा का व्यापक प्रतिबिंब शामिल है। यह प्रयास काफी समय से जारी है और इसकी वजय केवल भारत को मिलने वाली अमरीकी सहायता पर मतदान ही नहीं है जो हाल ही के वर्षों में सीमान्तक रहा है।

उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

49. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए किसानों की भूमि का अभिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विस्तार हेतु किन–किन उर्वरक संयंत्रों को चुना गया है;

(ग) इन उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए किसानों से

कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(घ) किसानों की अधिगृहीत भूमि के बदले में कितना मुआवजा दिया गया है और कितने व्यक्तियों को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक रोजगार प्रदान किए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी/सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विस्तार परियोजनाओं के लिए कोई कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैलाडिला खानों का निजीकरण

50. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चलाई जा रही खानों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात की खपत किसी देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है। अनुमानित निर्यात सहित भारत में इस्पात की कुल मांग सन् 2001–02 तक बढ़कर 370 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। उस समय तक विद्यमान एकीकृत इस्पात संयंत्रों और गौण क्षेत्र की इकायों का उत्पादन लगभग 240 लाख टन तक पहुंचने की सम्भावना है। 130 लाख टन के अनुमानित अन्तर को केवल निजी क्षेत्र में निवेश द्वारा ही पूरा करना होगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नए ग्रीनफील्ड संयंत्रों की स्थापना करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए यदि मांग और उपलब्धता के बीच अनुमानित अन्तर को पूरा करना है तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा।

2. धातु स्क्रैप की स्वदेशी उपलब्धता कम है और स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। स्पंज लोहे में धात्विक लोहे की प्रतिशतता अधिक होती है और यह इस्पात गलन स्क्रैप के लिए एक अच्छा एवजी है। इसीलिए वेदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार द्वारा स्पंज लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय देश में 18 स्पंज लोहा इकाइयां हैं जिनकी कुल क्षमता 54 लाख टन है। इन इकाइयों में 1994–95 में 34 लाख टन उत्पादन हुआ और निर्यात 10 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना सहित इस वर्ष 40 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा है। 7.39 लाख टन वार्षिक क्षमता की और स्पंज लोहा इकाइयां इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

भारत में गैस पर आधारित केवल 3 संयंत्र नामतः इस्सर गुजरात लिमिटेड, विक्रम इस्पात लिमिटेड और निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड है और उन्हें 65 प्रतिशत और इससे अधिक लोहांश के केलिब्रेटिड लौह अयस्क की आवश्यकत होती है।

3. एन.एम.डी.सी. संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में निक्षेप 11–बी का विकास करने पर 1991 से विचार कर रहा था परन्तु यह प्रस्ताव लाभपूर्ण नहीं हो सका क्योंकि तीन प्रमुख लौह अयस्क उपभोक्ता कम्पनियों को सम्भावित संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में अभिज्ञात किया गया है। ये भागीदार संयुक्त उद्यम में भागीदार बनने के लिए तभी सहमत हैं जबकि एन.एम.डी.सी. और प्रबंधन के साथ एकमात्र सह प्रवर्तक का उन्हें अधिकार हो।

4. इस्पात मंत्रालय ने मई, 1994 में इस अन्तर्ग्रस्त मुद्दे की जांच की और एन.एम.डी.सी. को सलाह दी कि इस परियोजना को, देश में गैस पर आधारित स्पंज लोहा संयंत्र का प्रचालन करने वाली अथवा स्थापित की जाने वाली निजी कम्पनियों, जिन्हें संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता के अधिकांश भाग को पूरा करने के लिए एन.एम.डी.सी. से पहले ही आश्वासन मिल गया है, में से एक के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। संयुक्त उद्यम के भागीदार का चयन करने के लिए सरकार ने एन.एम.डी.सी. को विशेष मानदण्ड भी सुझाये हैं।

5. इस्पात मंत्रालय द्वारा सुझाए गए मानदण्डों के आधार पर उद्यम भागीदार का चयन करने के लिए एन.एम.डी.सी. के निदेशक मंडल ने एक उप–समिति गठित की है। एन.एम.डी.सी. बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई उप–समिति की सिफारिशें निम्नानुसार है :

(I) दिए गए तरजीह क्रम में निम्नलिखित भागीदारों में से एक के साथ संयुक्त उद्यम करना :

(i) मैसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड।

(ii) मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड।

(II) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एन.एम.डी.सी द्वारा धारित निक्षेप II–बी (अर्थात निक्षेप II–बी में शामिल क्षेत्र) के पट्टे के एक भाग को संयुक्त उद्यम कम्पनी को हस्तान्तरित करना।

(III) खान पट्टे के हस्तान्तण के लिए वसूल किए जाने वाले मुआवजे के बारे में सरकार का निर्णय प्राप्त करना।

6. इस्पात मंत्रालय ने एन.एम.डी.सी. से प्राप्त सिफारिशों का गहन विश्लेषण किया और मंत्रीमंडल के विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत किया। खान पट्टे के हस्तांतरण के लिए वसूल किए जाने वाले मुआवजे के संबंध में यह महसूस किया गया कि इसे एक सामान्य वाणिज्यिक लेन–देन मानना और अधिकतम मुआवजा वसूल करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे अन्तिम उत्पाद महंगे तथा अप्रतिस्पर्द्धी होंगे। इसके अतिरिक्त हस्तांतरण एक संयुक्त उद्यम कम्पनी जिसमें एन. एम.डी.सी. स्वयं भी भागीदार है, को करने का प्रसतव है। इसी बीच इस्पात मंत्रालय ने महसूस किया कि एन.एम.डी.सी. को कोई आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए और इसने गवेषण, शक्यता और अन्य प्रारम्भिक कार्यों पर जो वास्तविक व्यय किया है, उसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अतः इस्पात मंत्रालय ने प्रस्ताव किया कि उपरोक्तानुसार हुआ वास्तविक व्यय चालू लागतों के अनुसार अद्यतन करने के लिए भारतीय लागत एवं निर्माण लेखाकार (आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई.) जैसे मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठन द्वारा एक उपयुक्त पद्धति द्वारा निर्धारित करके संयुक्त उद्यम भागीदार से वसूला जाए।

7. बैलाडिला II–बी निक्षेप का सयुक्त उद्यम के रूप में विकास करने के लिए मंत्रीमंडल ने उनकी 30.5.95 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी। इसके आधार पर संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने के लिए और उसके बाद की जाने वाली अन्य कार्रवाई करने के लिए दिनांक 13.6.95 को एन.एम.डी.सी. को मंजूरी प्रदान कर दी गई। संयुक्त उद्यम करार में यह निर्धारित करने कि संयुक्त उद्यम कम्पनी केवल उन कामगारों को छोड़कर जो कि स्थानीय रोजगार कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, सभी कुशल, कुशल और अकुशल कामगारों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से करेंगी, के लिए एन.एम.डी.सी. को सलाह देकर स्थानीय लोगों और ट्रेड नियनों के हितों की रक्षा की गई है। 10.7.95 को संयुक्त उद्यम करार हो गया है।

प्रमुख पत्तनों पर प्लावी घाट

51. **श्री रवि राय :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख पत्तनों पर प्लावी घाटों का निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए/शामिल किए जाने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ग) देश के विभिन्न पत्तनों पर समुद्री जहाजों के लंगर डालने के स्थानों की संख्या में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में इन प्लावी घाटों के निर्माण से क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी पत्तन को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इन प्लावी घाटों के संचालन की तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) जी हां। फ्लोटिंग जेटी रखने की धारणा का अध्ययन किया गया है और प्रथम दृष्ट्या यह पाया गया है कि यह विकल्प किफायती तथा व्यस्त पत्तनों के लिए उपयुक्त होगा। तथापि, इस संबंध में किसी पत्तन से अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कश्मीर के सम्बन्ध में ओ.आई.सी. का संकल्प

52. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्गेनाइजेसन ऑफ इस्लामिक कान्फ्रेंस (ओ.आई.सी.) सूचना मंत्रियों ने दमिश्क में हाल ही में हुई अपनी तीसरी बैठक में कश्मीर के सम्बन्ध में कोई संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस बैठक में कितने देशों ने भाग लिया तथा कितने देशों ने संकल्प का समर्थन किया;

(घ) क्या सरकार ने बैठक में भाग लेने वाले देशों के साथ मुद्दे को उठाया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में देश–वार प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) ओ आई सी के सदस्य राज्यों के सूचना मन्त्रियों का तृतीय सम्मेलन दमिश्क में मई, 1995 में हुआ था और इस सम्मेलन में कश्मीर के संबंध में कोई संकल्प पारित नहीं हुआ था।

(ग) सम्मेलन में 34 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत

53. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विशाखपत्तनम् में शान्त और गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए जलपोतों हेतु उद्यमियों को कोई तदर्थ वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) सरकार ने भूतपूर्व जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा सहायता प्राप्त गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों के लिए 1991 में एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी जिसकी 1992 में और उदार बनाया गया था। पुनर्वास पैकेज पर प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी इसलिए सरकार ने इस उद्योग के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने हेतु एक तकनीकी समिति गठित की थी। तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इस समिति की सिफारिशों पर अन्तरमंत्रालीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समिति की सिफारिशों के अनुसार, जैसे ही राहत की घोषणा की जाएगी, भूतपूर्व जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा सहायता प्राप्त सभी गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों पर लागू हो जाएगी।

भवन उप-कानून

54. **श्री मोहन रावले** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी के लिए मई, 1995 में भवन उपकानून के ताजा ढांचे की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या स्थापत्यविदों, भवन–निर्माताओं तथा जनसामान्य ने इस संशोधित भवन उपकानूनों की आलोचना की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदौर में जल-निकास प्रणाली

55. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर में जल–विकास प्रणाली के पुनर्निर्माण से संबंधित कोई परियोजना केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) इन्दौर में जलनिकासी प्रणाली के पुनर्निर्माण से संबंधित कोई परियोजना इस मंत्रालय में लम्बित नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने 54.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से इन्दौर नगर के लिए सीवरेज तथा मल निर्यात संबंधी परियोजना चरण–I का प्रस्ताव तकनीकी अनुमोदन हेतु केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन को प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार को प्रस्ताव संशोधित करने का परामर्श दिया गया है।

[अनुवाद]

चार लेनों वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

56. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में चार लेनों वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए "द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण" की मंजूदी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा के लिए कुल कितना ऋण मंजूर/प्राप्त हुआ, नियत किया गया और जारी किया गया;

(घ) क्या उड़ीसा के राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षतिग्रस्त और संकरे पुल भी इस परियोजना मे शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति और उड़ीसा की परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में रा. रा. 5 के 0.0 से 27.80 कि.मी. तक कटक–भुवनेश्वर–जगतपुर खंड को चार लेन बनाने का कार्य, द्वितीय विश्व बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण में एक उप– परियोजना के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) सभी 6 परियोजनाओं के लिए 306 मिलियन अमरीकी डालर की कुल ऋण राशि में से 45.7 मिलियन अमरीकी डालर इस उप–परियोजना के लिए नियत किए गए हैं। कार्य का ठेका दे दिया गया है और यह जनवरी, 95 में प्रारंभ हो गया है।

अब तक 21.52 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। इस उप–परियोजना में क्षतिग्रस्त और संकरे पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। इस उप–परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख जुलाई, 1998 है।

पत्तनों का निजीकरण

57. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री गुरुदास कामत :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पत्तन न्यासों के निजीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख बातें क्या हैं तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस योजना के अंतर्गत किन–किन पत्तनों का निजीकरण किया जाएगा;

(ग) पत्तनों के निजीकरण की इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देने हेतु किन–किन प्राइवेट पार्टियों (भारतीय तथा विदेशी) का चयन किया गया है; और

(घ) सरकार और प्राइवेट पार्टियों द्वारा इस कार्य पर पृथक–पृथक कितनी–कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) इस देश में पत्तनों अथवा पत्तन न्यायों का निजीकरण करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, पत्तन अवसंरचना/सेवाओं के कुछ क्षेत्रों नामतः कंटेनर टर्मिनलों, वेयरहाऊस तथा भण्डारण सुविधाओं, विभिन्न कार्गो हैंडलिंग टर्मिनलों, पायलट प्रभारों और क्रेन सेवाओं, निकर्षण, पत्तन क्राफ्टों और उपकरणों को निजी सहभागिता के लिए खोला गया है।

(ग) कूछ महत्वपूर्ण निजी निवेशक जिन्हें सरकार द्वारा पत्तन सुविधाओं में निवेश करने की अनुमति दे दी गई है, इस प्रकार हैं–मैसर्स टिस्को, मैसर्स जी पी कार्पोरेशन लि. ऑफ बैंकाक, मैसर्स अमेरिकन प्रेसीडेन्ट लाइन्स, मैसर्स धोखानी शिपयार्ड (बंगाल) लि., मैसर्स मंगलोर रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स लि., मैसर्स ए.पी.आई.सी., मैसर्स वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि., मैसर्स टीना आयल्स एंड कैमिकल्स लि. आदि।

(घ) निजीकृत पत्तन सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा धन राशियां खर्च करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदित प्रस्तावों से निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 250 करोड़ रु. का निवेश किए जाने की संभावना है।

बल्गारिया के साथ प्रत्यर्पण संधि

58. **डा. कृपासिंधु भोई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बल्गारिया के साथ प्रत्यर्पण संधि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी हां। प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने की वांछनीयता पर बुल्गारियाई प्राधिकारियों के साथ सामान्य चर्चा हुई थी। तथापि अब तक बुल्गारिया की ओर से कोई विशिष्ट उत्तर नहीं मिला है।

रोसा तापा विद्युत गृह

59. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोसा ताप विद्युत गृह की स्थापना करने हेतु इंडो–गल्फ फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स कारपोरेशन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल कितनी पूंजी निवेश किया जायेगा और यह परियोजना कब से शुरू होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिल में 2236.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रोसा में 2X250 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने के बारे में मैसर्स इण्डो–गल्फ फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स कारपोरेशन लि. का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 19.08.94 को प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 07.11.94 को "सिद्धान्त रूप से" परियोजना के बारे में स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रवर्तकों द्वारा सुनिश्चित लागत अनुमान प्रस्तुत किए जाने और कुछ अपेक्षित स्वीकृतियां/निवेश सुनिश्चित किए जाने के पश्चात केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु परियोजना पर कार्रवाई की जाएगी। परियोजना को चालू किए जाने की सम्भावित तारीख की जानकारी इसके वित्तीय समापन के पश्चात ही मिल जाएगी।

[हिन्दी]

रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन

60. **श्री साइमन मरांडी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखंडों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को नए निर्मित आवास/फ्लैट आवंटित कर रही है; और

(ख) यदि हां, ता इन भूखंडों के स्थान पर श्रेणी–वार कितने व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गये हैं और इससे संबंधित शर्तें क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी आवासीय योजना, 1981 के प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को मकान/फ्लैट आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड

61. **प्रो.के.वी. थामस** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन में अमोनिया संयंत्र के निर्माण में कितना विकास हुआ है;

(ख) क्या इस इकाई में अमोनिया के परिवहन में कोई समस्याएं आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. की अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजना का कार्यान्वयन समय–सारिणी के अनुसार प्रगति कर रहा है। जून, 1995 के अन्त में 34.23 प्रतिशत की निर्धारित प्रगति की तुलना में कुल हुई प्रगति 33.86 प्रतिशत थी। परियोजना का समय–सारणी के अनुसार अर्थात् 31 मार्च 1997 से आरम्भण किये जाने की आशा है।

(ख) से (घ) मै. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. द्वारा उद्योगमंडल में निर्माणाधीन नयें संयंत्र से कोचीन प्रभाग को अमोनिया के परिवहन के अत्याधिक प्रभावी, सुरक्षित तथा व्यवहार्य तरीके का नर्धारण करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

अक्षम विद्युत इकाईयां

62. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अक्षम विद्युत इकाईयों को बंद कर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस प्रस्ताव को क्षेत्रीय राज्य विद्युत बोर्डों के पास उनके विचार जानने हेतु भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) ऊर्जा तथा अधिकतम भार, दोनों के सम्बन्ध देश में विद्युत की कमी को मद्देनजर रखते हुए मांग को पूरा करने के लिए सभी केन्द्रों को चलाए जाने तथा इनके द्वारा अधिकतम विद्युम उत्पादन में योगदान किए जाने की सम्भावना है। वर्तमान में अक्षम केन्द्रों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की विस्तारणीय आवास योजना, 1995

63. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विस्तारणीय आवास योजना, 1995 के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने आवदेन किये हैं,

(ख) यह योजना कब बंद हुई तथा इसमें कितने आवेदक सफल घोषित किये गये;

(ग) क्या इसमें असफल रहने वाले आवदेकों की प्रारम्भिक जमाराशि इस बीच वापस कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) जमाराशि का शीघ्र वापस करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विस्तारणीय

आवास योजना, 1995 के अन्तर्गत 8588 व्यक्तियों ने आवेदन किया है।

(ख) यह योजना दिनांक 2.3.95 को बन्द हो गई थी तथा 6847 आवेदकों को ड्रा के द्वारा सफल घोषित किया गया।

(ग) से (ङ) विवरणिका की शर्त और निबन्धनों के अनुसार असफल आवदेकों को प्रारम्भिक जमा राशि योजना के बन्द होने की तिथि से छः माह के भीतर वापस करनी होती है। असफल आवेदकों को प्रारम्भिक जमा राशि लौटाए जाने सम्बन्धी कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गयी है तथा इसके छः माह की निर्धारित अवधि में ही पूरा किए जाने की आशा है।

विलम्ब शुल्क

64. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम तथा मद्रास में पत्तन न्यास के सामान्य कार्गो पर विलम्ब शुल्क बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विलम्ब शुल्क को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केवल कलकत्ता पत्तन न्यास ने ही सामान्य कार्गो पर विलम्ब शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। बम्बई, विशाखापत्तनम और मद्रास पत्तनों पर इन प्रभारों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विलम्ब शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे तथा मझोले शहरों के समेकित विकास हेतु दिशा निर्देश

65. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छोटे और मझोले शहरों के समेकित विकास हेतु योजना, जिसके अंतर्गत बजटीय सहायता का स्वरूप "आसान शर्तों पर ऋण" से बदलकर "अनुदान" कर देने का प्रावद्यान है, के लिये संशोधित दिशनिदेशों को स्वीकृति दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित दिशा–निर्देशों के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

(1) आई डी एस एम टी 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में लागू की जायेगी।

(2) योजना के तहत संस्थागत वित्त घटक कस्बे की आबादी के आधार पर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(3) आई डी एस एम टी को कस्बा विकास योजना तथा राज्य शहरी विकास कार्यनीति के साथ जोड़ा जायेगा।

(4) परियोजनाओं का तर्क संगत मिश्रण होगा : लाभदायी, लागत वसूली तथा गैर–लाभदायी परियोजनाए।

(5) प्रत्येक कस्बे को एक आवर्ती निधि (रिवोलविंग फण्ड) बनाना होगा तथा योजना के तहत जारी अनुदान की 75 प्रतिशत राशि परियोजनाओं से इस कोष मे आनी चाहिए।

(6) आई डी एस एम टी परियोजनाएं राज्य स्तर की एक समीति द्वारा मंजूर की जायेगी।

(7) नये दिशा–निर्देशों के अनुसार शहर की श्रेणी के आधार पर परियोजना लागत 100 लाख रुपये से 750 लाख रुपये के बीच तथा अधिकतम केन्द्रीय सहायता 48 लाख रुपये से 270 लाख रुपये के बीच और राज्य अंश 32 लाख रुपये से 180 लाख रुपये के बीच होगा। केन्दीय तथा राज्य अंश अनुदानों के रूप में होगा।

सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक इकाईयां

66. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सहकारिता क्षेत्र में प्रत्येक इकाईयों के कार्य निष्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो बहु–राज्यीय सहकारी समितियां अर्थात् इंडियन फारमर्स फरटिलाइजर को–आपरेटिव लि. (इफको) तथा कृषक भारती सहकारी लि. (कृभको) हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन समितियों के कार्य–निष्पादन तथा इसी अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक को दी गई राज–सहायता की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

ब्यौरे		इफको			कृभको		
		1992–93	1993–94	1994–95	1992–93	1993–94	1994–95
(क)	**निष्पादन के ब्यौरे**						रु.
1.	**उत्पादन (लाख मी. टन में)**						
	यूरिया	17.85	18.26	18.95	16.86	15.15	14.65
	एनपीके/डीएपी	8.76	9.10	10.41			
	कुल	26.61	27.36	29.36			
2.	**क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)**						
	नाइट्रोजनी उर्वरक	108	133	117	116.16	104.37	100.95
	फास्फेटिक उर्वरक	100	110	122			
3.	**उत्पादक बिक्री (लाख टन)**						
	यूरिया	18.02	17.34	19.12	16.87	15.54	14.95
	एनपीके/डीएपी	8.01	9.30	9.67			
	आयातित यूरिया/ डी ए पी	0.56	3.67	3.37			
	कुल :	26.59	30.31	32.16			
4.	कुल बिक्री (रु. करोडो में)	1518.51	1749.95	2095.00	788.39	748.15	888.60
5.	कर पूर्व लाभ (रु. करोडों में)	155.38	204.38	353.91	227.78	183.86	292.89
(ख)	**दी गई राज-सहायता की राशि**						
	(रु. करोड़ों में)	608.61	354.15	528.82	211.72	223.56	242.07

किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति

67. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ मौसम के दौरान किसानों को रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति हेतू पर्याप्त व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को उसकी मांग की तुलना में उपलब्ध कराए गए उर्वरकों की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा दो वर्षों के दौरान आपूर्ति किए गए उर्वरकों की तुलना में यह कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में आपूर्ति में कमी आने के क्या कारण है; और

(घ) उर्वरकों का कितना आयात किया गया तथा रासायनिक उर्वरकों के आयात को कम करने तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वर्तमान में यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य वितरण एवं सचलन नियंत्रण के अंतर्गत है। वर्तमान खरीफ मौसम (30.6.95 तक) के दौरान देश में यूरिया की उपलब्धता विद्यमान मांग के सदर्भ में पर्याप्त रही है। अनियंत्रित उर्वरकों की मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों पर निर्भर है। देश में अनियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता भी विद्यमान मांग के संदर्भ में पर्याप्त है। अप्रैल से जून, 1993–94 की तिमाही एवं इसके बाद यूरिया की राज्यवार उपलब्धता एवं बिक्री का विवरण संलग्न है। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान आपूर्तियां प्रभावी मांग के अनुरूप रही है या उससे अधिक रही है।

(घ) यूरिया, डाई–अमोनियम फास्फेट (डीएपी) एण्ड म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी) भारत में आयात होने वाले मुख्य उर्वरक हैं। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान इन उर्वरकों की निम्नलिखित मात्र आयातित की गई है :

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	यूरिया	डीएपी (अनुमानित)	(एमओपी) (अनुमानित)
1993–94	28.40	15.69	14.28
1994–95	28.84	8.25	18.48
1995–96 (30 जून तक)	10.68	2.54	2.76

उर्वरक पोषक तत्वों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई नई/विस्तार परियोजनाओं को कार्यान्वयण हेतु हाथ में लिया गया है। इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 18 लाख टन नाइट्रोजन और 0.31 लाख टन फास्फेट है। केवल नाइट्रोजनी एवं फास्फेटिक उर्वरकों का ही स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य ज्ञात भण्डार नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	खरीफ–1993 जून–1993 तक		खरीफ–1994 जून–1994 तक		खरीफ–1995 जून–1995 तक	
		उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	436.48	146.38	309.24	193.01	547.84	205.52
2.	कर्नाटक	185.02	105.49	149.86	119.30	254.81	132.88
3.	केरल	38.08	26.77	40.90	28.30	41.77	28.96
4.	तमिलनाडु	164.80	78.65	172.19	134.08	183.39	96.49
5.	गुजरात	176.42	89.28	190.37	151.06	292.78	239.53
6.	मध्य प्रदेश	236.53	155.26	350.89	230.64	326.92	259.25
7.	महाराष्ट्र	481.36	320.30	404.97	335.71	555.45	358.21
8.	राजस्थान	170.83	88.08	200.83	90.88	231.50	126.30
9.	गोवा	0.47	0.68	0.84	0.82	1.00	0.94
10.	हरियाण	262.28	177.75	287.05	230.96	330.62	267.78
11.	हिमाचल प्रदेश	6.63	5.40	15.00	10.15	15.84	11.65
12.	जम्मू और कश्मीर	32.92	29.42	26.45	25.99	31.25	28.70

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	पंजाब	517.67	358.04	644.39	528.26	627.76	520.45
14.	उत्तर प्रदेश	957.12	594.89	1028.64	678.48	145.29	662.38
15.	दिल्ली	1.43	1.43	2.86	2.86	2.95	2.91
16.	बिहार	245.46	116.26	251.35	128.05	255.58	157.79
17.	उड़ीसा	68.96	14.80	73.31	23.97	55.55	25.22
18.	पं. बंगाल	162.13	81.59	238.62	152.76	199.23	129.00
19	आसाम	13.49	7.96	20.60	15.94	13.73	10.66
20.	मणिपुर	11.17	8.54	6.37	3.54	8.66	5.55
21.	मेघालय	1.02	0.83	0.29	0.09	0.11	0.02
22.	नागालैण्ड	0.00	00.00	0.19	0.06	0.03	0.00
23.	सिक्किम	0.55	0.55	0.00	0.00	0.60	0.60
24.	त्रिपुरा	6.08	0.20	5.76	2.58	3.34	2.50
25.	अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.03	0.00	0.00	0.11	0.01
26.	मिजोरम	0.00	0.00	0.16	0.05	0.20	0.00
27.	अन्य	29.54	25.94	16.34	16.00	15.67	14.06
	योग	4296.47	2434.52	4437.47	3103.54	5042.08	3287.30

सामाजिक संगठनों को भूमि/फ्लैटों का आवंटन

68. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन सामाजिक संगठनों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान भूमि का आवंटन किया है;

(ख) क्या सरकार यह पता लगाने हेतु छानबीन कर रही है कि इन सामाजिक संगठनों को आवंटित भूमि/फ्लैट का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया जा रहा है जिस हेतु इसे आवंटित किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) गत दो वर्षों के दौरान 38 संस्थानों को भूमि आवंटित की गयी।

(ख) और (ग) आवंटन के पश्चात्, पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और बनाये गये/आवंटित परिसरों का संस्थानों द्वारा किए जा रहे उपयोग बाबत समय-समय पर जांच-पडताल की जा रही है। पट्टे/आवंटन की शर्तों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई पट्टे/आवंटन पत्र की शर्तों के तहत की जाती है।

पत्तन विकास/आधुनिकीकरण परियोजनाएं

69. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के सभी प्रमुख पत्तनों का विकास करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने की कोई योजना अथवा परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक परियोजना की अलग-अलग लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। देश में महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97 में 2984.00 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	पत्तन का नाम	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97 में परिव्यय (करोड़ रु.)
1.	कलकत्ता	155.00
2.	हल्दिया	266.00
3.	बम्बई	413.00
4.	जवाहर लाल नेहरू	215.00
5.	मद्रास	570.00
6.	कोचीन	117.00
7.	विशाखापत्तनम	250.00
8.	कांडला	226.00
9.	मरगांव	123.00
10.	पारादीप	486.00
11.	नव मंगलूर	98.00
12.	तूतीकोरिन	65.00
	जोड़	2984.00

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यातायात प्रबंध व्यवस्था

47. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने सुदूर संवेदी उपग्रह के काल्पनिक और हवाई सर्वेक्षण की सहायता से यातायात प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) क्या सुदुर संवेदी यातायात प्रबंध व्यवस्था का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार के कोई विशेषज्ञ राज्यों में भेजे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो यातायात व्यवस्था में विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में सुदूर संवेदी उपग्रह से कितनी सहायता मिली?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जल–भूतल परिवहन मंत्रालय को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों की राजधानियों को वित्तीय सहायता

71. **डा. जयन्त रंगपी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की राजधानियों को शहरवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या असम सरकार द्वारा गुवाहाटी के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ) विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य राजधानियों को किये गये वित्तीय नियतन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मेगा शहर

मेगा सिटी स्कीम के तहत निम्नलिखित 5 राजधानी नगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है :

	1993–94	1994–95
	(रु. करोड़ में)	
कलकत्ता	20.0	16.1
बम्बई	20.0	16.1
मद्रास	15.0	11.1
हैदराबाद	15.0	11.1
बंगलौर	0.1	20.1

केन्द्र सरकार को असम सरकार से गुवाहटी नगर के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई)

इस योजना के अन्तर्गत चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को छोड़कर राज्यों को धन दिया जाता है न कि सीधे ही राज्य राजधानियों को। इन महानगरों को दिये गये धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

	1992–93	1993–94	1994–95
			(रु. लाख में)
बम्बई	40.00	40.00	40.00
कलकत्ता	40.00	40.00	40.00
दिल्ली	22.00	22.00	22.00
मद्रास	40.00	40.00	40.00

केन्द्र सरकार को असम सरकार से गुवाहटी नगर के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आई.डी.एस.एम.टी., ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी., यू. बी. एस. पी., रैन बसेरा, भवन निर्मिती केन्द्र आदि जैसी कई योजनाएं हैं जिन्हें केवल राज्य राजधानियों तक ही सीमित किया जा सकता।

[हिन्दी]

लिग्नाइट विद्युत संयंत्र

72. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ राज्यों और विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता कितनी होगी, और

(घ) इन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन कार्य कब से आरम्भ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों, जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है, में अधिष्ठापित किए जाने हेतु प्रस्तावित लिग्नाईट–आधारित विद्युत परियोजनाओं के बारे में आवश्यक ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

परियोजना/राज्य का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
राजस्थान			
1. बारसिंगसर टीपीपी, जिला बीकानेर	2×120 मे.वा. रु.	664.00	स्वीकृत 1 निजी क्षेत्र में अधिष्ठापित किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना का कार्यनिष्पादन करने वाली एजेन्सी को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
गुजरात			
2. कच्छ लिग्नाईट टीपीपी, जिला कच्छ	75 मे.वा.	रु. 302.00	गुजरात बिजली बोर्ड के कार्य–निष्पादनाधीन। 1997–98 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।
3. अकरीमोटा जिला–कच्छ	2×120 मे.वा.	रु. 1163.22	चूंकि तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक निवेश/ स्वीकृतियां अभी सुनिश्चित नहीं

1	2	3	4
4. घोघा टीपीपी जिला–भावनगर	2×120 मे.वा.	रु. 856.27	की गई हैं। इसलिए इन परियोजनाओं की केन्द्रीय
5. मंगरौल टीपीपी जिला–सूरत	1×150मे.वा.	रु. 1082.81	विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
6. नैवेली जीरो यूनिट, जिला–दक्षिणी आरकोट	1×250मे.वा.	रु. 1325.11	मै. एसटीएमएस इलैक्ट्रिक कम्पनी यूएसए द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
7. नैवेली–1 टीपीएस विस्तार, जिला दक्षिणी आरकोट।	2×210 मे.वा.	रु. 1590.58	नैवेली लिग्नाईट कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(घ) कच्छ केन्द्र पर बिजली का उत्पादन इसके चालू होने के बाद, 1997–98 के दौरान, आरम्भ होने की प्रत्याशा है, अन्य केन्द्रों के मामले में विद्युत उत्पादन के लिए समय सूची की प्रत्याशा नहीं की जा सकती, चूंकि उनके कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को अभी पूरा नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम तटीय नहर

73. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम तटीय नहर के किसी हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान पश्चिम तटीय नहर पर विकास कार्यों हेतु किये गए आबंटन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। पश्चिमी तटीय नहर (168 कि.मी.) के कोल्लाम–कोट्टापुरम खं. एवं चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) और उद्योगमंडल नहर (23 कि.मी.), जिनकी कुल लम्बाई 205 कि.मी. है, को 1 फरवरी, 1993 से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

(ग) 1993–94 से 1995–96 के दौरान बजटगत प्रावधान और व्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	वार्षिक योजना प्रावधान (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)
1993–94	100.00	70.00
1994–95	100.00	100.00
1995–96	100.00	193.00 (प्रस्तावित)

चम्पाकारा और उद्योगमंडल नहरों में मौजूदा नौचालन की निरन्तरता सुनिश्चित करने तथा प्रारंभ में कोची–कोल्लाम क्षेत्र में इकहरी लेन वाली चैनल बनाने के मूल उद्देश्य से विकास संबंधी कार्य किए गए थे। वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान क्रमशः 60,000 घन मीटर और 1,65,000 घन मीटर तक निकर्षण जैसा मुख्य कार्य किया गया। वर्ष 1995–96 के दौरान 1,80,000 घन मीटर निकर्षण करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड

74. **श्री सुशीला चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईरान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात क्षेत्र में वित्तीय सहायता देगा;

(घ) यदि हां, तो क्या ईरान के राष्ट्रपति की मार्च, 1995 के दौरान भारत यात्रा के समय इस संबंध में उनके साथ कोई चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम निकले?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) द्वारा ईरान को निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा
1992–93	6.6 लाख टन
1993–94	11.6 लाख टन
1994–95 (अनन्तिम)	13.6 लाख टन

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विस्तार

75. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की विशाखापत्तनम इस्पात योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम के प्राधिकारियों द्वारा उनके मंत्रालय को इस संबंध में भेजे गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके वित्तीय प्रभाव तथा अन्य संबंधित ब्यौरे क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की अपनी 30 लाख टन की विद्यमान क्षमता को 40.5 लाख टन करने के लिए सरकार की मंजूरी के लिए विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के अनुसार आयातित कच्चे माल का उपयोग करके मौजूदा दो धमन भट्टियों का तप्त धातु उत्पादन 34 लाख टन की निर्धारित डी पी आर क्षमता से बढ़कर 38.5 लाख टन हो जाएगा। वर्तमान इस्पात गलनशाला की आवश्यकता को पूरा करने के बाद 10 लाख टन अतिरिक्त तप्त धातु को 10.5 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात में प्रक्रमित किया जाएगा और इसे दूसरी इस्पात गलनशाला जो इस प्रस्ताव के अन्तर्गत स्थापित की जाएगी; में 10 लाख टन स्लैब में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरी इस्पात गलनशाला में 150 टन आकार के दो कन्वर्टर, एक लैडल फर्नेश, एक स्लैब कास्टर और अन्य संबद्ध सुविधाएं होंगी। 1994–95 की अंतिम तिमाही की आधार तारीख को इस परियोजना की अनुमानित लागत 984 करोड़ रुपये बैठती है। इस परियोजना में साम्यता/तरजाही शेयरों के रूप में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक बजटीय सहायता से परियोजना लागत के निधियन की परिकल्पना की गई है और शेष 50 प्रतिशत राशि स्वदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय उधार के माध्यम से कम्पनी द्वारा उगाही जायेगी।

सरकार की विभिन्न मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा जांच करने के लिये इस समय उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाई की जा रही है।

जयपुर में भारतीय खान ब्यूरो का कार्यालय

76. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की राजधानी में भारतीय खान ब्यूरो की नई शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में जयपुर में भारतीय खान ब्यूरो का एक और नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

77. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना–वार और राज्य–वार ऋण और अनुदान के रूप में कुल कितनी वित्तीय सहायता वितरित की गई और इनसे विशेष रूप से महाराष्ट और गोवा में वास्तव में क्या लाभ पहुंचा है;

(ख) छोटे किसानों के लाभार्थ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विशेष

रूप से महाराष्ट्र और गोवा में राज्य–वार कितने किसान लाभान्वित हुए; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गोवा में सतत उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त–पोषित योजनाओं और इनसे हुई प्रगति का ब्यौरा क्या और निर्धारित लक्ष्यों सहित इसके लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और पंपसैट के ऊर्जीकरण के अंतर्गत ऋणों और उपलब्धियों के राज्यवार और कार्यक्रमवार वित्तीय संवितरण का ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा भी शामिल है, संलग्न विवरण I, II, और III में दिया गया है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वित्त पोषण स्कीमें विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। राज्य बिजली बोर्डों ने किसानों को पंपसेट कनैक्शन देने के लिए अपने स्वयं के मानदंड निर्धारित किए हैं। छोटे किसान भी अक्सर उनके द्वारा आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित होते हैं। मार्च, 1995 तक, महाराष्ट्र के मामले में, आर. ई. सी. द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अंतर्गत 10.36 लाख पंपसैटों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। तथापि, गोआ ने अब तक किसी प्रकार की निधियां नहीं निकाली है।

(ग) महाराष्ट्र और गोआ ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए किसी प्रकार के वित्त पोषण का लाभ नहीं उठाया है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 के दौरान आर.ई.सी. स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन

क्र.सं.	राज्य	निम्नलिखित के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या			निम्नलिखित के अंतर्गत ऊर्जीकृत पंपसैटों की संख्या			
		सामान्य	एमएनपी	कुल	सामान्य	एमएनपी	एसपीए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश				7372		95606	102978
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	29	45				
3.	असम	14		14				
4.	बिहार	71	144	215	1563	714	315	2592
5.	गोवा							
6.	गुजरात				2391		9869	12260
7.	हरियाणा				4181		4511	8692
8.	हिमाचल प्रदेश				92			92
9.	जे एंड के	3		3	216			216
10.	कर्नाटक				15718			15718
11.	केरल				550		11228	11778

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	226	379	605	45025	677	4496	50198
13.	महाराष्ट्र				2059		44225	46284
14.	मणिपुर	6	52	58				
15.	मेघालय	25	44	69				
16.	मिजोरम		50	50				
17.	नागालैण्ड							
18.	उड़ीसा	102	98	200	958	81	2202	3241
19.	पंजाब				5853		243	6096
20.	राजस्थान	413	330	743	10410	3399	5785	19594
21.	सिक्किम							
22.	तमिलनाडु				2707		35698	38405
23.	त्रिपुरा	30	25	55	100			100
24.	उत्तर प्रदेश	283	584	867	6738	3824		10562
25	प॰ बंगाल	248	182	430	1006	82	933	2021
26.	ओईसीएफ/को–आप॰/ एसपीडीजीएस							
	जोड	1437	1917	3354	16939	8777	215111	33.827

वर्ष 1992-93 के दौरान आर.ई.सी. स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्तीय प्रचालन (लाख रुपये में)

सामन्य		एम एन पी		ए पी ए			प्रणाली सुधार		कुल
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
140	1121			2360	1933	900	1761	3400	4815
120	240	210	210	0	0	50	0	380	450
150	276			0	0	100	0	250	276

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
360	313	885	64	0	0	50	0	1295	377
0	0			0	0	25	0	25	
700	743			1000	821	700	939	2400	2503
750	1359			190	224	500	540	440	2123
230	371			0	0	200	60	430	431
500	443			0	0	300	263	800	706
1284	2484			100	57	400	429	1785	2970
55	405			325	342	250	162	630	909
3703	6796	2045	1998	262	130	500	210	6510	9134
300	1378			2100	1093	900	830	3300	3301
130	179	880	550	0	0	50	0	1060	729
150	247	275	311	0	0	50	0	475	558
0	0	720	720	0	0	50	43	770	763
130	147			0	0	75	53	205	200
1000	293	1545	654	210	34	1000	98	3755	1079
475	568			185	59	400	433	1060	1060
2582	3008	1915	1916	353	289	400	591	5250	5804
270	212			0	0	50	108	320	320
160	549			1390	1065	900	886	2450	2500
330	343	80	115	0	0	50	18	460	476
1000	146	4500	2108	100	52	1600	1862	7200	4168
480	1081	1445	532	425	9	500	152	2850	1774
	0							2500	
15000	22702	14500	9178	9000	6108	10000	9438	51000	47426

विवरण-II

वर्ष 1993-94 के दौरान आर ई सी स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य	निम्नलिखित के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या			निम्नलिखित के अंतर्गत ऊर्जीकृत पंपसेटों की संख्या			
		सामान्य	एमएनपी	कुल	सामान्य	एमएनपी	एसपीए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश				5135		86350	91485
2.	अरूणाचल प्रदेश	17	33	50				
3.	असम			0				
4.	बिहार	24	166	190	1693	216		1909
5.	गोआ							
6.	गुजरात				5310		11520	16830
7.	हरियाणा				2238		1767	4805
8.	हिमाचल प्रदेश				148			148
9.	जे एंड के	6		6	210			210
10.	कर्नाटक				20039		3210	23249
11.	केरल				98		8538	8636
12.	मध्य प्रदेश	266	485	751	38281	197		38478
13.	महाराष्ट्र				1649		52612	54261
14.	मणिपुर	5	80	85				
15.	मेघालय		23	23				
16.	मिजोरम		50	50				
17.	नागालैण्ड				4			
18.	उड़ीसा	65	161	226	1615	475	517	2607
19.	पंजाब					5450	45	5495
20.	राजस्थान	390	362	752	11506	5062	5976	22544
21.	सिक्किम							
22.	तमिलनाडु				1658		38929	40587
23.	त्रिपुरा	15	165	180	90			90
24.	उत्तर प्रदेश	53	502	555	4523	7237		11760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	प. बंगाल	121	228	349	1240	53	638	1931
26.	को–आप/एमएमएच							
27.	ओईसीएफ							
	जोड़	962	2255	3217	100087	13240	210102	323429

वर्ष 1993-94 के दौरान आर ई सी स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय प्रचालन (लाख रूपयें में)

सामान्य		एम एन पी		एस पी ए		प्रणाली सुधार		कुल	
आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	3760			3300	4764	1000	1969	4900	10493
100	125	400	338			25	62	525	525
200		500				25		725	0
200	83	700	206			25		925	289
							25	25	0
1200	1259			1200	1232	1000	1167	3400	3658
450	1040			400	247	500	538	1350	1825
150	475					200	6	350	481
200	162					250	242	450	404
900	2824			700		300	688	1900	3512
300	1038			200	326	200	67	700	1431
3000	9386	1900	1936			500	899	5400	12221
600	1615			3050	3064	1000	968	4650	5647
152	162	1000	781			25		1175	943
100	110	450	100			50		600	210
		900	1155			50	72	950	1227
100	208					50	4	150	212
1000	0	1200	1592	50	109	750	662	3000	2363

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	1011				77	350	504	1100	1592
1800	3260	2700	2700	800	206	800	1055	6100	7221
150	280					50	37	200	317
800	1664			2300	2470	900	818	4000	4952
300	180	750	613			25		1075	793
1000	1854	4500	4912	200		1800	363	7500	7129
300	956	1000	720	300	8	250	69	1850	1753
2000								2000	
5000								5000	*
21350	31452	16000	15053	12500	12503	10150	10190	60000	69198

* संबंधित राज्यों में शामिल

विवरण-III

वर्ष 1994-95 के दौरान आइ ई सी स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन

क्र.सं.	राज्य	निम्नलिखित के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों संख्या			निम्नलिखित के अंतर्गत ऊर्जीकृत पंपसेटों की संख्या			
		सामन्य	एम एन पी	कुल	सामान्य	एम एन पी	एसपीए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश				5073		95695	100768
2	अरूणाचल प्रदेश	231	79	310				
3.	असम	0	170	170				
4.	बिहार	14	41	55	1470	276		1746
5.	दिल्ली							
6.	गोआ							
7.	गुजरात				1406		16595	18001
8.	हरियाणा				1982		1248	3230
9.	हिमाचल प्रदेश				150			150
10.	जे एंड के	50		50	667			667
11.	कर्नाटक				19239		36723	55962
12.	केरल				35		13000	13055

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मध्य प्रदेश	358	661	1019	45014	12		45026
14.	महाराष्ट्र				1556		80466	82022
15.	मणिपुर	3	66	69				
16.	मेघालय			0				
17.	मिजोरम		51	51				
18.	नागालैण्ड							
19.	उड़ीसा	50	173	223	236	500	2000	2736
20.	पंजाब				10224			10224
21.	राजस्थान	350	400	750	9500	5800	5000	20300
22.	सिक्किम							
23.	तमिलनाडु				828		39789	40617
24.	त्रिपुरा	23	122	145	8	32		40
25.	उत्तर प्रदेश	44	367	411	8382	7153		15535
26.	प॰ बंगाल	56	244	300	975	30	343	1348
27.	को–आप/एमएमएच							
28.	ओइंसीएफ							
29.	कुटी ज्योति							
30.	विंड एनर्जी							
31	लीजिंग							
	जोड़	1179	2374	3553	106745	13803	290859	411407

वर्ष 1994-95 के दौरान आर ई सी स्कीमों के अंतर्गत कार्यक्रमवार वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन

(लाख रू॰ में)

वित्तीय प्रचालन									
सामान्य		एम एन पी		एम पी ए		प्रणाली सुधार		कुल	
आबंटन	वितरण	आबटन	वितरण	आबटन	वितरण	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1000	2300			3873	5406	2500	5108	7373	12814
100	2748	400	462			50		550	3210
200	3100	500	500			25		725	3600

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	288	300	300			25		475	588
						100		100	0
						25		25	0
1500	978			1382	1386	1500	2045	4382	4409
600	779			316	260	500	560	1416	1599
350	1009					250	298	600	1307
150	720					250	206	400	926
1000	1122				1959	500	1923	1500	5004
500	821				385	300	391	800	1597
3000	12196	1900	1900			400	2062	5300	16158
1500	1960			3254	5384	1500	1957	6254	9301
340	33	675	676			25		1040	709
350		250				25		625	0
		720	720			50	99	770	819
100	11					50		150	11
500	131	800	800		206	1200	593	2500	1700
1000	2125					400	348	1400	2473
2700	3565	2200	2160	593	444	1000	1535	6593	7704
50						50	30	100	30
700	2916			3082	2353	1500	2510	5282	7779
395		705	648			25		1185	648
2500	2628	6500	6500			1800	125	10800	9253
600	782	1050	1050		19	450	38	2100	1889
								3200	
								0	607
								0	3013
								0	5230
								0	0

विवरण-IV

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरित अनुदान सहायता की राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	निम्नलिखित वर्षो के दौरान संवितरित अनुदान सहायता की राशि		
		1992–93	1993–94	1994–95 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22.72	93.85	109.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.32	3.08	0.62
3.	असम	0.00	0.00	8.60
4.	बिहार	0.00	71.80	26.18
5.	गोआ	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	19.12	25.36	12.68
7.	हरियाणा	2.26	10.26	2.83
8.	हि. प्रदेश	0.82	1.08	1.08
9.	जे. एंड के.	0.00	0.00	0.78
10.	कर्नाटक	29.36	488.96	97.48
11.	केरल	15.60	10.36	0.13
12.	मध्य प्रदेश	64.92	201.42	262.08
13.	महाराष्ट्र	24.64	52.50	36.71
14.	मणिपुर	0.22	0.28	0.21
15.	मेघालय	1.14	2.66	1.52
16.	मिजोरम	0.36	1.32	8.00
17.	नागालैण्ड	0.40	0.92	0.34
18.	उड़ीसा	21.84	21.04	14.48
19.	पंजाब	1.94	4.50	2.40
20.	राजस्थान	0.00	76.55	7.12
21.	सिक्किम	0.20	10.24	9.80
22.	तमिलनाडु	41.24	88.36	85.00

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	0.00	2.52	3.08
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	20.00
25.	पश्चिम बंगाल	34.74	46.08	3.79
	जोड	283.84	1213.14	714.45

समुद्र के अन्दर पाइप लाइन

78. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 1953–54 के दौरान जवाहर द्वीप और मुम्बई पत्तन की मुख्य भूमि के बीच समुद्र के अन्दर से पाइप लाइन बिछायी गई थी;

(ख) क्या इन पाइप लाइनों को शीर्घ बदलने की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) जी हां। सरकार ने जवाहर द्वीप मै. मैरिन तेल टर्मिनल और बम्बई पत्तन में बहुमुखी पीर पाऊ को जोड़ने वाली मौजूदा बहुत पुरानी सात समुद्री पाइप लाइनों को 165.15 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर बदलने के लिए मार्च, 1995 में स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना का कार्यान्वयन बम्बई पत्तन न्यास द्वारा किया जाना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खनन

79. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान में खनन पट्टा अवधि और इस खनन के लिए न्यूनतम खनन क्षेत्र में वृद्धि की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सन् 2000 तक, विशेष रूप से राजस्थान में खनिज क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसरों के सृजन होने की संभावना है;

(घ) क्या राजस्थान में खनन पट्टा अवधि मंजूर करने, इसका नवीकरण और अंतरण करने संबंधी कोई समय–सीमा निर्दिष्ट की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में पृथक बर्थ

80. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से विशाखापत्तनम पत्तन पृथक बर्थ स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत और इससे संबंधित अन्य जानकारी का क्या ब्यौरा है; और

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा इतनी अधिक वित्तीय लागत की मांग करने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) विशाखापट्नम पत्तन में पृथक बर्थ की स्थापना करने के लिए विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन कार्गो की सम्भाल के लिए सिर्फ वी.एस.पी. के उपयोग के लिए गंगावरम में जेटी सुविधा की स्थापना करने के लिए वी.एस.पी. का प्रस्ताव है। विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टणम पत्तन न्यास और अन्य संबंधित

एजेंसियों के परामर्श से जेटी सुविधा के निर्माण और प्रचालन के लिए मोडेलिटि तैयार कर रहा है।

[हिन्दी]

राज्य में पथकर

81. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री रमेश चेन्नितल्ला :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क उपयोगकर्ताओं और अन्य लोगों से पथकर/कर वसूल करने के लिए 1992 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया था;

(ख) किन–किन राज्यों में पथकर समाप्त कर दिया गया है और किन–किन राज्यों में यह कर अभी भी वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार उन राज्यों में प्राइवेट अनुबन्धों के जरिये अन्य करों के रूप में यह कर वसूल कर रही है जहां यह कर समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रकार के ठेके देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं; और

(च) सरकार को इस से प्रति वर्ष कितनी आमदनी हो रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनिमय, 1956 को 1.1.93 सै संबोधित किया गया था ताकि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का उपयोग करने वाले प्रयोक्ताओं पर शुल्क लगा सके। यद्यपि पुलों पर शुल्क लगाया जाता है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर अभी तक ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और गाजियाबाद के बीच ट्राम सेवा

82. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और गाजियाबाद के बीच ट्राम सेवा शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सेवा कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त सेवा पर कितनी लागत आने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव की व्यावहार्यता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। चूंकि यह प्रस्ताव जांच के प्रारम्भिक स्तर पर है, अतः अभी से इसकी लागत और सेवा शुरू किए जाने की समय सारणी के बारे में बताना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव

83. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटित धनराशि में से कितनी राशि व्यय होने की संभावना है और यह किन–किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय की जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1995–96 के लिए 7950.00 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में अभी तक रख–रखाव के लिए 996.00 लाख रु. आबंटित किए जा चुके हैं।

(ख) व्यय संबंधी आंकड़ों का वित्त वर्ष के अंत में पता चलेगा। यह व्यय राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 56 पर किए जाने की संभावना है।

शीतल पेयों के मूल्यों में वृद्धि

84. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्रीमती भावना चिखलिया
श्री रामपाल सिंह :
श्री रवि राय :
श्री मोहन रावले :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शीतल पेयों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनके मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बजट में शीतल पेयों पर उत्पाद–शुल्क में छूट दी थी ताकि इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके;

(घ) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शीतल पेयों के मूल्यों में कमी करने के स्थान पर इसमें वृद्धि किए जाने का औचित्य क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स पेप्सी फूड्स लि. और मैसर्स कोका कोला के फ्रैंचाइज/बॉटलरों द्वारा बनाए जाने वाले शीतल पेयों की कीमतें बढ़ गई हैं। बहरहाल, मैसर्स कैडबरीज़, शिविप्स के उत्पादों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) उद्योग ने उल्लेख किया है कि शीतल पेयों की कीमतों में बढ़ोत्तरी का कारण मुद्रास्फीति और उसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, बोतलों पर उपलब्ध मूल्य ह्रास लाभों में कमी आना आदि है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के बजट में वातित जल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 50 प्रतिशत यथामूल्य से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ङ) शीतल पेयों की कीमतें मंत्रालय द्वारा नियंत्रित नहीं की जातीं। लेकिन उद्योगों को सलाह दी गई है कि वे इस बात का सुनिश्चय करें कि उत्पाद शुल्क में दी गई रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

महाराष्ट्र में पुलों का निर्माण

85. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किसी पुल के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका नामवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुलों के निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के लिए अनुमोदित 24 पुलों की एक सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त पुल, निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनके अतिरिक्त 7वीं योजना के दो कार्य प्रगति पर हैं। उनके बारे में संलग्न विवरण–II में बताया गया है।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के लिए अनुमोदित पुल निर्माण कार्यों की सूची

क्रम सं.	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के लिए अनुमोदित पुलों के नाम	
1	2	3
1.	अहमद नगर जिला सीमा से पंढरपुर (सीलमपुर जिला) तक अहमदनगर कालम्बा–तेमभुरनी–पंढरपुर–मंगलवेदह सड़को खंड पर 29 सी डी निर्माण कार्यों, 4 छोटे पुलों तथा एक बड़े पुल का निर्माण।	

1	2	3
2.	नन्दगांव (के एच)–चन्दूर रेलवे–कुरहा–कोन्विन्यापुर–आरवी सड़क, राज्यीय राजमार्ग–241 (आरावती जिला) पर वर्धा नदी पर बड़े पुल का निर्माण।	
3.	बुल्धना–धाड़ सड़क, राज्यीय राजमार्ग 198 (बुल्धना जिला) पर सी डी निर्माण कार्यों और छोटे पुलों का निर्माण।	
4.	अंजनगांव–मुरताजपुर–करंजा–दरवाहा–यवतमल सड़क (राज्यीय राजमार्ग–212 यवतमल जिला) पर दो छोटे पुलों का निर्माण।	
5.	सकोली–इकोही–देवड़ा सड़क, राज्यीय राजमार्ग 228 (भण्डारा जिला) पर छोटे पुलों का निर्माण।	
6.	रेनापुर–उदगिर–बेगलूर सड़क, राज्यीय राजमार्ग 168 (लातूर जिला) पर 16/200 कि.मी. में बामनी नाले पर पुल का निर्माण।	कार्य पूरा हो चुका है।
7.	जलगांव जमोद–तुनकी–हिवार खेड़ सड़क, राज्यीय राजमार्ग 195 (बुल्धना जिला) पर तुनको गांव के समीप तुनको नाले पर पुल कर निर्माण।	
8.	खानगांव–पिम्पलोगांवराजा–निपना–तरवाड़ी सड़क राज्यीय राजमार्ग 188 (बुल्धना जिला) पर दो छोटे पुलों का निर्माण।	
9.	लामजान–पाती–हसेगांव–खोन्टेगांव–कावा–लातूर सड़क (लातूर जिला) के एम डी आर 37 पर छोटे पुलों का निर्माण।	
10.	आबलागई–मण्डवा–माण्ड खेल–नाथरा सड़क, एम डी आर 29 (बीड़ जिला) पर सी डी निर्माण कार्यों और छोटे पुलों का निर्माण।	कार्य पूरा हो चुका है।
11.	नईचाकुर–आमेर्गा–बेगड़ा–दिघी सड़क, एम डी आर–37 (उस्मानाबाद जिला) पर बेनीतुरा पर एक बड़े पुल का निर्माण।	कार्य पूरा हो चुका है।
12.	घाटनानोपुर–वाधे बामुलगांव सड़क ओ डी आर 85 (बीड़ जिला) पर सी डी निर्माण कार्यों और छोटे पुलों का निर्माण।	
13.	कालगांव–खराडे–कोनेगांव–सिरवाडे सड़क ओ डी आर–114 (सतारा जिला) पर अवगाहन–क्षम पुल का निर्माण।	कार्य पूरा हो चुका है।
14.	खरवते–गुलवाने सड़क (रत्नगिरी जिला) पर गुलवाने के निकट पुल का निर्माण।	
15.	डिगरस–देवगांव–असीगांव सड़क ओ डी आर 30 (नान्देड़ जिला) पर पुल का निर्माण।	

1	2	3
16.	उमारी–डिगरस–मन्डवा सड़क ओ डी आर (वर्धा जिला) पर 2 छोटे पुलों का निर्माण।	कार्य पूरा हो चुका है।
17.	गोंडो–डिगरस–वेनी–कोनी सड़क ओ डी आर–10 (नागपुर जिला) पर रजनी के निकट 2 छोटे पुलों का निर्माण।	
18.	घुर्डी–मगेझरी सड़क ओ डी आर–35 (भंडारा जिला) पर छोटे पुल का निर्माण।	
19.	शिरवाल–दरिस्ते सडक ओ डी आर 22 (सिंधुदर्ग जिला) पर दरिस्ते नदी पर पुल का निर्माण।	
20.	राधानगरी तालुक (कोल्हापुर जिला) में शोलाकंपुरपडेवाड़ी सड़क ओ डी आर 83 पर दुधगंगा नदी पर बड़े पुल का निर्माण।	
21.	मंगलबेढ़ा–पारे–वई–फालेजठ–बेलुर बसर्गी–एगली सड़क एस एच–।। (सांगली जिला) पर अधूरे सी डी कार्यों और छोटे पुलों का निर्माण।	
22.	वांगनी–पशोन सड़क ओ डी आर 106 (थाणे जिला) पर उरहास नदी पर पुल का निर्माण।	
23.	ववोणी–जम्मीवली सड़क ओ डी आर 44 (रायगढ़ जिला) पर पुल का निर्माण।	कार्य पूरा हो चुका है।
24.	तारकर्ली क्रीक पर कोरजी के निकट पुल का निर्माण।	

विवरण-II

(सातवीं योजना कार्य)

क्रम सं.	सी आर एफ स्कीम क तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए अनुमोदित पुल का नाम
25.	जालना जिले में लाओनी–सबन्गी सड़क पर गोदावरी नदी पर पुल।
26.	बुलधाना जिले में खामगार–मटारगर छागेफल सड़क पर पुर्ना नदी पर पुल।

राष्ट्रीय जलमार्ग

86. **श्री काशीराम राणा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जलमार्गों का समुचित ढंग से रख–रखाव नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने परिवहन की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए जलमार्गों के समुचित रख–रखाव की आवश्यकता को महसूस किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) द्वारा चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय जलमार्गों का रख–रखाव और सुधार किया जा रहा है जो

संसाधनों, भौतिक सक्षमताओं तथा अन्य परिसीमाओं पर निर्भर है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है और इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास तथा रख–रखाव के लिए कदम उठाए हैं। ये तीन राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. I के रूप में हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली (1620 कि.मी.)।

(2) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. II के रूप में बंगलादेश सीमा से सैदिया तक के बीच ब्रहमपुत्र (891 कि.मी.)।

(3) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. III के रूप में उद्योग मंडल नहर (23 कि.मी.) और चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) सहित कोल्लम से कोटापुरम तक पश्चिमी तटीय नहर (168 कि.मी.)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ और अधिक जलमार्गों नामतः "सुन्दरबन", "गोदावरी" तथा "गोवा जलमार्ग" को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु अल्पावधि (आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान) और दीर्घावधि (8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद) के आधार पर कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। अल्पावधि कार्य योजना के तहत 2.00 मी. एल. ए. डी. वाले नौचालन योग्य चैनल के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग I तथा II का विकास करने का प्रस्ताव है। इन दोनों जलमार्गों को वर्ष में न्यूनतम 300 दिन अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए खुला रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अल्पावधि कार्य योजना के तहत पश्चिमी तटीय नहर में जलमार्ग में नौचालन योग्य 2.00 मीटर गहराई की योजना बनाई गई है। आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे टर्मिनल, नौचालन उपकरण, तट संरक्षण आदि की व्यवस्था करने की भी योजना बनाई गई है। उक्त राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त कुछ नए जलमार्ग जैसे गोदावरी नदी, गोवा के जलमार्ग, सुन्दरबन के अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर स्ट और बरक नदी को राष्ट्रीय जलमार्गो के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है। दीर्घावधि योजना के तहत मौजूदा जलमार्गों अर्थात् गंगा और ब्रह्मपुत्र का कार्गो की पेशकश के आधार पर 3 मीटर एल. ए. डी. और अधिक चौड़ाई का चैनल प्रदान करके बड़े पोतों के नौचालन और यंत्रीकृत टर्मिनल और रात्रि नौचालन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार पश्चिमी तटीय नहर में रात्रि नौचालन सुविधाओं और यंत्रीकृत टर्मिनलों के साथ समस्त राष्ट्रीय जलमार्ग में चैनल को और गहरा करने का प्रस्ताव है।

विदेशों में हिन्दी को प्रोत्साहन

87. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों में मिशनवार कितने व्यक्तियों को हिन्दी सिखायी गयी; और

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) विदेश स्थित अपने मिशनों के माध्यम से हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने की मंत्रालय की एक सुविचारित योजना है। इस योजना के अंग के रूप में मानक साहित्य हिन्दी के पठन–पाठन का कार्य करने वाली स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं, शैक्षिक संगठनों आदि को भेजा जाता है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास, धर्म दर्शन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखी पुस्तकें शामिल होती हैं। हिन्दी को पाठ्यपुस्तकें, चार्ट, श्रृव्य–दृश्य वीडियो कैसेट जैसी शिक्षण सहायता सामग्री, हिन्दी टाइपराइटर, कम्प्यूटर, सोफ्टवेयर आदि भी ऐसी संस्थाओं को निःशुल्क भेंट करने के लिए भेजे जाते हैं। हमारे मिशन स्थानीय संगठनों, भारतीय समुदाय आदि के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखते हैं और उन्हें यह सामग्री भेंट करके हिन्दी भाषा से सम्बद्ध उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। आगरा स्थित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रावृत्तियों हेतु विदेशी छात्रों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए हमारे मिशन स्थानीय विश्वविद्यालयों से भी सम्पर्क करते हैं। कुछ हमारे मिशन हिन्दी सम्मेलन, साहित्यिक आयोजन, हिन्दी का ज्ञान रखने वाले स्थानीय छात्रों को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी निबन्ध/वाद–विवाद प्रतियोगिता को आयोजन करते रहे हैं जबकि कुछ अन्य मिशन हिन्दी सीखने के इच्छुक स्थानीय लोगों के लिए हिन्दी कक्षाएं भी लगाते हैं।

विवरण

क्रम सं.	मिशन का नाम	1992–1993	1993–1994	1994–1995	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारत का हाई कमीशन, इलाहाबाद	35	35	53	भारत आस्थानी कर्मचारियों के बच्चे
2.	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट ऑफ स्पेन	36	30	39	सामान्य व्यक्ति
3.	भारत का राजदूतावास, मास्को	84	100	124	सामान्य व्यक्ति
4.	भारत का प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क	29	20	45	सामान्य व्यक्ति
5.	भारत का हाई कमीशन, कोलोम्बो	–	338	433	सामान्य व्यक्ति
6.	भारत का राजदूतावास, यांगोन	250	250	250	सामान्य व्यक्ति
7.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो	7	9	12	सामान्य व्यक्ति
8.	भारत का हाई कमीशन, जार्जटाउन	63	65	73	सामान्य व्यक्ति
9.	भारत का राजदूतावास, मनीला	28	19	15	सामन्य व्यक्ति
10.	भारत का राजूदतावास, उलान बटोर	–	–	14	सामान्य व्यक्ति
11.	भारत का प्रधान कोंसलावास, शिराज	2	2	2	सामन्य व्यक्ति
12.	भारत का राजदूतावास, द हेग	–	10	8	सामान्य व्यक्ति
13.	भारत का हाई कमीशन, नैरोबी	–	21	48	सामान्य व्यक्ति
14.	भारत का हाई कमीशन, विंडहोक	12	12	9	भारत आस्थानी कर्मचारियों के बच्चे
15.	भारत का हाई कमीशन माहे	–	–	18	सामान्य व्यक्ति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	भारत का हाई कमीशन, गैबरोन	15	18	24	सामान्य व्यक्ति
17.	भारत का राजूदतावास, काहिरा	14	24	32	सामान्य व्यक्ति
18.	भारत का राजदूतावास, बुडापेस्ट	11	–	–	भारत आस्थानी कर्मचारियों के बच्चे

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

88. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) 16.1.1992 से लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करने के बाद मुख्य इस्पात उत्पादक आदान लागत, उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और विद्यमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों के मूल्य स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। गौण इस्पात उत्पादक इस तारीख से पहले भी अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे। तथापि, सरकार ने विभिन्न उपाए किए हैं जिनसे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि लोहे और इस्पात के उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकें। कुछ उपाय निम्नलिखित है

(1) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य आरम्भ किया गया है और निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथा इसके लिए सुविधा दी जा रही है। भारी संख्या में उत्पादकों से लोहे और इस्पात की अधिक उपलब्धता से लोहे और इस्पात के मूल्यों पर सन्तुलित प्रभाव पड़ने की आशा है।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात और लोहा एवं इस्पात उत्पादकों की उत्पादन लागत को कम करने में सहायक पूंजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क में कम करना।

(3) लोहे और इस्पात का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है। लोहे और इस्पात के उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी करने से इस प्रकार के आयात की उतराई तक लागत कम हो गई है।

[अनुवाद]

गुजरात में कोयले और गैस की मांग

89. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रत्येक विद्युत संयंत्र हेतु कोयले और गैस की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितने कोयले और कितनी गैस की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या कोयले और गैस की आपूर्ति में कोई कमी आई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1992–93 से 1994–95 तक गुजरात के विद्युत केन्द्रों में गैस का आबंटन और आपूर्ति तथा कोयले की आवश्यकता, प्राप्ति और कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण–I एवं II में दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात में कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए वर्ष 1995–96 के लिए कोयले की आवश्यकता 14.46 मि.टन आंकी गई थी। लगभग 13.63 मि. टन कोयले की मात्रा आपूर्ति किए जाने की प्रत्यासा है। चूंकि गुजरात

में विद्युत केन्द्र रेल मार्गों के द्वारा कोयला प्राप्त करते हैं तथा ये केन्द्र सम्बद्ध कोयला खानों से दूरवर्ती स्थानों पर स्थापित हैं। अतः कोयला आपूर्ति में और गिरावट आने की सम्भावना है। तथापि, गुजरात के यूटिलिटियों समेत कुछ यूटिलिटियों को कोयला आयात करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सलाह दी गई है, ताकि कोयला आपूर्ति में होने वाली प्रत्याशित कमी को पूरा किया जा सके। ताप विद्युत केन्द्रों को की जाने वाली कोयले आपूर्ति की सरकार द्वारा भी निरन्तर मानीटरिंग की जाती है। विद्युत संयंत्रों में की जाने वाली गैस आपूर्ति में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध प्रतीत नहीं होता है। तथापि, एनटीपीसी की कवास यूनिट स्वीकृत प्राकृतिक गैस के आधार पर चलाने हेतु डिजायन की गई है, जल तक की एचवीजे पाइप लाइन के उच्चीकरण के कारण गैस की उपलब्धता में अधिवृद्धि की जाती है।

विवरण-I

गत वर्षों के दौरान गुजरात के कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की मांग, वास्तविक प्राप्ति तथाप्राप्ति में कमी

ताप विद्युत केन्द्रों	1992–93			1993–94			1994–95		
का नाम	आवश्यकता	प्राप्ति	कमी	आवश्यकता	प्राप्ति	कमी	आवश्यकता	प्राप्ति	कमी
ए.ई. कम्पनी	1378	1226	(–) 152	1575	1327	(–) 248	1490	1338	(–) 152
गांधी नगर	8430	2326	(–) 104	2800	2329	(–) 271	2500	2300	(–) 180
उकाई	2972	3057	(+) 85	3450	3118	(–) 332	3330	2766	(–) 544
वानखोरी	4920	4522	(–) 392	4980	4347	(–) 333	5050	4744	(–) 31
सिक्का (प्रतिष्ठापन)	551	392	(–) 159	750	546	(–) 204	970	848	(–) 126
जोड़ :	12251	11523	(–) 728	73555	11666	(–) 7688	13340	12030	1310

विवरण-II

गुजरात में विद्युत केन्द्रों को गैस का आबंटन तथा आपूर्ति

उपभोक्ता	आबंटन	आपूर्ति		
		1992–93	1993–94	1994–95
ए. ई. कम्पनी	0.4	0.37	0.35	0.35
जीईबी	–	–	–	–
उत्राण	0.7	0.3	0.6	0.58
धुवरन	0.5	0.43	0.43	0.42
जीआईपीसीओ	0.7	0.53	0.57	0.58
एनटीपीसी				
गन्धार	2.25	–	–	–
कवास	2.19	–	1.36	1.16

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा लम्बी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हासिल किया जाना

90. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पाकिस्तान ने लम्बी दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र हासिल कर लिये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने मिसाइलें प्राप्त कर ली हैं जिनमें एम–11 मिसाइलें भी हैं।

अपनी जायज रक्षा जरूरतों से ज्यादा हथियार प्राप्त करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रयासों को लेकर सरकार चिन्तित है।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

विद्युत नीति की समीक्षा

91. **श्री तारा सिंह** :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्लानिंग बोडी टें रिब्यू पावर पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश की खुली नीति पर नए सिरे से विचार करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य भत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भवन कानून के लिए संहिता

92. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सभी शहरो के लिए भवन कानून निर्माण कानून संबंधी समान संहिता बनाने का है;

(ख) सभी शहरों मे समान भवन निर्माण साहता का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) देश भर में समान भवन निर्माण सहिता कब तक लागू कर दी जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) शहरी विकास राज्य का विषय है तथा शहरो के लिए भवन निर्माण उप–नियम सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते है। राज्य एव कस्बों की विकास पद्धतियो एव अपेक्षाएं अलग–अलग होती हैं। नगर निगमो, नगर परिषदो एव नगर पंचायतों जैसे शहरी स्थानीय निकायों की विभिन्न श्रेणियो के लिए भवन निर्माण विनियमो को निर्धारित करना राज्य सरकारों का काम है।

[हिन्दी]

तांबे की खानों का बन्द किया जाना

93. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चमोली जिले में रुद्रप्रयाग–रतूरा मार्ग स्थित "ताबा खान" के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताम्बा खान, जिसे अभी भी "तांबा खान" के नाम से जाना जाता है, बद कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) क्या सरकार ने इस खान को पुन चालू करने की दृष्टि से इसका कोई सर्वेक्षण कराया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पटना-इलाहाबाद-दिल्ली जलमार्ग

94. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना–इलाहाबाद–दिल्ली को जलमार्ग से जोड़ने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यमुना नदी के उक्त जलमार्गों के कब से चालू हो जाने की सभावना है ?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इलाहाबाद होते हुए पटना को दिल्ली से जलमार्ग से जोडने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, पटना और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी वाले जलमार्ग का अध्ययन करके इसे राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 के एक भाग के रूप मे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है, जो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच फैला हुआ है।

गन्दी बस्तियों को वित्तीय सहायता

95. **श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंदी बस्ती के निवासियों के लिए परियोजनाएं शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनेक देश तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में उनको प्रस्ताव भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हा, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुगन) : (क) **और** (ख) कुछ विदेशी देश भारत के नगरो मे अनेक स्लम सुधार परियोजनाओं में सहायता कर रहे हैं। ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यू.के.) द्वारा आन्ध्र प्रदेश मे तीन तथा मध्य प्रदेश और प. बंगाल में एक–एक स्लम सुधार परियोजनाओ की पहले ही से सहायता की जा रही है। हाल ही मे केरल और उड़ीसा में ओ.डी.ए. की वित्तीय सहायता से दो और स्लम सुधार परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इसी तरह, नीदरलैंड सरकार द्वारा कर्नाटक में बंगलौर शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम परियोजना को सहायता दी जा रही है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने 23 जिला मुख्यालयों, कस्बों तथा तेजी से बढ़ते हुए शहरी केन्द्रों के लाभान्वयन हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की थी। अब राज्य सरकार ओ.डी.ए. की सिफारिश पर राज्य की 32 श्रेणी–I कस्बों को शामिल करते हुए एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है।

[अनुवाद]

गोपालपुर पत्तन

96. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिज एव धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा मे गोपालपुर लघु पत्तन को बड़े पत्तन में बदलने का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नही हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि

97. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार केन्द्रीय सड़क निधि से तमिलनाडु को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या तमिलनाडु को केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि से मंजूर की गई धनराशि में से भारी धनराशि अभी भी जारी की जानी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्षवार और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष राशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से तमिलनाडु को आबंटित धनराशि इस प्रकार है :

वर्ष	धनाशि (लाख रु.)
1992–93	50.00
1993–94	80.00
1994–95	505.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह धनराशि, संभावित जमाराशि के अनुसार बजटगत प्रावधानों को उपलब्धता तथा स्वीकृत स्कीमों की प्रगति के अध्यधीन वर्ष दर वर्ष आधार पर जारी की जाती है।

सरकारी आवास

98. **श्री के.जी. शिवप्पा :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई है;

(ख) देश में कुल कितने सरकारी फ्लैट उपलब्ध हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया; और

(घ) बारी से और बिना बारी के किए जा रहे आबंटन का अनुपात क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) देश में उपलब्ध साधारण पूल फ्लैटों की कुल संख्या 91,498 है।

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए सरकारी फ्लैटों की कुल संख्या 5052 है।

(घ) टी.बी. अथवा कैंसर से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के जैसे चिकित्सा आधार को छोड़कर आजकल कोई भी बिना बारी आबंटन नहीं किया जा रहा है।

इस्पात का उत्पादन

99. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस्पात मंत्रालय के बजट आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात का और अधिक उत्पादन सुनिश्चित कराने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के लिए बजटीय आबंटन वृद्धि करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए/अपनाए गए उपाय हैं। निजी क्षेत्र इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी विभिन्न नीतिगत उपाए किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना;

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत सामान के आयात पर से सीमा शुल्क कम करना; और

(6) आयात–निर्यात नीति का उदारीकरण।

इंडिया लीग

100. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री कृष्णा मेनन द्वारा इंगलैंड में "इंडिया लीग" नामक संगठन की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के पदधारक कौन–कौन हैं और वे कितने समय से अपने–अपने पदों पर हैं;

(ग) क्या भारतीय उच्चायोग की इस संगठन में कोई भूमिका है;

(घ) यदि हां, तो इसका संगठन पर किस तरह का नियंत्रण है;

(ङ) 31 मई, 1995 को इसमें कुल कितने सदस्य थे;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने नये सदस्य बनाये गये; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके द्वारा कुल कितना चंदा एकत्र किया गया और कितना बकाया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इसके पदाधिकारी नीचे लिखे अनुसार हैं :

अध्यक्ष	सर्वश्री मिचैल फूट
सभापति	जूलियस सिल्वरमैन
अवैतनिक महासचिव	एस एन गौरीसारिया
अवैतनिक कोषाध्यक्ष	रिक्त (कोषाध्यक्ष टी. जैड. कारास्को का इस वर्ष निधन हो गया था और नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हुई है।)

ये पदाधिकारी कई वर्षों से अपने पदों पर कार्यरत हैं।

(ग) द इंडिया लीग लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन से स्वतंत्र एक स्वैच्छिक न्यास है। परन्तु भारत के हाई कमीशन का इंडिया लीग से निकट एवं पारंपरिक संबंध रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) द इंडिया लीग के अवैतनिक महासचिव के अनुसार 31 मई, 1995 की स्थिति के अनुसार द इंडिया लीग के 1950 सदस्य हैं।

(च) अवैतनिक महासचिव के अनुसार गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 300 नए सदस्य बनते हैं।

(छ) यह द इंडिया लीग का अपना मामला है और सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

हावड़ा पुल

101. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हुगली नदी पर स्थिति 58 वर्ष पुराने हावड़ा केंटीलीवर पुल में विशेष रूप से पक्षियों द्वारा घोंसले बनाए जाने के कारण जंग लग रहा है;

(ख) क्या कलकत्त पत्तन न्यास ने पुल को होने वाली क्षति के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इस मामले में कलकत्ता पत्तन न्यास के साथ मिलकर कार्य करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सितम्बर, 1983 में कलकत्ता पत्तन न्यास ने इस पुल का विस्तृत निरक्षण करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए मै. राइट्स को नियुक्त किया था। कलकत्ता पत्तन न्यास ने मै. राइट्स की सिफारिश के आधार पर इस पुल की मरम्मत आदि के लिए वास्तविक ठेकेदार मै. ब्रेथपेट, बर्न एण्ड जैसोप (बी बी जे) कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. को नियुक्त किया है।

(घ) हावड़ा सेतु अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत रवीन्द्र सेतु आयुक्त, इस पुल की प्रभावी देखरेख और रख–रखाव के संरक्षक हैं। रवीन्द्र सेतु आयुक्त और कलकत्ता पत्तन न्यास के मध्य घनिष्ठ समन्वय है।

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

102. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान इस्पात उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है;

(ख) क्या 1994–95 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए थे;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने और 1995–96 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) "सेल" के समझौता ज्ञापन जिसमें इसकी सहायक कम्पनियां भी शामिल हैं, में 1994–95 और 1995–96 के दौरान उत्पादन

इस्पात के उत्पादन के लिए क्रमशः 86.30 और 91.00 लाख टन का लक्ष्य है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विक्रेय इस्पात के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए "सेल" द्वारा उठाये जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आदानों की क्वालिटी में सुधार करना, उपस्करों की बेहतर उपलब्धता और उपयोग आदि शामिल हैं।

गुजरात में विदेशी सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

103. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आगामी वर्षो में गुजरात में विदेशी फर्मो की सहायता से विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां–कहां स्थापित की जाएंगी एवं इनकी क्षमता कितनी होंगी;

(ग) परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 655 मेगावाट की क्षमता वाले गधार गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र, विदेशी निवेश से बरूच जिले में फगुधन में अधिष्ठापित किया जा रहा है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 2350 करोड़ रु. है।

कच्चे लोहे का निर्यात

104. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश से बड़ी मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात किया गया और इससे देश को प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) क्या देश में कच्चे लोहे का आयात भी किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कच्चे लोहे का आयात किया गया और इस पर कितनी भारतीय मुद्रा खर्च हुई?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कच्चे लोहे की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है। पहले कच्चे लोहे का कोई निर्यात नहीं किया गया।

मात्रा (हजार टन)			मूल्य (करोड़ रुपये)		
1992–93	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)	1992–93	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
16	620	467	6	261	200

(ग) जी हां।

(घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान आयात किए गए कच्चे लोहे की मात्रा और उसका मूल्य निम्नानुसार है

मात्रा (हजार टन)					मूल्य (करोड रुपये)			
1990–91	91–92	92–93	93–94	94–95 (अनंतिम)	90–91	91–92	92–93	93–94
188.9	152.4	73.0	20.9	1.1	62.33	57.84	36.16	9.58
					94–95 (अनन्तिम)			

कोचीन शुष्क गोदी कार्यशाला

105. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोचीन शुष्क गोदी कार्यशाला बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला के बंद होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा कोचीन शुष्क गोदी कार्यशाला को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन पत्तन की शुष्क गोदी बन्द होने के कगार पर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लागू नहीं होता।

नए राष्ट्रीय राजमार्ग

106. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के दौरान कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से कुछ सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 1300 कि.मी. लम्बाई को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए केरल सरकार ने आठ प्रस्ताव भेजे हैं। तथापि, आठवीं पचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अल्प आबंटन होने के कारण फिलहाल किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

जालन्धर पासपोर्ट कार्यालय में नकली पासपोर्ट रैकेट

107. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जालन्धर पासपोर्ट कार्यालय में नकली पासपोर्ट तैयार किए गए थे जैसा कि 7 जुलाई, 1995 के "द ट्रिब्यून" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) 1992–93 के दौरान जालंधर पासपोर्ट कार्यालय ने कुछ ऐसे पासपोर्ट जारी किए थे जिन पर मूल आवेदकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के फोटो लगाए गए थे और मूल रिकार्ड में फेरबदल की गई थी। इस संबध में 5 जुलाई, 1995 को पुलिस प्राधिकारियों ने जालंधर पासपोर्ट कार्यालय के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और इन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया इनमें से एक नियमित कर्मचारी हैं और दो नैमित्तिक कामगार हैं। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और इस संबंध में जांच–पड़ताल चल रही है। गिरफ्तार किए नियमित कर्मचारी को मुअत्तल की कर दिया गया है और दोनों नैमित्तिक कामगारों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

काकीनाडा पत्तन पर लंगर डालने की सुविधाएं

103. **श्री एस.एम. लालजान लाशा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पत्तन पर लंगर डालने की सुविधाओं में सुधार करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले की पोत–परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) काकीनाडा में पत्तन सुविधाओं के विकास की एक परियोजना राज्य सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में द्वीप, 3 कार्गो बर्थों का निर्माण, निकर्षण, फ्लोटिंग क्राफ्ट,

माल प्रहस्तन उपकरण तथा अन्य अनुषंगी निर्माण कार्य शामिल हैं। इनकी सहायता से पत्तन साथ ही साथ 25000 डी डब्ल्यू टी तक वैसल हैंडल कर सकेगा। यह परियोजना अगस्त, 1996 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार महापत्तनों का विकास कार्य करती है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पत्तन एक ऐसा ही महापत्तन है। इस पत्तन के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में 250 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। मुख्य विकास योजनाएं (1) इनर हार्बर में अतिरिक्त बर्थों के निर्माण, (2) एल.पी.जी. का प्रहस्तन करने के लिए एक जेटी का निर्माण, और (3) आउटर हार्बर में एक बहुउद्देश्यीय बर्थ के निर्माण से संबंधित है।

अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति की कश्मीर यात्रा

109. **श्री मोहन रावले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को जम्मू और कश्मीर में प्रवेश निषेध होने के बावजूद वहां जाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के साथ इस संबंध मे किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को उन बंदी केन्द्रों में जाने की इजाजत देने पर सहमति व्यक्त की है जिनमें जम्मू और कश्मीर में व्याप्त स्थिति के संबंध में गिरफ्तार किये गए लोगों को रखा गया है। इस संबंध में भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के बीच 22.6.1995 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति को इन नजरबंदी केन्द्रों में जाने की अनुमति केवल मानवतावादी आधार पर ही दी गई है। इन नजरबदी केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के दौरो से नजरबंद व्यक्तियों की हैसियत प्रभावित नहीं होगी। समझौता ज्ञापन गोपनीयता पर आधारित है।

राज्यों में किराया न्यायाधिकरण की स्थापना

110. **डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में किराया संबंधी विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य स्तर पर किराया न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक किराया न्यायाधिकरण स्थापित कर दिया है;

(ग) क्या ऐसा कोई न्यायाधिकरण तमिलनाडु में कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) संविधान (75वां संशोधन) अधिनियम, 1993, 15.5.1994 को लागू हुआ जिसके तहत राज्यों को राज्य स्तरीय किराया न्यायाधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक किसी भी राज्य ने किराया न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फ्रांसीसी शिष्टमंडल की यात्रा

111. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने जून, 1995 के मध्य में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान हुए समझौतों और समझौता ज्ञापनों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर नियंत्रण के संबंध में कोई सहमति हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठता।

नर्मदा नदी में नौपरिवहन

112. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा नदी में नौपरिवहन की संभावना पर कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। नर्मदा नदी में होशंगाबाद से समुद्र (640 कि.मी.) तक के खंड के लिए 1982 में एक पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन तथा 1985 में एक व्यवहार्यता अध्ययन किया था।

(ख) और (ग) निष्कर्ष यह है कि इस नदी पर नियोजित चार प्रमुख बांधों अर्थात् सरदार सरोवर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध तथा नर्मदा सागर बांध के निर्माण के पश्चात् ही नौचालन संभव है। इसके अतिरिक्त नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर बांध के बहाव की दिशा में नौचालन के लिए कोई जल आबंटित नहीं किया है। इसलिए फिलहाल नौचालन संभव नहीं है।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय युद्ध बंदी

113. **श्री राम कापसे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पाकिस्तान द्वारा अपनी जेलों में युद्ध के दौरान बंदी बनाये गये भारतीय नागरिकों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन युद्ध-बंदियों को छुड़ाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इन कैदियों के भारत में रह रहे परिवारों की क्या सहायता की गई है?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि 54 लापता भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं। हमारे रक्षा कार्मिक 1965 और 1971 के युद्धों के बाद से लापता हैं।

सरकार उनकी रिहाई और भारत प्रत्यार्वतन के प्रश्न को पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाती रही है। ये प्रयास जारी हैं।

खेद है कि इस मानवीय मसले को हल करने के लिए भारतीय पक्ष की ओर से जो अनेक रचनात्मक प्रयास वर्षों से किए गए, पाकिस्तान ने उनका कोई सकारात्मक उत्तर नही दिया है। अगस्त 1992 में दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के छठे दौर में पाकिस्तान ने परस्पर संतोषजनक तरीके से इस चिरकालिक मसले को हल करने हेतु भारत के साथ तकनीकी स्तर के परामर्श शुरू करने का जो विशिष्ट वायदा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है।

दुर्भाग्यवश पाकिस्तान मानता है कि कोई भारतीय रक्षा कार्मिक उसकी हिरासत में नहीं है।

जिन 54 लापता रक्षा कार्मिकों के बारे में यह माना गया है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में है, सरकार न उनके परिवारों को उदारीकृत परिवार पेंशन, परिवार अनुदान और बच्चो के लिए शिक्षा भत्ता देने की व्यवस्था की है।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए अमरीकी प्रस्ताव

114. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओ की स्थापना हेतु अमरीकी प्रस्ताव के संबंध में अनिश्चितता बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनेक अमरीकी प्रस्तावों में भी विलम्ब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अमरीका के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से देश आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं लगाने के इच्छुक है, और

(च) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार आवास पर बिना बारी के आबटन के लिए दिशा-निर्देश

115. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास का बिना बारी के आबंटन करने के लिए कोई समितियां गठित की गई हैं और इन समितियों द्वारा ऐसे आबंटनों के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के बिना बारी आबंटनों हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए दो समितियां गठित की गई थीं। एक उच्चतर टाइप (टाइप IV/स्पेशल तथा इससे अधिक) और दूसरी निचली टाइप (टाइप I से IV) के लिए I तथापि, जहां तक ऐसे आबंटनों के प्रतिशत की अधिकतम सीमा और श्रेणियों सहित बिना–बारी आबंटन करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश बनाने की बात है। यह मामला फिलहाल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार इस समय बिना बारी आवंटन केवल कैंसर तथा टूबर क्लोसिस जैसी गम्भीर बीमारियों से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को ही चिकित्सा आधार पर किये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों का अपहरण

116. **श्री साइमन मरान्डी :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में हुए विदेशी पर्यटकों के अपहरण के बारे में कई देशों ने भारत की आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से देश हैं, जो इस संबंध में भारत पर दबाव डाल रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विदेशी पर्यटकों के अपहरण को लेकर किसी देश ने भारत की आलोचना नहीं की है।

(ख) कोई भी देश इस संबंध में संघ सरकार पर दबाव नहीं डाल रहा है।

[अनुवाद]

तपेदिक रोग की औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

117. **श्री ए. इन्दकरन रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिक रोग की औषधियां को औषधि मूल्य नियंत्रण अधिनियम 1995 के अर्न्तत लाने के बाद इनके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन तथ उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अन्तर्गत रिफैम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जिनका टी.बी. के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत हैं। ये औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 में भी मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत थीं। जबकि रिफैम्पिसिन के मामले में 9–6–95 से इसकी कीमत 5795 रु. प्रति किलोग्राम से घटाकर 5220 रु. प्रति किलोग्राम कर दी गई है, प्रपुंज औषध स्ट्रेप्टोमाइसिन का डी.पी.सी.ओ, 1995 के अन्तर्गत कोई मूल्य संशोधन नहीं किया गया है।

हज सेवाओं के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

118. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तीर्थयात्रियों के वास्ते हज सेवाओं के प्रबंध के लिए भारत से बड़ी संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करके जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों का सहयोग दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो हज 1995 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए श्रेणीवार अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले अधिकारयिों आदि के चयन की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) प्रतिनियुक्ति का कुल अनुमानित बजट क्या है तथा हज 1995 के दौरान उस पर खर्च की गई वास्तविक राशि कितनी है, यदि आंकड़े उपलब्ध हों तो?

विदेश मंत्रालय में राज्य में (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां। भारत सरकार प्रतिवर्ष हज अवधि के दौरान जद्दा स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को चिकित्सा और प्रशासनिक कार्मिक भेजती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रशसनिक कार्मिकों के मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से पात्र व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति के लिए आवदेन मांगे जाते हैं। किचकित्सा कार्मिकों के मामले में केन्द्रीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालयों से आवेदन मांगे जाते हैं। तत्पश्चात, अर्हताओं, उपयुक्तता और अनुभव के आधार पर चयन किया जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि नए कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति करते समय निरन्तरता बनाए रखने हेतु कर्मचारियों का एक संतुलित अनुपात हो। हमारे हाजियों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भारतीय भाषाओं के ज्ञान का भी ध्यान रखा जाता है।

(घ) हज 1995 के लिए भारत से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए चिकित्सा और प्रशासनिक कार्मिकों के वेतन, विमान किराया और अन्य भत्तों के संबंध में 86,57,23 रुपए का वास्तविक व्यय हुआ।

विवरण

हज 1995 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए प्रशासनिक और चिकित्सा कार्मिकों का विवरण

श्रेणी	कार्मिकों की संख्या	कुल मानव पहीने
चिकित्सक	34	86.5
अर्द्ध चिकित्सक	38	96.5
सहायक हज अधिकारी	13	32.5
हज सहायक	22	53

शर्तें

(एक) भारत में अनुमत वेतनमान में वेतन।

(दो) भारत के प्रधान कोंसलावास जद्दा में भारत आस्थानी कार्मिकों के अनुमत विदेशी भत्ते के बराबर विदेश भत्ता।

(तीन) जद्दा, मक्का, मदीना, मीना और अराफात में भारत के प्रधान कोंसलावास जद्दा द्वारा उपलब्ध कराया गया निःशुल्क आवास (साधारण रूप से सुसज्जित शिविर किस्म का)।

(चार) दिल्ली से जद्दा तथा वापसी के अनुमोदित मार्ग और अनुमत श्रेणी का बिमान कराया।

(पांच) वायुयान कम्पनी द्वारा सामान ले जाने के संबंध में दी गई निःशुल्क छूट के अलावा कार्मिक प्रादेशात्मक आदेशों के तहत एयर इंडिया द्वारा प्रति टिकट पर 80 किलोग्राम तक विमान से अपना सामान ले जा सकता है।

(छः) प्रत्येक कार्मिक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी पत्नि/पति अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य इस वर्ष हज के लिए नहीं जा रहा है। क्योंकि उनसे यह अपेक्षा होती है कि वह सऊदी अरब में भारतीय हाजियों को सेवाएं देने के लिए अपना सम्पूर्ण समय और शक्ति लगाए।

[हिन्दी]

खनन पट्टे

119. **श्री एन. जे. राठवा :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में खनन संबंधी पट्टी का बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के नवीनीकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की बिना पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) सूचना विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

120. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार का कुल कितना पूंजी निवेश है; और

(ख) 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान इस कम्पनी ने कुल कितना घाटा/लाभ दिखाया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारत सरकार ने 1994–95 तक कोचीन शिपयार्ड लि. में कुल 209.93 करोड़ रु. निवेश किए हैं।

(ख) कोचीन शिपयार्ड लि. द्वारा 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान दर्शाया गया घाटा/लाभ इस प्रकार है :

वर्ष	घाटा (–)/लाभ(+) (करोड़ रु.)
1992–93	(–) 7.95
1993–94	(–) 1.98
1994–95	(+) 10.34 (अनन्तिम)

[हिन्दी]

बैलाडिला में अनप्रयुक्त लौह अयस्क

121. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर में बैलाडिला लौह अयस्क क्षेत्र में वर्षों से पड़ी अनप्रयुक्त लौह अयस्क की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या इन अयस्कों से अब भी लोहा और इस्पात प्राप्त किया जाना संभव है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) खनन और प्रक्रमण के बाद उत्पादित लगभग 250 लाख टन अनप्रयुक्त लौह अयस्क चूरा एन. एम. डी. सी. की बैलाडिला क्षेत्र की खानों में पड़ा हुआ है।

(ख) जी, हां।

लगभग 250 लाख टन अनप्रयुक्त चूरे में से 180 लाख टन इस्पात संयंत्रों में प्रत्यक्ष रूप से सिन्टर में परिवर्तित करने के लिए और लोहे और इस्पात निष्कर्षण के लिए आगे प्रक्रमण हेतु उपयोग योग्य है।

शेष 70 लाख टन चूरा अच्छी क्वालिटी का नहीं है और इसमें लौहांश कम होता है। इसमें लौहांश में सुधार करने और अशुद्धता में कमी करने के लिए सज्जीकरण के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है।

(ग) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को चालू करने के बाद अच्छी क्वालिटी के चूरे के एक भाग को विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को सप्लाई करने के लिए बैलाडिला खानों के नए उत्पादन को संमिश्रित किया जा रहा है।

विशाखापट्टनम में स्थापित किए जा रहे पैलेटाइजेशन प्लांट में पैलेट में परिवर्तित करने के लिए चूरे की सप्लाई करने हेतु एन. एम. डी. सी. ने मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम पत्तन का विस्तार

122. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन में और अधिक लंगरगाहों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास प्राधिकरण ने पत्तन की विस्तार योजना में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया है और इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ–साथ बन्दरगाह में वर्तमान लंगरगाहों की संख्या कितनी है, अतिरिक्त लंगरगाहों के निर्माण का क्या कारण है, कितने अतिरिक्त लंगरगाहों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है, इन पर कितना खर्च आयेगा तथा इसके लिए वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी आदि; और

(घ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन में कुल 19 बर्थ हैं जिनमें से 14 आंतरिक बंदरगाह और 5 बाह्य बन्दरगाह में अवस्थित हैं। विशाखापत्तनम पत्तन द्वारा सन् 200001 तक हैंडल किए जाने वाले संभावित ट्रैफिक के अनुमानित स्तर को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करके निर्माण प्रचालन तथा हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) के आधार पर 5 अतिरिक्त बर्थों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इन 5 बर्थों में से 4 आन्तरिक बन्दरगाह में और एक बाह्य बन्दरगाह में होगी जिन पर लगभग 155 करोड़ रु. की लागत आने की संभावना है।

(घ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों

के लिए सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक है, बशर्ते उपयुक्त प्रस्ताव/पेशकश प्राप्त हों।

[हिन्दी]

राज्यों को विद्युत आपूर्ति

123. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों द्वारा राजस्थान को किस दर से और कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(ख) क्या राज्य की कुछ विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बे समय से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन विद्युत परियोजनाओं को कब तक मंजूरी देने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) राजस्थान की बिजली की आवश्यकता इसके स्वयं के केन्द्रों, बी बी एम बी के इसके हिस्से और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार पूरी की जाती है :

(1) स्वयं के केन्द्र :

क्र. सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	राजस्थान का हिस्सा (मे.वा.) (अधिष्ठापित क्षमता पर आधारित)
1.	कोटा थर्मल पावर स्टेशन	850	850
2.	माही बजाज सागर हाइड्रो स्टेशन	140	140
3.	अनूपगढ़ एचपीएस	9	9
4.	राणा प्रताप एचपीएस	172	86
5.	जवाहर सागर एचपीएस	99	49.5
6.	गांधी सागर एचपीएस	115	57.5
7.	सतपुड़ा टीपीएस चरण–1	312.5	125

राणा प्रताप सागर (4X43 मे.वा), जवाहर सागर (3X33 मे.वा.) तथा गांधी सागर (5X23 मे.वा.) केन्द्र चंबल घाटी परिसर के घटक हैं, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 50 प्रतिशत है। इसमें से गांधी सागर, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, चरण–1 (5X62.5 मे.वा.) में राजस्थान का हिस्सा 40 प्रतिशत है।

(2) भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा)	राजस्थान का हिस्सा (मे.वा) (अधिष्ठापित क्षमता पर आधारित)
1.	भाखड़ा	1355	206
2.	देहर	990	198
3.	पौंग	360	211

(3) **केन्द्रीय क्षेत्र**

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा)	राजस्थान का हिस्सा (मे.वा) (अधिष्ठापित क्षमता पर आधारित)
1.	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	300
2.	रिहन्द एसटीपीएस	1000	95
3.	ऊंचाहार एसटीपीएस	420	20
4.	अन्ता जीबीएस	413	192
5.	औरैया जीबीएस	652	60
6.	दादरी जीबीएस	817	210
7.	नरोरा एपीएस	440	42
8.	सलाल एचपीएस (चरण–2)	345	30
9.	टनकपुर एचपीएस	120	11

उपरोक्त के अलावा, राजस्थान केन्द्र के नियन्त्रण वाले 15 प्रतिशत अनाबंटित हिस्से में से भी आबंटन प्राप्त करता रहा है।

(ख) और (ग) इस समय केन्द्र सरकार के पास कोई भी जल–विद्युत परियोजना अथवा ताप विद्युत–परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय शिष्टमंडल की आस्ट्रेलिया और जापान यात्रा

124. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यो उनके मंत्रालय का एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल इस वर्ष आस्ट्रेलिया और जापान जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) मेरी अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस माह के आरम्भ में आस्ट्रेलिया और जापान का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य इन दो देशों के साथ इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना था।

[हिन्दी]

शहरों की ओर पलायन

125. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों से शहरों विशेष रूप से महानगरों की ओर पलायन में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गांवों से शहरों की ओर पलायन को प्रेरित करने वाले कारणों को दूर करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी योजना कब तक बनाई जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां। गांवों से शहरों विशेषकर महानगरों में प्रवसन में वृद्धि हो रही है।

(ख) गांवों से कस्बों और शहरों की ओर प्रवसन मुख्यतः "गरीबी विवशता" तथा "सम्पन्नता आकर्षण" के कारण होता

है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और यह उम्मीद कि शहरों में रोजगार अवसर तथा बेहतर रहन–सहन की दशाएं उपलब्ध है, गांवों से प्रवसन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

(ग) से (ङ) शहरों की ओर प्रवसन तथा उनकी जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर काबू पाने हेतु सरकार की नीति का आठवीं योजना दस्तावेज में उल्लेख है। इस नीति में दोहरी कार्य नीति पर विचार किया गया है अर्थात (1) ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डीडब्ल्यू सीआरए) आदि जैसी योजनाएं कार्यान्वित करके रोजगार अवसरों तथा बेहतर सुविधाओं का सृजन, और (11) छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आईडी.एसएमटी) के जरिये वहां अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिये बुनियादी अवस्थापना सहित छोटे तथा मझौले कस्बों का विकास और नेहरू रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) के जरिये शहरी निर्धनों हेतु रोजगार अवसरों का सृजन। इनका उद्देश्य है : (1) बड़े नगरों की ओर प्रवसन के आकर्षण को कम करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे और मझौले कस्बों में अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करना, और (2) ऐसे चुनिंदा लघु तथा मध्यम विकास केन्द्रों को प्रोत्साहित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक प्रवासियों को समाविष्ट कर सकें और बड़े नगरों में जाने की उनकी आवश्यकता को कम कर सकें।

[अनुवाद]

केन्दाडीह में विस्फोट

126. **श्री अमरपाल सिंह :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर के निकट हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की केन्दाडीह खान में हाल ही में एक विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हताहत हुए श्रमिकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिकों को तथा इससे प्रभावित अन्य लोगों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) हिन्दुस्तान कापर लि. की खानों में सुरक्षात्मक उपायों को और मजबूत किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल) की केन्दाडीह खान में दिनांक 6.7.1995 को विस्फोट हुआ था। एक ड्राइव फेस की खुदाई करते हुए एक ड्रिल होल द्वारा पूर्व विस्फोटित होल के अज्ञात विस्फोटक अपशिष्ट को छूने के कारण विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप 5 व्यक्ति घायल हुए, तीन व्यक्तियों को मामूली चोट आई और 2 व्यक्तियों को आंखों में गंभीर चोट आई।

(ग) घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार अपंगता की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाती है।

(घ) सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(1) ड्रिलिंग फेस तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी किये गए हैं।

(2) और अधिक कड़ी निगरानी रखना।

(3) कर्मचारियों और अधिकारियों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाना।

(4) लापरवाह पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करना।

राज्यों में विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण

127. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने पिछली सरकारों द्वारा स्वीकृत सभी विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार ने उनमें से कितनी परियोजनाओं को रद्द किया है;

(घ) क्या विभिन्न पार्टियों के साथ कोई नया समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन समझौतों को स्वीकृति दी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अमरीकी पेप्सी कम्पनी

128. **डा. परशुराम गंगवार :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की पेप्सी कम्पनी द्वारा तकनीकी जानकारी प्रदान कराने हेतु उसे अभी भी शुल्क के रूप में कुछ धनराशि दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेप्सी कम्पनी द्वारा प्रदान कराई गई तकनीकी जानकारी का स्वरूप क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने अमेरिका स्थित अपनी मूल कम्पनी मैसर्स पेप्सी को इंक० को तकनीकी जानकारी शुल्क के तौर पर किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया है और ऐसा कोई शुल्क देय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैसर्स पेप्सी फूड्स लि. ने सूचित किया है कि मैसर्स पेप्सी को इंक० ने भारतीय कंपनी को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई है :

(1) सब्जियों का उपजातीय सुधार।

(2) प्रसंस्कृत खाद्य का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण।

(3) शीतल पेय सांद्रण का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण।

(4) प्रसंस्कृत सब्जी उत्पादों का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण।

महाराष्ट्र में बाई-पास

129. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान निर्माणाधीन बाई–पासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन बाई–पासों पर निर्माण कार्य कब शुरू हो जाएगा तथा इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इस समय महाराष्ट्र राज्य में पुणे–नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 पर पेठ कस्बे के लिए एक बाई पास निर्माणाधीन है जिसे दिसम्बर, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वर्ष 1995–96 के दौरान इस कार्य के लिए 25.96 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है।

भारतीय पोतों की कार्यावधि

130. **श्री काशीराम राणा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोतों की औसत कार्यावधि अन्तर्राष्ट्रीय पोत मानवों से कम है और क्या भारतीय पोतों की औसत कार्यावधि विगत वर्षों की तुलना में कम भी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पोतों की औसत कार्यावधि बढ़ाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जहाजों के प्रचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई विशिष्ट कार्यकाल नियत नहीं किया गया है। जब तक पोत का उचित रख–रखाव किया जाए और वह सुरक्षा पहलुओं के अनुरूप रहे, तब तक इसे इसकी आयु पर ध्यान न देते हुए प्रचालित किया जा सकता है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों/मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ किसी पोत की सामान्य आर्थिक आयु 20 वर्ष मानी गई है। दिनांक 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार विश्व के समुद्री बेड़े की 18.2 वर्ष की औसत आयु की तुलना में भारतीय पोतों की औसत आयु 13 वर्ष है।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

131. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जापान को लौह–अयस्क का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या देश में उपलब्ध कुल लौह–अयस्क के परिशोध हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में लौहा अयस्क को घरेलू खपत कितनी है; और

(ङ) लौह–अयस्क का निर्यात किए जाने के क्या कारण है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी. हा।

(ख)	वर्ष	निर्यात की गई मात्रा
	1992–93	157.1 लाख टन
	1993–94	166.2 लाख टन
	1994–95	167.6 लाख टन (अनन्तिम)

(ग) जी, नहीं।

(घ) 5 उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, पिछले तीन वर्षों के लिए घरेलू खपत नीचे दी गई है:–

(दस लाख टन)

1992–93	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
274.5	276.1	322.0

(ङ) घरेलू मांग और संविदागत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद अधिशेष उपलब्धता लौह–अयस्क के निर्यात के मुख्य कारण हैं।

[अनुवाद]

टर्मिनल पर सम्भलाई प्रभार

132. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पत्तनों पर टर्मिनल सम्भलाई प्रभारों में तीसरी बार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बढ़ी हुई राशि के प्रतिशत का क्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक सरकार द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(घ) वर्ष 1995–96 के दौरान बढ़े हुए सम्भलाई प्रभारों से कुल कितना राजस्व एकत्रित होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं। सरकार अथवा महापत्तन टर्मिनल प्रहस्तन प्रभार वसूल नहीं करते।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में आम पर आधारित उद्योग

133. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में आम के अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कोई उद्योग लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण स्थापित नहीं करता है लेकिन विभिन्न योजना स्कीमों को बिहार समेत देश में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की जा रही है, के तहत सहायता देता है।

[अनुवाद]

यूरिया का उत्पादन

134. **श्री गोपीनाथ गजपति** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो एकक–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना में यूरिया उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया और कितना उत्पादन हुआ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विवरण पत्र

के अंतर्गत उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। सरकारी/सहकारी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों में कार्यान्वयन के अंतर्गत विस्तार परियोजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	एकक का नाम व स्थान	यूरिया की अतिरिक्त क्षमता (वार्षिक टन लाखों में)
1.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को आप्रेटिव लि. (उत्तर प्रदेश, आंवला)	7.26
2.	नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (मध्य प्रदेश, विजयपुर)	7.26
3.	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (मनाली, तमिलनाडु)	1.94
4.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआप्रेटिव लि. (फूलपुर, उत्तर प्रदेश)	7.26
5.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआप्रेटिव लि.–कलोल (गुजरात)	1.50
6.	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड–नंगल (पंजाब) (श्री वारकानेकिंग)	1.81

(ग) वर्ष 1994–95 के अन्त में नाइटरोजन की स्थापित क्षमता 89.72 लाख टन थी। यूरिया, जिसमें 46 प्रतिशत नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पोषक का मुख्य स्रोत है। 1994–95 में यूरिया का 141.4 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया गया था, जिससे पोषक के 82 प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति हुई। आठवीं योजना के टर्मिनल वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य नाइट्रोजन की पोषक का 98.00 लाख टन है।

तमिलनाडु में पुल

135. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 1993–94 के दौरान कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के कितने पुलों की मरम्मत की गई; और

(ग) इस पर उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1993–94 में दो पुल पूरे किए गए।

(ख) और (ग) पुलों की मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और राज्य के लो.नि.वि. समय–समय पर आबटित निधियों में से इनकी मरम्मत करते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में दो पुलों की विशेष मरम्मत की गई अर्थात् एक 1993–94 में और एक 1994–95 में और इस प्रयोजनार्थ 6.38 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

136. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए बहु–पक्षीय नीति बना रही है;

(ख) क्या इस योजना में वर्तमान संयंत्रों का नवीकरण तथा विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में अर्थक्षम बनाए जा रहे विभिन्न एककों का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा जारी की गई औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र/सहकारी एककों उर्वरकों की मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर कम करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई है :

(एक) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरुद्धार मौजूदा मूलभूत संरचना तथा आफ साइट्स के बेहतर उपयोग से उत्पाद के प्रतिटन पूंजी निवेश में कमी आई है;

(दो) प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं, नाइट्रोजनी उर्वरकों के लिए बरीय फीड–स्टाक से नेफथा आधारित संयंत्रों विशेष रूप से द्वि फीड स्टाक सुविधायें स्थापित की जा रही हैं; तथा

(तीन) कच्ची सामग्री के प्रचुर तथा सस्ते संसाधनों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्थापित करना।

सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनायें कार्यान्वयनाधीन है

क्र.	कम्पनी का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ रु. में)	परिकल्पित उत्पादन (लाख एमटीपीए)	शून्य तारीख तिथि	आरम्भण की सम्भावित	टिप्पणी
1.	इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लि. (इफ्को)	आंवला (उ.प्र.) विस्तार	960.00	यूरिया 7.26	30.09.1993	01.01.1997	समय सारणी के अनुसार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
2.	इफ्को	कलोल (गुजरात)	119.08 (विस्तार)	यूरिया 1.50	01.03.1995	01.09.1997	परियोजना कार्यान्वयन अभी शुरू हुआ है।
3.	इफ्को	फूलपुर (उ.प्र.) (विस्तार)	993.00	यूरिया 7.26	20.04.1995	20.01.1998	वही
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन.एफएल)	विजयपुर (म.प्र.) (विस्तार)	987.30	यूरिया 7.26	30.09.1993	01.01.1997	समय सारणी के अनुसार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल)	मनाली (मद्रास) (विस्तार)	487.47	यूरिया 1.94 एनपीके 3.00	01.01.1993	30.06.1996	सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन समय सारणी में एक वर्ष की बढ़ोत्तरी की मंजूरी दे दी है।
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)	उद्योग मण्डल केरल अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजना	618.00	अमोनिया 2.97	10.5.1993	31.3.1997	परियोजना समय–सारणी के अनुसार प्रगति कर रही है।
7.	एन.एफ.एल.	नंगल, पंजाब (डी वाटेलनेटिंग)	40.00	यूरिया 1.81	1.5.1995	1.11.1996	परियोजना कार्यान्वयन अभी शुरू हुआ है।

(घ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत घोषित उर्वरक विभाग का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) की पं. बंगाल राज्य में एक क्रियाशील एकक दुर्गापुर तथा एक पूर्ण हुई परियोजना हल्दिया में है। सरकार ने सिद्धान्त रूप में बरौनी (बिहार) तथा नामरूप (असम) एककों के साथ एच एफ सी के दुर्गापुर एकक का 464.93 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर पुनरुद्धार करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है। इन एककों के पुनरुद्धार के लिए धन देने की व्यवस्था के लिए उर्वरक क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं तथा/अथवा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और सहकारी समितियों के माध्यम से प्रबन्ध किये जा रहे हैं। हल्दिया परियोजना को इसकी आर्थिक अव्यवहार्यता की दृष्टि से एच एफ सी से अलग करने का, बिचार है जिसके आरम्भण कार्य–कलापों को बार–बार उपकरणों की खराबियों के कारण अक्तूबर, 1986 से रोक दिये गये थे। लेकिन, पं. बंगाल राज्य में स्थिति उन एककों सहित एच एफ सी के सभी एककों के पुनरुद्धार पर अंतिम निर्णय औद्योगिक तथा वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) जो न्यायिक–कल्प है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा को उर्वरक राजसहायता

137. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उर्वरकों की प्रति वर्ष कितनी मांग है;

(ख) उर्वरकों की कम आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार को कितनी राजसहायता दी गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में उर्वरकों की पोषकवार वार्षिक खपत निम्नानुसार है :

(लाख टन)

वर्ष	"एन"	"पी"	"के"	(एन+पी+के)
1992–93	1.43	0.39	0.21	2.03
1993–94	1.55	0.34	0.19	2.08
1994–95 (अनुमानित)	1.60	0.37	0.24	2.21

वर्तमान मांग के संदर्भ में उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है और राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है।

(घ) नियंत्रित उर्वरकों के संदर्भ में राजसहायता सीधे निर्माताओं को भुगतान की जाती है ताकि सांविधिक रूप से निर्धारित बिक्री मूल्य के माध्यम से अपेक्षाकृत कम प्राप्ति के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति की जा सके। 1994–95 के दौरान उड़ीसा राज्य स्थित उर्वरक एककों को राजसहायता के रूप में 77.83 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

इसके अलावा इस वर्ष के दौरान अनियंत्रित उर्वरकों के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग में फास्फेटिक उर्वरकों और म्यूरिएट आफ पोटाश के आपूर्तिकर्ताओं को उड़ीसा राज्य में इन उर्वरकों की बिक्री के संबंध में विशेष रियायत के रूप में लगभग 3.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रगति

138. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : मंत्रालय की स्थापना के बाद गत चार वर्षों के दौरान राज्यवार किन–किन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के बारे में राज्यवार सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती। बहरहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और मंजूर किए गए परियोजना प्रस्तावों (शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी, संयुक्त उद्यम, औद्योगिक लाइसेंस आदि) के फलस्वरूप पिछले चार वर्षों में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान लागू किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और परियोजनाओं (शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी, संयुक्त उद्यम, औद्योगिक लाइसेंस आदि) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लागू किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	लागू की गई परियोजनाएं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	39	8
2.	बिहार	1	–
3.	गुजरात	58	7
4.	हरियाणा	21	5
5.	हिमाचल प्रदेश	1	2
6.	जम्मू और कश्मीर	1	–
7.	कर्नाटक	7	7
8.	केरल	1	5
9.	मध्य प्रदेश	62	–
10.	महाराष्ट्र	81	15
11.	उड़ीसा	2	1
12.	पंजाब	19	4
13.	राजस्थान	18	2
14.	तमिलनाडु	20	4
15.	उत्तर प्रदेश	63	10

1	2	3	4
16.	पश्चिम बंगाल	2	2
17.	दिल्ली	2	1
18.	दमन तथा दीव	1	–
19.	गोवा	4	12
		403	85

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं शोध संस्थान

139. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना का प्रथम चरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस चरण में कौन–कौन से विभाग स्थापित किए गए हैं तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके प्रथम चरण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रसाय तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) सिविल कार्य का प्रथम चरण जिसमें पुस्तकालय, सचिवालय, छः अध्यापन खण्ड का काम्प्लेक्स और अनुसंधान ब्लाक, पशु घर प्रायोगिक संयंत्र, छात्रावास, विजिटिंग फैक्लटी हाऊस और फैक्लटी आवासीय गृह हैं, लगभग पूरे हो गए हैं। आन्तरिक और बाह्य सेवाएं अब प्रारम्भ की जा रही हैं। प्रयोगशालाओं को सज्जित करने के लिए उपस्करों (आयतित एवं स्वदेशी दोनों) को प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। निदेशक और कोर फैक्लटी ने संस्थान में कार्यभार संभाल लिया है। 31 मार्च, 1995 तक परियोजना के लिए दी गई कुल धनराशियां 15.72 करोड़ रु. थी।

केरल के पासपोर्ट कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या

140. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के किसी पासपोर्ट कार्यालय में इस समय कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पासपोर्ट कार्यालय–वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) पिछले वर्ष के दौरान तथा इस वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान केरल स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों की संख्या को देखते हुए इन कार्यालयों में कर्मचारियों की मौजूदा संख्या पर्याप्त समझी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उर्वरक उद्योग

141. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र में उर्वरक उद्योगों को रियायती दरों पर कौन–कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत वर्षों के दौरान महाराष्ट्र कि उर्वरक उद्योगों के लिए वर्ष–वार कितनी–कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा उर्वरकों का वर्ष–वार और एकक–वार कुल कितना उत्पादन हुआ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उर्वरकों के विनिर्माण में इस्तेमाल प्राकतिक गैस को छाडकर पेट्रोलियम उत्पादन देश भर में राज–सहायता प्राप्त दर पर सप्लाई किये जाते हैं।

(ख) 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान महाराष्ट में स्थित उर्वरक एककों को राज–सहायता के रूप में क्रमशः 292.24 करोड़ रु. तथा 322.36 करोड़ रुपये दिये गये। इसके अतिरिक्त कृषि तथा सहकारिता विभाग ने नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री पर विशेष रियायत के रूप में महाराष्ट्र सरकार को 1993–94 के दौरान 62.21 करोड़ रुपये तथा 1994–95 के दौरान 65.3 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उर्वरकों का एकक–वार तथा वर्षवार उत्पादन ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1992-93 से 1994-95 तक महाराष्ट्र में उर्वरकों का एककवार उत्पादन (000 मी. टन)

क्षेत्र/राज्य एकक का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पादन 1992–93			उत्पादन 1993–94			उत्पादन 1994–95		
		मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र										
आरसीएफ ट्राम्बे	यूरिया	62.8	28.9	0.0	83.2	38.3	0.0	68.7	31.6	0.0
	15 : 15 : 15	351.5	52.7	52.7	303.1	45.5	45.5	240.2	36.0	36.0
आरसीएफ	20:7 : 20.7	290.1	60.1	60.1	267.2	55.3	55.3	254.2	52.6	52.6
ट्राम्बे IV आरसीएफ										
ट्राम्बे V	यूरिया	280.3	128.9	0.0	312.3	143.7	0.0	273.8	125.9	0.0
आरसीएफ थाल	यूरिया	1418.4	652.5	0.0	1341.9	617.3	0.0	1387.1	638.1	0.0
आरसीएफ कुल		2403.1	923.1	112.8	2307.7	900.0	100.8	2224.0	894.3	88.6
डीएफसीआई तलोजा	23 : 23	102.3	23.5	23.5	10.2	2.3	2.3	54.8	12.6	12.6
ए/एसयूनिटस	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिट्स	एसएसपी	302.4	0.0	48.4	324.6	0.0	51.9	379.0	0.0	60.6
राज्य कुल		2807.8	946.6	184.7	2642.5	902.3	155.1	2657.8	896.9	161.9

कस्बों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं

142. **डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का 20,000 से कम की आबादी वाले कस्बों में जल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु शहरी जल आपूर्ति और सफाई योजना की परिधि के अंतर्गत कोई परियोजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल से किसी कस्बे का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

(एयूडब्ल्यूएसपी) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम वर्ष 1993–94 में भारत सरकार द्वारा पहले ही चालू की जा चुकी है, जिसका उद्देश्य 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम की आबादी वाले कस्बों को सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति मुहैया कराना है। इसमें निहित लागत को केन्द्र और राज्य सरकार 50 : 50 के अनुपात में जुटायेंगे।

(ग) और (घ) केरल और तमिलनाडु के निम्नलिखित कस्बों की जल आपूर्ति स्कीमों का चयन किया गया है :

राज्य	कस्बा	लागत (लाख रुपयों में)
केरल	पन्नियान्नूर	233.72
तमिलनाडु	बेंगापुर	34.63
	हारूर	120.36
	डेनकानीकोटा	83.70
	कावेरीपट्टनम	46.75
	अनामलाई	53.69
	पिसायाबिलाई	10.42
	चेय्यूर	12.91
	पादिरीवेदू	3.20
	भुवन गिरि	29.13
	चितौड	36.83

फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण

143. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की फ्रांस यात्रा के दौरान परमाणु अप्रसार सन्धि के नवीनीकरण के सन्दर्भ में पुनः परमाणु परीक्षण शुरू करने संबंधी फ्रांस के निर्णय के बारे में कोई विचार–विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) 14 जून, 1995 को पेरिस में फ्रांस के रक्षा मंत्री चार्ल्स मिलोन के साथ हमारे प्रधान मंत्री की मुलाकात के दौरान, फ्रांस के रक्षा मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को नाभिकीय परीक्षण पुनः शुरू करने के संबंध में 13 जून, को घोषित फ्रांस के निर्णय से अवगत कराया था। प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमें अपना विश्लेषण और सुविचारित प्रतिक्रिया देने के लिए फ्रांस के इस वक्तव्य के पाठ और उसके प्रभावों का अध्ययन करना होगा, लेकिन उन्होंने यह बात दोहराई कि भारत सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकण के पक्ष में है।

पत्तनों द्वारा निपटाया गया यातायात

144. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रमुख पत्तनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, पत्तनवार, कितना यातायात किया गया; और

(ख) वित्त वर्ष 1995–95 के दौरान यातायात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया यातायात इस प्रकार है :–

पत्तन	1992–93	1993–94	1994–95
कलकत्ता	18.34	18.50	20.49
पारादीप	7.61	8.33	10.12
विजाग	22.77	25.59	30.03
मद्रास	25.33	26.54	29.46
तूतीकोरिन	6.21	6.70	8.04
कोचीन	7.98	7.62	8.59
नव मंगलूर	7.09	8.63	8.01
गुरगांव	16.31	18.72	18.88
ज.ला. नेहरू	3.01	3.39	5.01
बम्बई	29.02	30.74	32.04
कंडला	22.91	24.50	26.51
जोड़ :	166.58	179.26	197.18

(ख) इस मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए महापत्तनों पर यातायात हैंडल करने हेतु 202 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पत्तनों में कंटेनर चढ़ाने-उतारने की सुविधाओं का निजीकरण

145. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई पत्तनों में कंटेनर चढ़ाने–उतारने की सुविधाओं का निजीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तनवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) अभी तक केवल बम्बई और जवाहर लाल नेहरू पत्तनों पर कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं का निजीकरण किया गया है।

(ग) देश में कंटेनर हैंडलिंग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ चुनिन्दा महापत्तनों जैसे बम्बई, जवाहर लाल नेहरू, कलकत्ता/हल्दिया, मद्रास और कोचीन में पर्याप्त कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

महाराष्ट्र में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में योजनाएं

146. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य के लिये उनके मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के लिए कोई धनराशि उपलब्ध की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 30 सितम्बर, 1993 को आये भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की ऋण सहायता से एक कार्यक्रम शुरू किया है। महाराष्ट्र आपातकालीन पुनर्वास कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक हैं :

(एक) आवास निर्माण तथा मरम्मत

(दो) अवस्थापना

(तीन) आर्थिक पुनर्वास

(चार) सामाजिक पुनर्वास

(पांच) समुदाय पुनर्वास, तथा

(छः) तकनीकी सहायता प्रशिक्षण और उपस्कर।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र आपातकालीन पुनर्वास कार्यक्रम 246 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक ऋण से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अप्रैल, 1995 तक 17 मिलियन अमरीकी डालर संवितरित कर दिये गये हैं।

[हिन्दी]

रक्षित विद्युत उत्पादन

147. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति की वजह से इस्पात के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए रक्षित विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां रक्षित विद्युत संयंत्र हाल ही में स्थापित किए गए हैं तथा संयंत्रवार उनकी क्षमता क्या है;

(ग) निकट भविष्य में किन–किन स्थानों पर ऐसे स्टेशन स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) कोयला, गैस तथा पेट्रोलियम पर आधारित अलग–अलग इन विद्युत स्टेशनों की क्या संख्या होगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के साथ–साथ वर्तमान नीति निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में निजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने में अड़चन नहीं है। 25 मेगावाट से कम साइज के संयंत्र के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। इस क्षमता से अधिक संयंत्रों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति लेनी आवश्यक होती है। निजी क्षेत्र में प्रयोक्ता से अलग निजी विद्युत संयंत्र के संबंध में अनुमति सामान्यतया उन मामलों में सरकार द्वारा दी जाती है जिनमें विद्युत की आवश्यकता सतत् रूप से हो और अत्यधिक विश्वसनीय विद्युत सप्लाई आवश्यक हो।

उन उद्योगों जिन्हें सामान्यतया: अपने निजी विद्युत संयंत्र रखने की अनुमति होती है, में लोहा और इस्पात उद्योग भी शामिल है।

(ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पुरानी इकाइयों के स्थान पर नई इकाइयां प्रति स्थापित की हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात सयत्रों द्वारा स्थापित बड़ी इकाइयों का ब्यौरा तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार है

संयंत्र का नाम	स्थान	क्षमता	वर्ष
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा मिश्र इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर	2 × 60 मेगावाट	1987, 1988
राउरकेला इस्पात संयंत्र	राउरकेला	2 × 60 मेगावाट	1987, 1988
बोकारो इस्पात संयंत्र	बोकारो	3 × 60 मेगावाट	1986–1989
विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र	विशाखा–पट्टनम	3 × 60 मेगावाट	1988–1990

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार निकट भविष्य में स्थापित किए जाने वाले निजी विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

टिस्को	67.5 मेगावाट
वी.एस.पी.	67.5 मेगावाट टी जी सैट
बी.एस.पी.	1×30 मेगावाट

उपरोक्त सभी संयंत्र कोयले पर आधारित हैं।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

148. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वाधिक लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य कौन–सा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए मांगी गई वार्षिक धनराशि की केवल आधी राशि ही उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान द्वारा मांगी गई धनराशि के पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने का है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास राज्य के कुछ नये मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्य प्रदेश।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए सामान्य रूप से मानदंडों के अनुसार आवश्यकता का 50 प्रतिशत समग्र रूप से उपलब्ध होती हैं। इसलिए सभी राज्यों को यह कमी सहन करनी पड़ती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव के लिए राजस्थान राज्य को और अधिक निधियों का आबंटन निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) आठवीं योजना में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राजस्थान सरकार ने कुल 1709 कि.मी. लम्बी पांच सड़कों के प्रस्ताव भेजे हैं। तथापि, आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बहुत कम आबंटन के कारण इस समय किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

[अनुवाद]

रक्षित कोयला खानें

149. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार देश में किन्हीं रक्षित कोयला खानों को खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निजी कोयला खान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि यह कोल इंडिया लिमिटेड और यदि आवश्यक हुआ तो अन्य भागीदारों के साथ देश में संयुक्त उद्यम में कुछ नई कोकफर कोयला खानों का गवेषण करने में इच्छुक है। इस उद्देश्य के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के कतिपय कोयला खनन खण्डों का पता लगाया गया है।

विद्युत-क्रय समझौता

150. **श्री वेंकटेश्वर राव** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक आदर्श विद्युत–क्रय समझौते तथा एक आदर्श ईंधन सप्लाई एवं परिवहन समझौते जैसे अन्य महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये समझौते कब से लागू किए जाएंगे;

(घ) क्या इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) भारत सरकार नवम्बर, 1994 में सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को, "भारतीय निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत क्रय करार करने हेतु अपनाए जाने वाले सिद्धान्त" और विद्युत क्रय करार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को परिपत्रित कर चुकी है, ताकि निजी विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क्रय करार करने की उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके। भारत सरकार कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले आदर्श ईंधन आपूर्ति और परिवहन समझौतों के विकास पर भी कार्य कर रही है। विद्युत मंत्रालय इन आदर्श दस्तावेजों को अंतिम रूप देने हेतु सम्बद्ध मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ कारवाई कर रहा है। तथापि निजी विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा ईंधन आपूर्ति और परिवहन समझौतों पर इस्ताक्षर करना इन आदर्श दस्तावेजों को जिनके द्वारा इस प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर करने हेतु मात्र मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में कार्य करना प्रत्याशित है को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर नहीं करेगा। वस्तुतः बहुत सी गैस और कोयला आधारित परियोजनाओं हेतु ईंधन आपूर्ति समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में विद्युत उत्पादन

151. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से गुजरात में स्थित विद्युत संयंत्रों से उत्पादित कितने प्रतिशत बिजली गुजरात में वितरित की जा रही है;

(ख) राज्य में राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन के विद्युत संयंत्रों से कितने प्रतिशत बिजली राज्य में वितरित की जा रही है;

(ग) क्या ये विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो संयंत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) केन्द्रीय सरकार ने 1994–95 और 1995–96 के दौरान राज्य को विद्युत क्षेत्र के लिए कितनी सहायता दी है; और

(छ) सरकार द्वारा राज्य की मांग के अनुसर उसे बिजली उपलब्ध कराने हेतु क्याद कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) अखिल भारतीय औरत 93964 मि.यू. की तुलना में अप्रैल–जून, 1995 के दौरान गुजरात को आवंटित तथा गुजरात में स्थित विद्युत संयन्त्रों का कुल विद्युत उत्पादन 7114 मि.यू. था जो 7.6 प्रतिशत है।

(ख) से (ङ) अप्रैल–जून, 95 के दौरान एनटीपीसी के विद्यमान विद्युत केन्द्रों से गुजरात को किए गए विद्युत आबंटन तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

एनटीपीसी के	अधिष्ठापित	प्रतिशत	उत्पादन		
केन्द्र	क्षमता (मे.वा.)	आबंटन	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
कोरबा	2100	17.0	3791	3703	97.7
विन्ध्याचल	1260	18.3	2094	2105	100.5
कवास जीबीएस	645	28.5	524	633	120.8
गन्धार जीबीएस	648	36.1	129	431	334.1

कोरबा, जो जनरेटर स्टेटर क्षतिग्रस्त होने की वजह से 1.12.94 से यूनिट प्रथम (200 मे.वा.) के बन्द हो जाने के कारण अपने लक्ष्य से थोड़ा कम, अर्थात् 2.3 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, को छोड़कर, उपरोक्त सभी केन्द्र लक्ष्य से अधिक विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं।

(च) 8वीं योजना के दस्तावेज गुजरात राज्य में विद्युत क्षेत्र के लिए 2635 करोड़ रुपये का परिव्यय इंगित करते हैं। विद्युत परियोजनायें स्थापित रकने के लिए गुजरात बिजली बोर्ड की कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(छ) गुजरात में अधिक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं—विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों में विद्युत उत्पादन अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण आदि। निकटवर्ती प्रणाली से गुजरात को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, जब भी प्रणाली की परिस्थिति ऐसे अन्तरण के अनुकूल होती है। इसके अतिरिक्त, इस राज्य को पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र वाले केन्द्रों से भी इसका उचित हिस्सा मिलता है।

[अनुवाद]

तैयार इस्पात का उत्पादन

152. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान वर्ष 1993–94 के अन्तः वर्षीय परिवर्तन की तुलना में कितने तैयार इस्पात के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था;

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान संयंत्र कर उत्पादन एवं क्षमता उपयोग का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान इस्पात का कितना निर्यात किया गया;

(घ) वर्ष 1994–95 के दौरान इस्पात का कितना आयात किया गया;

(ङ) दिनांक 1.4.94 और 1.4.95 की स्थिति के अनुसर संयंत्रों के पास इस्पात का कुल कितना स्टाक था; और

(च) क्या इस वर्ष के दौरान स्वदेशी बाजार में इस्पात के मूल्य स्थिर रहे हैं अथवा इनमें उतार–चढ़ाव आया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1994–95 के दौरान परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 172.2 लाख टन हुआ जबकि 1993–94 में 152 लाख टन उत्पादन हुआ था। इस प्रकार यह 13.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

(ख) 1993–94 और 1994–95 के दौरान विक्रेय इस्पात की संयंत्र–वार क्षमता उपयोगिता नीचे दी गई है :

(हजार टन)

संयंत्र	1993–94			1994–95		
	क्षमता	उत्पादन	उपयोगिता	क्षमता	उत्पादन	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	
सरकारी क्षेत्र						
भिलाई इस्पात संयंत्र	3153	3335	106%	3153	3407	108%
दुगार्पुर इस्पात संयंत्र	938	642	68%	1000	827	83%
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1170	1130	97%	1170	1196	102%
बोकारो इस्पात संयंत्र	3156	3205	102%	3156	3169	100%
इण्डियन आयरन एण्ड	406	333	82%	406	332	82%
स्टील कम्पनी						
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	2656	1184	45%	2656	1555	59%

1	2	3	4	5	6	7
मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	184	160	87%	184	154	84%
विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील	96*	63	66%	97*	58	60%
निजी क्षेत्र						
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	2400	2154	90%	2700	2446	91%
विद्युत चाप भट्टी इकाइयां	4240*	2500	59%	4828**	2800	58%
प्रेरणा भट्टी इकाइयां	2500***	1200	48%	2830***	1500	53%

* वार्षिक योजना

** कार्यरत इकाइयों की प्रभावी क्षमता अपना उत्पादन विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात को सूचित करती हैं।

*** प्रेरणा भट्टी इकाइयों के उत्पादन और प्रभावी क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) 1994–95 के दौरान निर्यात किए गए विक्रेय इस्पात की मात्रा 13.2 लाख टन थी।

(घ) 1994–95 में आयतित विक्रेय इस्पात की मात्रा 17.45 लाख टन थी।

(ङ) 1.4.1994 और 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार मुख्य उत्पादकों के पास विक्रेय इस्पात का कुल स्टॉक क्रमशः 8.12 और 6.69 लाख टन था।

(च) 1994–95 के दौरान इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का रुख रहा। आदान लागतों में वृद्धि और उत्पाद शुल्क में वृद्धि होना मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों में "स्क्रेप" का उपयोग

153. **प्रो. सावित्रि लक्ष्मणन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, रक्षा आयुध कारखानों तथा अन्य रक्षा एककों में भारी मात्रा में इस्पात "स्क्रेप" बच जाता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे तथा रक्षा विभागों ने नीलामी के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार तथा एकक–वार कुल कितना "स्क्रेप" भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों को पुनः प्रयोग हेतु वापस किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या इन विभागों द्वारा नीलाम किया गया स्क्रेप नीलामी स्थल से पूरी तरह उठा लिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या स्क्रेप को संयंत्रों में पुनः प्रयोग हेतु समय पर नहीं भेजा जाये तो इसकी मजबूती और क्षमता में कमी आ जाती है; और

(च) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि वह रेलवे, रक्षा, आयुध निर्माणियों और रक्षा इकाइयों से कोई स्क्रैप नहीं खरीदता।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

शहरोन्मुख रोजगार योजनाएं

154. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नगरों तथा शहरों के लिए उपयुक्त शहरोन्मुख वृहत रोजगार योजनाओं का पता लगाने हेतु विशेष जनगणना कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो 1994–95 में कराए गए ऐसे सर्वेक्षणों तथा जन–गणनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी रोजगार सृजन हेतु किन्हीं शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई विशेष जनगणना नहीं करवाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार

155. **डा. पी. बल्लल पेरूमान** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार के क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में और विशेष रूप से तमिलनाडु में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां, इस स्कीम के अन्तर्गत पेय जल आपूर्ति, समुदाय स्नानाघर, समुदाय शौचालय, सीवर और बरसाती पानी के नाले, मौजूदा लेनों को चौड़ा करना और खड़ंजा बिछाना तथा पथ–प्रकाश जैसी सात बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं।

(ग) यह एक राज्य योजनागत स्कीम है। सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने योजना संसाधनों से धन नियत किया जाता है। राज्य योजना दस्तावेजों के अनुसार, कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1992–94 की अवधि के लिए 14474 लाख रुपये का व्यय किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों ने 1994–95 की अवधि के लिए वास्तविक व्यय अभी तक नहीं भेजा है।

प्रमुख पत्तनों के लिये परियोजनाएं

156. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों के लिए कितनी नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान उन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक पत्तन के लिए कितनी पूंजी निवेश किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आठवीं पंच वर्षीय योजना 1992–97 के दौरान विभिन्न महापत्तनों के लिए जून, 1995 तक 2136 करोड़ रु. (लगभग) की अनुमानित लागत से 26 नई बडी परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कम्पनियों के लिए विस्तार योजनाएं

157. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नाल्को), भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बाल्को), हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल), तथा हिन्दुस्तान जिंक लि. (एचजैडएल) ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने कार्य–निष्पादन में पर्याप्त सुधार लाया है;

(ख) यदि हां, तो 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के लिए कम्पनी–वार क्षमता का उपयोग, उत्पादन एवं लाभकारिता का ब्यौरा क्या है तथा उनके बेहतर कार्यनिष्पादन के कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त सभी सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियां भविष्य में विस्तार योजनाओं पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ–साथ विस्तार के बाद उनकी निर्धारित क्षमता का उपयोग, उत्पादन, लाभप्रदत्ता, आवश्यक धनराशि, वित्तीय विस्तार योजनाओं का तरीका एवं उपयोग की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र की प्रमुख खनन कंपनियों के विस्तार का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नाल्को), भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बाल्को), हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल) तथा हिन्दुस्तान जिंक लि. (एच. जैड एल) के बारे में क्षमता उपयोग उत्पादन तथा लाभप्रदता संलग्न विवरण में दी गई है।

उत्पादन लागत में कमी, प्रशासनिक खर्चे, बेहतर सूची (इनवेंटरी) प्रबन्ध, एलएमई कीमतों में बढ़ोत्तरी, कच्ची सामग्री के उपभोग में कमी, आक्रामक विपणन नीति, बेहतर बिक्री प्राप्ति आदि बेहतर कार्य निष्पादन के आवश्यक तत्व हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	नालको			बालको			एचसीएल			एचजैडएल				
धातु	एल्यूमिनियम			एल्युमिनियम			तांबा			जस्ता		सीसा		
वर्ष	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (टन)	लाभात्मकता (करोड़ रु.)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (टन)	लाभात्मकता (करोड़ रु.)	क्षमता उपयोग उत्पादन (%)	उत्पादन (एमटी)	लाभात्मकता (करोड़ रु.)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (एमटी)	लाभात्मकता (करोड़ रुपये)
1992-93	87.6	191069	134.88	91.0	91034	1.86	106	45275	26.40	71.50	106564	59.05	38382	62.86
1993-94	89.1	194332	156.72	91.8	91805	15.27	91	39002	–(69.55)	80.46	119879	38.92	25299	4.55
1994-95	81.6	178072	294.62	92.0	92089	90.00	106	46134	72.26	80.94	120597	53.04	34476	76.30

इस्पात उत्पादन के लिए उद्यम

158. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में इस्पात संयत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्वदेशी और विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस अवधि के दौरान देश में संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है; और

(ग) ये संयंत्र किन–किन स्थानों पर लगाये जायेंगे और प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आयेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और स्थान–स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबन्धों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है। इसलिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

काउंटर गारंटी

159. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "केबिनेट फ्लाड्स एराउंड पालिसी मैकिंग टू गिव काउंटर गारंटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्रारम्भिक फास्ट ट्रेक निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं, जिसमें एनरॉन भी शामिल है, को प्रति–गारंटी देने का निर्णय लिया था, ताकि निवेशकर्ताओं में विश्वास उत्पन्न किया जा सके। यह एक तदर्थ निर्णय नहीं था। डाभोल पावर कम्पनी के साथ भारत सरकार के प्रति गारंटी समझौते के सम्बन्ध में भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यथा एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीजीसीएल की ओर प्रति–गारंटी के भुगतानों की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के समान, दो महीनों से अधिक की शेष बकाया राशियों की वसूली के लिए एक धारा शामिल की गई है। तथापि, यह धारा केवल उस स्थिति में ही लागू होगी जब महाराष्ट्र बिजली बोर्ड किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक समय पर अथवा कुल मिलाकर 4 माह के लिए चूक करता रहा हो। ईंधन के आयात के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति ईंधन के आयात की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, एनरॉन के मामले में, कम्पनी ने बन्दरगाह, भण्डारण और परिवहन सुविधाओं की जिम्मेवारी ली थी। एनरॉन के प्रति किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं दिखाया गया है और इसलिए प्रकाशित समाचार तथ्यों के आधे–अधूरे और अवास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है।

(ग) उपरोक्त (ख) में स्पष्ट की गई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

जलापूर्ति योजनाओं का वित्त पोषण

160. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" और अन्य संस्थाएं देश में जलापूर्ति योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सहमत हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के जनजातीय क्षेत्रों की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए "हुडको" और अन्य संस्थाओं द्वारा सहायता दी जाएगी अथवा दी जा रही है; और

(घ) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान "हुडको" और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी–कितनी सहायता दी गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) हडको तथा भारतीय जीवन बीमा निगम

जल आपूर्ति स्कीमों का वित्त पोषण कर रहे हैं। हडको तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए 5 लाख से कम आबादी वाले कस्बों हेतु 14.5 प्रतिशत तथा 5 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों के लिए 17.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कुल लागत की 70 प्रतिशत राशि की सहायता देता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता योजना गत तथा योजनाभिन्न सेक्टर के तहत शहरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु उपलब्ध है। उनकी वित्त पोषण पद्धति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जल–आपूर्ति स्कीमों वास्ते हडकों द्वारा रिलीज किये गये ऋण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये नियतनों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण–II तथा III में दिये गये है :

विवरण-1

शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सीवरेज स्कीमों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम वित्त पोषण पद्धति

(1) योजनागत सेक्टर	शहरी	ग्रामीण
स्कीम की लागत 1 करोड़ रूपय तक	66.67 लाख रुपये	50.00 लाख रुपये
1 से 5 करोड़ रुपये के मध्य	66.67 लाख रुपये+ 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 50 प्रतिशत	50 लाख रुपये+करोड़ रुपये से अधिक लागत का 50 प्रतिशत
5 से 10 करोड़ रुपये के मध्य	266.67 लाख रुपये+ 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25 प्रतिशत	250 लाख रुपये+ 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 40 प्रतिशत
10 करोड़ रुपये से अधिक	466.67 लाख रुपये+ 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25 प्रतिशत	450.00 लाख रुपये+ 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25 प्रतिशत
(ख) **ब्याज दर**	13 प्रतिशत वार्षिक, छमाही देय	13 प्रतिशत वाषिक, छमाही देय
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए	10.25 प्रतिशत वार्षिक, छमाही देय	10.50 प्रतिशत वार्षिक, छमाही देय

(II) **राज्य योजना से बाहर** : परियोजना/स्कीमों की वित्त पोषण पद्धति मामला दर मामला आधार पर निर्भर करती है किन्तु भारतीय जीवन बीमा निगम का अंशदान किसी भी हालत में परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। ब्याज दर, बाजार की प्रचलित दर पर वसूल की जाती है, वर्तमान दर 16.5 प्रतिशत वार्षिक है।

विवरण-II

हडको द्वारा 1.4.1992 से 24.7.1995 तक वित्त पोषित जल आपूर्ति स्कीमें

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	ऋण राशि	रिलीज किया गया ऋण (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	अरूणाचल प्रदेश	15	2416.06	11555.29	0.00
2.	असम	8	4259.28	2963.80	948.21

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	1	628.16	440.00	421.30
4.	कर्नाटक	5	7491.08	4910.89	1820.75
5.	केरल	3	3761.88	2354.37	950.37
6.	मध्य प्रदेश	1	795.27	200.00	0.00
7.	महाराष्ट्र	5	25526.04	11183.44	4475.76
8.	उड़ीसा	5	10752.62	7179.50	2376.31
9.	पंजाब	45	4456.43	3098.76	1538.85
10.	राजस्थान	32	10782.92	7583.42	2021.22
11.	तमिलनाडु	5	9759.17	2133.75	1605.24
12.	पश्चिम बंगाल	7	10797.84	5109.00	2442.00
	स्कीम टाईप योग	132	91426.75	48912.22	18610.00

विवरण-III

जल आपूर्ति तथा सीवरेज स्कीमों वास्ते भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायता

	राज्य	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.12	3.92	4.46
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	1.19	1.19
3.	असम	0.44	0.57	0.57
4.	बिहार	–	–	–
5.	गोवा	5.53	6.07	4.29
6.	गुजरात	19.23	24.25	26.59
7.	हरियाणा	–	1.35	1.35
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	6.07	6.65	6.65
10.	कर्नाटक	5.68	4.89	6.71
11.	केरल	10.00	15.76	18.06
12.	मध्य प्रदेश	18.98	21.56	23.42
13.	महाराष्ट्र	42.28	43.23	35.94
14.	मणिपुर	0.97	1.15	1.15
15.	मेघालय	–	0.20	–
16.	मिजोरम	1.67	2.10	2.55
17.	नागालैंड	2.28	2.90	2.90
18.	उड़ीसा	5.01	5.60	11.23
19.	पंजाब	19.20	21.22	21.22
20.	राजस्थान	4.87	5.33	6.72
21	सिक्किम	–	–	–
22.	तमिलनाडु	32.10	38.75	43.59
23.	त्रिपुरा	–	0.85	0.85
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
25.	प. बंगाल	4.45	8.67	8.67
		181.88	216.21	228.11

[अनुवाद]

केरल का मोइदू पुल

161. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तेल्लिचेरी और कन्नानूर के बीच मोहदू पुल के मरम्मत कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या मरम्मत का कार्य केरल राज्य प्राधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मोहदू पुल का लगभग 50 प्रतिशत मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) इस परियोजना के लिए 2063 लाख रु. की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) मरम्मत कार्य केरल के लोक निर्माण विभाग द्वारा केरल इलैक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी लि. जो केरल सरकार का एक उपक्रम हैं, के माध्यम से किए जा रहे हैं।

(ङ) इस कार्य की सितम्बर, 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

गोवा में पेयजल

162. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या शहरी कार्य और रोगजार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में विशेषज्ञ दल ने ऐसे कितने नगरों का पता लगाया है जिनमें पेयजल की कमी है और इससे कितने लोग प्रभावित हैं;

(ख) पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए गोवा सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई और इस संबंध में कितने कार्य पूरे किए गए/कितने कार्य प्रगति पर हैं और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान निर्माणाधीन और नई पेयजल योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई; मंजूर/जारी की गई और इन योजनाओं के कुशल और समय से कार्यान्वयन के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और

(घ) क्या योजना के कार्य–निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले और इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए स्कीमें राज्य पी.एच.ई. विभागों तथा जल बोर्डों द्वारा बनाई, निष्पादित तथा प्रबोधित की जाती हैं। केन्द्र तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर इन स्कीमों के कार्य निष्पादन का प्रबोधन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

गोआ में शहरी जल आपूर्ति के लिए राज्य योजना में दिए गए परिव्यय तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय इस प्रकार है :

वार्षिक योजना	परिव्यय	व्यय (रुपये करोड़ में)
1992–93	10.24	10.74
1993–94	13.06	19.94
1994–95	15.04	15.19
1995–96	16.71	
	(अनन्तिम)	

इसके अतिरिक्त, गोवा सरकार को त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कालयुटे तथा रेशमजोज नामक दो नगरों के लिए जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान दो किस्तों में 16.38 लाख रुपये का केन्द्रीय अंश जारी किया गया था।

दक्षिण एशियाई देशों के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

163. **डा. कृपासिन्धु भोई : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण सन्धि है;

(ख) दक्षिण एशिया में किन–किन देशों के साथ प्रत्यर्पण सन्धि करने का विचार है; और

(ग) यह सन्धि देश के लिए कितनी लाभदायक होगी?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) केवल नेपाल और भूटान के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि प्रवृत्त है।

(ख) सरकार का किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश के साथ संधि करने का विचार नहीं है।

(ग) प्रत्यर्पण संधि से दोनों देशों के बीच भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण में सुविधा होती है।

प्रभाकरन का प्रत्यर्पण

164. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रभाकरन के प्रत्यर्पण के संबंध में श्रीलंका सरकार से कोई पत्र–व्यवहार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका सरकार इस पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या सरकार को श्रीलंका सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने श्रीलंका स्थित भारत के हाई कमीशन के माध्यम से 3 जून, 1995 को औपचारिक रूप से श्रीलंका की सरकार को सहायक दस्तावेजों सहित 3 अलग–अलग अनुरोध दिए थे जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि 21.5.1991 को मद्रास के निकट श्री. पेरूमबूदर में भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और अन्य लोगों की हत्या से संबंधित वाद संख्या आर सी 9(एस) 91/एस सी वी मद्रास (सी सी सं. 11/1992) में अभियुक्त (एक) लिट्टे के नेता वी. प्रभाकरन; (दो) लिट्टे के आसूचना प्रमुख कुट्टु ओमन उर्फ शिवशंकर; तथा (तीन) लिट्टे के महिला आसूचना स्कन्ध की उप प्रमुख उकीला उर्फ अकीला अक्का को पूनामल्ली, मद्रास स्थित विशेष न्यायालय–1 में मुकदमा चलाने के लिए पकड़कर प्रत्यर्पित किया जाए।

(ग) जी हां।

(घ) श्रीलंका के विदेश मंत्रालय में इस प्रत्यर्पण अनुरोध को श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया है (जो प्रत्यर्पण संबंधी मामलों को देखने वाला नोडल मंत्रालय है) और इस मंत्रालय ने इस मामले में श्रीलंका के एटार्नी की सांविधिक राय जानने के लिए इस अनुरोध को उनके पास भेज दिया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी आधारभूत ढांचे का विकास

165. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि स्थानों में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास हेतु अनुदान देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शहर में कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ग) इन शहरों में शुरू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत, केन्द्र सरकार ने कलकत्ता, बम्बई मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर में अवस्थापना के विकास के लिए चालू योजना अवधि के दौरान अनुदान देने का निर्णय किया है।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में 1994–95 के दौरान विभिन्न शहरों के लिए निम्नलिखित धनराशि दी गई;

	मेगा शहर का नाम	1994–95 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपयों में)
1.	कलकत्ता	16.१
2.	बम्बई	16.1
3.	मद्रास	11.1
4.	हैदराबाद	11.1
5.	बंगलौर	20.1

इस स्कीम के तहत, 1995–96 के लिए इन मेगा शहरों को दिए जाने हेतु 84 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है।

(ग) चयनित मेगा शाहरों में किए गए/किए जाने वाले कार्यक्रमों में शहरी अवस्थापना विकास निर्माण कार्य, जल आपूर्ति,

मल–जल निर्यास, नाले, सफाई व्यवस्था, नगर परिवहन नेटवर्क, भूमि विकास, स्लम सुधार ठोस कूड़ा प्रबन्ध, आदि शामिल हैं।

लंबित विद्युत परियोजनाएं

166. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री बोल्ला बल्ली रामय्या :
श्री राम कापसे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्युत परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु प्रतीक्षारत है और जिन्हें अब तक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब किए जाने के क्या कारण है;

(ग) स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य–वार कितनी प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है तथा इनमें उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा;

(घ) 1994–95 के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूर/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं हेतु 1995–96 के लिए मांगी गई धनराशि की तुलना में परियोजना–वार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ङ) विदेशी संस्थाओं, विश्व बैंक/विदेशी निवेशकों द्वारा वित्त पोषित तथा विदेशी पूंजी निवेश के लिए विचाराधीन परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण–I व II में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के पास तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति हेतु लम्बित विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के बारे में अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरणों के लिए परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है। अन्य अनेक प्रस्तावों के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के अलावा अपेक्षित सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां केन्द्र और राज्यों में स्वीकृति प्रदान करने वाली एजेन्सियों से प्राप्त करनी अपेक्षित हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निधियां न तो स्वीकृत की जाती हैं और न ही मुहैया कराई जाती हैं।

(ङ) 15 निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा किया जा रहा है और वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। देश में निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने के लिए विदेशी इच्छुक निवेशकों से 52 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 16 परियोजनाओं को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु जांचाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
1.	प्रबाती चरण–3 (एच)	3×167 मे.वा.
	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हि. प्रदेश का संयुक्त उद्यम	
2.	मलाना (निजी क्षेत्र) (एच)	2×43 मे.वा.
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.	सेवा चरण–2 (एच)	3×40 मे.वा.
2.	नया गंडेरबाल (एच)	3×15 मे.वा.
3.	परकाचिक पनिखर (एच) चरण–1 एवं 2	5×12 मे.वा.
	राजस्थान	
1.	सूरतगढ़ चरण–2 (ता)	2×250 मे.वा.
2.	कोटा चरण–4 (ता)	1×210 मे.वा.
3.	चित्तौड़गढ़ टीपीएस (ता) (निजी क्षेत्र)	1×500 मे.वा.
4.	धौलपुर (ता) (निजी क्षेत्र)	2×350 मे.वा.
	उत्तर प्रदेश	
1.	विष्णुप्रयाग (एच) (निजी क्षेत्र)	4×100 मे.वा.

1	2	3
2.	जवाहरपुर (ता) (निजी क्षेत्र)	2×400 मे.वा.
3.	अनपारा "सी" (ता)	2×250 मे.वा.
4.	रोसा फेज–1 (ता) (निजी क्षेत्र)	2×250 मे.वा.
गुजरात		
1.	मंगरोल लिग्नाइट (ता) (निजी क्षेत्र)	1×250 मे.वा.
2.	पैट्रो–कैमिकल पावर प्लांट (ता) निजी क्षेत्र)	145 मे.वा.
3.	घोगा लिग्नाइट (ता) (संयुक्त उपक्रम)	2×120 मे.वा.
4.	हजीरा सीसीजीटी परियोजना (ता) (निजी क्षेत्र)	3×110 जीटी +1×180 एसटी
5.	जामनगर (ता) (निजी क्षेत्र)	2×250 मे.वा.
6.	वातवा सीसीजीटी (ता) (निजी क्षेत्र)	140 मे.वा.
7.	कवास सीसीजीटी (एन टी पी सी)	650 मे.वा,
8.	गंधार सीसीजीटी (ता) (निजी क्षेत्र)	645 मे.वा.
मध्य प्रदेश		
1.	कोरबा वैस्ट (ता) (निजी क्षेत्र)	2×210 मे.वा.
2.	गोपालपुर (एच)	2×12.5 मे.वा.
3.	पेंच (ता) (निजी क्षेत्र)	2×250 मे.वा.
4.	भिलाई (ता) (निजी क्षेत्र)	2×250 मे.वा.
5.	भंडेर स्थित सीसीजीटी संयंत्र (ता) (निजी क्षेत्र)	
6.	ग्वालियर डीजी प्लांट (ता) (निजी क्षेत्र)	126 मे.वा.
7.	पुराना कोरवा स्थित कोयला आधारित टीपीएस	3×30 मे.वा.
8.	कोरवा पूर्वी टीपीएस (ता) (निजी क्षेत्र)	2×500 मे.वा.
9.	नरसिंहपुर डीजी पावर प्लांट (निजी क्षेत्र)	125 मे.वा.
महाराष्ट्र		
1.	खापर–खेड़ा यूनिट–5 एवं 6 (ता) (निजी क्षेत्र)	2×210 मे.वा.
2.	भिवपुरी सीसीजीटी (ताप) (निजी क्षेत्र)	450 मे.वा.
आंध्र प्रदेश		
1.	विशाखापत्तनम (विजाग) (ता) (निजी क्षेत्र)	2×500 मे.वा.
2.	वाडापल्ली टीपीएस (ता) (निजी क्षेत्र)	2×60 मे.वा.
3.	रायलसीमा (ता) (निजी क्षेत्र)	2×210 मे.वा.
4.	भूपालापत्ती (ता) (निजी क्षेत्र)	2×67.5 मे.वा.
5.	रामागुंडम चरण–3 (एनटीपीसी) (ता)	1×500 मे.वा.
कर्नाटक		
1.	मंगलौर (ता) (निजी क्षेत्र)	4×250 मे.वा.
2.	रायचूर (ता)	2×210 मे.वा.
3.	येलाहांका डीजी सैट्स स्टेशन विस्तार	2×23.4 मे.वा.
4.	टोरंगल्लू (ता) (निजी क्षेत्र)	2×120 मे.वा.
5.	मंगलौर (ता) (निजी क्षेत्र)	2×500 मे.वा.
केरल		
1.	आदिरापल्ली (एच)	2×80 मे.वा.
2.	कसारकोडे डीजी (ता)	60 मे.वा.
3.	कसारकोडे टीपीएस (ता)	3×500 मे.वा.
4.	कसारकोडे सीसीपीपी (ता) (निजी क्षेत्र)	500 मे.वा.
5.	कसारकोडे डीजीपीपी (ता)	60 मे.वा.
तमिलनाडु		
1.	कुडालोर (ता) (निजी क्षेत्र)	2×535 मे.वा.
2.	नार्थ प्रदास (ता) (निजी क्षेत्र)	2×500 मे.वा.
3.	समायानल्लूर डीजी (ता) (निजी क्षेत्र)	100 मे.वा.
4.	बेसिन ब्रिज डीजी (ता) (निजी क्षेत्र)	220 मे.वा.
5.	पिल्लईपेरू (ता) (निजी क्षेत्र)	300 मे.वा.
6.	श्रीमुशनम (ता) (निजी क्षेत्र)	2×250 मे.वा.
बिहार		
1.	जोजोबेरा (ता) (निजी क्षेत्र)	3×67.5 मे.वा.
2.	कटिहार (ता)	2×250 मे.वा.

1	2	3
3.	संख चरण–2 (एच)	2×5+3×70 मे.वा.
	उड़ीसा	
1.	सिंडोल (एच)	5×20+5×30 +6×20 मे.वा.
2.	अतिरिक्त उत्पादन (एच) (हीराकुंड बी एंव चिपलिमा बी)	4×52+4× 50 मे.वा.
3.	तलचेर एसटीपीएस (एनटीपीसी) (ता)	4×500 मे.वा.
	पश्चिम बंगाल	
1.	गौरीपुर (ता) (निजी क्षेत्र)	2×67.5 मे.वा.
	असम	
1.	कारवी लांगपी (संयुक्त उपक्रम) (एच)	2×50 मे.वा.
2.	अमगुड़ी सीसीजीटी संयंत्र (ता)	266 मे.वा.
	मणिपुर	
1.	तिपाईमुख मल्टीपरपस (एच)	6×250 मे.वा.
	अरूणाचल प्रदेश	
1.	रंगानदी एसटी–2 (एच) (नीपको)	12×50 मे.वा.

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न परियोजनाओं को निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान किया गया :

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
	राज्य क्षेत्र		
1.	विशाखापत्तनम टीपीपी	आंध्र प्रदेश	2×500
2.	महेश्वर एचईपी	मध्य प्रदेश	10×40
3.	घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	2×125
4.	रामगढ़ जीटी	राजस्थान	1×35.5
5.	भटिंडा टीपीपी (जीएनडीटीपीपी) यूनिट 5 एवं 6	पंजाब	2×210
6.	शाहपुरकंडी डैम प्रोजैक्ट	पंजाब	168
7.	बक्रेश्वर टीपीपी	प. बंगाल	5×210
8.	ब्रह्मपुरम स्थित डीजी सैट्स	केरल	5×20
9.	रायलसीमा टीपीपी चरण–2	आंध्र प्रदेश	2×210
10.	पुरूलिया पीएसएस	प. बंगाल	900
11.	कोठागुडम टीपीपी चरण–5	आंध्र प्रदेश	2×250

1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजैक्ट चरण–2	म. प्र.	2×500
2.	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजैक्ट चरण–2	उ. प्र.	2×210
3.	कोपिली एचई परियोजना	नीपको	2×50
4.	अगरतला गैस आधारित पावर प्रोजैक्ट	नीपको	4×21

विवरण-III

क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4
दिल्ली			
1.	वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट	3×34	3/95 (वास्तविक) 9/95 एवं 12/95
हरियाणा			
1.	पानीपत चरण–4 यूनिट–6	210	आठवीं योजना से आगे
पंजाब			
1.	रोपड़–6	210	3/93 (वास्तविक)
2.	जी एंड डीटीपी भटिंडा चरण–2	2×210	3/97 एवं 12/97
राजस्थान			
1.	कोटा विस्तार–5	210	3/94 (वास्तविक)
2.	सूरतगढ़	2×250	3/97 एवं 98–99
3.	रामगढ़ जीटी	3	11/94 (वास्तविक)
4.	रामगढ़ जीटी विस्तार	35.5	8/95
5.	बरसिंगसर लिग्नाइट (एनएलसी)	2×210	*
उत्तर प्रदेश			
1.	अनपारा "बी" यूनिट–4 एवं 5	2×500	7/93 एवं 7/94 (वास्तविक)
2.	टांडा यूनिट–4	110	*

1	2	3	4
3.	एनसीटीपीपी–2 यू–3 एवं 4 (एनटीपीसी)	3×210	12/92 (वास्तविक)
			3/93 (वास्तविक)
			3/94 (वास्तविक)
4.	दादरी सीसीजीटी (एनटीपीसी)	जीटी 2×131	6/92 (वास्तविक)
			10/92 (वास्तविक)
		एसटी 2×146.5	2/94 (वास्तविक)
			3/94 (वास्तविक)
5.	फिरोजगांधी टीपीपी (एनटीपीसी)	2×210	1/2000, 7/2000
	जम्मू व कश्मीर		
1.	पम्पोर जीटी चरण–2	4×25	1, 2, 4/94 (वास्तविक)
			3/95 (वास्तविक)
	गुजरात		
1.	सिक्का विस्तार–2	120	3/93 (वास्तविक)
2.	कच्छ लिग्नाइट	75	12/96
3.	उत्राण सीसीजीटी	जीटी : 1×33	3/93 (वास्तविक)
		एसटी : 1×45	7/93 (वास्तविक)
4.	कवास सीसीजीटी (एनटीपीसी)	जीटी : 2×106	5/92 (वास्तविक)
			6/92 (वास्तविक) एवं
			8/92 (वास्तविक)
		जीटी : 2×110	2, 3/93 (वास्तविक)
5.	गंधार सीसीजीटी (एनटीपीसी)	जीटी : 1×131	3, 5/94 (वास्तविक)
		एसटी: 13255	3/95 (वास्तविक)
	मध्य प्रदेश		
1.	संजय गांधी टीपीपी 1 एवं 2	2×210	3/93, 3/94 (वास्तविक)
2.	संजय गांधी टीपीपी 3 एवं 4	2×210	12/97, 6/98
3.	पेंच टीपीपी यूनिट 1 एवं 2	2×210	निजी क्षेत्र
4.	कोरबा वैस्ट यूनिट–5 एवं 6	2×210	निजी क्षेत्र
5.	विंध्याचल एसटीपीपी (एनटीपीसी)	2×500	2/2000, 2000–01

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
1.	उरान डब्ल्यू एच पी–1 एवं 2	2×120	3/94, 10/94 (वास्तविक)
2.	उरान डब्ल्यू एच पी–3	120	*
3.	खापरखेड़ा विस्तार–यूनिट–3 एवं 4	2×210	निजी क्षेत्र
4.	चंद्रपुर टीपीपी–7	500	7/97
5.	ट्राम्बे सीसीजीटी	जीटी : 1×120	7/93 (वास्तविक)
		एसटी : 1×60	12/94 (वास्तविक)
6.	दहानू टीपीपी (बीएसईएस)	2×250	1/95 एवं 3/95 (वास्तविक)
आंध्र प्रदेश			
1.	रायलसीमा चरण–1	2×210	3/94 एवं 2/95 (वास्तविक)
2.	रायलसीमा चरण–2 यूनिटी–1 एवं 2	2×210	निजी क्षेत्र
3.	विजयवाड़ा 5 एवं 6	2×210	3/94 एवं 2/95 (वास्तविक)
4.	कोठागुंडम टीपीपी चरण–5 यूनिट–9 एवं 10	2×250	3/97, 9/97
5.	विशाखापत्तनम यूनिट–1 एवं 2	2×500	*
कर्नाटक			
1.	रायचूर–4	210	9/94 (वास्तविक)
2.	बंगलौर डीजी सैट्स	6×21.32	3/93, 5/93, 7/93, 10/93, 11/93 एवं 1/94 (वास्तविक)
3.	कोलार, बिदर, इंडी एवं जामखंडी स्थित डीजी सैट्स	12×6.48	8वीं योजना से पिछड़ गई है।
केरल			
1.	ब्रह्मपुरम डीजी सैट्स	5×20	2/96, 3/96, 3/96, 6/96 एवं 7/96
पांडिचेरी			
1.	कराइकल सीसीजीटी	जीटी : 3×5	*
		एसटी : 1×7.5	
तमिलनाडु			
1.	नार्थ मद्रास यूनिट–1, 2 एवं 3	3×210	10/94, 3/95 (वास्तविक), 1/96
2.	बेसिन ब्रिज जीटी	4×30	12/95, 1/96, 2/96 एवं 3/96

1	2	3	4
3.	नैवेली 6 एवं 7	2×210	10/92 एवं 6/93 (वास्तविक)
4.	नैवेली जीरो	210	निजी क्षेत्र
बिहार			
1.	तेनुघाट यूनिट–1 एवं 2	2×210	4/94 (वास्तविक) 2/96
2.	तेनुघाट चरण–2 यू–3, 4 एवं 5	3×210	निजी क्षेत्र
3.	कहलगॉव एसटीपीएस	4×210	3/92, 3/94, 3/95 (ए) 6/96
	यूनिट–1, 2, 3 एवं 4 (एनटीपीसी)		
4.	बोकारो "बी" (डीवीसी)	210	3/93 (वास्तविक)
पश्चिम बंगाल			
1.	कोलाघाट 6 एवं 4	2×21	1/93, 12/93 (वास्तविक)
2.	बक्रेश्वर	5×210	*(यूनिट 1, 2 और 3)
			12/99, एवं 6/99
3.	बज बज (सीईएसए)	2×250	6/96, 12/96 (प्रि॰)
4.	फरक्का–4 एवं 5 (एनटीपीसी)	2×500	9/92 एवं 2/94 (ए)
5.	मेजिया यू–1, 2 एवं 3 (डीवीसी)	3×210	2/96, 12/96 एव 9/97
6.	फरक्का चरण–3	500	*
	यूनिट–6 (एनटीपीसी)		
उड़ीसा			
1.	इब घाटी फेज–1	2×210	5/94 (ए) एवं 8/95
	यूनिट 1 एवं 2 (ओपीजीसी)		
2.	इब घाटी फेज–2	2×210	निजी क्षेत्र
	यूनिटी–3 एवं 4		
3.	तलचेर एसटीपीपी	2×500	2/95 (ए), 12/95
असम			
1.	लाकवा जीटी–5, 6 एवं 7	3×20	1/94, 3/94 एवं
			3/95 (ए)
2.	अमगुड़ी सीसीजीटी	जीटी : 8×30	
		एसटी : 4×30	

1	2	3	4
3.	कैथलगड़ी सीसीजीटी	जीटी : 6×33.5	3/95, 3/95ए 6/95 (ए)
			8/95ए 12/95
		एसटी : 3×30	96–97, 96–97 एवं 96–97
त्रिपुरा			
1.	रोखिया जीटी चरण–3	2×8	7/95 (ए) एवं 9/95
	यूनिट–3 एवं 4		
2.	रोखिया जीटी चरण–2	2×8	6/96 एवं 9/96
	यूनिट–5 एवं 6		
3.	अगरतला जीटी (नीपको)	4×21	2/96, 3/96, 4/96 एवं 5/96

*चूंकि मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए अभी आर्डर दिए जाने हैं। इसलिए चालू करने के कार्यक्रम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

*गैस की उपलब्धता के आधार पर, परियोजना की क्षमता 280 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

जल विद्युत परियोजनाए

1	2	3	4
हरियाणा			
1.	दादुपुर	4×1.5	निजी 1998–99
हिमाचल प्रदेश			
1.	घानवी	3×7.5	निजी 2000–01
2.	एन जे पी सी	6×250	1998–2000
3.	ऊहल–3	4×17.5	निजी 2000–01
4.	बनेर	3×4	1995–96
5.	गज	3×3.5	1995–96
6.	थिरोट	3×1.5	1994–96
		यू– 1 एवं 3 चालू की जा चुकी है।	
7	लारजी	3×42	2001–02
8.	बासपा चरण–2 (निजी)	3×100	2001–02
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	दुलहस्ती	3×130	1998–99

1	2	3	4
2.	उड़ी	4×120	1996–98
3.	(क) अपर सिंध–2	2×35	1997–98
	(ख) अपर सिंध विस्तार	1×35	1998–99
4.	कारगिल	3×1.25	1995–96
5.	किशनगंगा	3×110	20006–07
पंजाब			
1.	शाहपुरकंडी	2×40+2×40+1×8	1999–2000
2.	रंजीत सागर	4×150	1997–99
राजस्थान			
1.	जाखम	2×2.5	1997–98
उत्तर प्रदेश			
1.	विष्णुप्रयाग	4×100	2001–02 निजी
2.	श्रीनगर	6×55	निजी 2001–02
3.	सोबला	2×3	1996–97
4.	लखवार–व्यासी	3×100+2×60	2000–01
5.	मनेरी भाली–2	4×76	2000–01
6.	टिहरी चरण–1 (टीएचडीसी)	4×250	1999–2000
7.	धौलीगंगा (एनएचपीसी)	4×70	2001–02
गुजरात			
1.	कदाना पीएसएस विस्तार	2×60	1995–97
2.	सरदार सरोवर	6×200+5×50	1995–2001
मध्य प्रदेश			
1.	बाणसागर टौन्स फेज–2 एवं 3	2×15+3×20	1997–98
2.	बाणासागर टौन्स फेज–4	2×210	1998–99
3.	इंदिरा सागर	8×125	2000–02
4.	इंदिया सरोवर	4×125	2006–07
5.	राजघाट	3×15	1996–97
6.	तावा एलबीसी (निजी)	2×6	1996–97
7.	महेश्वर (निजी)	10×40	1999–2001

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
1.	भंडारधारा चरण–2	1×34	1995–96
2.	सूर्या	1×6	1995–96
3.	वारना	2×8	1996–97
4.	कोयना चरण–4	4×250	1997–99
5.	दूधगंगा	2×12	1996–97
6.	डिंभे	1×5	1995–96
7.	घाटघर पीएसएस	2×125	200–01
8.	भिवपुरी पीएसएस (निजी)	1×90	2001–02
आन्ध्र प्रदेश			
1.	श्रीसेलम एलबीपीएच	6×150	1997–2000
2.	सिंगूर	2×7.5	1996–97
3.	सोमासिला	2×5	1998–99
4.	बल्लीमेला स्थित एपी पावर हाऊस	2×30	2006–07
5.	गुंटूर ब्रांच कैनाल (निजी)	2×2	1997–98
6.	गुंटूर ब्रांच कैनाल–2 (निजी)	2×2.25	1997–98
कर्नाटक			
1.	डंडेली	2×30	2006–07
2.	कालीनदी चरण–2	2×40+2×50	1996–98
3.	वृन्दावन	2×6	1998–99
4.	भ्रद्रा	1×6	1997–98
5	शारावथी टी.आर.	4×60	1997–99
6.	बेड़थी	2×105	2006–07
7.	लोअर पैरयर	3×60	1995–97
8.	मलानकारा	2×3.5	1996–97
9.	कक्कड़	2×25	1995–97
10.	पोरिंगलकुथू एलबी विस्तार	1×16	1996–97
11.	कुट्टीयाडी विस्तार	1×50	2001–02
12	पुयानकुट्टी चरण–2	2×120	2005–06

1	2	3	4
13.	अन्नाकायम	2×4	1997–98
तमिलनाडु			
1.	लोअर भवानी डैम	2×4	1996–97
2.	सथानूर डैम	1×7.5	1996–97
3.	पारसन्स वैली	1×30	1998–99
4.	पिकारा अल्टीमेटर चरण	3×50	1999–2001
बिहार			
1.	कोयल कारो (एनएचपीसी)	4×172.5+1×20	2004–06
2.	पूर्वी गंडक	3×5	1994–96
3.	सोन पूर्वी कैनाल	2×1.65	1995–96
4.	चांडिल	2×4	1996–97 (क्रिटिकल)
5.	नार्थ कोयल	2×12	1997–98
सिक्किम			
1.	रंगीत–3 (एनएचपीसी)	3×20	1996–97 (क्रिटिकल)
2.	रथींगचू	3×10	1999–2000
उड़ीसा			
1.	अपर इन्द्रावती	4×150	1997–98
2.	पोत्तेरू	2×3	1995–96
3.	बल्लीमेला विस्तार	2×60	1998–99
4.	बारगढ़ कैनाल	3×3	1998–99
पश्चिम बंगाल			
1.	रामम चरण–2	4×12.5	1994–96
2.	तीस्ता फाल्स 1–4	2×3×7.5	1996–98
3.	रामम चरण–1	3×12	1998–99
4.	पुरूलिया	4×225	2001–02
अरूणाचल प्रदेश			
1.	रंगानदी (नीपको)	3×135	1997–99
2.	नूरानांग	3×2	1996–97

1	2	3	4
नागालैण्ड			
1.	दोयांग (नीपको)	3×25	1997–99
2.	लिकिम–रो	3×8	1998–99
असम			
1.	कोपिली विस्तार (नीपको)	2×50	1996–97
2.	कारबी लांगपी (लोअर बोरपानी)	2×50	1998–99
3.	धानसिरी	5×3×1.33	1995–97
4.	डालमिया	3×2	2006–07
मिजोरम			
1.	सिलेरू–बी	2×4.5	1998–99

सरकारी मुद्रणालयों के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण

167. **श्री बलराज पासी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई मंत्रालय/विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्टों का मुद्रण भारत सरकार के मुद्रणालयों के माध्यम से नहीं करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993–94 और 1994–95 में किन–किन मंत्रालयों/विभागों ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों का मुद्रण कार्य भारत सरकार के मुद्रणालयों की अपेक्षा अन्य स्थानों से कराया है;

(ग) इस प्रकार से कराए गए मुद्रण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और क्या मार्गनर्दिशों में बाहरी एजेंसियों से इस प्रकार मुद्रण कार्य करवाने की अनुमति दी गई है; और

(घ) इस संबंध में जारी किए जाने वाले अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) यह सत्य है कि कुछ मंत्रालय/विभाग भारत सरकार मुद्रणालय के माध्यम से अपनी वार्षिक रिर्पोटें मुद्रित नहीं करवा रहे हैं। इस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में यह अपेक्षा की गई है कि जब तक मुद्रण निदेशालय से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्राप्त न कर लिया जाय, सभी सरकारी कार्यों का मुद्रण भारत सरकार मुद्रणालयों द्वारा ही कराया जाये। मुद्रण निदेशालय आर्डर देने वाले मंत्रालय/विभाग को उसी सिथति में "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" जारी करता है यदि यह साधनों अथवा समय की कमी के कारण अपेक्षित मुद्रण कार्य को करने में असमर्थ रहता है। मंत्रालयों/विभागों, जिन्होंने 1993–94 और 1994–95 में भारत सरकार मुद्रणालयों की बजाय अन्य स्थानों से अपने वार्षिक रिर्पोटें मुद्रित करवायी हैं और उन पर हुए खर्च के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

12.02 म०प०

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध की घटनाओं में वृद्धि के बारे में

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है। इसके कई उदाहरण हाल में सामने आये हैं। ऐसे उदाहरण जो लोमहर्षक है, क्रूरता की सीमा को पार करने वाले हैं। इस कारण जनजीवन अस्त–व्यस्त है, उत्तेजित है। मैंने इसलिए आपकी अनुमति चाही थी कि आप मुझे सारे मामले को एक काम रोको प्रस्ताव के रूप में उठाने की इजाजत दे। दिल्ली में निर्वाचित विधान सभा है, निर्वाचित सरकार भी है लेकिन कानून और व्यवस्था

उसकी सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। दिल्ली की कानून और व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी हैं अब अगर सदन में दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति की चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा, तन्दूर जैसा कांड हो जाये और उसके बारे में सारी दुनिया में चर्चा हो और यह सदन इस पर चर्चा के लिए समय न निकाल सके या नियमों का हवाला देकर चर्चा को आप सुगम बनाने में हम सबकी मदद न करें, तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते।

आज सदन के सत्र का पहला दिन है। सारे देश की आंखें सदन के सत्र की ओर लगी है, पार्लियामेंट से वह स्थान दूर नहीं है। मेरा घर तो बिल्कुल उसके पास है। अध्यक्ष महोदय, आईटीडीसी का होटल...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ (बोलपुर) : मेरा घर तो एकदम बाजू में है। मैं खतरे में हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वे किसी तन्दूर में नहीं फिट होंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप लोग इस घटना के बारे में शायद इसलिए अनुमति नहीं दे रहे हैं कि...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं वाजपेयी जी, मैंने जो किया है, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते। जो हुआ है, उसके ऊपर करिये।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होता है अथवा नहीं। यदि आपका मुद्दा कानूनी है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन मान लीजिये कि आप सच कह रहे हैं फिर भी यदि आप पूछें कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत क्यों नहीं किया गया तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, मैं आपको अपने विचार रखने का अवसर दे रहा हूं और अपने विचार रखने का आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय बात इतनी नही है आप मुझे पूरा करने दें। संसदीय लोकतन्त्र मामले उठाये जायें, यह जहां महत्वपूर्ण है, मामले किस तरह से उठाये जाये, इसका भी महत्व है।

आखिर नियमावली में कामरोको की व्यवस्था क्यों की गई है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव सदस्यों के लिए उपलब्ध वह साधन है जिसके माध्यम से वे लोक हित का मुद्दा उठा सकते हैं। यदि आप यह तर्क देना चाहते हैं कि यह मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के अधीन स्वीकृत किया जा सकता था तो आपके पास नियम पुस्तक है, उसकी टीका है, समीक्षा है, मुझे आप वह नियम या उपबंध बताएं जिसके अंतर्गत इसे स्थगन प्रस्ताव के अधीन स्वीकृत किया जा सकता था। यदि आप मुझे सन्तुष्ट कर देंगे तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन इसे स्थगन प्रस्ताव के अधीन स्वीकार किए जाने योग्य विषय नहीं माना जाए तो उचित होगा। यदि आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो मैं विचार रखने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, चैम्बर में नही।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में प्रत्येक सदस्य का मार्गदर्शन करना मेरे लिए संभव नहीं है कि इसे सभा में कैसे किया जा सकता है। तब प्रत्येक सदस्य मुझसे सलाह लेगा और मुझे सलाह देनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल मुझसे संबंधित नहीं है, यह सारे सदन से है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस सदस्य भी इस सवाल पर सफाई देने जो मौका मिलने वाला है, उसको न छोड़ें। यह सारी पार्टी कटघरे में खड़ी है...**(व्यवधान)** इस मामले में बड़े–बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।...**(व्यवधान)** मंत्रियों के नाम लिए जा रहे है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आप मेरा प्रस्ताव देख लें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : हमने जो कहा वह रिकार्ड में भी है कि सरकार कुछ भी छिपा नही रही है। हम यहां किसी भी आरोप का सामना करने के लिए तैयार है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा करिए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में बात करने वाले हैं या बात करने वालें हैं। मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसे किसी मसले पर लोग और सदन के सदस्य उत्तेजित हैं, उनकी भावनाओं को चोट लगी है और उसके ऊपर विचार होना जरूरी है, ऐसा लगता है, तो संसद के सदस्य उसको रूल के मुताबिक, हमारे नियमों के मुताबिक जिस प्रकार से भी हो, चर्चा कर सकते हैं, जरूर करें रूल्स को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि एक समय एक रूल तोडा गया, तो उस प्रकार से अनेक वक्त से रूल्स तोड़े जा सकते हैं और किसी के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, चर्चा को कोई बन्धन नहीं है। अगर आप कर सकते है, तो चर्चा का कोई बन्धन नहीं है, आप कहते हैं तो। दोनों ओर से सारी और बातें जो आ सकती हैं, जरूर आये। मगर नियमों पर भी चर्चा करने का, मेरे ख्याल से सदन में यें हमको अवसर नहीं मिलता है।

(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है। यह रिकार्ड में आया है। इसको निकाल देना पड़ेगा...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। अगर आपको रिफ्यूट करना है तो आपको भी मौका दिया जाएगा। अगर किसी भी सदस्य के किसी भी निवेदन के खिलाफ किसी के मन में रोष है या सफाई देने की इच्छा है तो उसको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किस सफाई के बारे में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपने पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं–नहीं, बाद में नहीं बताइए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बात ऐसे नहीं चल सकती। उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये हैं। वे उनके विरुद्ध भी कुछ आरोप लगा सकते हैं। आपको इसे परस्पर स्पष्ट करना पड सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जो कुछ यहां पूछा जा रहा है वह यह है कि आय दिन प्रेस में जो आ रहा है उसे पढने क बजाए बेहतर यह होगा कि इस पर यहां चर्चा की जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने चर्चा के लिए ऐतराज नहीं किया है। हमें भी इस विषय पर चर्चा में कोई ऐतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इसे समझ लें। जब मैंने वाजपेयी को इसके बारे में बोलने की अनुमति दी है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको चाहिए था कि उन्हें प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, ऐसा दिखाई देता है कि इस गंभीर मामले पर पूरा सदन चर्चा करना चाहता है। अब यह तय होना है कि चर्चा किस रूप में हो। मेरा एक सुझाव है कि चर्चा काम रोको प्रस्ताव के रूप में होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा सुझाव है तो वह दूसरा सुझाव सत्तारूढ़ दल ला सकता है। वे कटघरे में खड़े हैं, सफाई उनको देनी है...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था. ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एडजर्नमेंट मोशन का रूल बताइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं–नहीं, आप जो एड्जर्नमेंट मोशन की बात कह रहे हैं,

[अनुवाद]

मैं उद्धत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह कह रहा हूं आप चर्चा का दूसरा तरीका निकालिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एडजर्नमेंट मोशन की बात उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं इसके बारे में निर्णय दूंगा :

"सरकार द्वारा किये गये किसी कार्य के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाता है।"

यदि आप यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोई अपराध किया है तो वह एक अलग मुद्दा है।

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधीनगर) : महोदय, क्या मैं कौल और शकधर को उद्धृत कर सकता हूं? जहां तक मेरा संबंध है, मैं यही समझ रहा था कि कल यही निर्णय लिया गया कि पहले दिन हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस समय मुझे अपनी तथा दूसरी तरफ से भी यही राय होने का विश्वास है कि यह वह मुद्दा है जिसके बारे में केवल चर्चा के लिए चर्चा नहीं की जायेगी। यह वह मुद्दा है जिस पर हम इस तरफ बैठने वाले लोग स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की निंदा करते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया है,

अध्यक्ष महोदय : पहले आप निर्णय को उद्धृत करें।

श्री लाल कृष्ण आडवानी : मैं कौल और शकधर की किताब के पृष्ठ 447 पढ़ रहा हूं। इसमें कहा गया है :

> "सामान्यतया किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत सरकार के व्यवहार या उसकी किसी भूल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सम्बंधित होना चाहिये और उसमें भारत सरकार के किसी काम की आलोचना उपलक्षित होनी चाहिये, अर्थात् या तो उसने कोई काम किया है या कोई ऐसा काम करने मे चूक की है, जो कि उस समय करना बहुत आवश्यक था।"

हमारा तर्क यह है जैसा कि हमारे नेता वाजपेयी जी ने अभी–अभी कहा है कि कानून और व्यवस्था, और विभिन्न वारदातों के संबंध में दिल्ली की जो दशा है उससे सारा राष्ट्र हिल उठा है और सुबध है, और इसके लिए राज्य सरकार नहीं वरन् भारत सरकार ही प्रत्यक्ष रूप में जिम्मेदार है। हम इस क्षोभ को व्यक्त करना चाहते हैं। हमारा विचार है कि इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में काम करना हमारा फर्ज़ है। हम इस पर २। तो स्थगन प्रस्ताव, अल्प आवधिक चर्चा आदि आदि के रूप में चर्चा कर सकते हैं लेकिन इस विशेष मामले में मुझे विश्वास है कि सदन तथा दूसरी तरफ के कुछ सदस्य भी सरकार की असफलता के लिए निंदा करते हैं। महोदय, यह तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी किया जा सकता है। मैं शब्दों को दोहराता हूं, "यह भी हो सकता है"। इसके बजाय हम अपने आपको कतिपय मुद्दों अर्थात् राजधानी में अराजकता तथा राजनीतिज्ञों और राजनेताओं की अपराधियों से सांठगांठ होने और राजनैतिक अपराधीकरण के कारण अपराधिक वारदातों में वृद्धि तक ही सीमित रख रहे हैं।

मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि केवल नियमों की बारीकियों के आधार पर इस मामले को उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर अपना विनिर्णय दे रहा हूं। श्री वाजपेयी जी द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव इस प्रकार है :

> "दिल्ली में अपराधों तथा ऐसे अपराधों, जिनसे अपराधियों एवं राजनीतिज्ञों के बीच संबंधों का पता चलता है, में हाल में हुई अभूतपूर्व वृद्धि तथा राजधानी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाने में केन्द्र सरकार की असफलता।"

यह प्रस्ताव का पाठ है। अब मैं नियम पढ़ता हूं जो निम्नलिखित है :

> "इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।"

एक निश्चित विषय पर चर्चा की जा सकती है उदाहरणार्थ लड़ाई शुरू हो गई हो, सूखे के कारण लोग पीड़ित हैं, कोई बहुत गंभीर दुर्घटना हो गई हो, तब आप उस पर इस नियम के अधीन चर्चा कर सकते हैं। इन विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जायेगी। तथापि इस समय आप दिल्ली की कानून एवं व्यवस्था की पूरी स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप इस पर चर्चा कराना चाहते हैं तो कोई भी इस पर स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा। परन्तु आपको इसके लिए उपयुक्त ढंग अपनाना होगा, तभी आप इस पर चर्चा करा पाएंगे। मैं अब तक यह नहीं समझ पाया हूं कि आप सूचना देकर किस विषय पर चर्चा कराना चाहते हैं। यदि आप समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को भी तैयार होना चाहिए। आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि इस पर चर्चा की जाए तो कोई भी इसे अस्वीकृत नहीं कर रहा है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि इस पर यथोचित ढंग से चर्चा की जाए तो आपको उन नियमों के अधीन रहते हुए इसे लाना होगा जिन्हें स्वयं आपने बनाया है अथवा आप ही नियमों को बदल दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब आपने अपना फैसला दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे फैसले पर चर्चा नहीं, मेन मुद्दे पर चर्चा कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपको याद

होगा कि जब हम लोग आपसे मिले थे, उस समय संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित थे, तब यह तय हुआ था कि पहले दिन तंदूर कांड पर भी चर्चा होगी और क्रिमिनलाइजेशन आफ पॉलिटिक्स पर भी चर्चा होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री महोदय एक वक्तव्य देंगे। हम में से बहुत लोगों ने यह मांग की थी कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए, लेकिन आज की कार्य सूची में इसका कोई जिक्र नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे मालूम करूंगा कि इस पर उनकी राय क्या है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसीलिए हमने इसे पेश किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर पहले आ जाता?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर समीति में निर्णय किया जा चुका है। अब यदि आप सूचना देंगे तो मैं उस पर सहमति दे दूंगा और यदि वे सूचना देते हैं तो मैं उन्हें अनुमति दे दूंगा। परंतु यदि उनको इस पर कोई स्पष्टीकरण देना है तो वे दे दें। जो कुछ भी श्री वाजपेयी जी ने कहा है तथा जिस पर समीति में चर्चा की गई थी, इसके उत्तर में सरकार को यदि कुछ कहना है, तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि वह श्री वाजपेयी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक वक्तव्य दे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक निश्चित विषय पर मामला उठाना चाहता हूं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपके समीति कक्ष मे इस मामले पर हुई चर्चा के बाद हमने इस मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि एन.एन. वोहरा समीति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। हम यह भी चाहते हैं कि इस आम रुचि के मामले पर यथोचित नियम, जो भी इस संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता हो, के अंतर्गत चर्चा की जाए। हम इस मामले पर चर्चा कराना चाहते हैं क्योंकि अपराध केवल एक दल विशेष तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। इसका हर जगह बोलबाला है। अतः इस मामले पर गहन चर्चा होनी चाहिए। महोदय, हम इस विषय पर चर्चा का स्वागत करेंगे। अतः कृपया इसके लिए समय दिया जाए।

वोहरा समीति के विषय में हमने गृह मंत्री जी से बात की थी। कोई ऐसी समीति नहीं थी, परन्तु वोहरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाएगा। जो माननीय सदस्य इसकी मांग कर रहे वे इसका अध्ययन कर सकते हैं। मेरे विचार से उसमें लगभग 100 पृष्ठ हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बताएंगे कि इसे सभा पटल पर कब रखा जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, हम इसे कल ही सभा पटल पर रखना चाहेंगे। हमें इसका हिन्दी अनुवाद कराना पड़ेगा तथा दोनों सभाओं के लिए पर्याप्त प्रतियां भी करानी पडेंगीं। मैंने अपने सहयोगी गृह मंत्री से पता किया है तथा उन्होंने कहा है कि वे प्रयास करेंगे तथा कल तक सभा पटल पर इसे रख देंगे। इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। चाहे सारी रात काम करना पड़े, हम प्रयास करेंगे तथा इसे पूरा करेंगे। तत्पश्चात् नियमों के अधीन ग्राह्य समुचित प्रस्ताव लाकर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक बात है कि कोई यह टिप्पणी करे कि कांग्रेस दल कटघरे में है। वास्तव में जब महात्मा गांधी की नाथूराम गोड से द्वारा हत्या की गई थी उस समय ये ही लोग कटघरे में थे, हम नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभी लोग आरोप लगाने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हम बैठकर उनकी बात सुनते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जो कुछ भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी कहा है, मुझे उसके बारे में एक शंका है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि चर्चा हो, तथा वह चर्चा, जब भी हो उसकी विषय–वस्तु एन. एन. वोहरा के प्रतिवेदन तक ही सीमित रहे। हम इससे सहमत नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं, महोदय, मुझे खेद है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा आशय यह नहीं है। अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच संबंध पर भी चर्चा की जा सकती है। हम इसे विशेष रूप से एन. एन. वोहरा प्रतिवेदन

तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। मैं इसमें एक और बात जोडना चाहता हूं। हमने एन. एन. वोहरा रिपोर्ट के बारे में आपके कक्ष में बात की थी। प्रत्येक व्यक्ति इसे देखना चाहता है। इसलिए अपवाद स्वरूप इसे पूर्वोदाहरण न माना जाए–मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए। इसे पूर्वोदाहरण के रूप में न लिया जाए तथा इसके आधार पर तथा अधिकार स्वरूप उनके द्वारा सरकार के सभी आंतरिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने की मांग नहीं की जानी चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। परन्तु, महोदय मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार, अपवादस्वरूप, सदस्यों की मांग के आधार पर ऐसा कर रही है। इसे पूर्वोदहारण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीन गुप्त : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने आपके कक्ष में यह भी कहा था कि ऐसी जो अप्रिय घटना घटित हो रही हैं, अर्थात्, राजनीतिक अपराधीकरण में जो वृद्धि हो रही हैं उसके बारे में माननीय गृह मंत्री सरकार के विचारों के बारे में एक सुविस्तृत वक्तव्य देंगे। यदि यह राजनीति तक ही सीमित होता तो मैं इसका विरोध करता हूं। लोक जीवन के हर क्षेत्र में अपराधीकरण बढ़ रहा है। अतः इसके लिए केवल राजनीतिज्ञों की ही आलोचना करना ठीक नहीं है। यह प्रसार माध्यम, व्यापार जगत और सभी जगह व्याप्त है। खैर, उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री, अपने पास उपलब्ध सभी सूचनाओं के साथ इस पर एक सुविस्तृत वक्तव्य देंगे। उस आधार पर एक चर्चा की जा सकती है। अतः यह बताएं कि उसका क्या हुआ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस बैठक में यह फैसला नहीं किया गया था कि एन. एन. वोहरा की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। अब, नेतागण इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने की मांग कर रहे है। जब रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी तब इस पर विस्तृत चर्चा की जा सक़ती है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे, और यह बिल्कुल सत्य है कि अपराधीकरण मात्र राजनीति तक ही सीमित न रहकर देशव्यापी हो गया है। यह व्यापार के क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में भी विद्यमान है।

इसलिए, महोदय, मेरा सुझाव है कि जैसे ही सदस्यों को यह रिपोर्ट उपलब्ध हो, वे उसका अध्ययन करें तथा संबद्ध नियम के अधीन, चाहे जो भी नियम हों, महोदय आप इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा करने की अनुमति दें। हम इस चर्चा का स्वागत करेंगे तथा हमारी कोशिश होंगी कि जहां तक संभव हो चर्चा व्यापक हो। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें विषय से नहीं भटकना चाहिए। आप के पास मूल दस्तावेज उपलब्ध है। आप उस मूल दस्तावेज की व्याख्या क्यों चाहते हैं। मूल दस्तावेज सभा पटल पर उपलब्ध है। अब आप उस दस्तावेज की व्याख्या करने को कह रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्षजी, अभी जो बात अटलजी ने रखी, मैं सोचता हूं कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ, उसकी बाबत उन्होंने इसको रखा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं परसों आपके चेम्बर मे यह विवाद खड़ा हुआ और इन्द्रजीत गुप्तजी ने जो बात कही उस पर एक आम सहमति थी। मैं मानता हूं कि आप वहां थे, आपको याद होगा कि यह तय हुआ था कि होम मिनिस्टर यहां बयान देंगे और एक कम्प्रीहेंसिव बयान देंगे। दिल्ली में जो क्राइम है, वह तो है ही, देश भर में भी राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो रिश्ते हैं, वह भी एक चिन्तनीय विषय है। पूरे देश में अपराधों की बाढ़ आई हुई है। लोगों के हाथ काट दिये जाते हैं, लेकिन वे दूर हैं इसलिए चर्चा नहीं होती। लोग चिताओं पर जिंदा जलाये जा रहे हैं, लेकिन वे दूर हैं इसलिए उनके बारे में पता नहीं चलता। इस बाबत यह बात हुई थी कि व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह भी बात हुई थी कि अपराधीकरण अकेले राजनैतिक जीवन में नहीं हैं, बाकी सब जिन्दगियों में भी फैला हुआ है। उन सब पर भी बहस होगी।

जहां तक वोहरा समिति की रिपोर्ट की बात है। मैंने भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसकी बाबत मेरे पास सूचना है और मैं यह समझता हूं कि उससे कोई बड़ा तथ्य निकलने वाला नहीं है। अध्यक्षजी, मैं आपसे और सरकार से कहना चाहता हूं कि अटलजी खड़े, हुए, यह विवाद नहीं होता, अगर चीजें इधर–उधर नहीं होतीं।

अध्यक्ष महोदय : शरदजी, आपके मन की बात हो जायेगी, जो आप चाहते हैं, वह हो जायेगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री शरद यादव : यह बात गम्भीर है। लोगों में चर्चायें तब बढ़िया होती हैं जब उसके प्रति रूझान हो। जो बात अटलजी ने उठाई, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। अपराध होते हैं, लेकिन इन अपराधों के चलते लोगों में इतनी बेचैनी और शर्म महसूस होती है, आपने रूलिंग दे दी...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी रूलिंग पर रूलिंग न दें।

[अनुवाद]

वह विशेषाधिकार का हनन होगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं यह नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपके मन की बात हो जाएगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी महोदय, मैं एक मुद्दे पर आपकी शय लेना चाहता हूं। आपने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव हेतु किसी ठोस मुद्दे का होना आवश्यक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम जैसे सरकारी संगठन में जो घटित हुआ है क्या वह आलोचना तथा स्थगन प्रस्ताव के किसी लिए काफी नहीं है? लाश को जलाने के लिए तन्दूर का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्थगन प्रस्ताव के लिए यह काफी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अपने किसी खास मुद्दे का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका नोटिस नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन में सभी लोग इससे उत्तेजित हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप जो कहना चाहते वह मैं समझ सकता हूं। आप और शरद जी जो कहना चाहते हैं शायद उसके बारे में मैं कोई विनिर्णय दे सकता हूं। यदि आप मुझे बोलने दें तो शायद मैं भी आपको बोलने की अनुमति दे सकूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजनाथ सोनकर जी अब आप बोलें। आपको मौका दिए बिना मैं दूसरे विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोग तो लोक सभा में यहां बैठे हुये हैं और वहां यह सब हो रहा है। तंदूर कांड तो हो चुका है लेकिन...।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं आपको बाद में अलाऊ करूंगा। गीता जी आप क्या कह रही हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : महोदय, मैने अतिलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी थी। यदि आप एक सरकारी होटल के प्रांगण में इस तरीके से की गई जघन्य हत्या को अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं मानते जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी हैं, तब क्या कहा जा सकता है? उन्होंने स्वतः एक समिति गठित की और फिर उसे भंग भी कर दिया। इसलिए, इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने का क्या हमें अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कल की बैठक में जो निर्णय लिया गया था वह यह था कि सभा पटल पर रिपोर्ट को रखा जाएगा या नहीं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वक्तव्य का क्या हुआ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी खातिर दो मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकते।

इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों की यह राय थीं कि मूल रिपोर्ट की सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं अपितु रिपोर्ट पर एक वक्तव्य जारी किया जा सकता हैं

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : एक व्यापक वक्तव्य...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों जिनमें मेरे विचार से श्री बाजपेयी जी तथा कुछ अन्य सदस्य थे, ने यह सुझाव दिया था कि चर्चा मात्र रिपोर्ट तक ही सीमित न रहे अपितु रिपोर्ट के उपरांत होने वाली घटनाओं से भी संबंधित होनी चाहिए। सदस्यों की यही राय थी। मेरे विचार से ऐसे मुद्दे, जिन पर सभा में चर्चा की जा सकती है, उसकी चर्चा की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कब ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से रिपोर्ट कल सभा पटल पर रखने के लिए कह रहा हूं। यदि उनके पास इस रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं तो वे एक–दो दिन में इसकी

प्रतियां निकाल कर सभाओं में बांटे तथा इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखे। यही पहला कार्य है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्य रिपोर्ट मात्र से ही संतुष्ट नहीं हैं। वे देश में तथा समाज के सभी वर्गों विद्यमान समग्र स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि यह एक पुरानी रिपोर्ट है...**(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार को आपराधिक स्थिति तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए अर्थात कुल कितने अपराध हुए, कितने लोगों को दंडित किया गया, किन क्षेत्रों में महिलाओं, किसानों, क्षमिकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों राजनीतिज्ञों तथा अन्य लोगों के प्रति अपराध हुए हैं तथा उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर भी रखा जाना चाहिए। जहां तक हो सके एक व्यापक प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए तथा मैं समझता हूं कि इसमें कुछ समय लगेगा दो या तीन दिनों के अन्दर प्रतिवदेन को सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा बैठ जाइये।

मेरे विचार से श्री बोहरा द्वरा दिये गए प्रतिवेदन और इस प्रतिवेदन को किसी न किसी रूप में सभा में चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए। इस पर चर्चा किस प्रकार करनी है, इसके लिए नेताओं को विभिन्न दलों के साथ बैठक करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि इस पर किस रूप में चर्चा की जा सकती है और यह चर्चा की जायेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं आपके विनिर्णय और सुझाव का स्वागत करता हूं। हम इसका पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष जी, इस बात को इतने हल्के तरीके से लिया गया है। काम्प्रिहैंसिव रिपोर्ट का सवाल ही नहीं आता है। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर यहां कई बार रिपोर्ट आ चुकी है।..**(व्यवधान)**...आप इसको यहां पर किस प्रकार से डिसकस करेंगे?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, तंदूर कांड पर यहां पर चर्चा हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये लेकिन आज मैं आपके और इस सदन के सामने एक ऐसा विषय रख रहा हूं जो अन्य विषयों से बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन और पूरा देश जानता है कि काशी एक धार्मिक शहर है। इस शहर में हमेशा शान्ति रही है। यहां पर हज़ारों वर्षों से जितने प्रकार के भी धार्मिक कार्य–कलाप होते रहे हैं, कभी भी कोई व्यवधान नहीं डालता रहा है।

आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस तीसरे सोमवार को भगवान शंकर की पूजा होती है लेकिन जिस ढंग से आज वहां बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् पूजा करने जा रही है, अभी–अभी एक घंटा पहले सूचना मिली है कि एक लाख लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गयी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और ये लोग एक सभा कर रहे हैं। इस सभा में शिव सैनिक भी हैं और ये सारे लोग...**(व्यवधान)** वहां पर इतना गंभीर मामला है। वहां पर शिव सेना के लोग फौजी ढंग से कवायत करते हुए पूरे बनारस शहर में चार–पांच गलियों से जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। वहां इस समय प्रशासन बिल्कुल अस्त–व्यस्त हो चुका है और इतना ही नहीं, वहां पर आज सुबह जब भाषण दिया गया है तो कहा गया है कि हम इस गुम्बद पर, जो निषिद्ध क्षेत्र है, जिसकी रक्षा इस समय सरकार कर रही है, उस गुम्बद पर चढ़ कर हम भगवा झण्डा लहराएंगे। इतनी ही नहीं, वहां पर जो फौज़ी ढंग से इस समय बनारस की गलियों में घुसकर जलाभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है, उसको तोड़कर लोग सीमाओं के अन्दर प्रवेश कर रहे हैं। इस समय वहां सारे लोग परेशान हैं। वहां की सरकार भी मूकदर्शक बनी हुई है।...**(व्यवधान)** वहां इस समय टाउन हाल के मैदान में एक सार्वजनिक सभा हो रही है। नयी सड़क, बदौलिया चौक आदि स्थानों से जुलूस निकालकर फौजी ढंग से कवायत की जा रही है। जहां जलाभिषेक होता है, वहां पर न जाकर लोग पुलिस का घेरा तोड़कर ज्ञानवापि मन्दिर में घुसे हुए हैं। अभी बजरंग दल के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक घ्संघ के संयोजक ने कहा है कि मुसलमानों की अगली पीढ़ी यदि सलामती चाहती है तो देश में रहने की तमीज़ सीखे। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कहा है कि मुसलमानों की हैसियत भारत में किरायेदार जैसी है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कहा है कि यदि आज हमारी अमरनाथ यात्रा सकुशल सम्पन्न नहीं की जाती है तो हम अजमेर शरीफ के रास्ते बन्द कर देंगे और जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। आज सुबह चुनौती दी गई है कि ताजिये निकलने से भी रोका जाएगा। वहां पर माहौल

काफी गन्दा हो चुका है। इस समय बनारस और पूर्वांचल एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। किसी भी समय वहां पर भयंकर दुर्घटना हो सकती है। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनको यह निर्देश दें कि गृह मंत्री इस पर ब्यान दें ताकि सही स्थिति का पता चल सके। वहां डीएम और सारा प्रशासन पंगु हो गया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है, हम चाहते हैं कि सरकार आज ही इस संबंध में एक वक्तव्य दे...**(व्यवधान)**।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक गम्भीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : इनको इस समय बयान देना चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला गंभीर है तो कृपया इसे गंभीरता से लें तथा एक–एक करके बोलिये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए हम इस मामले को उठा रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : हमें भी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए।

अध्क्ष माहदेय : मैं आपको भी बोलने दूंगा। आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने जो बात रखी है, अखबारों में आज कुछ खबर जरूर पढ़ी थी। मैं नहीं कहता कि वह खबरें बिल्कुल सहीं हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अलाउ करूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने जो बात रखी है उसी से संबंधित अखबारों में आज कुछ खबर जरूर छपी थी। मैं नहीं कहता कि वे खबरें बिल्कुल सही हैं। जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, वे बनारस के रहने वाले हैं...**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह आज सुबह की घटना है। मैं वहीं से आता हूं। अभी टेलीफोन से बात की है। आप गलत कह रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते हैं सरकार अपनी प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करे। हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : 6 दिसम्बर को इस देश में घटना घट चुकी है। अगर फिर दुबारा घटना होगी तो भारत सरकार और होम मिनिस्टर इसके लिए रेस्पोंसेबल होंगे। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है। उस समय भी कल्याण सिंह की सरकार थी। ये कोई भी दुष्कर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : ज्ञानवापी पर खतरा है। इस सरकार को तुरन्त गंभीरता से कद उठाने चाहिए।...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : फिर भी यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, माननीय सोनकर शास्त्री जी ने जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में मैं इतना ही निवदेन करना चाहता हूं कि उनकी बात की सत्यता को खोज करने के लिए इस मुद्दे को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। इन्होंने जितनी गंभीरता से इस बात को उठाया है उसी तरह सरकार को भी इस मुद्दे पर पहले से ही गंभीर रहना चाहिए। लेकिन सदन में जब यह बात उठी है और जिस तरह से पिछले समय में देश में घटना घट चुकी है, जिसके चलते देश कई दिनों तक तबाह रहा, लोगों के मन में चोट है, उसको देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सोनकर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

साहब ने जो बात कही है वह एक व्यक्ति के नाते उनके पास खबर है। सरकार के पास एक तंत्र है, आपके पास पूरी जानकारी का एक जरिया है इसलिए इस बात को, इसकी सोच को आपको यहां तथ्य के साथ रखना चाहिए जिससे सदन और देश में चिन्ता न बनी रहे। इस चिन्ता का कोई निदान होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सदन में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को इस पर कुछ कहना चाहिए...**(व्यवधान)** सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि इस पर सरकार के विचार क्या हैं क्योंकि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह उस स्थान से आ रहे हैं। सरकार की अकर्मण्यता के कारण हमें इस देश में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात के उठने के बाद यह बात और आगे न बढ़े इसलिए यह जरूरी है कि सरकार सक्षम तरीके से निश्चित रूप से सदन को जानकारी दे। सोमनाथ बाबूजी का ठीक कहना है, आपको तत्काल वक्तव्य देना चाहिए जिससे सदन के दूसरे काम हो सकें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सरकार ने क्या किया है, यह बात बताएं। खाली जानकारी नहीं चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? सरकार का काम रोकना है। आप बताएं।...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : पोलिटिक्स में क्रिमिनलिटी को कौन बढ़ावा दे रहे हैं? ये सुनते क्यो नहीं हैं? "चोर की दाढ़ी में तिनका" क्यों होने लगता है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्षजी, एक लाख लोग अगर श्रद्धा से जाते हैं तो उस पर बयान देने के लिए कह रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार हों तो उसकी बात नहीं करने देंगे?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : उन्हें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इस देश में साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब हमारे देश की परम्पराओं को तोड़ने का सिलसिला चलता है।...**(व्यवधान)** यह प्रत्येक साल होता है। इस महीने से लेकर अक्तूबर नवम्बर मास तक, पूरे देश में ऐसा लगता है जैसे लोग कांप रहे हैं। धर्म के नाम पर जिस तरह से नंगा नाच होता है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं...**(व्यवधान)** मैं अभी आन्ध्र प्रदेश से यहां आया हूं, मैं अभी आन्ध्र प्रदेश के बीदर से यहां आया हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, आपने मुझे एलाव किया है लेकिन ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : ये हमारी संस्कृति को पलीता लागने का काम कर रहे हैं, आप यहां बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमारी संस्कृति को पलीता लगा रहे हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमें समझना चाहिए कि ये मुद्दे बहुत जटिल हैं यदि आप कुछ राहत चाहते हैं...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कैसी राहत ?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : यह एक खतरनाक मामला है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह प्रश्न हमारी भावनाओं से भी जुड़ा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इस मामले को इस तरीके से उठाना चाहिए कि आप लोग किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम हों। यदि सारे सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? पासवान जी, मैं पहले गृह मंत्री जी को बोलने की अनुमति दूंगा तथा उसके बाद मैं श्री कटियार और तत्पश्चात अन्य लोगों को भी बोलने की अनुमति दूंगा। पासवान जी आप अपनी बात पहले ही कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर

प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है और यह सरकार वहां कुछ भी करवा सकती है।...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पालवान जी जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिये अन्यथा जैसा हमें पहले अंदेशा था और मैं आज फिर सरकार को वार्निंग देना चाहता हूं कि यह सरकार किसी मुगालते में न रहे। वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : शास्त्री जी ने यहां जिस विषय को उठाया है, उन्हें इसके बारे में अच्छे ढंग से जानकारी है। यह श्रावण का महीना चल रहा है। जिसमें प्रत्येक सोमवार को पूजा के लिये काशी विश्वनाथ मन्दिर में लोग आते हैं। इन्होंने एक लाख संख्या बतायी, मैं कहता हूं कि कई लाख लोग वहां जाते हैं। पिछले दो सोमवार को भी इसी प्रकार से वही लोगों ने पूजा की लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहां चर्चा की, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि या तो उनके पास ठीक जानकारी नहीं, अगर नहीं है तो पता करा लें क्योंकि जिस कार्यक्रम की उन्होंने चर्चा की वह टाउन हाल के मैदान में हुआ, जो काशी विश्वनाथ मन्दिर से काफी दूर है। वहां एक सभा आयोजत की गयी थी। वह सभा बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति के लिये नहीं थी बल्कि जिस संगठन का अभी नाम लिया गया—बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल का प्रमुख होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस एकात्मकता यात्रा को देश के अंदर निकालने की बात है, उसके कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में वहां पर कार्यक्रम था। जहां तक जलाभिषेक के कार्यक्रम की बात कही जा रही है, वह कोई नया कार्यक्रम नहीं है। भगवान शंकर के शिवलिंग के साथ—साथ वहां 14 अन्य स्थानों पर हिन्दू समाज जलाभिषेक का कार्यक्रम करता है लेकिन पिछले डेढ़ साल से वहां ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गयीं जिसके कारण उन स्थानों पर धार्मिक लोग, भगवान शंकर के भक्त लोग जा नहीं पा रहे थे...**(व्यवधान)** आप मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, वहां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जो प्रचार किया है, वहां केवल दो ही आवाजें सुनाई देती हैं, या तो अर्धसैनिक बलों के बूटों की आवाज या राईफलों की आवाज—तीसरी कोई आवाज वहां सुनाई नहीं देती हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां जय शंकर के घोष की आवाज सुनाई देती थी वहां आज काशी के मंदिर में केवल फोर्स दिखाई देती है और उन दोनों स्थानों पर जलाभिषेक का कार्यक्रम न होने पाए इसके लिए सरकार ने पूरी नाके बन्दी कर रखी है। इतना ही नहीं वहां एक धर्मशाला है उसमें जब कभी श्रादण मास का या और कोई ऐसा त्यौहार पड़ता था या शिव—रात्रि का त्यौहार पड़ता है, तो इस धर्मशाला में श्रद्धालु लोग या यात्रा करने वाले तीर्थयात्री ठहरते हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है। आज पासवान जी को वहां पर पब्लिक मीटिंग की बात याद है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी लाइन पर चलिए। पासवान जी की लाइन को छोड़िए।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, पासवान जी को अपनी बात याद नहीं आती है। आज उनको पब्लिक मीटिंग का विषय ध्यान है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उसको छोडिए।

[हिन्दी]

यदि आप पासवान जी की लाइन पर चलेंगे, तो डिरेल हो जाएंगे।

श्री विनय कटियार : जब वे बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। अज आपकी दुश्मन मायावती जी है, तो आप उनसे बात करिएगा। मुझे बीच में क्यों टोकते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय शास्त्री जी ने उठाया है, यह बहुत गम्भीर है और इस अर्थ में गम्भीर है कि इतने सालों से वहां पर नाकेबन्दी कर के रखी गई है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वह नाकेबन्दी समाप्त होनी चाहिए। शायद शास्त्री जी को उसकी जानकारी नहीं है। एक अदालत का यह आदेश है। **(व्यवधान)**

आप अपनी बात कहिए। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत दिनों तक काशी में रहा हूं। उनको शायद अदालत की जानकारी नहीं है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसका जो तलघर है, उसकी जो जमीन है, वह अदालत के आदेश के मुताबिक हिन्दू समाज के कब्जे में है। यह अदालत का आदेश है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चर्चा कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश शिक्षा और सुत्री दो समुदायों के बारे में था, लेकिन आज तक आप उन दो मजारों का झगड़ा नहीं सुलझा पाए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया, लेकिन जब कभी यहां चर्चा होती है आप अदालत के आदेश का सहारा लेकर बीच में आ जाते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण संमाप्त कीजिए। अन्यथा मुझे कहना होगा कि कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

देखिए मैंने आपको आपस में चर्चा करने के लिए टाइम नहीं दिया है।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मैं बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि हिन्दू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, तुष्टिकरण के नाम पर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, अमरनाथ की यात्रा के समय कितने लोग मारे गए, अयोध्या का एक साधु मारा गया, यह सब नहीं चलेगा। आपको अमरनाथ की यात्रा के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नेता इस बारे में नहीं बोला। पासवान जी की हिम्मत नहीं पड रही है। हमारे शरद जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं उनको हनुमान जी का भक्त मानता हूं। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कटियार, मैं कह रहा हूं कि आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम वहां हो रहा है, उसे न रोका जाए। अभी तो शास्त्री जी ने कहा है कि वहां पर एक लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो श्रवण मास का अंतिम सोमवार आने वाला है, उस दिन वहां पर कई लाख लोग एकत्रित होने वाले हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकेगा, तो उसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे। धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, हाउस के अंदर यह चुनौती दी जा रही है। पिछले सोमवार को वहां जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ था। **(व्यवधान)**

हम लोग भी हिन्दू हैं। हम लोग भी जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इनको यह जानकारी नहीं है, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने सभा को धमकी दी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। यह मामला उठा दिया है। शास्त्री जी ने मामला उठाया है और विनय जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। जो भीड़ इकट्ठी हुई है वह श्रावण के सोमवार के कारण है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि शास्त्री जी गलत हैं और आप कह रहे हैं कि विनय जी गलत हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी से कहा जाए कि वे सारे तथ्य इकट्ठे कर लें और सदन को अवगत करवाएं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, आज सदन की कार्यवाही शोक संवेदना से शुरू हुई। उसके बाद जो दूसरा आइटम आया, उसमें विरोधी दल के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कटघरे में हैं। हम नहीं सोचते कि एक घंटे के बाद या उसके अंदर एक ऐसी परिस्थिति आयेगी जिसमें उनकी पार्टी कटघरे में हो जायेगी। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि यह बात सही है और मुझे लगता है कि सारी संसद कटघरे में है। जब अटल जी ने ऐसा सवाल उठाया तो मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि इस सदन में किसी दुर्घटना के बारे में दो विचार हों और जिस पर सारा देश खासकर स्त्री समाज इतना दुखी है, ऐसी धारणा बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि सारा सदन एक राय से उसकी भर्त्सना करता। कांग्रेस पार्टी से हमारे बहुत मतभेद हैं, लेकिन यह कहना कि सारी कांग्रेस पार्टी अपराधियों की पार्टी है, उस पार्टी में अगर किसी एक अपराधी ने अपराध कर दिया और संसद में अटल जी ने जब यह बात कही कि सारी कांग्रेस

पार्टी अपराधीकरण की पार्टी है...(**व्यवधान**) मुझे हिन्दी कम आती है, लेकिन अटल जी की भाषा मैं समझता हूं।...(**व्यवधान**) उस समय अटल जी ने कहा कि सारी कांग्रेस पार्टी चुप है।

श्री राजवीर सिंह : सरकार कटघरे में है।

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है, सरकार कटघरे में है। विरोधी दल का नेता भी सरकार का अंग होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सरकार के लोग चुप रहे तो हमें भी कुछ अजीब–सा लगा लेकिन जब सोनकर जी ने कहा तो अटल जी भी मौन साधे रहे। मैं नहीं जानता कि आपके चैम्बर में क्या होता है? मैंने जो संसदीय परम्परा पढ़ी है और सुनी है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको भी इन्वाईट करते हैं लेकिन आप आते नहीं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, आज आपने कहा तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि मैं चैम्बर में इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने संसद में यह सीखा है कि चैम्बर में जो बातें होती हैं, वे संसद में न दोहराई जायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : लेकिन इस परम्परा को हमारे सदस्य नहीं मानते। मैं उस परम्परा का पालन नहीं कर सकता इसलिए मैं आपकी बैठकों में नहीं आता। मेरी कुछ सीमायें हैं। मैं इतना सशक्त व्यक्तित्व नहीं रखता कि सारी परम्पराओं का, सारे नियमों का, सारे आचरणों का उल्लंघन करके अपनी बात करूं। मैं इन बातों को नहीं जानना चाहता लेकिन आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि हमें कुछ सीमायें रखनी चाहिएं। ऐसे सवाल जिनसे उन्माद पैदा हो सकता है, उन सवालों पर अगर हम यहां पर ऐसे विवाद उठायें जैसे हम आपस में ही लड़ रहे हैं तो यह संसद अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेगी। राजनीति में कुछ अपराधी आ गये हैं या आ जायेंगे जैसे हमारे मित्र श्री इन्द्रजीत जी ने कहा कि अपराधी हर क्षेत्र में आये हैं। यह बुरी बात है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए लेकिन यह राजनीति का अपराधीकरण नहीं है। कुछ अपराधीयों का राजनीति में अपराधीकरण नहीं है लेकिन राजनीति को अपराधिक मानसिकता से जोड़ देना यह राजनीति का अपराधीकरण है। अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर व्यक्ति–व्यक्ति में विद्वेष पैदा करें, जहां वे एक दूसरे का खून बहाने लगे, जहां सैकड़ों लोग मरते हों, वह राजनीति का अपराधीकरण है या नहीं, इस बात पर भी हमें गौर करना है।

इसलिये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम भावनाओं को, उत्तेजना में उड़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे हैरानी इस बात की होती है कि आप बार–बार उठकर इस पक्ष को कुछ सलाह या निर्देश देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह सलाह है या निर्देश लेकिन ये लोग हर मामले पर चुप होते हैं और जब यह चुप हो जाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ अपराध उनसे भी हुआ है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ सवालों पर स्पष्ट रूप से सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। हर बात में हिचक क्यों होती है? हर बात में घबराहट क्यों होती है? यह घबराहट या हिचक और संसद में बड़े सवालों को पार्टी लाईन पर या दलगत लाईन पर उठाना, देश के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके नेतृत्व में अगर हमको यह समझ आ सके तो यह बड़ी अच्छी बात है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, हम भी बनारस के पास रहने वाले हैं। हम लोग शांति से कहेंगे। आप हमें दो मिनट बोलने का मौका दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं बहुत कम निवेदन के साथ कह रहा हूं। अभी हमारे पुराने मित्र तथा नेता श्री चन्द्रशेखर जी ने बयान दिया। हम अपने नेताओं के बयान को सुनकर कह रहे हैं। यह बात सही है कि जितने भी हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं, सारे संसार में जहां भी भगवान शंकर का मंदिर है, वहां लोग सावन के महीने में हरिद्वार से जल भरकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। केवल बनारस ही नहीं दिल्ली से भी, जहां भी शिव मंदिर हो, हजार दो हजार या लाख की संख्या में लोग जाते हैं और जल चढ़ाते हैं।...(**व्यवधान**)

शास्त्री जी ने जो प्रश्न उठाया और शहाबुद्दीन जी ने कहा कि मस्जिद तुड़वा दो, यह बात बिल्कुल गलत है। यह सवाल नहीं है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि जो अन्य मंदिर दो साल से रोके गए हैं, वहां पर यह कह रहे हैं कि भगवान शंकर के साथ दूसरे जो देवता हैं, उनका भी जलाभिषेक किया जाएगा। किसी नीयत और विशेष संकल्प से बी.जे.पी. की बात की जा रही है।...(**व्यवधान**) मैं चंद्रशेखर जी से बड़े अदब से कहूंगा...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनसे कुछ भी मत कहिए, उन्होंने सही बात कही है, हम लोगों के पक्ष में कही है।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मैं भी सही कह रहा हूं, आप हमारी बात तो सुनिए क्या चंद्र शेखर जी ने केसरी जी का बयान नहीं पढ़ा कि हरिजनों तुम मुसलमान, ईसाई हो जाओ? क्या चंद्र शेखर जी ने एक बार भी उसके खिलाफ बयान दिया?...**(व्यवधान)** दूसरा, मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य नहीं है कि देश के इमाम लोगों को 3 अरब रुपये देने की बात तय हुई है? क्या देश में रहने वाले गरीब मन्दिर के पुजारियों को भी तनख्वाह देने की बात नहीं होनी चाहिए?...**(व्यवधान)** जो धर्म की बात करते हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। हिन्दुत्व कायम रहे तथा देश में रहे का नारा दूर है, ब्राह्मण, ठाकुर की बुनियाद का नारा नहीं है। ये धर्म के नाम पर दंगा करवाते हैं।...**(व्यवधान)** हम भारत और हिन्दुत्व की रक्षा के लिए लड़ते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, वह अनावश्यक ही एक केन्द्रीय मंत्री का इसमें शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। श्री सीताराम केसरी पहले ही यह खंडन कर चुके हैं कि उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है। वह इसका खंडन कर चुके हैं। इसलिए, केन्द्रीय मंत्री द्वारा खंडन किए जाने के पश्चात सभा में इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अभी हमारे साथी ने जो यह बात कही कि जहां कार्यवाही हुई है वहां पिछले दो सालो से जलाभिशेक नहीं करने दिया जा रहा है, यह बात बिल्कुल गलत है। उन जगहों पर कभी भी जलाभिषेक नहीं किया गया।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुझाया है, हम उन सभी स्वकथित तथ्यों का निश्चय ही पता लगायेंगे मुझे विश्वास है कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने की यह सभा इच्छुक है। हालांकि यह पूर्णतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी, मैं सम्मानीय सभा को विश्वास दिलाता हूं कि, चाहे जो भी निर्णय लिया जाए साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखना सामान्यतः हमारी ही जिम्मेदारी है। विपक्ष के नेता तथा अन्य सभी सहयोगी लोग उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल को समर्थन दे रहे हैं और वे भी उस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यहां तक सभव है हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी समस्या को सौहार्दपूर्वक हल किया जाए।

श्री राम विलास पासवान : क्या इसे 1992 की तरह होना चाहिए?

श्री एस.बी. चव्हाण : वर्ष 1996 आपके दिमाग है। मैं यह जानता हूं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने 1992 कहा है। मैंने 6 दिसम्बर 1992 का उल्लेख किया है।...**(व्यवधान)**

श्री एस.बी. चव्हाण : वर्ष 1992 भी था और वर्ष 1996 के बारे में भी कुछ आशंकाएं हैं तथा मैं जानता हूं। मेरे पास जानकारी है, इसीलिए मैंने राज्य सरकार से सम्पर्क किया है और आवश्यक व्यवस्था की है। किंतु उसके बावजूद उस क्षेत्र में यदि कोई बात होती है तो पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की तथा केन्द्रीय सरकार की भी होगी। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। हमें उस क्षेत्र में शान्ति कायम करनी होगी और उसके जो भी परिणाम होंगे, तो भी मैं क्वनबद्ध हूं। हम उन्हें पूरा संरक्षण देंगे और यह कुनिश्चित करेंगे कि जिस मस्जिद की सुरक्षा के लिए बारे में यहां प्रत्येक सदस्य चिंतित है उसका कुछ न बिगड़े। मैं पूर्णतया उस बात पर निर्भर नहीं रह सकता जो अन्य लोग कह रहे हैं मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी तथा मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि इस मामले में राज्य सरकार असफल रहती है तो क्रेन्द्रीय सरकार मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या माननीय मंत्री यह भी आश्वासन देंगे कि हिन्दू जो परम्परा से जल चढ़ा रहे हैं, वह भी शान्तिपूर्वक, सही तरीके से सम्पन्न होगा?...**(व्यवधान)**

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मैं केवल एक आश्वासन चाहता हूं। क्या इस बात का माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देने को तैयर है...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो बात कही है, जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि वह मस्जिद की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे। मैं उसके साथ ही साथ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या उसी प्रकार की सुरक्षा की गारन्टी कश्मीर के अन्दर के मंदिरों को आप देंगे और...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : महोदय, क्या आपने यह वक्तव्य सुना कि यदि अमरनाथ के यात्रियों को कुछ हुआ तो किसी भी हज यात्री को मुम्बई से यात्रा करने नहीं दिया जायेगा? क्या आपने उस वक्तव्य को पढ़ा? उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?...**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती विजयराजे सिंधिया (गुना) : जिस तरह से नारी के ऊपर जो अत्याचार होता है, जिस तरह से नारी की इज्जत लूटी जाती है, जिस तरह से घृणित, शर्मनाक और दर्दनाक काण्ड अभी हुआ है, उसको हम अपनी आंखों से ओझल क्यों कर रहे हैं?

बहन गीता मुखर्जी ने जो अभी कहा, मैं उससे सहमत हूं कि अवश्य ही इस पर आप सही रूप में हमें मौका दीजिए कि इस पर चर्चा हो...

अध्यक्ष महोदय : कब करेंगे? अभी करेंगे?

श्रीमती विजयराजे सिंधिया : जब आप कहें।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप अभी करना चाहती हैं तो मुझे कोई आब्जैक्शन नहीं है।

श्रीमती विजयराजे सिंधिया : अभी जो जाय।

[अनुवाद]

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : अभी हो जाय। इस पर चर्चा अभी प्रारंभ की जाय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो हमारे लिए माता के रूप में हैं, आपकी भावना की हम कद्र करते हैं। मगर यह गम्भीर विषय है तो उसपर गम्भीरता से हम चर्चा करेंगे। अगर विषय आग गया है और किसी के खिलाफ कुछ बोला जा रहा हे तो रूल्स कहते हैं कि जिसके खिलाफ आपको बोलना है, उसको नोटिस देना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ हम कहने जा रहे हैं। इसके बाद किस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी सारे सदन के नेता बैठकर, विरोधी पक्ष के नेता बैठकर, सब उसके ऊपर चर्चा करते हैं।

मैंने कहा है कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से टेबल पर रखी जायेगी। उसके बाद यह मांग की गई कि उसके पश्चात् जो कुछ भी हुआ है, अलग-अलग क्षेत्रों में, वह इण्डस्ट्री में होगा, ट्रेड में होगा, मीडिया में होगा, पोलिटिक्स में होगा, समाज में होगा, उसके बारे में उनके पास जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वह कलैक्ट करके उसकी भी रिपोर्ट मिलेगी।

इसके बाद एक घटना विशेष की अगर चर्चा करनी है तो घटना विशेष की चर्चा करते समय आप कर सकत हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको देखना है। इन सारी चीजों की पूरी तरह से चर्चा करने के बाद आप जितना समय मांगेंगे, उतना दे देंगे। मगर यह इम्प्रैशन यहा से नहीं जाना चाहिए कि ऐसी घटना को, जो बड़ी ही घिनौनी है और क्रिमिनिलाइजेशन आफ पोलिटिक्स है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जितना चाहते थे, उससे बहुत बड़ा दायरा बनाकर चर्चा करने के लिए आप जितना समय चाहेंगे, उतना आपको मिलेगा। उसके पश्चात अभी समय दे दो, इसी प्रकार से दे दो, यह करो तो न तो उस विषय का महत्व रहेगा, न सदन की कुछ गरिमा रहेगी और किन-किन लोगों पर छींटे उड़ेंगे, मुझे पता नहीं। वह उन्हें धो सकेंगे कि नहीं धो सकेंगे, इसका भी मुझे पता नहीं, क्योंकि एक ने दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू किया तो दूसरा तीसरे के खिलाफ बोलेगा। ऐसी स्थिति यहां पर नहीं आनी चाहिए। इसके पश्चात् भी अगर आप उसके ऊपर बोलना चाहती है तो मेरा कोई विरोध नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, हम चाहते हैं कि यह सरकार कांग्रेस अध्यक्ष से उस रिपोर्ट क पता लगाने को कहे जिसके आधार पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया। हम चाहते हैं कि वे उस रिपोर्ट को प्राप्त करे और मंत्री महोदय उसे सभा पटल पर रखें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब चर्चा शुरू हो जायेगी तो आपको जो भी बोलना है, बोलियेगा। अगर उसको कोई जवाब होगा तो वह देंगे और अगर जवाब नहीं होगा तो आपकी बात को मान लेंगे। अगर एक-एक मिनट के बाद आप ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जायेगी। जब मैं उनको जवाब नहीं देने देता हूं तो वह चुप बैठ जाते हैं। चन्द्रशेखर जी ने कहा कि वह बोलते नहीं हैं। यह बात सही है कि मैं उनसे कहता हूं कि

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपको बार–बार नहीं बोलना है। ऐसे में वह बैठ जाते हैं। वह मुझे कहते हैं कि आप हमें पूरी तरह से बोलने नहीं देते हैं। इसलिये एक तरीके से इसके ऊपर चर्चा कीजिये। आपको जिना समय इस विषय पर बोलने के लिये चाहिये, वह आपको मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री एस.बी. चव्हाण : क्या मैं एक बात कह सकता हूं?..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जो बोल रहे हैं।

श्री एस.बी. चव्हाण : जहां तक बोहरा समिति के प्रतिवेदन का संबंध है निश्चय ही हम प्रतिवेदन को प्राप्त कर लेंगे। हमारे पास उस प्रतिवेदन की मात्र तीन प्रतियां उपलब्ध हैं, हमने उस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करने की व्यवस्था की है और मुझे आशा है कि तीन दिन के अन्दर यह उपलब्ध हो जायेगा, किंतु उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में जो कुछ हुआ है उसे इस मुद्दे के साथ सम्मिलित कर इसे व्यापक बनाया जाएगा, तो अच्छा होता यदि माननीय सदस्य एक निश्चित प्रश्न पूछें कि हमें इसी प्रश्न के बारे में सूचना चाहिए! हम उन सूचनाओं को देने के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी क्या मैं स्पष्ट कर सकता हूं? कृपया बीच में न बोलिये अन्यथा मैं औरों से ज्यादा चकरा जाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैं बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कहता हूं कि आप दखल न दें लोढा जी जैसे सदस्य भी बालेने के लिए खड़े हो जाते हैं जो कुछ मैंने कहा यह है। हमें इसे सही रूप से समझना चाहिए। एक बात यह है कि प्रतिवेदन पर वक्तव्य न किया जाय बल्कि प्रतिवेदन को ही सभा पटल पर रखा जाय। एक बात यह है। किंतु माननीय सदस्यों में इस बात पर जो रोब व्याप्त है वह उचित ही है कि यह प्रतिवेदन एक सीमित दायरे के बारे में जबकि अन्य क्षेत्र भी है जिन्हें इसके दायरे में शामिल किया जाना था। यदि हम समाज, राजनीति तथा देश में अपराधीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हों तो दायरा और विस्तृत हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि कुल कितने अपराध हुए, कितने लोगों को दंडित किया गया, उन क्षेत्रों की संख्या जिनमें अपराध हुए, इन आंकड़ों को एकत्रित किया जा सकता है इसीलिए मैं प्रतिवदेन को कल ही सभा पटल पर रखने के लिए नहीं कह रहा हूं।

यदि पर्याप्त संख्या में प्रतियां उपलब्ध न भी हों तो भी बोहरा जी द्वारा दिये गए प्रतिवदेन को कल ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए, एक प्रति सभा पटल पर रखी जा सकती है।

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी और प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी। लेकिन जहां तक यह सूचना प्राप्त करने तथा इसे सभा पटल पर रखने का सवाल है, इसके लिए आपको दो या तीन दिनों के समय की आवश्यकता है। हम आपको वह दो अथवा तीन दिनों का समय दे देंगे और तब सभी नेता एक साथ बैठेंगे और तिथि निर्धारण करेंगे इस प्रकार इस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा। हम इसे आपकी इच्छानुसार करेंगे। हम आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं करेंगे, हम इसे आपकी इच्छानुसार करेंगे। हो सकता है मैं एक या दो महिला सदस्यों से इसमें हिस्सा लेने के लिए निवदेन करूं ताकि वे भी इसमें अपना योगदान दे सकें। मैंने यही कहा था

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, मैंने नैना साहनी की हत्या सम्बन्धी एक विशिष्ट नोटिस दिया है और इस पर चर्चा नहीं की गई। मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का हक है। मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : किस पर?

श्री सुधीर सावंत : मैं नैना साहनी हत्या सम्बंधी मामले पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किसकी हत्या का मामला?

श्री सुधीर सावंत : मैं नैना साहनी हत्या सम्बंधी मामले पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नैना साहनी का मामला?

श्री सुधीर सावंत : मैं तन्दूर हत्या के मामले का जिक्र कर रहा हूं। मैंने उस हत्या के मामले पर एक सुस्पष्ट नोटिस दिया है। यदि आप उस पर मुझे बोलने की अनुमति नहीं

देते हैं तो मेरी राय में यह अनुचित है क्योंकि नैना साहनी की हत्या के इस मामले का महत्त्व इस तरह कम किया जा सकता। एन.एन. वोहरा समिति प्रतिवेदन सम्बंधी चर्चा बिल्कुल अलग मुद्दा है। अपराधीकरण का व्यापक पहूल है...

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है?

श्री सुधीर सावंत : महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह देखने दें कि आपने नोटिस् दिया है या नहीं।

श्री सुधीर सावंत : मैंने नोटिस दिया हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसमें आपने क्या कहा है?

श्री सुधीर सावंत : मैं नैना साहनी हत्या और उसके संदर्भ में आई.टी.डी.सी. के बारे में बोलना चाहता था। इसका मैंने उस नोटिस में भी जिक्र कर दिया है जो मैंने आज ही दिया है।...**(व्यवधान)**

श्री कोंडी कुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। श्री सावंत, क्या यह नोटिस शून्य काल के लिए है?

श्री सुधीर सावंत : हां, यह शून्य काल सूचना है। मैंने नोटिस दे दिया है और इसीलिए मुझे अपना दृष्टिकोण रखने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वह नोटिस क्या है? मुझे नोटिस देखने दीजिये।

श्री सुधीर सावंत : मैंने नैना साहनी हत्या का मामला तथा उसके संदर्भ में आई.टी.डी.सी. से सम्बंधित नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपने दल के सदस्यों से चर्चा कर ली है?

श्री सुधीर सावंत : महोदय, मैं अपने दल का सचिव हूं, मेरे दल ने मुझे सचिव चुना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा अफसोस है कि सविच को भी यह मालूम नहीं है कि कौन–सा मुद्दा उठाया जाना चाहिए और कौन–सा नहीं।

...(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : मैंने नोटिस दे दिया है। मैं केवल एक मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आपको नियम समझने चाहिये। आपको संदर्भ हेतु नियम–पुस्तक देखनी चाहिए थी और यदि आपने नियम पुस्तक नहीं देखी है तो कम से कम संसदीय कार्य मंत्री से विचार–विमर्श कर लेना चाहिये था। अब उनका अपना दृष्टिकोण है और उन्होंने मुझे अपना वह दृष्टिकोण बता दिया है और आपका बिलकुल विपरीत जाना पड़ता है। यदि आपको उस तरह से बोलना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुधीर सावंत : मैंने लोक महत्त्व का मुद्दा उटाने हेतु एक नोटिस दिया है और यह हत्या का मामला है। हम सभी जानते हैं कि जिससें सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

श्री एस.बी. चव्हाण : सामान्यतया सभा की यह परिपाटी नहीं है कि जो मुद्दे न्याय निर्णयाधीन हैं, उन पर चर्चा करें। मैंने नियम पुस्तक पढ़ी है। मैंने कौल और शकधर का भी अध्ययन किया है। वस्तुतः आरोप–पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। मामला अदालत में चला गया है जब मुद्दा अदालत में चला गया है तो हम किसी को विशेषतया अदालतों को पक्षपात करने के लिए प्रेरित करना नहीं चाहते। यही मेरा निर्णय है।

श्री सुधीर सावंत : आई.टी.डी.सी. का प्रबंध मंडल प्रमाण को नष्ट कर रहा है और जो मुद्दों की जांच पड़ताल कर रहे हैं उन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। यही बात मैं यहां उठाने जा रहा हूं। मुद्दा अदालत के अधीन हो सकता है, लेकिन आई.टी.डी.सी. के प्रबंध मंडल द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः आपत्तिजनक है तथा यही मुद्दा मैं यहां उठाना चाहता था और इसी पर चर्चा करना चाहता था।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : मैंने भी नोटिस दिया है। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह मुद्दा उठा दिया है। अब आप बैठ जाइये।

श्री सुधीर सावंत : इस मुद्दे ने इस देश के लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है और यह सभा चुप नहीं रह सकती। इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले तो जो मैं कह रहा हूं उसे समझें। जब हम इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देंगे और जब हम चर्चा के लिए इस मुद्दे को स्वीकार कर लेंगे तभी इस पर नियमानुसार चर्चा की जा सकेगी और तब आप इस विषय पर बोल पाएंगे। लेकिन आप जिद कर रहे हैं कि इस पर अभी चर्चा की जाये तो फिर श्रीमती सुमित्रा महाजन तथा

अन्य लोगों को भी इसे उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाये? मैं उनके वक्तव्य की बजाय आपके वक्तव्य को वरीयता क्यों दूं? सबसे पहले आपको नियम पर अड़े रहना है।

श्री सुधीर सावंत : मैंने नियमानुसार नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस वेग ही पर्याप्त नहीं है। मुझे इसे स्वीकृत करनी है तथा आपको अनुमति देनी है। मेरे पास हजारों नोटिस आ रहे हैं।

श्री सुधीर सावंत : यह मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं पर्यटन मंत्री से वक्तव्य की मांग कर रहा हूं। जो कुछ भी हुआ है उस पर उन्हें वक्तव्य देना होगा।

श्री गुमानमल लोढा : मैं चाहता हूं कि श्री सुधीर सावंत को बोलने की अनुमति दी जाये। मैं माननीय अध्यक्ष को बतना चाहता हूं कि उनको अनुमति दिया जाना बिल्कुल सही होगा हम सभी जानते हैं कि वे अदालत में न्यायनिर्णयाधीन मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : श्री सुधीर सावंत न केवल एक सदस्य ही हैं अपितु वे कांग्रेस के विधायी दल के सचिव भी हैं। यह मांग करने के लिए हम उनके आभारी हैं। पूर्व मंत्री श्री चन्द्र शंकर जी ने एक वक्तव्य दिया है। हमने सुना है कि लगभग सभी समाचार पत्रों में इसका जिक्र हुआ है। उनके वक्तव्य सभी विवरण दिया जा रहा है। इस सम्माननीय सभा में यह मुद्दा इस तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिये। मैं कांग्रेस पार्टी के सचिव से पूर्णतः सहमत हूं कि इस मुद्दे पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिये। वास्तव में आई.टी.डी.सी. प्रबंधक मंडल द्वारा जो कार्यवाही की गई उसके साथ ही इससे सम्बद्ध अन्य मुद्दों के बारे में भी गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये और इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि माननीय अध्यक्ष इस मुद्दे को सभा में उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

ऐसा नहीं समझा जाना चाहिये। सभा को इस पर चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी यह टिप्पणी मैं विशेषाधिकार समिति के पास भेजूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति के पास अवश्य भेजूंगा।

श्री श्रीकांत जेना : मैं आपके विरुद्ध कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। हमारी तो केवल यह चाहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर : यह बहुत गलत है कि कुछ माननीय सदस्य ऐसे मामलों में सभा में दिये मेरे वक्तव्य का जिक्र करते हैं मेरी न तो उसमें दिलचस्पी है जो वे कहते हैं और न ही उस मुद्दे में दिलचस्पी है जिसके बारे में वे इतने ज्यादा चिंतित हैं लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री चन्द्र शेखर : इस सभा में कुछ सदस्य ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं। मुझमें यह बात नहीं है। मैं ऐसी गैर–जिम्मेदाराना बात नहीं करता जिसके लिए कुछ सदस्य आदि हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैंने कहा था कि इस मुद्दे पर शालीनता से चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, उचित तरीके से चर्चा की जानी चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : मैंने कहा था कि इस मुद्दे पर शालीनता–पूर्वक चर्चा की जानी चाहिए जिससे कि पूरा राष्ट्र यह समझे कि इस मुद्दे पर सदन में कोइ मतभेद नहीं है।

श्री श्रीकान्त घेना : मैंने भी यही कहा था। मैं समझता हूं कि आपने गलत सुना।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही, यह समस्या इस प्रकार की है, यह मसला इस प्रकार का है, जिसमें सदन विभाजित दिखे, यह अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जिस समय सावन्त जी ने इस नोटिस का उल्लेख करके इस मामले को उठाना चाहा है, उससे अधिक बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता है कि सदन इस के बारे में विभाजित नहीं है। आखिर सावन्त जी सत्तापक्ष के एक प्रमुख सदस्य हैं और एक पदाधिकारी है। उन्होंने जीरो–आवर के लिए फार्मल नोटिस दिया है–नैना साहनी मर्डर केस और आई.टी.डी.सी. कनैक्शन। ऐसा कहा है, मैं उसको उठाना चाहता हूं। इस पर तुरन्त गृह मंत्री जी ने उनके इस दावे पर आपत्ति उठायी और कहा कि यह मामला सबजुडिस है और सबजुडिस होने के कारण इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने सब्जुडिस का हवाला देकर इस सदस्य को अपनी बात कहने से रोकना चाहा है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : भारतीय पर्यटन विकास निगम का मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने हत्या का मामला और भारतीय पर्यटन विकास निगम का इससे संबंध के बारे में भी कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि आप किस पृष्ठ का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पृष्ठ 946 का उल्लेख कर रहा हूं। यह स्वारोपित बंधन है।

[हिन्दी]

सदन को पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है किसी भी विषय की चर्चा करने का।

[अनुवाद]

यह उसका विशेषाधिकार है। महोदय, मैं गृह मंत्री का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान पालिका तथा सदस्यों को देश के शासन तथा लोगों से संबंधित मामलों के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है।

[हिन्दी]

आज अगर कोई भी मामला हो, सब्जुडिस वास्तव में हो और उसके कारण कन्टैम्पट–आफ–कोर्ट हो, तो वह किसी भी अखबार में नहीं छप सकता है। अखबार वाला नहीं छाप सकता है। यह कोई स्थिति नहीं हो सकती है कभी भी, अखबार में दुनिया भर की बातें छपती रहें और हम सब्जुडिस के आधार पर उस बात की चर्चा न करें। इसमें आगे कहा है–

[अनुवाद]

"इस स्वतंत्रता पर बंधन कुछ सीमा तक, स्वयं लगाये जाने चाहिए।

[हिन्दी]

हमने फिर भी माना है कि हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जो अदालत को प्रभावित करे और अदालत को सही निर्णय पर पहुंचने से रोके।

[अनुवाद]

"इनमें से एक बंधन तो यह है कि न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी अधिनिर्णयन से संबंधित मुद्दे पर सभा में चर्चा नहीं ली जानी चाहिए जिससे कि ऐसे मुद्दों पर विचार करते समय न्यायालय की कार्यवाही, इसके दायरे के बाहर कही गई बातों से प्रभावित न हो।"

[हिन्दी]

मैं इसको पूरा पढ़ कर नहीं सुना रहा हूं। मैं इतना ही बल देना चाहता हूं कि इस मामले में स्पीकर को पूरा अधिकार है, डिसकशन दिया है आगे पृष्ठ 948 पर कहा है–

"अध्यक्ष अपने विवेकानुसार प्रक्रिया अथवा विषय अथवा जांच का प्रक्रम से संबंधित स्थगन प्रस्ताव, संकल्प, प्रस्ताव अथवा कटौती प्रस्ताव जैसे किसी ऐसे मुद्दे को, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि इससे कानूनी अधिकरण, किसी न्यायिक अथवा न्यायिककल्प कृत्यों के निष्पादन में लगे कानूनी प्राधिकरण अथवा आयोग अथवा जांच न्यायालय के समक्ष विचाराधीन किसी मुद्दे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा सभा में उठाने की अनुमति दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : "इस मुद्दे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है" शब्दों पर ध्यान दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, महोदय। इसलिए, वह जो कहने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण हैं। तन्दूर मामला, जो समस्त देश को उत्तेजित कर रहा है, का उनके द्वारा उल्लेख करना ही माननीय वित्त मंत्री द्वारा आपत्ति व्यक्त किए जाने का आधार नहीं हो सकता। यह मेरा निवेदन है। अतः उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति मिलनी चाहिए। और यदि किसी वक्त आप ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है जो न्यायालय, मुकद्दमा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तो आप निश्चय ही अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस वक्त बोलने से नहीं रोका जाना चाहिए। मेरा सत्ताधारी दल से भी यही कहना हैं कि सभा में अपने ही दल के सदस्य को बोलने से रोकना उनके हित में नहीं होगा। यहां सेना ही क्रिया जा रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम किसी को बोलने से नहीं रोक रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को पुनः शुरू कर दिया गया अतः मैं सदस्यों को कानूनी मुद्दे पर निवेदन करने की अनुमति देता हूं। तत्पश्चात् मैं अपना अंतिम विनिर्णय दूंगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरा यह कहना है कि प्रारम्भ में जिन सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था, उनको सुनने के पश्चात् आपने इस मुद्दे पर अपना विनिर्णय दे दिया है और साथ ही सरकार को भी कुछ निदेश दिया है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आपने काम रोको प्रस्ताव के बारे में रूलिंग दी है, मेटर के बारे नहीं दी है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम किसी भी सदस्य को इस मुद्दे पर बोलने से नहीं रोक रहे हैं। हम इस मुद्दे पर पूर्ण रूप से और खुलकर चर्चा करना चाहते हैं। मेरे विचार से किसी अन्य सदस्यों की तुलना में से सदस्य इसके लिए ज्यादा दोषी हैं जो इसे यहां उठा रहे हैं। किसी को बोलने से रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हम चर्चा का स्वागत करते हैं। उन्होंने चर्चा करने का एक रास्ता सुझाया और हमने इसे स्वीकार किया। सम्पूर्ण सभा ने इसको स्वीकार किया है। अब उस मुद्दे को फिर से उठाना और कानूनी मुद्दे पर सदस्यों को निवेदन करने की अनुमति देना—आप पहले ही कह चुके हैं कि कुछ एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात जब समस्त बातें सामने आएंगी तब इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जा सकती है—मेरे विचार से सभा में चर्चा करने के लिए उचित नहीं होगा। देश यह जानने को इच्छुक है कि इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : इन चीजों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह आप अपने सदस्यों को बतायें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हमारे सदस्य भी आपके व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो यह ठीक नहीं है तथा इसकी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस मुद्दे चर्चा का स्वागत करते हैं। सरकार चर्चा करने से नहीं घबराती। हम इस मुद्दे पर पूर्ण और स्पष्ट रूप से चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन हमें निदेश तथा व्यवस्था देने के पश्चात, कानूनी मुद्दे पर सदस्यों को निवेदन करने की अनुमति देना, पूर्व दिए गए निर्णयानुसार नहीं होगा। यही मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लोढाजी, आप विधिवेता, एक वकील, एक न्यायधीश और एक मुख्य मंत्री रहे हों मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता है।

श्री गुमान मल लोढा : मुझे मेरे उत्तरदायित्व को याद दिलाने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सहायता चाहिए।

श्री गुमान मल लोढा : आडवाणीजी ने कहा है कि हमें अपने विवेक का न्यायोचित रूप से प्रयोग करना चाहिए और यदि कोई मामले की गुणवत्ता के बारे में बात करता है अथवा यदि 'क' अथवा 'ख' अथवा 'ग' दोषी है अथवा अदालतों को किस ढंग से काम करना चाहिए अथवा यह कि मामला न्यायनिर्णयाधीन है तथा सामन्यतः मामले की गहराई तक जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालतें निगमें लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। परन्तु मैं सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि मामलों को रफा–दफा करने का स्पष्ट प्रयास किया गया है तथा वाटरगेटकांड की तरह ही इस पर राजनीतिक पर्दा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहता। किन्तु आरोप पत्र में लिखा है कि "इस–इस व्यक्ति ने बहुत व्यक्तियों के साथ* मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा। इसी मुद्दे पर चर्चा की जानी है।

दूसरे, सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था।...**(व्यवधान)***

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस किस्म के–को आप कैसे अनुमति दे सकते हैं...**(व्यवधान)**

गृह मंत्री ने इस बात से इन्कार कर दिया है। पहले ही इस बात से इन्कार कर दिया गया है।...**(व्यवधान)** आप किसी बात को छिपाने का अरोप नहीं लगा सकते हैं। छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह मामला न्यायाधीन है...**(व्यवधान)**

श्री गुमानमल लोढ़ा : अभियुक्त के बयान में दो अथवा तीन नामों का जिक्र आया था। उन नामों को नहीं छोड़ा जाना चाहिये था...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल सम्बद्ध हिस्सा ही पढ़ कर बताऊंगा। आप पुनः मेरा मार्ग दर्शन करेंगे

> "एक ऐसा निर्वधन यह है कि न्यायालय के समक्ष लम्बित अधिनिर्णयन के मामलों के सम्बंध में सभा में चर्चाओं को टाला जाना चाहिये ताकि ऐसे मामलों का निपटारा करते वक्त न्यायालय का कार्य विचारण क्षेत्र से बाहर किसी कही हुई बात से अप्रभावित रहे।"

अब आप यह कहते हुए वक्तव्य दे रहे हैं कि 'बहुत से अन्य व्यक्तियों का' कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के साथ सम्बंध है। क्या इस वक्तव्य से न्यायाधीश प्रभावित होंगे अथवा नहीं?

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुमानमल लोढा : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। आपने सम्बद्ध नियम को पढ़कर सुना दिया है। न्यायालय द्वारा जिस बात का निर्णय किया जाना है वह यह है कि क्या वे व्यक्ति जिन को न्यायालय द्वारा आरोप पत्र दिए गये हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप व्याख्या कर रहे हैं। आप यहां 'स्वयं किसी अन्य व्यक्ति' की व्याख्या कर रहे हैं। क्या देश के सर्वोच्च मंच पर यह वक्तव्य दिया जा सकता है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : महोदय, मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो बात आप कह रहे हैं क्या न्याय के हित में ऐसी बात आपको कहनी चाहिये?

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : हां, यह वह बात है जिस पर चर्चा की जानी चाहिये। यह एक बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिये. ..**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार के आरोप के सम्बंध में बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अन्य व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार की व्याख्या लोढा जी ने दी है और इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसा करने की आपकी शक्ति है. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कह कर कि ऐसा करना आपके विवेक म है और आपको शक्ति प्राप्त है, आप मुझे हमेशा गलत ठहराते हैं। मैं पुस्तक में दिए गए तथ्यों के बारे में बता रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो मैं कह रहा हूं वह यह है. ..**(व्यवधान)** अन्य बातें जिन पर लोग उत्तेजित हैं वे हैं दो मेडीकल रिपोर्टस तथा पहली मेडीकल रिपोर्ट में...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पुनः इस मामले पर जिरह कर रहे हैं। यह आरोप–पत्र का मामला है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचारण शुक्ल : यह बड़ा आपत्तिजनक मामला है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां इस मामले पर जिरह नहीं करूंगा। आपको बचाव पक्ष के वकील अथवा अभियोजन पक्ष के वकील की तरह जिरह नहीं करनी चाहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : महोदय, मैं जिरह नहीं कर रहा हूं। महोदया मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं...**(व्यवधान)** केवल प्रश्न यह है कि आप अनुमति देंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उस विवेक की बात मुझ पर छोड़ दें। मैं आपके विवक को अपना विवेक समझकर प्रयोग नहीं करूंगा। मेरा विवेक तो मेरा ही रहेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपका विवेक न्यायपूर्ण होना चाहिये न कि मनमाना...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आपका विवेक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष का मनमाना विवेक नहीं है अपितु अध्यक्ष के पास लोढ़ाजी का कोई विवेक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यही बात है जिसके लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस कथन पर मुझे बड़ी आपत्ति है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढाजी एक न्यायाधीश हैं और वे कानूनी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जो सामान्यतया कानून में प्रयोग की जाती हैं। वे कहते हैं कि जब विवेक का प्रयोग करना होता है तो इसका समझदारी के साथ प्रयोग होना चाहिये। जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने स्वीकार कर लिया है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपना विवेक प्रयोग करूंगा उनका नहीं।

श्री एस.बी. चव्हाण : उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है और वह यह है कि अध्यक्ष महोदय को अथवा विवेक समझदारी से करना होता है न कि मनमाने ढंग से। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि आप अपना विनिर्णय मानमाने ढंग से दे रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष माहेदय : कृपया वह नहीं कहे जो उन्होंने नहीं कहा है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है और यह एक कानूनी मामला है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुमानमल लोढा : जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह मामले के गुणावगुण नहीं है, लेकिन वॉटरगेट की तरह राजनैतिक आवरण है जिस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मुझे यही कहना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्होंने पुनः 'राजनैतिक आवरण' शब्दों का प्रयोग किया है। वे इसे बार–बार दोहराते हैं मैंने इसका विरोध किया है। लेकिन वे बार–बार इसका प्रयोग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका ठीक ही विरोध किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम चाहते हैं कि इस पर खुले तौर पर चर्चा की जाये...**(व्यवधान)**

श्री गुमानमल लोढा : अपराधी यह कभी स्वीकार नहीं करता है कि वह अपराधी है **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायाधीन का नियम इस सिद्धांत पर आधारित था कि पहले जूरी मुकदमा चलता था और यह महसूस किया गया कि न्यायनिर्णयन लम्बित मामलों पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सामान्यजन जिनमें जूरी होते हैं प्रभावित नहीं होने चाहिए। यह इसका मौलिक सिद्धांत है। अब आगे और यह तर्क दिया गया है कि हमारे देश में जूरी मुकदमा समाप्त होने के बाद भी न्यायालय को किसी मामले पर निर्णय लेते समय किसी बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो मामले लम्बित हैं उनके संबंध में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि "क" अपराधी है अथवा "ख" अपराधी नहीं है। निस्संदेह यह मामला बड़ा गंभीर है। दुर्भाग्य से यहां कभी–कभी मीडिया मुकदमा करता है, कभी हमारे द्वारा मुकदमा चलाया जाता है तो कभी संसद अथवा विधान सभा द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। यह हो रहा है लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और लोकहित में हम एक रेखा खींच कर उस मामले पर चर्चा कर सकते हैं चाहे वह मामला न्यायाधीन हो।

यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो जरूर ऐसे अवसर आये होंगे जब माननीय अध्यक्षों ने कहा है कि भले ही यह मामला न्यायाधीन हो, फिर भी वे इस पर बोलने की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि इसमें लोक हित शामिल है। अवश्य ही यह एक ऐसा मुद्दा है जो प्रत्येक व्यक्ति को उद्वेलित कर रहा है।

सभा में बैठकर सभा में बोलकर हम अवश्य ही रेखा खींच सकते हैं। हम किसी पर अपराधी होने का अथवा न होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। यह हमारे अधिकार क्षेत्र, औचित्य तथा कानूनी के क्षेत्र से बाहर होगा। लेकिन हम मौलिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इसी बात की खातिर हम निवेदन करते आए हैं। अतः सम्बंधों के बारे में श्री चन्द्रशेखर ने जो प्रश्न उठाया है वह प्रत्येक व्यक्ति से सम्बंधित है। हर कोई चिंतित है। अतः न्यायाधीन के सिद्धांत को कायम रखने के लिए हम अवश्य ही इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। यह नहीं है कि ऐसा करने पर हमे संसद के जिम्मेवार सदस्य नहीं रहेंगे–मेरा विश्वास है कि यहां हम सभी जिम्मेदार है लोग अैर इस बारे में किसी को कोई शक नहीं है–यदि हे उन मामलो का हवाला दीजिये जो निष्पक्ष मुकदमे में व्यवधान डालेंगे हमें ऐसा हवाला देना चाहिए।

लेकिन यहां श्री सावंत जो चाहते हैं वह अलग है। आई.टी.डी.सी. की भूमिका एक मुकदमे का मुद्दा नहीं है। आई.टी.डी.सी. की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है। यह न्यायनिर्णयाधीन नियम के अंतर्गत नहीं आयेगा क्योंकि आई.टी.डी.सी. यहां दोषी नहीं है। एक संगठन के रूप में लंबित वाद अथवा आई.टी.डी.सी. को यहां दोषी नहीं कहा जा सकता है और न ही वह इसमें गवाह है। अतः आई.टी.डी.सी. की क्या भूमिका थी, किसी को कैसे इसका ठेका मिला, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अवश्य चर्चा की जा सकती है। हमें इस पर बोलने की अनुमति दी जाये। यह मेरा ससम्मान निवेदन है क्योंकि इससे देश तथा लोगों में कुछ गलत फहमियां पैदा हो जायेगी। इस तरह की गलतफहमी हमारी इस सभा में है। आई.टी.डी.सी. जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सरकारी सगठन है वह इस तरह के क्रिया–कलापों में जिन क्रियां कलापो की वजह से ऐसी दुःखद घटना घटी कैसे संलिप्त हो सकती है? हम यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हुआ। अतः इससे न्यायनिर्णयाधीन नियम का अतिक्रमण नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक बड़ी जाजय बात कही है और इसमें बड़ा दम है। इसे प्रत्येक को समझना चाहिये। मैं कुछ पढकर सुनाऊंगा जो इस बात से जुडा हुआ है मुझे अपने विवेक से इन बातों को तोलना है, लोढा जी का विवेक इस्तेमाल करके नहीं :

> "पुलिस जांच–पड़ताल के अधीन विषय पर प्रश्न को इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाता है कि मुद्दा न्यायनिर्णयाधीन है फिर भी पुलिस जांच–पड़ताल के अधीन मुद्दों सम्बन्धी प्रश्नों को निरूत्साहित किया गया है. पुलिस के अधीन मुद्दों के सम्बन्ध में कोई विशेष तथा विश्वसनीय सूचना रखने वाले सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे सम्बंधित मंत्री को वह सूचना दे दें।"

अब इन सभी बातों का क्या हुआ? मैं सही और संतुलित बात करने का प्रयास कर रहा हूं और इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ तो यह समझ बैठे हैं अथवा कम से कम यह सुझाव देने लगे हैं कि पीठासीन व्यक्ति की चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। मैंने इसे पढ़कर सुना दिया है। 'यदि किसी सदस्य के पास सूचना हैं'—वह इसी मुद्दे के सम्बंध में है। वे अब सत्तादल के सदस्य हैं, वे दल में पदाधिकारी हैं। वे मंत्री के पास जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं और इसके बजाय वे इसे यहां उठा रहे हैं और यदि आप सभी चाहते हैं तो मुझे इसे मुद्दे को यहां उठाने में कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ) : अध्यक्ष महोदय, यहां श्री सावंतजी ने मामले को उठाना चाहा। मुझे इस बात को लेकर एतराज है कि सत्तारूढ़ पार्टी के वे सदस्य हैं, इस नाते यह कहा गया कि अपनी पार्टी में विचार कर लीजिये। उसका उन्होंने जवाब दिया कि वे अपनी पार्टी के सविच हैं। मैं नहीं समझता कि इसका जवाब देने की जरूरत है। जो भी सदन का सदस्य है उसको यह विशेषाधिकार प्राप्त है और उसका यह विवेकाधिकार भी है कि वह जब चाहे किसी लोक महत्व के विषय को यहां उठा सकता है और इसके लिए उसे अपनी पार्टी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस नाते उनको यहां अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। पार्टी से राय ली है या नहीं, सदन को इस बात की जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है और न उनको इस आधार पर दबाया जा सकता है। उन्होंने यहां जो सवाल उठाना चाहा वह है "नैना साहनी मर्डर केस कनैक्शन विद आई.टी.डी.सी.।" श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि आपने कहा कि पुलिस इन्वेस्टीगेशन के संबंध में अगर कोई जानकारी किसी सदस्य को है तो वह सम्बन्धित मंत्री को दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पुस्तक से पढ़कर सुना दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम सुन रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आपने उसको पढ़ा भी है?

श्री नीतीश कुमार : कुछ तो पढ़ा है, तभी आप हमें वहां कभी—कभी बैठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट सब्मिट हो चुकी है। एक तरह से पुलिस जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट के बाद कोई जानकारी उनकी नज़र में आई है तो वह इस सवाल को उठाना चाहते हैं कि आई.टी.डी.सी. में एविडेंस को खत्म करने की कोशिश हो रही है, यह उससे भी आगे का सवाल है। चार्जशीट के बाद का सवाल है, एविडेंस को खत्म करने की बात है। यह सवाल वह उठाना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण और हो जाता है कि वह सत्तरूढ़ दल के सदस्य हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के संसदीय दल के सविच हैं। वे जिम्मेदार सदस्य हैं। इसकी जानकारी सदन में होनी चाहिए और सदन के माध्यम से देश को भी होनी चाहिए।

अंत में मैं पुनः दरख्वास्त करूंगा कि किसी न किसी बहाने यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपने बार—बार सफाई दी है और उसका संकेत दिया है कि जिसकी चर्चा लगातार समाचार—पत्रों में हो रही है, पूरे देश में कहीं भी आप जाइये इसकी चर्चा है, वहां सदन के नियमों को, परम्पराओं को शिथिल करके भी चर्चा होनी चाहिए तो वह जरूर होनी चाहिए। आपने चर्चा की बात कही है, सदन उस पर सहमत है। उसका एक व्यापक आधार है। व्यापक मामले पर चर्चा होगी। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, एक जनरल रिपोर्ट है। अपहरण कराये जाते हैं, अपहरण सैटल कराये जाते हैं, लेकिन उसमें केसवाइज़ चर्चा नहीं है। उस पर एक जनरल चर्चा होगी। जहां स्पेसिफिक केस का हवाला दिया जायेगा तो आप रूलिंग दे देंगे कि वह व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। उसकी जानकारी होगी तब भी चर्चा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको लम्बा न करें। बहुत हो गया है।

श्री नीतीश कुमार : मैं लम्बा नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस मामले में वह कुछ उठाना चाह रहे हैं उनका उठाने देना चाहिए। इससे बहुत रोशनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते जाते हैं। मैं फिर पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

"पुलिस जांच—पड़ताल के अधीन विषय पर प्रश्न को इस

आधार पर नामंजूर नहीं किया जाता है कि मुद्दा न्यायनिर्णयधीन है फिर भी पुलिस जांच–पड़ताल के अधीन मुद्दों सम्बन्धी प्रश्नों को निरुत्साहित किया गया है, पुलिस के अधीन मुद्दों के संबंध में कोई विशेष तथा विश्वसनीय सूचना रखने वाले सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे सम्बंधित मंत्री को वह सूचना दे दें।"

[हिन्दी]

इसके बाद भी मैंने कहा कि सदन आपका है, आपको जो करना है, उठकर कीजिये।

[अनुवाद]

मैं इस पर जाहिर नहीं कर रहा हूं। मगर खुदा के वास्ते कृपया यह तो न समझिये कि एक व्यक्ति यहां भी है जो इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है। यदि आप इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं–तो लगता है कि सत्तादल के सदस्य भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं–आप इस पर सभा में चर्चा कर सकते हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, भविष्य मे सभा में किसी सदस्य के विरुद्ध इस तरह से कोई मुद्दा उठाया जायेगा तो उसकी आपकी जिम्मेवारी होगी कृपया इसे याद रखें।...

...(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी बात पर अड़े हैं तो आपको बोलने की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : महोदय, मुझे समझ नहीं आता कि गलतफहमी क्यों है। ससम्मान मैं कहता हूं कि जो मुद्दा न्यायाधीन है उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुवनी) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। मैं भी एक सदस्य हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नैना सिंहवी की हत्या...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे निदेश पर आपत्ति जाहिर नहीं कर सकते है। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे निर्णय लेना है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य की इच्छा पर निर्णय नहीं ले सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, हमारी ओर से आपको उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं आप बड़े अच्छे सुझाव देते हैं। लेकिन जब प्रत्येक सदस्य यह चाहे कि सभा एक विशेष ढंग से चलायी जाये तो मैं अपने पर कैसे नियंत्रण करूं?

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, पूरी सभा सक्रिय और उत्तरदायी है। सभा को देश की चिंता है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देश सिर पर।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : हां, और ये सभी जानते हैं। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर दिया गया है और अब पुलिस जांच पड़ताल का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह भाग समाप्त हो गया है। अब मामला अदालत को सौंप दिया गया है। अदालत में भी–किसी अभियोजन साक्ष्य को किसी अन्य नाम का जिक्र करने का अधिकार है, और तब अदालत मामले के गुणागुन पर निर्णय ले सकते हैं ताकि कोई नया नाम जोड़ा जा सके अर्थात् हत्या के सम्बंध में; लेकिन यहां नियम में जिस नियम को आपने बार–बार पढ़ा है, के दो भाग हैं। एक तो हत्या का मामला है जिस पर आरोप–पत्र दाखिल किये गये हैं जो न्यायाधीन है और जिसके लिए हमारे पास परम्परायें और नियम हैं तथा दूसरा आई.टी.डी.सी. से इसका संबंध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस भाग पर पूरी चर्चा की अनुमति दें क्योंकि यह एक सरकारी संगठन है। मैंने केवल यही कहा है–**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही अनुमति दे चुका हूं। आप मुझसे अनुमति देने के लिए पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...**(व्यवधान)**

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दें...**(व्यवधान)**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मेरा व्यवधान का प्रश्न सुनें...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। सभी कुछ नियमबाह्य है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मेरा व्यवस्था का श्न सुनिए—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, यदि कोई सदस्य व्यवस्था ा प्रश्न उठाता है तो उसे सुना जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

महोदय, आप पहले मेरी बात सुनें तथा उसके बाद किसी न्य को बोलने की अनुमति दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रन्तु आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए।

महोदय, आपने इस संबंध में किसी चर्चा, अथवा स्थगन ास्ताव या कोई अन्य प्रस्ताव गृहीत किए जाने पर नियम 56 के तहत अपनी अनुमति देने से अंतिम रूप से इंकार कर देया है। आपने यह निर्णय किया है तथा इसकी इस सदन ं घोषणा भी की है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा गलत होता हूं तथा आप हमेशा ही होते हैं।

(व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : आप पहले मेरी बात सुनें। बात ह है कि जब आपने निर्णय कर लिया तथा उसकी घोषणा र दी तो यह मामला तभी समाप्त हो गया। उस मामले र समय दिए जाने पर ही चर्चा होगी। यह भी सूचित किया जाएगा कि इस पर कब चर्चा होगी। इसमें आई टी डी सी का मामला शामिल है। जब हम आईटीडीसी मामले पर चर्चा करेंगे तो सभा में यह मामला भी स्वतः उठेगा तथा कुछ प्रश्न भी अपने आप उठेंगे। आपने जो कुछ भी नियम में से उद्धरण दिया है वह बात भी अपने आप उठेगी। महोदय, मैं केवल यही कहना चाहता था। आप यह निर्णय कर दीजिए कि इस पर किसी दिन चर्चा की जाएगी तथा यह प्रकरण आज यहीं समाप्त हो जाएगा।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, सर्वप्रथम मैं कतिपय विचार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ *गलतफहमी पैदा हो गई है तथा मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसी बात पर चर्चा की जाए जो पुलिस जांच अथवा न्यायनिर्णयाधीन है। यह मामला कुछ अलग है।*

प्रथमतः मैंने यह मामला इसलिए उठाया है क्योंकि इस घृणित हत्या एवं जघन्य अपराध से पूरे देश में सनसनी फैल गई तथा हरेक आदमी इस संबंध में चिंतित है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस विषय की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। महोदय, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने ही यह मांग की थी कि अपराधियों, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच साठगांठ की जांच कराई जानी चाहिए। मैंने 90 सांसदों के हस्ताक्षर कराकर यह मांग की थी तथा इसे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट ने उस समय तत्काल स्वीकार कर लिया था। अतः इस विषय पर चर्चा कराने का आपने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मैं इस घृणित हत्या एवं जघन्य कृत्य की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चाहता हूं कि सभा में इस पर संक्षिप्त चर्चा की जाए तथा माननीय गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाए। मेरी ऐसी भावना है।

इसका दूसरा पहलू आईटीडीसी के बारे में है। हालांकि हत्याकांड में शामिल लोगों को रेस्तरां का आबंटन तथा उससे संबंधित प्रक्रिया इस हत्याकांड से सीधे-सीधे संबंधित नहीं है परन्तु इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निश्चय ही पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी जानकारी में यह बात आई है कि होटल का आबंटन नियमानुसार नहीं है? आपकी जानकारी में यह बात कैसे आई कि आईटीडीसी तथा हत्याकांड में संबंध है।

श्री सुधीर सावंत : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कैसे पता लगेगा कि आपके दिमाग में क्या है?

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मुझे अपने विचार रख लेने दीजिए तथा उसके बाद आप इस पर अपना निर्णय लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है परन्तु फिर भी आपको बोलने की अनुमति दी है।

श्री सुधीर सावन्त : इस प्रकरण से जुड़ा मुख्य मुद्दा यह है कि आज आईटीडीसी प्रबंधन ने इस मामले में की जा रही जांच को दबाने का प्रयास किया है और इसी कारण मैं इसे सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। आईटीडीसी के सुरक्षा एवं सतर्कता कर्मचारियों ने *कई बार प्रबंधक मंडल की जानकारी में यह बात लाई कि रेस्तरां की प्रक्रिया तथा व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है तथा वहां जो घटनाएं हो* रही हैं वे ठीक नहीं हैं तथा कई बार आईटीडीसी के स्टाफ को धमकियां भी दी गई थीं। ये सब बातें रिकार्ड होनी चाहिए। अब आज सुना है कि इस जांच में नियुक्त अधिकारियों को जम्मू स्थानांतरित किए जाने की योजना है। यह सब कुछ

घटित हो रहा है। इस मामले को उठाने का मेरा उद्देश्य यही है कि यह सब रोका जाना चाहिए तथा मैं सावधान करता हूं कि सीएमडी ने ही एक अकेले टेंडर के आधार पर इस रेस्तरां को एक व्यक्ति विशेष को आबंटित कर दिया। मुझे शंका है कि कोई न कोई बात अवश्य है क्योंकि हत्या के बाद अगले ही दिन वह आदमी बंगलौर चला गया। मैं भारतीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अब एक वक्तव्य दें कि वे इस कांड की विस्तृत जांच करवाएंगे तथा वह आईटीडीसी में जांच कर रहे लोगों को सताये अथवा प्रताड़ित किए जाने जैसे कृत्यों पर रोक लगाएंगे और रेस्तरां के लिए उस स्थान का आबंटन करने में प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, श्री सावंत ने अभी जिस जांच के बारे में कहा है, उसका अंतरिम रिपोर्ट मेरे पास है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसकी एक प्रमाणित प्रति सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। यह एक गंभीर अरोप–पत्र है। इसमें कहा गया है कि इस हत्या में सम्मिलित लोगों को किया गया बगिया रेस्तरां का आबंटन सभी नियमों तथा विनियमों के विरुद्ध था।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम पढ़ता हूं। मुझे अफसोस है कि मुझे पहले नियम पुस्तिका देखनी पड़ रही है और तभी में बताऊंगा कि इस विषय में नियम यह कहता है। मेरे बिना कहे ही इस मामले को माननीय मंत्री को सौंप दिया जाना चाहिए;

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके।"

श्री सुधीर सावंत : वह अब उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब जब आपने यह मामला उठाया है, तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि मंत्री जी चाहें तो वह अब उत्तर दे सकते हैं तथा यदि वह उत्तर चाहते हैं...

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कत्ल तथा आईटीडीसी के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इसकी तहेदिल से भर्त्सना करता हूं कि जो कुछ भी जिस ढंग से हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। यह अत्यधिका दुर्भाग्यपूर्ण है...**(व्यवधान)**—पहले भाग की उपेक्षा न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, महोदय, ऐसा शतप्रतिशत नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है; परन्तु जहां तक इस कत्ल तथा आईटीडीसी के बीच किसी संबंध का प्रश्न है—मेरे घनिष्ठ मित्र व भारतीय सांसद के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है—मेरे विचार से इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। यदि यह आईटीडीसी का नहीं होता, अथवा उसके पास यह रेस्तरां न होता अथवा वह इसे नहीं चला रहा होता—क्योंकि कत्ल पहले ही किया जा चुका था—उसने लाश को नष्ट करने हेतु कोई और तरीका अपनाया होता...**(व्यवधान)** अतः इस हत्या से आईटीडीसी को जोड़ना ठीक नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत पर्यटन विकास निगम या इस हत्या से कुछ लेना देना नहीं है...**(व्यवधान)** पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत पर्यटन निगम या इस रेस्तरां का इस हत्या से कोई भी सरोकार नहीं है। अब जहां तक दूसरे भाग का संबंध है...**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : अब मैं दूसरे भाग पर आता हूं।

मैं समझता हूं कि श्री आड़वाणी जी ने जो संगत मुद्दा उठाया है वह यह है कि इस स्थान विशेष के आवंटन में कुछ अनियमिततायें हुई हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप 'कुछ अनियमितताएं' कह कर इस मुद्दे को हल्का करने का प्रयास न करें। ये अनियमिततायें नहीं अपितु "गैर कानूनी" बातें हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : ठीक है इस स्थान विशेष के आबंटन में कुछ "गैर–कानूनी" बातें हुई हैं।

महोदय, में इस सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूं कि हमने पर्यटन विभाग के महानिदेशक से इसकी जांच करवाने का फैसला किया है जो अतिरिक्त सचिव के रैंक के अधिकारी हैं और उनसे आज सायं तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। मैंने आज सुबह उनसे मुलाकात की थी और उनसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

महोदय, मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो इस मामले से संबंधित व्यक्तियों

के बारे में जांच उच्च अधिकारियों की एक समिति द्वारा कराई जाएगी।

मैं इस सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि मंत्री या राज्य मंत्री के स्तर पर पहले ऐसा कभी नहीं किया गया है। सच तो यह है कि मुझे भी इस घटना के बारे में समाचार–पत्र से ही पता चला मैं उस समय विदेश में था। मैं आपरेशन के लिए लंदन गया हुआ था। मैंने वहीं इस बारे में पढा।

मैं सभा को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि मंत्री स्तर पर ऐसा कभी नहीं किया जाता है। यह भारत पर्यटन विकास निगम के स्तर पर किया जाता है। इसके लिए पांच सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जिसमें सतर्कता विभाग का अधिकारी भी शामिल है।

यह उन्होंने किसी प्रकार की अनियमितताएं की हैं तो उन्हें कठोरतम दंड दिया जाएगा। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि...**(व्यवधान)**

2.60 म.प.

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन प्रस्तावित तबादलों के बारे में क्या हुआ?

श्री गुमानमल लोढा : किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : नहीं ! किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इसे भाग्य कहिए अथवा दुर्भाग्य कि मेरे मित्र भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी–संघ के संरक्षक हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : तो वह सरे तथ्य जानते होंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : नहीं। वह इन तथ्यों से अवगत नहीं है। वह तो भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारी संघ के संरक्षक है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह संरक्षक और शीर्ष प्रबंध के बीच के झगड़े को इस मामले के बीच में न लाएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा निवेदन है कि...

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, आप कृपया एक मिनट रुकिए।

श्री सुधीर सावंत : महोदय इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

श्री सुधीर सावंत : महोदय प्रबंध के बीच किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात का निर्णय नहीं करेंगे कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए अथवा नहीं। आप कृपया बैठ जाइये। उनका प्रश्न एकदम संगत प्रश्न है जो इस मामले से संबंधित है क्या उनका तबादला इस ढंग से किया जा रहा है ताकि उनको बचाया जा सके?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता। मैंने इस संबंध में पहली बार सुना है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इस मामले से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है...

अध्यक्ष महोदय : ...बचाया नहीं जाएगा। ठीक है ना?

श्री गुलाम नबी आजाद : हां, महोदय। उन्हें बचाया नहीं जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि मंत्रालय और विभाग के नियमानुसार उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। किसी को बचाने को कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सरकार ने इस बात को माना है कि इस पार्टी विशेष को जिसमें कथित हत्यारा अर्थात् युवा कांग्रेस के नेता श्री सुशील शर्मा शामिल था, को दहे पर बगिया रेस्टोरेंट देना मूलरूप से एक ग़लत कार्य था। मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस बगिया रेस्टोरेंट को लाइसेंस देना एक भ्रष्टाचार का मामला है। इसी कारण यह तंदूर कांड हुआ जो अपराधीकरण का एक मामला है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इस भ्रष्टाचार को किसने सिद्ध किया है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस भ्रष्टाचार का सबूत आपके सामने है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सभा में यह बताया जाये कि वह राजनीतिक व्यक्ति कौन था जो इस व्यक्ति को यह स्थान विशेष आबंटित कराना चाहता था और वह व्यक्ति कौन है जिसने पैसे लिए हैं...**(व्यवधान)** ताकि हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें...**(व्यवधान)** मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा...**(व्यवधान)**। मैं माननीय ग्रह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह–चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो–उसे आज ही, अभी गिरफ्तार करें। राजनैतिक उद्देश्य से केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में हुआ यह है कि...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अभी जिस तरह से हाउस में डिफरैंट पोलिटिकल पार्टीज के लोग बोल रहे थे, मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। आप उनकी बातों को कह रहे थे कि बहुत अच्छा बोले। वाजपेयी जी ने चन्द्र शेखर जी का जिक्र किया और उन्होंने भी सफाई दी। उसके बाद डिफरैंट टाइप की बातें चलती रहीं। हमारे दोस्त गुलाम नबी आजाद साहब अभी उठकर कह रहे थे कि ले आईये, अभी ले आईये। मैं पूछता हूं कि हम भी यहां मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आज किसी स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर इनके लीडर को कहता है कि साइंटिफिक रिंगग कराते हैं। ऐसा कौन सा यहां मिनिस्टर है कि जहां कही लेन–देन होता है तो उसे तीसरा आदमी देखता हो, आप मुझे किसी एक आदमी का नाम ही बताईये। हमारे एक मिनिस्टर थे, हमें बहुत मानते थे, हम उस वक्त मिनिस्टर नहीं थे बल्कि मामूली एक एम.एल.ए. थे लेकिन वे पटन यूनिनवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंगलिश में थे, एक रोज हमें अपने घर पर ले गये और कहा कि मेरी बीवी मोटो चावल, दाल और आलू का चोखा यही खिलाती है, गफूर तुम हमें कहीं से कबाव आदि खिलाओ, पैसा हम देंगे। फिर और बातें होने लगीं। हमने पूछा कि आप इतना काम करते हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप इतने तेज आदमी हैं और इतनी फाईल इशारा करते हैं तो उन्होंने कहा कि देखो कहीं तुम मिनिस्टर हो तो हमेशा इसी चीज को ख्याल में रखो कि फाईल दिल्ली चली जायेगी। यह जो फोन है, वह बहुत गड़बड़ करने के लिए है। हम एज–ए मिनिस्टर आई.टी.डी.सी. को कह सकते हैं कि जरा फलाने को दे दीजिये। उसके बाद उसकी हिम्मत है कि वह कह दे कि नहीं* आज मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मेरा मतलब यह नहीं कि यूथ कांग्रेस के सब बेईमान हैं लेकिन एक सिस्टम हो गया है। हमने कहा कि तुम भी यूथ कांग्रेस में क्यों नहीं चले जाते तो वह कहता था कि हम तो चले जाते लेकिन आप किसी भी यूथ कांग्रेस वाले से पूछियेगा तो वह बता देगा कि कौन मिनिस्टर ईमानदार है। हमसे कहा कि चव्हाण साहब के यहां जाने में डर लगता है, सिंधिया साहब के यहां जाने में डर लगता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर, हैं, इनके यहां हम लोग नहीं जाते।* यूथ कांग्रेस वाले आदमी हैं, जो बता देंगे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : यह अत्यंत आपत्तिजनक है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अगर इनकी बातों की तरफ हम इशारा करें तो–**(व्यवधान)** ये बुजुर्ग हैं इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : हम सरकार में हैं। यदि किसी माननीय सदस्य को सरकार के किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध कुछ कहना है तो उसका स्वागत है। लेकिन वह इस तरह से सभा का मजाक नहीं उड़ा सकता। हमारी अपनी भी इज्जत है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात तो समझ सकता हूं कि सदस्य आरोप लगाये लेकिन यह बात समझ नहीं आती कि सदस्य मंत्रियों पर आरोप लगायें। लेकिन सभा का स्तर इस हद तक नीचे नहीं गिराया जाना चाहिए। इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा कि जब आपने भानमती का पिटारा खोल ही दिया है तो इस तरह की बातें दोनों तरफ से होंगी ही। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप इस प्रश्न को कानूनी नजरिये से क्यों देख रहें हैं। आप स्वयं कानून के एक प्रकाण्ड विद्वान है। इस मामले को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी विषम स्थितियों से निपटना पड़ता है।

श्री चन्द्र शेखर : लेकिन आपको यह कहने का अधिकार है कि 'इस विषय पर और कोई चर्चा न की जाये और मैं सभा को स्थगित कर रहा हूं।' **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें समझ लेना चाहिये। मैं दोहराता रहा हूं, न केवल दोहराता रहा हूं अपितु अब पढ़ रहा हू। मैं इसे तीसरी बार पढ़ रहा हूं :

> "जब तक अध्यक्ष को सदस्य द्वारा पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई है तब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई सदस्य अपवादपरक अथवा आरोपात्मक किस्म का कोई आरोप नहीं लगायेगा।"

मैं वस्तुतः उन व्यक्तियों को पसन्द नहीं करता हूं जो सभा में सदस्यों और मंत्रियों के विरुद्ध उन्हें इस बात की सूचना दिये बगैर कि उनके विरुद्ध ऐसा किया जा रहा है, आरोप लगाते हैं। ऐसा करने पर उनकी टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। ठीक यही बात मैं कहना चाहता हूं। आप 92 करोड़ लोगों द्वारा निर्वाचित समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। जो कुछ समाचार पत्रों में छपता है आप उससे

प्रभावित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई अकेला वर्तमान न्यायाधीश अथवा कुछ न्यायाधीश जो कुछ समाचार पत्रों में छपता है और जिसकी आप सभा में चर्चा करते हैं, से प्रभावित नहीं होंगे? आप सोचते हैं कि वे आप लोगों से सख्त हैं। आप सोचते हैं कि वे प्रभावित नहीं होंगे और फिर भी आप न्याय किया जाना चाहते हैं। यही बात है कि न्यायालधीन विषय की सभा में चर्चा नहीं की जाती है। ऐसा तो समाज में कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकता है। न्याय दिलाने का प्रयास करते समय और मामलों में निष्कपट भाव को बरतने का प्रयास करते हुए यदि आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं तो ठीक है मुझे मालूम नहीं है कि आपकी मदद कौन करेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्दजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, कृपया इस मामले को समाप्त कीजिए। इस मामले पर बड़ा समय बर्बाद हुआ है। कृपया इसे अभी समाप्त कर दीजिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला नहीं हूं। मुझे बडा अफसोस है कि मुझे मराठी भाषी नही आती है। लेकिन अंग्रेजी समाचार–पत्रों में यह खबर छपी है कि सामना जो कि महाराष्ट्र के सत्ता दलों का में से एक का अंग है, मैं उन दो सत्तादलों में सें एक के नेता द्वारा एक ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि वे अमरनाथ यात्रा और आने वाली हज तीर्थ यात्रा के बीच अंतर्णधन स्थापित करने का प्रयास कर रहे है और उन्होंने कहा है कि वे हज तीर्थ यात्रा नहीं होने देंगे। यदि अमरनाथ यात्रा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न की गई तो।

महोदय, मैं नहीं समझता कि इस सभा में कोई ऐसा सदस्य है जो यह सुनिश्चित कराने के लिए सरकार पर दवाब डाल रहा है कि हम सफलतापूर्वक, पूर्णरूप से तथा शांतिपूर्वक अमरनाथ यात्रा नहीं करने देंगे। लेकिन अपने दलीय हिस्से के माध्यम से वह सज्जन इस तरह का वक्तव्य देकर और इस तरह की चुनौती देकर यह जताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे भारत के सारे मुसलमान अमरनाथ यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वह कश्मीर में हिजबुल, मुजाहिदीन का हरकत उल–अंसार तथा भारत के सामान्य मुसलमानों की गतिविधियों के बीच एक समानता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से यह अत्यंत आपत्तिजनक है कि महाराष्ट्र राज्य में सत्ताधारी दल के प्रमुख को एक ऐसा वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए जिसमें उन्होंने भारत के सभी 12 या 15 करोड़ मुसलमानों को उनकी धार्मिक यात्रा के मौलिक अधिकार से वंचित रखने की इसलिए धमकी दी है क्योंकि भारत के किसी दूसरे राज्य में ऐसा हो रहा है। मेरा विचार है कि यह अति आवश्यक है कि गृह मंत्री इस व्यक्ति के विरुद्ध उसी प्रकार की कार्यवाही करें जैसी वे हरकत उल अंसार के विरुद्ध कर रहे हैं क्योंकि यह भारत में एक बहुत बड़े समुदाय के विरुद्ध आतंकवाद छेड़ने के समान है। तो मैं नहीं समझता कि यह सभा एक क्षण के लिए भी इसका समर्थन करेगी। मेरे विचार से यह भी जरूरी है कि चूकि हमारे यहां सभा में प्रमुख विपक्षी दल का महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन है, हमें विपक्ष के नेता से यह आश्वासन लेना चाहिये कि किन्हीं भी परिस्थितियों में अमरनाथ यात्रा तथा हज तीर्थ यात्रा के बीच महाराष्ट्र में कोई झूठा संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और हज तीर्थ यात्रियों को, चाहे अमरनाथ यात्रा के संबंध में कोई घटना घटे अथवा न घटे हज यात्रा करने की अनुमति दे दी जायेगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा और उनकी मदद की जायेगी। महोदय, मेरे विचार से यह पूर्वरूपेण स्वीकारा नहीं है कि भारत के मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र में सत्तादल के एक नेता से भी कम महत्व के व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति के बार–बार कहे गये कथनों को रिकार्ड किया जा रहा हो और जो यह कह रहा हो कि सारा महाराष्ट्र उसके रिमोट कण्ट्रोल के अधीन चलता है। इस तरह बंधक बनाया जाये। जब यह सज्जन जो महाराष्ट्र को रिमोट कण्ट्रोल से चला रहे हैं और वह किसी मुस्लिम को तीर्थ यात्रा पर जाने की धमकी भरा वक्तव्य देते हैं और तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री के. एल. आडवानी चुप्पी साधे रहते हैं तो मैं यही समझता हूं कि वे भी उस धमकी का एक भाग नहीं हैं तो मैं अब इस सभा में उनसे आशा करता हूं के श्री बाल ठाकरे द्वारा दिये गये वक्तव्य से पूरी तरह अपने आप को अलग कर लें। और साथ ही मैं नारत के गृह मत्री से आशा करता हूं कि वे हमें इस सभा में आश्वासन दें कि किसी भी हालत में श्री बाल ठाकरे की धमकी पूरी नहीं होने दी जायेगी और भारत के मुसलमानों को ऐसे सुनिश्चित कर दिया जायेगा जैसे कि पिछले पन्द्रह वर्षों में उन्हें तीर्थ यात्रा पर पाने संबंधी उनके अधिकारों, उनके मौलिक अधिकारों के विषय में किया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से एक वक्तव्य तथा गृह मंत्री से एक वक्तव्य चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम कलकत्ता से सभी सुविधाएं देंगे...**(व्यवधान)**

एस.बी. चव्हाण : जहां तक गृह मंत्रालय का ताल्लुक

है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिला सकता हूं कि जो मुसलमान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे उन्हें नहीं रोका जायेगा और यदि कोई उन्हें ऐसा करने से रोकेगा उनके विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री वासुदेव आचार्य : उसके द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (काट्टयम) : महोदय, श्री राजन पिल्ले की खेदजनक तथा आकस्मिक मृत्यु...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : हिन्दुओं की अमरनाथ यात्रा को नहीं रोका जायेगा, क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे? अध्यक्ष जी, मंत्री जी इस पर बयान क्यों नहीं देते हैं, इस पर आश्वासन क्यों नहीं देते हैं?...**(व्यवधान)**

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : जम्मू में खासकर देशद्रोहियों ने बम विस्फोट किये, उसमें दसों आदमी मर गये, क्या उसके बारे में माननीय मंत्री जी पता नहीं करेंगे? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 3.30 **म.प.** पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.17 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 3.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.35 म. प.

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.35 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : श्री मनमोहन सिंह की ओर से मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रंखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7916/95]

(दो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 7917/95]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 4, श्री जी. वेंकट स्वामी।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे जा रहे विवरणों का विरोध करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अध्यादेश संख्या 4 अथवा 5 का विरोध कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : पहले मद संख्या 4 और उसके बाद मद संख्या 5 का मैं विरोध करता हूं क्योंकि इसके बाद वे मद संख्या 5 पर आयेंगे। मैं दोनों मदों का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यहां जो आर्डिनेंस ले करने की कोशिश 6 और 7 के बारे में हो रही है। अब 6 नं. जो है, वह 15 टैक्सटाइल मिलों के नेशनेलाईजेशन के सम्बन्ध में है और आर्डिनेंस नं. 7 जो है, वह नेशनल टैक्सटाइल कोरपोरेशन की जो 109 बीमार मिलें हैं, उनके बारे में है और कुल मिलाकर इन दोनों आर्डिनेंस की जो थ्रस्ट है, वह थ्रस्ट यह है कि जमीन बेचने के लिए सरकार को परमिशन चाहिये। अब इसके मैरिट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि 2 जून को इसी सदन में टैक्सटाइल मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस करके विदहाउट डिस्कशन बिल मंजूर करना चाहिए था, ऐसा कहा था। बाद में आपको मालूम है, मैंने आबजेक्शन लिया था। फिर आडवाणी जी और अटल जी ने और बाकी सदस्यों ने समर्थन दिया और आपने कहा कि आप पार्लियामेंटरी मिनिस्टर से चर्चा करिये और फिर दोपहर

को चार या साढ़े चार बजे वे दोनों बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे। यह उसके बारे में आर्डिनेंस है।

मेरा आब्जेक्शन इसके बारे में है कि आज तक संसदीय इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई जो यह सरकार करने जा रही है। अध्यक्ष जी, दो बिल्स इस सदन में इंट्रोड्यूस हुए और जो बिल इस सदन में इंट्रोड्यूज हुए, उसके बारे में बहुत एक्सेप्शनल केसेज में आर्डिनेंस निकाले जाते हैं, वह मुझे मालूम है लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह परिस्थिति निर्माण हुई कि ये दोनों बिल्स जो 2 जून को यहां पर इंट्रोड्यूस हुए, वह 9 जून को अध्यक्ष जी ने स्टैन्डिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स एंड टैक्सटाइल के पास फर्दर कंसीड्रेशन के लिए भेजा था। स्टैन्डिंग कमेटी इज लाइक सलेक्ट कमेटी। उपाध्यक्ष जी, जब कोई भी बिल कमेटी या स्टैन्डिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, उसके संबंध में आज तक अपने संसदीय इतिहास में कभी भी आर्डिनेंस नहीं निकाला गया। कभी-कभी ऐसा हुआ कि बिल एक सदन ने पास किया लेकिन दूसरे सदन ने पास नहीं किया। इसके लिए आर्डिनेंस निकाला गया लेकिन यह हालत इस प्रकार की है कि ये बिल स्टैन्डिंग कमेटी के पास गये और स्टैडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी और तब तक यह सरकार एक नयी पार्लियामेंटरी हिस्टरी बना रही है कि स्टैन्डिंग कमेटी के पास इसलिए बिल भेजा जाता है कि उस पर पूरे ढंग से विचार किया जाये। अब यह विचार न करते हुए स्टैन्डिंग कमेटी में बिल होते हुए इन्होंने आर्डिनेंस निकाले।

[अनुवाद]

और यही कारण है कि मैंने इस पर आपत्ति जाहिर की है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, जो स्टेटमेंट अब होंगे, वे 71(2) के अन्तर्गत होंगे, यह मैं जानता हूं लेकिन आर्डिनेंस भी इसके साथ बाद में पेश हो रहा है, वह है प्रोविडेंट फन्ड के बारे में। अब उसके बारे में भी कोई स्टेटमैंट नहीं है। इन दोनों 'आर्डिनेंस के बारे में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यहां है। एक्सप्लेनेटरी नम्बर 6 एंड 7, लेकिन यह प्रोविडेंट फंड के बारे में जो आर्डिनेंस बाद में मंत्री जी ले करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपत्ति उठा रहा हूं, वह आर्डिनेंस क्यों निकाला? उसके बारे में भी सदन के सामने कोई स्टेटमेंट नहीं हैं विच इज नेसेसरी और यह एक नया संसदीय तरीका जिसके अन्दर किसी भी मामले को बहुत लाइटली और कैजुअली लिया जा रहा है, यह सरकार यही काम कर रही है। इस बात को लेकर मैं विरोध कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के पार्लियामेंटरी सिस्टम को इतना नीचा मत दिखाईये।

[अनुवाद]

अब विधेयकों के लिए कोई समीतियां नहीं हैं। विधेयक स्थाई समिति को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

आप इतिहास बनाईये लेकिन ऐसा इतिहास मत बनाईये जिसमें आपने बिल सलेक्ट कमेटी को भेजा है। सलेक्ट कमेटी और स्टैन्डिंग कमेटी एक ही है...

सलेक्ट कमेटी का जो रूप है वह अब स्टैन्डिंग कमेटी ने प्राप्त किया है और इसलिए जब कोई बिल स्टैन्डिंग कमेटी के पास जाता है, उस समय पर उसके बारे में आर्डिनेंस निकालना और राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है, उसके बारे में यह दुरुपयोग करने जैसा है।

इसमें क्या अर्जेंसी है। यह बिल 1983 में जो 15 मिल्स टेकओवर की गई है, उसके नेशनलाइजेशन के बारे में है। बारह साल के बाद यह बिल आ रहा है और उसके लिए भी आर्डिनेंस निकाल रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए, यह मामला बहुत गम्भीर है। इस भूमिका में दोनों आर्डिनेंसिस से संबंधित स्टेटमेंट आने चाहिए और बोनस के बारे में भी आर्डिनेंस निकाला है। यह कैसा है, अच्छा है, कितना अच्छा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जब यह बिल चर्चा के लिए आएगा। इसके बारे में आर्डिनेंस क्यों निकाला और स्टेटमेंट तो दोनों का आना चाहिए था। आप टैक्सटाइल के दोनों बिल के आर्डिनेंस के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उस प्रकार का यह स्टेटमेंट नहीं है।

[अनुवाद]

अतः इन सभी मुद्दों पर मैं इन दो अधिसूचनाओं अथवा विवरणों और अध्यादेशों का भी सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं जो कुछ मैंने कहा है वह नियम 71 के अंतर्गत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, संसदीय प्रणाली को हल्के फुलके ढंग से लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं रहा है। यह तो केवल वस्त्र उद्योग के हित में था कि ये दो अध्यादेश जारी किये गये थे और मेरा विचार है कि माननीय सदस्य श्री राम नाईक जो स्वयं रुग्ण वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार

में पर्याप्त रुचि लेते रहे हैं. काफी हद तक जो सरकार ने कदम उठाये हैं उनसे सहमत होंगे और कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने में इन कदमों का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। पिछले सत्र में सरकार इन विधेयकों को पारित करने की स्थिति में नहीं थी हालांकि विधेयक स्थाई समिति को दिये गये थे फिर भी सरकार को आगे आना पड़ा और अध्यादेश जारी करने पड़े। इसके अलावा सरकार का और कोई इरादा नहीं था। सरकार को अध्यादेश जारी क्यों करने पड़े इसके कारणों के विषय में विस्तृत विवरण दिये गये हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है। यह पार्लियामेंट को रैडिक्युल होने की बात हो रही है। दो जून को, गए समय, यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया। दो जून को राज्य सभा को सैशन समाप्त हुआ और तीन जून को लोक सभा का सैशन समाप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में दोनों बिल कैसे पास हो सकते हैं। आप पहले चर्चा करा कर बिल पास करा लेते। दो जून को यहां पर इन्ट्रोड्यूस करा कर बिल पास करा लेते। लेकिन इससे अच्छा यह होता, समझदारी यह होती, बिल इन्ट्रोड्यूस करना नहीं था। आर्डिनेंस निकालते, तो फिर बात समझ में आ सकती थी।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : उस समय ऐसा लगा कि न केवल विधेयकों को पुरःस्थापित करने अपितु विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने की आवश्यकता पर भी एक सामान्य मतैव्य था।

श्री राम नाईक ने हाल ही में यह मामला उठाया था तथा कहा था कि उन्हें जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। अतः उस समय विधेयक पारित नहीं किया जा सका। अतः ऐसा नहीं है कि हम संसद से दूर भागने का प्रयास कर रहे थे।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : अब उस विधेयक की स्थिति क्या है। इसे पहले ही सभा में पुनःस्थापित किया जा चुका है। स्थायी समिति इस पर विचार कर रही है।

श्री मुकुल वासनिक : विधेयक को सभा में पुरःस्थापित किए जाने के बाद, अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से निर्णय कर सकते हैं कि इसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाए तथा उसका प्रतिवेदन मिलने के बाद ही हम विधेयक को विचार के लिए ले सकते हैं।

जहां तक अध्यादेश का स्थान लेने हेतु विधेयक पर विचार करने हेतु समय के नियतन की बात है, माननीय अध्यक्ष से मामले पर बात की जाएगी तथा अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय लेंगे, हम उसके अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे। हम इस बात से पूर्णतः असहमत हैं कि हम स्थायी समितियों को बहुत हल्के तौर पर ले रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि स्थायी समितियों ने कुछ विधेयकों पर कतिपय सिफारिशें की हैं तथा कई अवसरों पर सरकार ने उन सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। सरकार को स्थायी समितियों के विवेक पर पूरा भरोसा है तथा कई अवसरों पर स्थायी समितियों ने सिफारिशों के माध्यम से इसे दर्शाया भी है तथा तदनुसार उन सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अतः यह कहना कि हम संसदीय प्रणाली तथा स्थायी समितियों को हल्के तौर पर ले रहे हैं तथा उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अनुचित है। स्थायी समितियों द्वारा दी गई यथासंभव सर्वोत्तम सिफारिशों तथा उन सिफारिशों के माध्यम से सदस्यों द्वारा दर्शाई गई बुद्धिमत्ता, पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं। इसी भावना एवं आशय से सरकार कार्य कर रही है।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं इस विषय पर आपको विनिर्णय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बता रहे हैं कि ऐसी कोई बुरी भावना नहीं है।

श्री राम नाईक : हो सकता है कोई कदाशय न हो परन्तु पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 1950 से लोक सभा चल रही है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : असाधारण परिस्थितियों में इन्हें जारी करना पड़ा होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ।

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, नियम 71 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि साधारणतः अध्यादेश लाए जा सकते हैं तथा उन्हें माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा जा सकता है। नियम 71 इस प्रकार है :

"जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सभा में पुरःस्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा

जायेगा; जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।"

मंत्री जी ने पहले ही परिस्थितियों को स्पष्ट कर दिया है जिनमें अध्यादेश को सभा पटल पर रखना पड़ा। अतः किसी नियम की उपेक्षा नही की गई है।

श्री अन्ना जोशी : स्थायी समिति के बारे में क्या हुआ?

श्री कार्तिकेश्वर पात्र : यह स्पष्ट किया जा चुका है कि : "कोई विधेयक, जो पहले पुरःस्थापित किया जा चुका है।" इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी स्थायी समिति अथवा उप–समिति के विचाराधीन हैं यदि परिस्थितियों की मांग हो कि अध्यादेश का जारी किया जाना आवश्यक है, तो इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। अतः मंत्री महोदय ने नियमों के तहत ही इस अध्यादेश को सभा पटल पर रखा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इससे बात साफ नहीं हो रही है। मेरा कहना यह है स्टेंडिंग कमेटी का उद्देश्य है कि वह इनको सही ढंग से देखे।...**(व्यवधान)** 1983 में जो मिलें टेक–ओवर की हैं उनके नेशनलाइजेशन का मामला है। गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई? 2 जून को बिल इंट्रोड्यूस किया, 3 जून को कैसे पास हो सकता है, जब कि राज्य सभा एडजर्न हो गई थी। यह परिस्थिति इनको बतानी चाहिए, इसको यह नहीं बता रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब विधेयक स्थायी समिति के विचाराधीन है, तो वह यह जानना चाहते है कि अध्यादेश जारी करने हेतु इंतजार क्यों नहीं किया जा सका।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे को स्पष्ट किया है। इन कपडा मिलों को पुनर्जीवित किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता थी। श्रम मंत्रालय द्वारा गठित त्रिपक्षीय विशेष समिति ने भी कतिपय सिफारिशें की थीं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनकी जानकारी के लिए उस पूरे विवरण को पढ़कर सुना सकता हूं। परन्तु यही कारण थे जो कि मैंने स्पष्ट किए हैं। इन कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए यह महसूस किया गया कि शीघ्रातिशीघ्र अध्यादेश जारी किया जाए तथा इसीलिए अध्यादेश जारी करना पड़ा।

श्री चित्त वसु : महोदय, मैं नहीं समझता कि उपयुक्त योजना बनाई गई है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि ये दो अध्यादेश कर्मकारों के लिए लाभप्रद हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। मैं समझता हूं कि अध्यादेश के आशय के बारे में आपने भी कोई शंका प्रकट नहीं की है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु दो हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस विधेयक अथवा इस विधान को पारित किया जाना चाहिये ताकि त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत दिए गए आश्वासनों को सरकार प्रभावी बना सके। परंतु एक बहुत ही गंभीर मामला उठाया गया है तथा मुझे नहीं मालूम कि सरकार इसे कैसे सुलझाएगी। मैं कोई सुझाव नहीं दे सकता। मान लो स्थायी समिति विधेयक में कोई संशोधन कर दे तथा इसी बीच हम अध्यादेश का स्थान लेने हेतु इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में ही पास कर दें–बहुमत के कारण आप ऐसा कर सकते हैं–तो क्या होगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सभा द्वारा पारित किए गए इस विधेयक को अधिनियम में बदला जाएगा तथा यदि अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया तो स्थायी समिति की सिफारिशों का क्या होगा?

महोदय, आप इस सभा के उपाध्यक्ष हैं। मैंने यह मामला उठाया है। मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। तथा यह भी न समझें कि मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित किया जाए ताकि यह अधिनियम का रूप ले सके। परन्तु एक संसदीय प्रक्रिया यह भी है कि यदि कोई संशोधन हो तो उस पर विचार करना होगा। आप स्थायी समिति के प्रतिवेदन के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। यदि स्थायी समिति इसमें संशोधन करती है या अपने प्रतिवेदन में कुछ संशोधनों का सुझाव देती है तो क्या होगा? तब क्या होगा?

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इफ यू वांट अवर को आपरेशन, तो चलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, श्री चित्त बसु ने एक मुद्दा उठाया है...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : इस बारे में कोई संदेह नहीं है। उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है।

[हिन्दी]

यह जल्दबाजी क्यों है, मुझे मालूम है। मुंबई शहर में जमीन की कीमतें बहुत हैं और जमीन बचने के लिए यह जल्दबाजी है। मै विधेयक की मैरिट्स पर नहीं जाना चाहता, जब इस

पर चर्चा होगी, उस समय ये सारी बातें होंगी, लेकिन आज स्थिति यह है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जल्दबाजी में जमीन मत बेचो, जो रिन्यूवल फंड है, उसका उपयोग करो।

[अनुवाद]

कहीं से पैसा नहीं आ रहा है और न ही यह रुग्ण मिलों को दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

यह बात है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : कृपया ऐसा प्रयास न करें और न ही ऐसे आशय के आरोप लगाएं : "जमीन ऐसे जल्दी–जल्दी मत बेचो"। सरकार की नीयत के बारे में इस तरह की हल्की बात नहीं कही जानी चाहिए।

श्री राम नाईक : इस अध्यादेश का यही प्रयोजन है।

श्री अन्ना जोशी : जल्दी क्या है?

[हिन्दी]

श्री मुकुल वासनिक : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चित्त बसु जी ने स्टैंडिंग कमेटी के बारे में यहां पर रेफरेस दिया, मैंने इससे पूर्व में भी कहा था कि यह बिल आर्डीनेंस को रीप्लेस करने के लिए टेकअप किया जाएगा।

[अनुवाद]

सामान्यतः विधेयक के पुरःस्थापन के बाद, माननीय अध्यक्ष अपने विवेक से विभिन्न विधेयकों को स्थायी समितियों को सौंपते हैं तथा उनके प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही सभा में विधेयकों पर विचार आरम्भ किया जाता है। अब, जब हम अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक विधेयक लाये, जिसे अर्त–सगानधि के दौरान जारी किया गया था, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस मुद्दे के बारे में अध्यक्ष स्तर पर चर्चा करेंगे और वह जो भी निर्णय देंगे हमे मान्य होगा **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी पुरःस्थापन के चरण पर है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरा एक निवेदन है। निवेदन यह है कि इसे पिछले सत्र के दौरान पुरःस्थापित किया गया था और फिर स्थायी समिति को सौंपा गया था। मुझे आपत्ति यह है कि जब यह मुद्दा स्थायी समिति के विचाराधीन है, तो अध्यादेश–जो अधिनियम के समतुल्य है कैसे लाया जा सकता है? आपत्ति इसी के बारे में है। अब इसे आप पुरःस्थापित कर रहे हैं और चूंकि इसे अध्यादेश का स्थान लेना है, इसलिए इसे आपको पारित करवाना है। सम्पूर्ण नितांत असंगत है। वास्तव में, अवस्था यही है कि जब यह मामला स्थायी समिति के विचाराधीन था तब अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। आप यही गलती कर गए। आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? हमें जवाब मालूम नही है...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मैं भी यही कहना चाहता था। मैं यही प्रश्न उठाना चाहता था। जब विधेयक स्थायी समिति को भेजा जा चुका तथा वह इस पर विचार कर रही है और इस पूरे मुद्दे की छानबीन कर रही है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए अथवा नहीं, अथवा विधेयक में कुछ जोड़ा जाए अथवा जब संसद के अधीन यह मुद्दा है तथा उस पर विचार–विमर्श किया जा रहा है तो सरकार अध्यादेश की अधिघोषणा कैसे कर सकती है?

क्या यह सरकार की संसद के प्रति अवमानना नहीं है। अतः इस विवादास्पद मुद्दे का समाधान आपको करना है। इस मुद्दे पर आपको निदेश देना है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं कह सकता हूं कि सरकार द्वारा संसद के विशेषाधिकार का यह खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : उपाध्यक्ष महोदय, नियम स्पष्ट रूप से उल्लिखित उपबंध के अनुसार एक अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब सदन के समक्ष लम्बित विधेयक के उपबंध में पूर्णतया अथवा अंशतया संशोधन अथवा परिवर्तन करना हो। अध्यादेश जारी करने के पश्चात विधेयक को पारित किया जा सकता है। हो सकता है कि विधेयक में की गई कुछ सिफारिशों को छोड़ दिया गया हो। अब तक अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात्, विधेयक भी पुरःस्थापित किया जा सकता है और इसे पारित भी किया जा सकता है। लेकिन अध्यादेश को अब क्यों लाया जा रहा है? इसे मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तथा यह आवश्यक है कि इस पर तत्काल विचार किया जाए। यही कारण है कि अध्यादेश अब लाया जा रहा है। तत्पश्चात्, स्थायी समिति के समक्ष लम्बित सम्बद्ध विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर बाद में पारित किया जा सकता है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी मंत्री द्वारा सभा पटल पर कोई पत्र रखे जाने का विरोध किया जाए। नियम 305 ग में यह उल्लेख है

"यदि कोई सदस्य नियम 305ख के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी विषय पर काई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसे समिति के पास भेजेगा और वह ऐसा मामला सदन में नहीं उठायेगा।"

अत: जब विधेयक पर चर्चा की जाए तब आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। यह मेरा विनिर्णय है। अब मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पत्र को सभा पटल पर रखें।

3.56 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 आदि द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत मै, श्री जी. वेंकटस्वामी के स्थान पर, निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

(1) कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7918/95]

(2) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बनाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7919/95]

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 6), रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 7) आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) 27 जून, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7920/95]

(2) 27 जून, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7921/95]

(3) 9 जुलाई, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7922/95]

(4) 18 जुलाई, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7923/95]

(5) 18 जुलाई, 1995 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अतिरिक्त उत्पाद शुलक (विशेष महत्व का माल) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 10)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7924/95]

3.58 म.प.

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक*

भोजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्याय महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, अधिनियम, 1959 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री गिरिधर गमांग : महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग (दो) खंड–2 दिनांक 31–7–95 में प्रकाशित।

3.59 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) पंजाब से गुजरने वाली गंग नहर की शीघ्र मरम्मत कराने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : नियम 377 के अधीन सूचना के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में श्री गंगानगर की गंग कैनाल बहुत ही महत्त्वपूर्ण है तथा करीब 85 वर्ष से चल रही है। 2750 क्युसेक पानी की क्षमता वाली यह कैनाल पंजाब क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसलिए अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती है। इसके दिलाए राजस्थान सरकार ने इस पानी को पूरा करने के लिए इसके हिस्से का पानी इंद्रा गांधी कैनाल में डालकर मोहनगढ़ के पास आर.डी.नं. 491 पर एक लिंक चैनल निकाला जोकि गंग कैनाल के प्रथम ठंड साधुवाली ही जोड़ दिया गया है।

इस लिंक द्वारा गंग कैनाल के काश्तकारों को पानी दिया जाए और 85 वर्ष पुरानी नहर को जो पंजाब के हिस्से में से बाहर लोगिंग की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है, इसको दुबारा बनाया जाए।

अतः मैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करवाने का आदेश दे ताकि वहां के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके।

4.00 म.प.

(दो) उड़ीसा में सुन्दरगढ़ में अरबा-झोराबहल सामुदायिक सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए अधिक धन स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी क्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुन्दरगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांपोण आई.टी.डी.ए. के तहत आरबा–झोराबहल सामुदायिक सिंचाई परियोजना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी देने हेतु संघ सरकार से अनुरोध किया है। संघ सरकार ने मुख्य परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केवल 3.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। अब परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपए हो गई है। महोदय, परियोजना के कार्यान्वित हो जाने के बाद इससे प्रथम चरण में खरीफ मौसम 4500 एकड़ भूमि तथा रबी के मौसम में 3,500 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी तथा दूसरे चरण में रबी मौसम में 2,700 भूमि की सिंचाई हो पाएगी। इससे 2,703 छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचेगा। इन किसानो में 2,404 अनुसूचित जनजाति, 163 अनुसूपिचत जाति तथा 103 अन्य समुदायों के लोग हैं तथा इनमें से अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। महोदय, इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इससे इन जनजातीय लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी।

अतः आपके माध्यम से, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह आरना–झोराबहल सामुदायिक सिंचाई परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दे तथा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में इस परियोजना को आई.टी.डी.ए. के अधीन कर दें।

(तीन) उड़ीसा के खदान क्षेत्रों में वनों की कटाई रोके जाने की आवश्यकता

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उड़ीसा में तथा विशेष रूप से इस राज्य के खनन क्षेत्रों में पेड़ों को गिराए जाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण राज्य में गंभीर पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई हैं। सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्र के खदान मालिक इस पर्यावरणीय पहलू की ओर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा खनन कार्यों के लिए पेड़ों का अंधाधुन्ध गिराया जाना जारी है। खनन कार्य पूरा करने के बाद वे उस क्षेत्र को कई वर्षों तक यों ही छोड़ देते हैं। खनिज निकालने के बाद पड़ी बड़ी बड़ी दरारों तथा गढ्ढों को वे रेत अथवा मिट्टी से नहीं भरते। वे क्षेत्र का पुनः वनीकरण करने की ओर भी ध्यान नहीं देते जबकि खनन कार्य आरम्भ करने से पहले पेड़ गिराने के लिए वे ही जिम्मेदार होते हैं। इन सभी गतिविधियों के कारण पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पेड़ों के गिराए जाने के कारण खनन क्षेत्रों में भू–स्खलन, भूकम्प, भू–क्षरण होता है तथा सूखा पड़ जाता है।

खनन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति रोकने एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा खदान मालिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे पर्यावरण के संरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा खनन कार्य समाप्त करने के बाद उस क्षेत्र का वनीकरण कार्य पूरा करें।

(चार) उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना नितांत आवश्यक है। इस समय

भारत में सबसे उड़ीसा के अधिक कर्मचारी तथा कार्यभार उड़ीसा के उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में है। इसके विभाजन की तत्काल आवश्यकता है। बालासौर, मयूरभंज, क्योंझर तथा भद्रक नाम पिछड़े व आदिवासी जिलों के लोगों के लिए एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग बहुत समय से की जा रही है। जबकि संघ सरकार ग्यारह ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में निर्णय लेने जा रही है, उपर्युक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की उचित मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

(पांच) पूरे देश में लाटरी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : देश में लाटरी के माध्यम से जो अप्रत्यक्ष रूप से सट्टे का व्यापार चल रहा है, उससे सारे देश में गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं।

इसकी विभीषिका को देखते हुए अनेक राज्य सरकारों ने राज्य का वित्तीय साधन होते हुए भी इस व्यापार पर अपने–अपने राज्यों की लाटरियां बंद कर दी हैं जिनमें राजस्थान व दिल्ली राज्य सरकार अग्रणीय है।

चूंकि अन्य राज्य में लाटरियां निकाली जा रही हैं जो दिल्ली व राजस्थान में अब भी बेची जा रही है, जिससे उक्त राज्यों के सामने कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह कानून बनाकर इसे सारे भारत में बंद करवाये वरना गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के अनेक लोगों के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जायगी।

(छः) हैंकयार्न कीमतों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : हैंकयार्न के मूल्य में वृद्धि के कारण हमारे देश के सहस्रो बुनकर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

भारत सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण रुई का अबाधित निर्यात हो रहा है। रुई की कमी के कारण अट्टा सूत का घरेलू बाजार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बुनकरों को सस्ते दर पर हैंकयार्न की आपूर्ति करने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। यह सदियों पुराना कुटीर उद्योग जिसने स्वस्थ परम्परा सृजित की है वह अब लुप्त प्राय हो गया है। ये आधुनिक मिलों तथा विद्युत हथकरघों की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस कुटीर उद्योग में लगे सहस्रों बुनकरों की बुरी हालत हो गई है।

हैंकयार्न के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कपड़े आदि के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है और कुल मिलाकर उपभोक्ता इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुये हैं।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने देश के बुनकरों तथा इस सदियों पुराने उद्योग को बचाने के लिए हैंकयार्न के मूल्य में कमी करने हेतु तत्काल कदम उठाये।

(सात) बिहार में लम्बित पड़ी दुर्गावती पनबिजली परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्याय महोदय, दुर्गावती जलाशय परियोजना कई वर्षों से लम्बित पड़ी है। सन् 1976 में इस परियोजना की स्वीकृति मिली थी, किन्तु आज 19 साल बीत जाने के बाद इस परियोजना का कार्य अधूरा है। यह योजना जब बनी तो लोगों के मन में आशा थी कि बिहार के अकालग्रस्त एवं सूखाग्रस्त लोगों को सिंचाई के साधन मिलेंगे और उनके खेतों को पानी मिलने लगेगा किन्तु लोगों की आशा निराशा में बदल गयी। पर्याप्त फंड न मिलने के कारण इस परियोजना का काम रुका और आज तक रुका हुआ है। इसमें काम करने वाले 700 के करीब अभी भी काम बंद होने पर वेतन पा रहे हैं। इस परियोजना का व्यय आरम्भ में 25 करोड़ 30 लाख रुपये लगाया गया था जिस पर 60 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आज 130 करोड़ रुपये की जरूरत इस परियोजना को पूरा करने के लिये व्यय करना पड़ेगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना का लाभ गरीब किसानों को पहुंचाने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाये और इस परियोजना को पूरा किया जाये अन्यथा सरकार की सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी।

4.09 म.प.

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक
और
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और सुधार करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और सुधार करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे द्वारा आज पेश किए गए दो विधेयक दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप लाए गये हैं। व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित आयोग के प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई 14 मार्च, 1995 को सभा पटल पर रखे गये।

पहले विधेयक में मौलिक उत्पाद शुल्कों की सांझेदारी तथा वितरण का प्रावधन है। दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 1995–2000 की अवधि के दौरान सभी पण्यों पर संघ उत्पाद शुल्क का 47.5 प्रतिशत राज्यों को भुगतान किया जाये।

उसके 40 प्रतिशत सभी राज्यों को वितरित करने की सिफारिश की गई है जबकि शेष 7.5 प्रतिशत दसवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुमानित अन्तरण के बाद के घाटे के आधार पर वितरण हेतु निर्धारित किया गया है। 1995–96 से 1999–2000 तक पांच वर्षों के दौरान राज्यों के इस कारण से 1,21,692 करोड़ रुपयों का अनुमानित अंततरण हुआ है।

दूसरा विधेयक कतिपय वस्तुओं पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शुद्ध आय के वितरण सम्बन्धी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के बारे में है। ये शुल्क वर्ष 1557 से राज्य सरकारों की सहमति से लगाए जा रहे हैं। ये शुल्क उन वस्तुओं पर उनके द्वारा लगाये गये विक्रय कर के स्थान पर लगाए गए है।

[अनुवाद]

इस योजना में प्रावधान है कि संघ क्षेत्रों को देय राशि के अलावा समस्त संग्रहीत राशि को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित नियमों के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाएगा।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

4.11 म.प.

(श्री तारा सिंह **पीठासीन हुए**)

अनुमान है कि वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान राज्यों को लगभग 19,986 करोड रुपए की राशि अतरित की जाएगी।

उपरोक्त दोनों विधेयक क्रमशः 8.5.1995 और 19.5.1995 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए थे। माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने संघ उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संबंधी दोनों विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिए थे। स्थायी समिति ने इन दोनों विधेयकों पर विचार किया तथा उन्हें सवीकार कर लिया। 31.5.1995 को स्थायी समिति के प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किये गये तथा उनकी प्रतिया राज्य सभा के पटल पर रखी गईं। चूंकि बजट सत्र 3.6.1995 को समाप्त हो गया था, इन विधेयकों को विचार के लिए नहीं लिया जा सका। अतः संघ उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में से राज्यों का अंश जारी करने हेतु मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 18.7.1995 को संघ उत्पाद शुल्क (विवरण) अध्यादेश, 1995 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अध्यादेश, 1995 प्रख्यापित किए। इन विधेयकों का आशय अध्यादेशों का स्थान लेना है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनिमय, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, वैसे तो मैं बिल का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और वह इसलिए कि जहां पर...

[अनुवाद]

"संघ उत्पाद शुल्क की वार्षिक शुद्ध आगामों का पैंतालीस प्रतिशत..."

[हिन्दी]

दी जाती थी, उसके स्थान पर 47.5 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को मिलेगी। इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से

[अनुवाद]

"संघ उत्पाद शुल्क के विभाजीय शुद्ध आगमों की चालीस प्रतिशत राशि को इसके द्वारा अनुशासित प्रतिशत के अनुसार राज्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह भी ठीक है, लेकिन तीसरी बात में जो आपने कहा है कि...

[अनुवाद]

"संघ उत्पाद शुल्क के विभाज्यीय शुद्ध आगम की शेष साढ़े सात प्रतिशत राशि को इसके द्वारा सिफारिश किए गए प्रतिशत के अनुसार घाटे वाले राज्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

यहां मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। राजस्थान सरकार की बहुत–सी योजनाएं हैं और माननीय प्रणव मुखर्जी साहब भी सामने बैठे हैं। उन्होंने भी और कई मंत्रियों ने राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं, उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है कि राजस्थान सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। इस बात को जब आप मान रहे हैं तो आप देखें कि राजस्थान में 11 जिले रेगिस्तानी हैं। वहां पीने का पानी भी उपलब्ध नही है और देश में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है। हिन्दुस्तान में जितनी भी नदियों से पानी मिलता है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक प्रतिशत पानी राजस्थान को उपलब्ध कराया जाता है।

जिस स्टेट के 11 जिले रेगिस्तानी हों उस स्टेट को हिन्दुस्तान के प्राप्त जल में से एक पर्सेंट जल मिले तो राजस्थान किस प्रकार प्रगति कर सकेगा। इसलिए डेफिसिट स्टेट में आप राजस्थान को पहले नम्बर पर जोड़ लें और जोड़कर तीसरा जो प्रावधान अधिक मदद करने वाली, 17.5 पर्सेंट नेट प्रोफिट करने वाली बात, कही है इसमें आप राजस्थान को जोड़ें, यह मेरी आपसे पहली गुजारिश है। मुझे उम्मीद है कि आप राजस्थान का नाम सूची में जोड़ लेंगे।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सरकारी राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मुख्य रूप से किसी भी वस्तु के उत्पादन पर लगाया गया कर है। मैं आपके ध्यान में ला दूं कि जिस समय इसका जन्म हुआ, यानी मुगल काल में सुगंधी वस्तुएं, नील की वस्तुएं और खाने के तेल आदि पर भी यह उत्पादन शुल्क लगाया जाता था। अंग्रेजों ने यह शुल्क सर्वप्रथम 1870 में नमक पर लगाया था। महात्मा गांधी ने 1930 में डांडी मार्च किया और उन्होंने कहा कि नमक पर कर पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। फलस्वरूप नमक पर कर समाप्त किया गया।

मैं यहां पर एक विषय जो आपसे सीधा जुड़ा हुआ है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में एक स्थान है सांभर। सांभर में हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा नमक पैदा होता है। वहां की सांभर झील को केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र में देने की बात सोच रही है। आपको ध्यान होगा कि सांभर साल्ट बनाने वाली कम्पनी नुकसान में जा रही है। आपको यह भी मालूम होगा कि जब राज्यों का विलीनीकरण हुआ था उस समय जोधपुर रियासत के अन्तर्गत यह सांभर झील आती थी। मेरा निवेदन करना यह था कि उस एग्रीमेंट के आधार पर आप सांभर झील को, जो राज्य सरकार की आय का बहुत बड़ा साधन है, उस सांभर झील को यदि वह कम्पनी ठीक ढंग से नहीं चला सकती है तो उसका निजीकरण न करें और एग्रीमेंट के आधार पर सांभर झील के आसपास की भूमि राजस्थान सरकार को आप सौंपे, जिससे नमक राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन सके।

इसके बाद अंग्रेजों ने सूती धागे पर कर लगाया, मोटर स्पेयर पार्ट्स पर कर लगाया, मिट्टी के तेल तथा माचिस पर कर लगाया और स्टील की बनी हुई सिल्लियां, चीनी पर यह कर लगाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रबर के टायरों पर, सिगार, चुरट पर कर लगाया गया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कई प्रकार के सुझाव दिए हैं। सरकार ने आर्थिक नीति के अनुकरण में प्रत्यक्ष संरचना के आधार पर इसको कार्यरूप देने का प्रयास किया है। आपने कहा है कि कर प्रणाली दक्ष और पारदर्शी हो और कर भुगतान करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह बात आपने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के एक नम्बर में कही है। आपने इसमें विवादो से बचने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उच्चतम दरों को धीरे–धीरे घटाने और विवादों से बचने के लिए संरचना को शीघ्र रूप देने और कर संरचना में परिवर्तन करके लचीलापन लाने की बात कही है। लेकिन यह बात क्रियान्वित होनी चाहिए।

दूसरा, आपने इसके अनुसार कार्यक्षेत्र को घटाने के लिए अंतिम उपयोग की कई बातों को अधिसूचना से हटाया है और माइग्रेट की परिधि में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ–साथ आपने उत्पादन शुल्क भुगतान करने वाली इकाइयों को लघु औद्योगिक इकाइयां मानने की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने विलम्ब को दूर करने के लिए सूचना देने वाली प्रक्रिया का भी सरलीकरण करने का प्रयास किया है और लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए सरल रजिस्टर या लेखा बहियों का निर्धारण

किया है। ये सारी बातें करने के साथ–साथ मेरा यहां पर निवेदन है कि बड़ी–बड़ी कंपनियां छोटी–छोटी कंपनियों का नाम रखकर उनका लाभ उठाना चाहती हैं।

उस प्रक्रिया को आप रोकेंगे। आपने लघु इकाईयों द्वारा दिये जाने वाले कानूनी कागजातों को सरल और कम करने की बात कही है, मैं समझता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे। जो मैंने कहा कुछ बड़ी इकाईयां छोटी इकाईयों के नाम से माल बनाकर, उस पर अपनी छाप लगाकर, लघु उद्योगों को दी जाने वाली छूट का लाभ उठाती हैं, उस पर आप नियंत्रण करेंगे। इसी प्रकार से विभिन्न नियमों में समस्त प्रक्रिया को ठीक करते हुए, आपने सरल करने का आश्वासन दिया है। अंत में, मेरा निवेदन यही है कि इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु फिर जोर देना चाहता हूं कि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है, जिस तरह आप पहाड़ी राज्यों को रियायतें देते हैं, उन राज्यों को रियायतें दी जानी चाहिये, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु जब हमारे मंत्री जी राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की तारीफ करते चूकते नहीं हैं, राजस्थान सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से अधिक से अधिक रकम मिले, यही मेरा निवेदन है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि साम्भर साल्ट जिस पर राजस्थान सरकार का कब्जा है, उसे केन्द्रीय सरकार किसी तरह से निजी क्षेत्र को देने का प्रयास न करे वर्ना राजस्थान में बहुत बड़ा आन्दोलन शुरू हो जायेगा जिससे धीरे–धीरे केन्द्रीय सरकार में परिवर्तन आने लगेगा। परिवर्तन तो पहले से आ रहा है इसलिये जाते–जाते भी आप क्यों बुराई लेना चाहते हैं। आप तो अब कुछ दिनों के मेहमान हैं और अपने दिन गिन रहे हैं–एक महीना, दो महीने, छः महीने। आज जिस कांड की यहां चर्चा हुई, भी मुझसे एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि एक जीप पर तन्दूर बनाओ और उस पर नैना जी का चित्र लगा दो, वह जीप लेकर सारे हिन्दुस्तान में घूम आओ तो मै समझता हूं कि हमें ज्यादा वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश में जो तन्दूर कांड हो गया है, वही हमें जिताने के लिये पर्याप्त है। इसीलिये मैंने कहा कि आप धीरे–धीरे पतन की ओर जा रहे हैं।

राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों मे से एक है। हमारे मुख्य मंत्री जी राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिये काम कर रहे हैं और यहां आप भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं इसलिये डिफिसिट राज्य होने के कारण आप उसे अधिक से अधिक धन देने का प्रयास करें। इस बिल में आपने जिस सरलीकरण की बात कही है, आपने लघु उद्योगों को राहत देने का बात कही है, उन्हें हर तरह की सहूलियतें देने की बात कही है, मै समझता हूं कि इसका आप निश्चित रूप से पालन करेंगे।

हमारे प्रधान मंत्री जी आजकल रेडियो पर और टी.वी. पर रोजाना आने लगे हैं कभी कहते हैं किसानों को रियायत मिलेगी, कभी कहते हैं स्कूली बच्चों को भोजन मिलेगा, अब वह भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कहना है कि अब वे चुनावी घोषणायें ज्यादा करने लगे हैं। यदि आपको वास्तव में कुछ घोषणाएं करनी थीं तो वे पहले की जानी चाहिये थी। अब लोग आपको समझने लगे हैं। इसलिये आपका हितैषी होने के नाते मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सजग हो जाईये क्योंकि आपको पिछले चार साल तक कुछ याद नहीं आया और अब आप लड़ रहे हैं। जितने अंतिम दिन आपने काटने हैं, उतने काट लीजिये, क्योंकि फिर आप को भूतपूर्व सांसद लिखना पड़ेगा। आपका हितैषी होने के नाते मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान देश का एक अग्रणी राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, अभी महाराष्ट्र में बनी है, उसके बाद गुजरात में आयी है और शीघ्र ही हमारी सरकार देश के अन्य प्रदेशों में भी बनने जा रही है। जल्दी ही इधर का पाला उधर होने वाला है तथा हम उधर बैठेंगे और आप इधर आयेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की घोषणायें न करें। आपने इस बिल में जो कुछ कहा है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर ईमानदारी से अमल करें। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से आप राजस्थान सरकार को अधिक से अधिक धन उपलब्ध करायें, यही मेरा आपसे निवेदन है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जल्दी चले जायेंगे और तब मेरी बात याद करेंगे। सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, इन दो विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, इन दोनों विधेयकों को एक साथ लिया जा रहा है तथा मैं इन दोनों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक सांविधानिक आवश्यकता है तथा सभा को इसे पूरा करना ही है। संविधान के अनुच्छेद 272 के साथ पठित सातवीं अनुसूची के सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 84 द्वारा संघ उत्पाद शुल्क उद्गृहीत करने, उस आय का अंतरण तथा वितरण करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संविधान में यह भी उपबंध है कि ऐसे शुल्क से प्राप्त राशि को केन्द्र तथा राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाएगा। अनुच्छेद में यह भी उपबन्ध है कि संसद विधि द्वारा इन शुल्कों से प्राप्त शुद्ध आगमों के राज्यों के साथ विभाजन करने का प्रावधान कर सकती हैं। परन्तु एक शर्त भी है कि वह ऐसा मनमाने ढंग से नही कर

सकती। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

वित्त आयोग संविधान द्वारा गठित एक संस्था है। इस बारे में संविधान में विशेष उपबन्ध है। हर पांचवें साल वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो कि देश की सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। वित्तीय एवं आर्थिक पहलुओं, अर्थात् विभिन्न राज्यों की आय, निर्धनता, सामान्य पिछड़ापन आदि, पर विचार करके वह विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऐसे केन्द्रीय राजस्व को संघ एवं राज्यों में कैसे वितरित किया जाएगा, के बारे में अपनी सिफारिशें करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, दसवें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है तथा उसके बाद भारत सरकार में वित्त मंत्रालय ने तत्काल कदम उठाकर इन दो विधेयकों को पेश किया है। ये दोनों विधेयक संबंधित स्थायी समिति अर्थात् वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपे गए थे। यह संतोष की बात है कि स्थायी समिति ने इन दोनों विधेयकों को पूरी तरह अनुमोदित एवं स्वीकार कर लिया है। स्थाई समिति के प्रतिवेदन भी हैं। वित्त संबंधी स्थाई समिति ने वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित इन दोनों विधेयकों पर विचार किया है और इसने पूर्ण रूप से अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

यह कहकर मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं पहले विधेयक जो संघ उत्पाद शुल्क तथा दूसरे विधेयक जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संबंधी में है कुछ टिप्पणियां करता हूं। जहां तक पहले विधेयक का संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है कि राज्यों के 2.5 प्रतिशत शेयर में वृद्धि हुई है। इससे पहले, नवें वित्त आयोग के अनुसार, यह शेयर 45 प्रतिशत था। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है हालांकि सीमांतत 2.5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। हो सकता है प्रतिशततावार यह मार्सिनल हो लेकिन जहां तक धन का सवाल है, अरबो रुपये अतिरिक्त प्राप्त हुये हैं।

अनुवृद्धि भी हुई है। ठीक शुरू से ही इस पहलू पर यह विचार करते हुए कि राज्यो को कितना धन वितरित किया जाना चाहिये, विभिन्न वित्त आयोगों ने जनसंख्या तथा पिछड़ेपन पर बल दिया है। यह जनसंख्या तथा पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि वह पिछड़ेपन को कैसे परिभाषित करते हैं। इस पर कैसे विचार किया जाता है। क्या वह कुल जनसंख्या अथवा जनसंख्या के संघटक जिससे मेरा कहने का आशय यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग आदि के आधार पर इस पिछड़ेपन पर विचार किया जाता है। मैं एक सुझाव देता हूं। कुल जनसंख्या पर विचार किया जाता है यू कहिये कि लोगों की श्रेणी उनकी प्रतिशतता आदि के आधार पर विचार किया जाता है। जनसंख्या के संघटक पर विचार नहीं किया जाता है। मेरा विचार है कि इस तरह से हम पिछड़े राज्यों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर रहे हैं। जहां तक पिछड़े वर्गों का भी सवाल है, पिछड़ेपन की सीमा के बारे में जानने के लिए कोई परिभाषा अथवा मापदण्ड नहीं है।

यह कहीं भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ सिंचाई तथा शुष्क क्षेत्र और प्राकृतिक पिछड़ेपन तथा अन्य बातों पर विचार किया जाता है।

47.5 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत उत्पाद शुल्क राज्यों को चला जायेगा तथा 20 प्रतिशत 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा इसमें विभेद भी होता है, दो विधेयकों में अन्तर होता है। कोई एक पहुंच नहीं की गइ है। जहां तक पहले विधेयक का संबंध है, वह संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक के बारे में है, जनसंख्या के आंकड़े 1971 की जनगणना के आधार पर लिए जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरे विधेयक अर्थात् अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो यह 1991 की जनगणना के आधार पर है। दोनों विधेयकों के संबंध में जनसंख्या या केवल एक ही आधारा लेने में क्या नुकसान है?

फिर, 60 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय के वितरण के आधार पर होगा। हम जानते हैं कि यह भाग्य की ही विडम्बना है—मेरे अच्छे दोस्तो निर्मल कांति चटर्जी मुझे माफ कर देंगे कि महानगर विकास केन्द्र अन्य शहरों की तुलना में कहीं अधिक विकसित हैं। हमारे चार महानगर हैं। इनमें बहुत ज्यादा धन एकत्र होता है। इनमें सभी कम्पनियों तथा औद्योगिक गृहों का भी अपना मुख्यालय होता है। वे कम्पनियां मिल का उडीसा में प्रचालन क्षेत्र है, जिनके वहां संयंत्र उद्योग हैं, लेकिन स्पष्ट उद्देश्य, विपणन तथा इस तरह की अन्य बातों के लिए उनके मुख्यालय कलकत्ता में हैं। इस तरह चार महानगरों अर्थात् दक्षिण में मद्रास, पश्चिम में मुम्बई और निस्संदेह संघ राज्य क्षेत्र राजधानी, दिल्ली के इर्द–गिर्द बसे राज्यों ने मुख्यतौर पर महानगरों के विकास में योगदान दिया है। लेकिन हमारी भावना है कि आंकलनों आदि में सभी संयोजन के कारण जो राज्य कच्चा माल उत्पादित कर रहे हैं और जिन पर इन कम्पनियों तथा उद्योगों की विकास और खुशहाली निर्भर करती है और जिनसे आय भी सृजित होती है, उनको लाभ नहीं मिल पाता है जो उन्हें समानुपातिक रूप में मिलना चाहिये। उन्हें लाभ नहीं मिलता है। इस पहलू पर भी विचार करना होगा। जहां तक पहले विधेयक का संबंध है, मैं कहता हूं कि जनसंख्या संघटक मानदण्ड होना चाहिये।

हाल ही में दसवें आयोग की नई सिफारिशों की वजह

से नया आभास हुआ है। जो पहले आयोगों की सिफारिशों से बिलकुल अलग हैं। 7.5 प्रतिशत को अलग रखना होता है इसके अलावा 40 प्रतिशत फार्मूला के आधार सीधा वितरित किया जाता है। इन्हें अतिरिक्त रखना होता है और घाटे वाले राज्यों को समानुपातित आधार पर वितरित किया जाता है। फिर इन राज्यों के कुल घाटे तथा प्रत्येक राज्य के घाटे के समानुपात में फार्मूला होता है यह फार्मूला बिलकुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और तर्कपूर्ण है। मैं एक उदाहरण देता हू। उड़ीसा राज्य बड़ा बदकिस्मत राज्य है। यहां तक कि भारत सरकार की नियम राशि आबंटन, संघ से प्राप्त राशि का आबंटन, योजना की मार्फत मिलने वाले धन का आबंटन भी पूर्णरूप से खर्च नहीं किया जा रहा है क्योंकि अपने राज्य से ही समानुपातिक हिस्सा प्राप्त करने में यह स्वयं असमर्थ रहता है। वह आन्तरिक राजस्व,.आन्तरिक आय जितनी योजना अवधि हेतु योजना अवधि के दौरान केन्द्र को कुल नियत आबंटन के प्रयोजार्थ चाहिये वह राशि सृजित करने में असमर्थ है। यह दुखद स्थिति है। ऐसे मामलों को और ऐसे राज्यों को विशेष मामले समझा जाना चाहिये।

मैं पूरे बल के साथ यह जिरह करता हूं कि उत्तर–पूर्वी जैसे राज्यों तथा अन्य राज्यों जिनकी हालत विभिन्न कारणों की वजह से पिछड़ी हुई है, परम्परागत तौर पर पिछड़ेपन के विभिन्न कारण हैं, को 'अलग राज्यों' की सूची में शामिल किया जाना चाहिये और उन्हें 'केन्द्र द्वारा सारा घाटा वहन करने वाले राज्य' समझा जाना चाहिये। उत्तरी–पूर्वी राज्य ऐसी चीजों के पात्र हैं क्योंकि इसके लिए एक विशेष प्रावधान है। अतः आज प्रोन्नत राज्य अथवा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा ऐसे अन्य उन्नत राज्य भी–एक चाल के तहत घाटा दिखा रहे हैं। वे अपना बजट इस तरह बना रहे हैं कि वे बजट में घाटा, दिखाते हैं। राज्यों के दो ग्रुप हैं अर्थात् वे राज्य प्रति व्यक्ति जिनकी आय औसत से कहीं ज्यादा है तथा दूसरे ग्रुप में वे राज्य हैं जिनकी राष्ट्रीय आय औसत के कहीं कम है। मैं वाद विवाद का उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों की राष्ट्रीय आय औसत से कहीं ज्यादा है और वे अपने बजटों में घाटा दिखाते हैं उन्हें 7.5 प्रतिशत में से शेष मिलेगा। यदि ऐसा है तो यह ठीक बात नहीं है और इससे फिर क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा और इस प्रकार से हमारी योजना का उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा जबकि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को खत्म करना तथा देश के सभी भागों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। यह मेरा सुझाव है।

जहां तक अन्य विधेयक अर्थात् अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, का सवाल है तो मैं यह कहता हूं कि 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक समझौता हुआ था कि राज्यों को अपनी हद अथवा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बिक्री कर नहीं लगाने चाहियें। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी, वस्त्र, ऊनी चीजें, तम्बाकू आदि जैसी जनता द्वारा उपभोग की जाने वाली कतिपय पव्यों पर तो कम से कम विक्रय कर नहीं लगाया जाना चाहिये, और विक्रय कर के स्थान पर इस तरह यह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क होगा। यह प्रावधान भी है, और राज्यों का घाटा पूरा किया जाएगा और सर्वोपरि बात तो यह है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त भी मिलेगा। इसके लिए यह पृष्ठभूमि है। इसके बाद भी विक्रय कर के थोक उन्मूलन के बारे में भी वाद–विवाद हुआ, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वाद–विवाद हुआ हालांकि यह वाद–विवाद नियतमित ढंग से नहीं हुआ। जनता पार्टी सरकार के दौरान यह बात उनके चुनावी घोषणा पत्र में थी। 1977 के चुनावों से पहले, जनता पार्टी सरकार ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था लेकिन वे इसे निभा नहीं पाये क्योंकि यह राज्यों के राजस्व का मुख्य आधार स्तम्भ है और इसीलिए राज्यों ने इसका विरोध किया था। राज्यों ने बड़ा भारी विरोध किया था। उन्होंने इसे समाप्त करने के प्रस्ताव का भारी विरोध किया था। एक समिति ने भी इसका अध्ययन किया है।

फिर एक के बाद एक विभिन्न वित्त आयोगों ने अपने फार्मूले अख्तियार किये हैं। दसवां वित्त आयोग प्रकट किये गये विचारों अथवा नवें वित्त आयों द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हो गया है और उसने वर्ष 1990–91 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 50 प्रतिशत अधिमान दिया है तथा 40 प्रतिशत अधिमान विगत तीन वर्षों के दौरान औसतन राज्यों के घरेलू उत्पाद को दिया गया है। इस तरह से उपयोग के लिए जिसका राज्यों की आय से संबंध है, पर बल दिया गया। उस पर विचार भी किया गया। यह दर्शन अथवा यह पैरामीटर अथवा यह आधार बड़ा ठीक लगता है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

फिर विभिन्न राज्यों के विक्रय कर की दरें भिन्न–भिन्न हैं। मध्य प्रदेश का दृष्टिकोण भिन्न है, उड़ीसा की नीति अलग है, और इसके साथ लगते आंध्र प्रदेश की दूसरी नीति है।

इससे करों की चोरी होती है। झारसुगुडा अब एक नया जिला बन गया है और झारसुगुडा के लोग रायगढ़, रायपुर आदि जैसे मध्य प्रदेश के बाजारों पर निर्भर हैं। बोलांगीर और उड़ीसा के विभिन्न भागों की भी यही स्थिति है। बिक्रीकर की दरों में काफी अन्तर होने के कारण बरह्मपुर के लोग आंध्र प्रदेश के बाजार पर निर्भर हैं। अतिरिक्त कर की दृष्टि से

तीन या चार मदों के बारे में वाद–विवाद होना चाहिए। यदि यह विषय एक जटिल मामला है तो इस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है और यदि हम कोई ऐसा समाधान पा जाते हैं जिससे बिक्रीकर समाप्त हो जाए और साथ–साथ राज्य सरकारों को भी उचित मुआवजा मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है तथा यह अत्यंत प्रशंसनीय कदम होगा।

मैं एक अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बड़े दुःख और वेदना के साथ मैं एक बात को इस माननीय सदन और विशेषकर वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हू, सौभाग्यवश विदेश मंत्री योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, मैं इस बात की ओर उनका ध्यान भी दिलाना चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि यह बात आज के वाद–विवाद के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। किंतु मुझे इस बात को यहां उठाने की अनुमति दीजिए क्योंकि यह सम्पूर्ण उड़ीसा को प्रभावित करता है। इससे उड़ीसा की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आप और माननीय प्रणवजी अच्छी तरह जानते हैं कि उड़ीसा बाढ़, तूफान और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का घर है ये सभी आपदायें उड़ीसा में एक–एक कर बारी–बारी से आती हैं। इस वर्ष मई से 30 से 40 इंच वर्षा से तबाही हुई। ऐसे राज्य के साथ दसवें वित्त आयोग के बर्ताव पर जरा ध्यान दीजिए। नौवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आंध्र प्रदेश को आपदा राहत कोष से 270 करोड़ रुपये मिले दसवें वित्त आयोग ने 653.77 करोड़ रुपये की सिफारिश की जिसमें 142.14 प्रतिश की वृद्धि हुई। यह अच्छी बात है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। बिहार को 175 करोड़ रुपये की तुलना में 273.53 करोड़ रुपये मिले अर्थात् 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गुजरात काफी विकसित राज्य है उसको मिलने वाली राशि में 199 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो लगभग दुगने के बाराबर है। जब उड़ीसा की बारी आई तो इसमें नाम मात्र की 9. 97 प्रतिशत की वृद्धि की गई जो सबसे कम है। वर्ष 1989–94 अर्थात् नौवें वित्त आयोग की कालावधि में यह राशि 235 करोड़ रुपये की और इसमें नाममात्र की वृद्धि कर इसे 258.01 करोड़ रुपये कर दिया गया प्रतिशत की दृष्टि से यह वृद्धि 9.79 है जो सबसे कम है, जो राज्य पहले ही निर्धनता और पिछड़ेपन के दलदल में फंसा हो तथा जिसमें जनजाति और हरिजन आबादी अधिक है। उसमें अनुचित प्रबंध कैसे किया जा सकता है? प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से यह राज्य राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। तो उड़ीसा के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य को 2000 करोड़, रुपये की हानि हुई। इसलिए आपदा राहत कोष के बारे में की गई सिफारिशें उड़ीसा का मान्य नहीं है। उड़ीसा विधान सभा में भी राज्य सरकार ने इन सिफारिशों का दृढतापूर्वक विरोध किया है। इसलिए इस बारे में मैं भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहता हूं। योजना मंत्री उड़ीसा की क्षमता और निर्धनता से अच्छी तरह परिचित हैं।

सभा में इस समय वित्त मंत्री का प्रतिनिधित्व माननीय श्री चन्द्रशेखर मूर्ति कर रहे हैं। मैं डा. मनमोहन सिंह और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं रहने दी जानी चाहिए इन शब्दों के साथ मैं इन दो विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने का धन्यवाद, मैं विभिन्न समस्याओं में से एक के बारे में बोलना प्रारम्भ करता हूं जिसका कि सामना हम यहां करते हैं।

वित्त आयोग की जो शर्तें तय की जाती हैं वे वस्तुतः सरकार द्वारा नियत की जाती हैं। संसद को इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता है। एक तरह से इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कार्यकारिणी की दृष्टि में संसद और देश की विधायिका का क्या सम्मान है।

और जब वित्त आयोग की सिफारिशें सभा पटल पर रखी जाती हैं, तो संसद और विधान मंडलो में से किसी को भी इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता है। मेरे सम्मानीय मित्र के साथ हैं क्योंकि उन्होंने यह जानना चाहा कि किसी राज्य के पिछड़ेपन का निर्धारण करने का आधार क्या है। वस्तुतः सब कुछ तो वित्त आयोग के प्रतिवेदन में दिया गया है। किंतु हमें वित्त आयोग की सिफारिशो पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिल पाया इसीलिए इस तरह की समस्या उठती है। सरकार की इस प्रकार की गतिविधि से संसदीय संप्रभुता और विधायिका के प्रति सरकार का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। केवल यही नहीं नौवें और दसवें वित्त आयोग के सदस्यों ने भी टिप्पणियां की हैं कि सरकार ने विभिन्न वित्त आयोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। जहां तक सचिवीय सहायता का सम्बंध है निर्णायक क्षणों में सचिव बदल दिया गया। कार्यालय तुरंत नहीं खोला गया इत्यादि आयोग के सदस्यों की इस प्रकार की टिप्पणियां वित्त आयोग के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

इसलिए मैं पहली बात यही कहना चाहता हूं कि विधायिका और स्थापित निकायों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। वित्त आयोग के सदस्यों ने एक और टिप्पण किया है। मैं उसके बारे में सविस्तार चर्चा नहीं करूंगा।

वास्तव में संसाधनों को दो तरह से अन्तरित करने के लिए प्रत्येक पाच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। परिभाषिक शब्दावली में आयोग इसे ऊर्ध्व अन्तरण और समस्तरीय अन्तरण कहता है। ऊर्ध्व अन्तरण का तात्पर्य यह है कि कितना अन्तरण किया जाना चाहिए इसका निर्णय वित्त आयोग द्वारा किया जाएगा अर्थात् केन्द्र की कुल राजस्व वसूली का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण में राज्यों का अनुपात क्या होगा, संविधान लागू होने के समय से ही यह स्वीकार किया गया था कि राज्यों को दिए गए संसाधन उनके लिए संविधान में निर्धारित कर्त्तव्यों की सूची के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह प्रावधान किया गया था कि राज्यों द्वारा जिस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है उसके अनुरूप और राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के आधार पर भी प्रत्येक पांच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाए और यह आयोग इस बात पर विचार करेगा कि केन्द्रीय राज्य वसूली का कितना भाग राज्यों को दिया जाए।

दूसरे चरण यह निश्चित किया जाता है कि राज्यों में कुल राशि का वितरण किस प्रकार किया जायेगा।

वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में एक समस्या है यहां यह प्रासंगिक नहीं है बल्कि यह व्यक्तव्य है कि कि स्थायी समिति ने इस पर चर्चा की या नहीं, समिति ने इसकी सिफारिश की या नहीं स्थायी समिति में वित्त आयोग का एक सदस्य है वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि इसे तुरंत भेजा जाना था, पिछले सत्र में अत्यावश्यकता के कारण सरकार ने यथा अनुशंसित विधेयकों को औपचारिक रूप से पारित किए जाने के बारे में कहा। इसीलिए चर्चा नहीं की गयी वास्तव में उस समय यही विचार था कि वित्त आयोग का एक सदस्य समिति का सभापति है इसलिए या—सम्भव है किसी अन्य कारण से वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा नहीं हो सकी।

महोदय मैं समस्तरीय वितरण के बारे में नहीं बोलूंगा, यह बहुत ही नाजुक और जटिल मामला है किंतु मैं वित्त आयोग द्वारा सुझाये गए वैकल्पिक प्रस्तावों की आलोचना करता हूं, मैं इस बात का अवश्य उल्लेख करूंगा कि वित्त आयोग बहुत ही जटिल परिस्थितियों में कार्य कर रहा है वस्तुतः ऐसा सुनने में आया है कि जब नौवें वित्त आयोग की बैठक हो रही थी तो केन्द्र द्वारा राजस्व के अन्तरण से पूर्व ही चार राज्यों की आवश्यकता से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा था और जब दसवें वित्त आयोग की बैठक हो रही थी तो यह संख्या घटकर तीन रह गई। अंतरण के बाद, उन राज्यों की संख्या भी जो अभी भी घाटे में रही हैं, बढ़ गई। इस प्रकार वित्तीय मोर्चे पर स्थिति बहुत खराब थी। यह बात समझ में आती है। परन्तु इस बीच राज्यों की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ गई हैं ऐसा नहीं कि वित्त आयोग का इस ओर ध्यान नहीं गया, अपितु समस्या यह थी कि उन्होंने एक वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया था। इस वैकल्पिक योजना में उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि केन्द्रीय अधिभार को छोड़कर, सीमा शुल्क, निगमित करों तथा अन्य ऐसे करों के माध्यम से केन्द्र द्वारा संग्रहीत कुल राशि के 29 प्रतिशत का अंतरण कर दिया जाए।

उन्होंने उस वैकल्पिक योजना के 29 प्रतिशत राशि का सुझाव दिया था। हालांकि इस विशेष मामले में वे 29 प्रतिशत तक नहीं गए, यदि वे वैकल्पिक येाजना में 29 प्रतिशत राशि का सुझाव दे सकते थे तो उन्होंने पूर्ववर्ती मामले में ऐसी सिफारिश क्यों नहीं की। अपनी सिफारिशों के अनुसार उन्हांने कुल राशि तथा कुल अनुपात का उल्लेख नहीं किया है। चूंकि हम उत्पाद शुल्क पर चर्चा कर रहे हैं, उसने केवल उत्पाद शुल्क का जिक्र करते हुए बताया है कि इसे पैंतालीस प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े सैंतालीस प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि यहां इसका उल्लेख करना असंगत होगा। परंतु साथ ही साथ आयकर अंतरण के प्रतिशत में भी कमी कर दी गई है। पहले यह 85 प्रतिशत था अब यह 75 प्रतिशत है तथा इसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 24 प्रतिशत ही अंतरण होगा तथा बिक्रीकर के स्थान पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुलक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वैकल्पिक योजना के अन्तर्गत उन्होंने सीधे कुल संग्रहीत राशि का 29 प्रतिशत का अंतरण करने की सिफारिश की है।

हालांक, वर्तमान योजना के मामले में जिसे अध्यादेश तथा वर्तमान विधेयक के द्वारा लागू किया गया है, उसने यह सिफारिश नहीं की है, दूसरे मामले में उसने 27 प्रतिशत से अधिक राशि की सिफारिश नहीं की है। ऐसा क्यों है? मैं नहीं जानता। यदि वित्त आयोग की सिफारिशों पर इस सभा में पहले ही स्वतंत्र रूप से चर्चा की गई होती तथा हमें उसमें संशोधनों का सुझाव देने का अवसर दिया गया होता तो हम स्वयं इस को बांट सकते थे। इस स्तर पर हमें चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया।

महोदय मुझे एक तीसरी टिप्पणी भी करनी है। विभक्त की जा सकने वाली मदों के संबंध में मैं संविधान के अनुच्छेद 269 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अनुच्छेद 269 के खंड (1) के अनुसार ये मद हैं : (क) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क; (ख) कृषिभूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में सम्पदा शुल्क; रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा—कर

आदि। मैं पूरी सूची का उल्लेख करने के बजाय उनमें से केवल दो का उल्लेख कर रहा हूं। वित्त आयोग के पास कम से कम सुझाव देने का अधिकार तो है। खंड–1 (ज) के अनुसार माल के पारेषण पर कर भी अंतरित होना चाहिए यदि ऐसा पारेषण अंतरराज्यिक व्यापार के दौरान होता हो। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के बावजूद भारत सरकार पिछले कई वर्षों से पारेषण टैक्स संबंधी अधिनियम पारित करने से इंकार कर रही है। इस टैक्स के द्वारा निधि में वृद्धि होने के साथ–साथ केन्द्र तथा राज्यों के सम्मुख आ रही वित्त संबंधी अप्रत्याशित कठिनाईयों का थोड़ा बहुत समाधान तो हो ही सकता था। मुझे नहीं मालूम कि वित्त आयोग ने यह सुझाव तक भी क्यों नहीं दिया कि सरकार को पारेषण टैक्स लगाना चाहिए। क्योंकि वह केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय मामलों को देख रहा है। मेरे विचार से वित्त आयोग की सिफारिशों में यह एक बड़ी कमी रह गई है। एक और रोचक बात है। वास्तव में एक बार जब वित्त आयोग कार्यरत था, मुझे उनके साथ चर्चा करने का अवसर मिला था परंतु मैं उन्हें इस बारे में राजी नहीं कर सका। अनुच्छेद 269 के खंड 1 (ङ) के अनुसार स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजरों के संव्यवहारों पर स्टाम्प–शुल्क से भिन्न कर भी अंतरित किए जाने चाहिएं। महोदय, इस वर्ष के बजट में स्टाक एक्चेंजों में होने वाले सौंदों पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) लगाया गया है। इसे स्टाक एक्सचेंजों, टेलीफोन आदि पर सेवा कर कहा जाता है। इससे 600 करोड़ रुपए एकत्रित किए जाने का अनुमान है। मैं इस बात पर हैरान हूं कि केन्द्र के कुलकर संग्रह में इस के हिसाब किताब को शामिल नहीं किया गया है जबकि अनुच्छेद 269 के खंड 1(ङ) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न करों का भी अंतरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों? मुझे दुख है कि इस पर इससे पहले सभा में चर्चा नहीं की गई।

4.57 म.प.

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

दूसरी बात मैं वित्त आयोग की सिफारिशों में फेर बदल के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि वे इसका क्या जवाब देंगे क्योंकि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह बहुत रोचक है। कार्यपालिका वित्त ओयाग की सिफारिशों में संशोधन कर सकती है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बदल गया है। चूंकि मैं उसका सदस्य था, मुझे याद है, वह भी उसके सदस्य तथा वित्त मंत्री भी थे, वित्त आयोग की एक साल की सिफारिशों की इस आशय से उपेक्षा कर दी गई ताकि पश्चिम बंगाल को उचित सहायता उपलब्ध न कराई जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार को उस वर्ष 400 करोड़ रुपए मिलने की आशा थी। यदि यह आंकड़ा ठीक न हो तो वह इसे ठीक कर सकते हैं। उस साल की सिफारिशें स्वीकार न किए जाने से यह पता चलता है कि सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती है। तथा संविधान में भी कहीं यह उल्लेख नहीं है कि सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों में न तो परिवर्तन कर सकती है तथा न ही उससे बाहर जा सकती है। वह ऐसा कर सकती थी। परंतु वह अभी भी ऐसा करने से इंकार कर रहा ह।

दूसरी बात मैं आयोग की सिफारिशों पर बड़ी सुस्ती से की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कहना चाहता हूं। उसे विचारार्थ सौंपे गए विषयों के बारे में भी यह बात सच है। मैं ब्यौरों तथा इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा। यह राजस्व योजना के लक्ष्यों के बारे में है। आयोग को स्वयं इसकी व्याख्या करनी होगी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इसकी ठीक–ठीक व्याख्या की होगी। यह एक अलग बात है। मसला यह है कि विचारार्थ विषयों के बारे में भी पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। वित्त आयोग को इस पर विचार करना चाहिए तथा उस के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को इस से खुशी होगी। इन समस्याओं की ओर विभिन्न पत्रिकाओं में भी चर्चा की गई है। बात यह है कि वित्त आयोग पांच सालों के लिए सिफारिशें करता है। सामान्यतः योजना की अवधि भी इतनी ही होती है।

5.00 म.प.

ऐसा पहले भी हुआ है। एक अवसर पर इन अवधियों में कोई समकालिकता नहीं रही थी। इसे ठीक करना होगा। योजना अवधि को कम कर दिया गया था तथा वित्त आयोग की सिफारिशों को भी घटा कर कम अवधि के लिए कर दिया गया था। एक समस्या है। हम इस समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यकाल में हैं जो कि अभी पूरी होनी है। इस वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 1999–2000 तक वैध रहेंगी तथा तब तक नवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त नहीं होगी। इस समस्या का उन्हें समाधान ढूंढना ही होगा।

एक और समस्या है। मुझे नहीं पता कि यह आज उतनी संगत है या नहीं। मैं चाहता हूं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसे समझने में मेरी सहायता करेंगे। जब योजना आयोग इतना कमजोर नहीं था जितना आज है तब भी इसके मध्यकालिक मूल्यांकन की बातें चल रही थीं एवं आर्थिक विकास की पूरी प्रक्रिया योजना आयोग द्वारा ही निर्धारित की जा रही थी।

योजना आयोग से स्वतंत्र, वित्त आयोग केवल अपने विवेक के अनुसार संसाधनों का बंटवारा करने वाला निकाय था। वास्तव में देश के विकास का रास्ता निर्धारित करने के लिए योजना आयोग ही सर्वोच्च एवं स्वतंत्र निकाय था। वित्त आयोग को तो केवल इस बात पर विचार करना था कि राज्यों को धन कैसे दिया जाना चाहिए तथा कितना केन्द्र के पास शेष रहना चाहिए। समस्या यही है। और भी रोचक बात यह है कि योजना आयोग ऐसा निकाय है जिसका गठन सरकार द्वारा किया गया है तथा यह एक गैर सांविधिक तथा गैर–सांविधानिक निकाय है जबकि वित्त आयोग सांविधानिक निकाय है। इस बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह योजना आयोग का ही कार्य होना चाहिए कि वह आर्थिक विकास का रास्ता निर्धारित करे, जिसे राज्य अपना सकें तथा राज्यों के अवशिष्ट मामले भी इस रास्ते से निर्धारित किए जाएं। अतः इसके साथ–साथ मैं यह प्रस्ताव इस आयोग के विचारार्थ पेश करता हूं कि इस बारे में संविधान संशोधन किया जाना चाहिए।

इस संशोधन द्वारा योजना आयोग को सांवधिक निकाय बनाया जाना चाहिए न कि सरकारी निकाय तथा यह योजना आयोग पर छोड़ देना चाहिए कि वह राज्यों और केन्द्र की अर्थव्यवस्थाओं की जांच और विश्लेषण करे तथा धन के अन्तरण को प्रस्तावित करे। आज यह बहुत विशिष्ट स्थिति है, योजनागत मद और गैर योजनागत मद है, धन राशि के अन्तरण के अलावा अनुदान का एक हिस्सा वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। अनुदान के दूसरे हिस्से के बारे में योजना आयोग को विचार करना पड़ता है तथा वित्त मंत्रालय को इससे सहमत होना पड़ता है तथा जिसे योजना मद कहते हैं। वार्षिक योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग प्रतिवर्ष राज्यों की बैठक बुलाता है, उनसे चर्चा करता है, उनकी समस्याओं को समझने और लक्ष्यों को जानने की कोशिश करता है कि वे वास्तविक हैं या नहीं तथा उस आधार पर आबंटन किया जाता है, परिवाद हो सकते हैं, किंतु फिर भी यह वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई विधि से काफी अच्छी है।

जिस सन्दर्भ में मैं प्रस्तावित कर रहा हूं उसका एक अतिरिक्त लाभ है। यह अच्छा होता यदि योजना आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण होता जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अधीन कार्य करता। यह समस्तरीय और ऊर्ध्व अन्तरण, सभी राज्यों के बीच तथा केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध का मामला है, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद से अच्छा निर्णायन कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है, मैं चाहता हूं सरकार इस पर विचार करे, मैं चाहता हूं सरकार न मात्र इस पर विचार करे अपितु मेरे प्रस्ताव से सहमत हो तथा संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्ताव लाये।

अब मैं समस्तरीय विभाजन के बारे में साफतौर पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : क्यों?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। यह बहुत रोचक बात है, आप इसके रोचक हिस्से को देखिये। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वास्तव में बिक्री कर की जगह लाया गया है। यदि किसी प्रसंविदा में यह सहमति हो जाए कि राज्य द्वारा उन्हें नहीं लगाया जायेगा और वे अतिरिक्त शुल्क के रूप में रहेंगे तथा उनका अनुपात उनके तकनीकी और वैज्ञानिक अनुपात के अनुसार है, कुछ लोग इससे सहमत हो सकते हैं और कुछ लोग नहीं। किसी राज्य के पिछड़ेपन की गणना करने की दो विधियां हैं, उन्होंने एक विधि को स्वीकार किया है तथा दूसरी को अस्वीकार किया है। किंतु मुझे इस तकनीकी पेचीदगियों में मत घसीटिए। दूसरा हिस्सा 7.5 प्रतिशत है। इस परिदृष्य को देखिए, उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 47.5 प्रतिशत कर दिया है। जिसमें से 40 प्रतिशत एक मानदंड के अनुसार वितरित किया जा सकता था तथा इस राशि के अन्तरण के बाद भी 7.5 राज्य में किन्हीं अभावों के अनुसार दिया जा सकता था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आगामी पांच वर्षों के दौरान यह एक स्थिर अनुपात नहीं रहेगा तथा यह अनुपात इस बात का द्योतक है कि आगामी पांच वर्षों के दौरान कौन–कौन राज्य और अधिक कठिनाई में रहेंगे, पहला राज्य जम्मू–कश्मीर है। मैं नहीं जानता कि क्या यह एक राजनीतिक वक्तव्य है, इससे राजनीतिक वास्तविकतायें झलकती हैं। 7.5 प्रतिशत में से जम्मू–कश्मीर को प्रारम्भ में 13.36 प्रतिशत मिलेगा तथा यह क्रमशः 16.491 प्रतिशत, 21.985, 22.741 और अन्तिम वर्ष में 23.740 प्रतिशत मिलेगा, किन अन्य राज्यों के अनुदान और आबंटन में 7.5 प्रतिशत से वृद्धि होगी–पूर्वोत्तर राज्यों? उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के अनुदान में कमी होगी इसलिए मेरा मानना है कि यह देश के विभिन्न भागों में राजनीति के विकास की सरकारी समझ के बारे में भी एक वक्तव्य है। यह पूर्वानुमान है तथा मैं इस पूर्वानुमान का विरोध करता हूं। यह सरकार की स्वीकारोक्ति है कि इन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की असफलता के कारण आगामी पांच वर्षों में इन क्षेत्रों की वित्तीय स्थिति और बदतर होगी, मेरे विचार से यह सरकार द्वारा की जा रही अपनी आलोचना है तथा हमने इसे उसी भावना से स्वीकार किया है, इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसी बातें न हों। अब यही सब मैं उस मुद्दे पर बोलना चाहता था जिसे किसी ने मुझे कहा था।

इन सब बातों के अलावा इस संबंध में हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए वह सम्पूर्ण कर संग्रह तथा कुल राशि है। उदाहणार्थ एक परस्पर विरोध है कि मुम्बई और गुजरात में कपडा क्षेत्र में बडे पैमाने पर उत्पाद शुल्क का परिवर्जन होता है। मैं कहता हूं कि यह करवचना नहीं है। यह कर परिवर्जन है, यदि माल तैयार बिल से अलग किया जाता है उत्पाद शुल्क का परिवर्जन होता है और पश्चिम बंगाल में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल वाले अपना माल मुम्बई और गुजरात भेजते हैं क्योंकि ऐसी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में नहीं है इसलिए यह उन्हें सस्ता पड़ता है। यह एक प्रकार की समस्या है। उत्पाद शुल्क और उत्पाद शुल्क नियमों में इस अन्तर को समाप्त किया जाना चाहिए, मंत्रियों को इस पर विचार करना चाहिए ताकि न तो कर परिवर्जन हो तथा न ही उद्योग का ढांचा विकृत हो।

इसके साथ–साथ हम सब लोगों को एक बात और कहनी चाहिए कि कर वंचना–उत्पाद शुल्क की वसूली और आयकर की वसूली के बकाया पर समुचित रूप से रोक लगायी जानी चाहिए, यदि इन बातों पर समुचित रूप से रोक लगाई जा सके तो मैं नहीं समझता कि क्या इन बातों को रोका जा सकता है, तथा यदि स्टांप शुल्क में वृद्धि की जाय तो कर वसूली में वृद्धि होगी क्योंकि मुम्बई में संपत्ति के अभिग्रहण को 75 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है, भगवान जाने ऐसा होगा भी कि न क्योंकि उन्हें 10 लाख रुपये से कम की घोषणा करने की आदत है अतः वे 11 लाख रुपये और 75 लाख रुपये तक घोषणा करने का जोखिम क्यों ले, मैं नहीं जानता कि क्या वे ऐसा करेंगे।

किन्तु जाने–अनजाने केन्द्र सरकार द्वारा कुछ उपाय आरम्भ किये जा रहे हैं जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की कम वसूली हुई है। हमें उस मुद्दे पर भी टिप्पणी करनी चाहिए जो यदि प्रतिशतताएं दी जाती हैं तो उनमें समानता लाएगा। वह काफी बड़ी राशि होगी क्योंकि राज्य काफी कठिनाई में है, और यदि राज्यों के पास उनकी आवश्यकता के अनुरूप धनराशि न हो तो देश में एकता नहीं रह सकती है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : महोदय मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद।

मैं वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि यह मुख्यतः नौवें वित्त आयोग और दसवें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गए संशोधनों के बारे में है, वित्त आयोग के लिए सामान्य प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक पांच वर्ष में वह राज्यों की स्थिति, उनके वित्तीय ढांचे और विकास का अध्ययन करें।

दसवें वित्त आयोग ने उत्पाद शुल्क में राज्यों के हिस्से में 45 प्रतिशत से 47.5 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें केवल 40 प्रतिशत दिया गया है और 7.5 प्रतिशत का वितरण विभिन्न राज्यों की वित्त व्यवस्था में कमी के आधार पर किया गया है। इससे कुछ राज्यों पर प्रभाव पड़ रहा है जो वास्तव में कुछ कर रहे हैं। किंतु आयोग ने कृषि पर आधारित कमी के आधार पर कोई विचार नही किया है जिस क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान है। आज हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हम अपनी त्रुटिपूर्ण वित्तीय व्यवस्था या मुद्रा स्फीति को देख सकते हैं। यह देश के कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है, जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति में कमी आती है। हमें इस पर और विचार करना चाहिए, योजना आयोग और वित्त आयोग को विभिन्न अनुपात में लाभों का वितरण करते समय इन दो मुद्दों पर विचार करना चाहिए तथा उसे उन राज्यों को देना चाहिए जो कृषि के विकास में वास्तव में पर्याप्त योगदान कर रहे हैं।

मैं जानता हूं कि किस अनुपात में सरकार ने चीनी, सूती कपड़े और अन्य उन वस्तुओं जैसी मात्र कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क निर्धारित किया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बिक्री कर के स्थान पर लगाए जाने का विचार है। उन्हें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को देना चाहिए, तथा केन्द्र सरकार को इस राशि को राज्यों को देना चाहिए जिनके कारण वह इस विशेष राशि की वसूली कर सकी है। आज हम कह रहे हैं कि पूरे देश में एक समान बिक्रीकर लागू किया जाए। चूंकि विभिन्न राज्यों के प्रयोजन भिन्न–भिन्न होते हैं, जैसा कि हमारे मित्रों ने अभी कहा, इन अंतरों के कारण ही उड़ीसा पर दुष्प्रभाव पड़ा है। इससे यह भी पता लगता है कि बिक्री करों में इस तरह के अंतरों से काफी समस्याएं आ रही हैं तथा यदि सरकार चाहती है कि और मदों पर बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसे कर लगाए जाएं तो जब तक इसके विभिन्न लाभ राज्य सरकारों को नहीं मिलेंगे तब तक वे सहयोग नही करेंगी। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों की कर की दरों में अंतर आ गया है तथा वे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि मूल्य वर्धित कर, जिसे कई बार लगाने का प्रयास किया गया, इन्हीं समस्याओं के कारण नहीं लगाया जा सका। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी तथा योजना आयोग से अनुरोध

है कि वे एक साथ बैठकर इस बात पर विचार करें कि इन खामियों के संबंध में वे विभिन्न राज्यों की कैसे सहायता कर सकते हैं तथा इसकी सिफारिश कैसे की जा सकती है तथा उन मदों का वे कैसे समर्थन कर पाएंगे।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कुछ मदों का भी सुझाव दिया है, जिन्हें इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। वे टेलीफोन बिलों पर संग्रहीत उत्पाद शुल्क, शेयर दलालों तथा कई अन्य चीजों के बारे में हैं। वे या तो इस पर वित्त मंत्रालय से बात करें अथवा उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभागों से संपर्क करें। उन्हें पहले इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए तथा उसके बाद यह पता लगाना चाहिए कि इसके वितरण हेतु क्या प्रणाली अपनाई जाए।

दूसरा मुद्दा है, यद्यपि उन्होंने कहा है कि उत्पाद शुल्क के अंश में बढ़ोत्तरी कर दी गई है परन्तु उन्होंने आयकर में राज्यों के हिस्से के बारे में उल्लेख नहीं किया है। इन विधेयकों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आयकर के राजस्व के वितरण के बारे में दसवें वित्त आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से कैसे कुछ नहीं कहा गया है। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकारों को जाने वाली आयकर संग्रह की राशि घटा दी गई है तथा उन्होंने इसमें लगभग 85 प्रतिशत की कमी कर दी है। उन्हें देखना चाहिए कि इससे कितना नुकसान होगा तथा इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है। यदि आप कहते हैं वित्त आयोग का मुख्य प्रयोजन अगले पांच सालों के दौरान वित्त के आदान–प्रदान को देखना है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारों की आय कैसे हो रही है, उनकी प्रगति कैसे हो रही है तथा प्रत्येक राज्य प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक सरकार के राजस्वों में उनके विकास के समर्थन हेतु, कैसे स्थिरता लाई जा सकती है मैं समझता हूं कि ऐसा ही कुछ किया जाना चाहिए।

जैसा कि सदस्यों ने कहा है दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा इस तरह के विधेयक लाए जाने से पहले हमें आयोग की सिफारिशों पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। यदि हमने इस पर स्पष्ट तौर पर चर्चा कर ली होती तो दसवें वित्त आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हमने अपनी सिफारिशें दे दी होतीं। हमें पूरी रिपोर्ट दी जानी चाहिए, न कि उसका केवल उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क से संबंधित हिस्सा। तभी हम इन दोनों में संतुलन कर पाते तथा यह निर्णय कर पाते कि यह कैसे किया जाना चाहिए था। मैं यह भी महसूस करता हूं कि वित्त आयोग को आज के विश्वव्यापीकरण की प्रगति के पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए था। एक ओर तो हम विभिन्न मदों पर आयात–शुल्क घटा रहे हैं ताकि दूसरे देश हमारे देश में अपने सामान की भरमार कर सके तथा दूसरी ओर आप भारतीय विनिर्माताओं को आनुपातिक समर्थन भी नहीं दे रहे हैं जबकि उत्पाद शुल्क में कमी करके ऐसा किया जाना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस देश की प्रतिस्पर्धा क्षमता कम हो जाएगी तथा दूसरे देश हमारे देश में अपने सामान की भरमार कर देंग तथा हम घरेलू उत्पादों पर अधिक उत्पाद शुल्क ही एकत्रित करते रह जाएंगे। सीमा शुल्क में कमी होने से हमारे देश में विभिन्न सामान आना शुरू हो जाएगा तथा हमें देश की विकासगति कम होने के परिणाम भुगताने पड़ेंगे।

मैं समझता हूं कि वित्त आयोग को इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए था। इसी कारण मेरे विचार से वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए थी ताकि हम इस संबंध में सभी पहलुओं पर चर्चा कर पात तथा यह जान पाते कि इसका हमारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

वास्तविकता यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में योजना आयोग ने पहले 750 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी थी परन्तु बाद में देने से इन्कार कर दिय गया। हमें उनसे इस बारे में कई बार बातचीत करनी पड़ी कि यह कैसे किया गया तथा इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया। यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया जाना कि प्रत्येक वर्ष के लिए जो भी वित्तीय सहायता नियत की गई हो वह प्रदान की जाएगी।

आंध्र प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है तथा दसवें वित्त आयोग की रपट पर विचार करते हुए उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों की योजना बनाने में इस कृषि प्रधान राज्य को उचित समर्थन दिया जाये।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि आप भी मुझसे इस बात पर सहमत होंगी कि निधियों का अंतरण तथा इसके तंत्र से उड़ीसा जैसे राज्य के हितों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जनता तथा उसके पिछड़ेपन को कसौटी माना गया है। मेरी अब तक यह समझ नहीं आया कि सरकार ने किसी राज्य के पिछड़ेपन के लिए क्या आधार माना है। इस विधेयक में विभिन्न राज्यों को अंतरित की जाने वाली राशि के प्रतिशत के बारे में प्रस्ताव किए गए हैं। आज 7.5 प्रतिशत का प्रावधान है तथा वर्ष 1999 और 2000 तक उड़ीसा को लगभग शून्य प्रतिशत राशि मिलेगी।

महोदया, आप उड़ीसा की दशा से परिचित हैं। माननीय विदेश मंत्री, जो हमारे पड़ोसी हैं उड़ीसा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी

थे। चुनाव के समय प्रायः वे उड़ीसा जाते हैं तथा राज्य की सामाजिक स्थिति से अवगत हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है। यह देश में सर्वाधिक है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 40 प्रतिशत है तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 53 प्रतिशत है। इस प्रकार 93 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उडीसा में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में प्रति व्यक्ति निवेश तथा केन्द्रीय निवेश भी सबसे कम है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय परियोजनाओं द्वारा राज्य में जुटाई गई सिंचाई सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के मुश्किल से 15 से 16 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5.20 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए)

जहां तक उड़ीसा का संबंध है राज्य में सिंचाई सुविधायें देश में सबसे कम है। साक्षरता भी सबसे कम है। ऐसी ही स्थिति राष्ट्रीय राजमार्गों की भी है। राज्य रेलवे को सर्वाधिक राजस्व का योगदान करता है किन्तु उड़ीसा में रेलवे का आधारभूत ढांचा देश में सबसे कम यहां तक कि असम से भी कम है। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र में रोजगार का संबंध है, अन्य राज्यों की तुलना में केन्द्रीय क्षेत्र रोजगार में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व सबसे कम है, मैं रक्षा क्षेत्र में भर्ती का अध्ययन कर रहा था। विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर नियतन किया जाता है किन्तु उड़ीसा राज्य का कोटा इससे लेकर दूसरे राज्यों को दे दिया गया है। इसलिए जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है यहां से रक्षा सेवाओं में भर्ती देश में सबसे कम है।

किन्तु यदि आप राज्य की स्थिति देखें तो इस राज्य में क्रोमाइट, मैंगनीज, कोयला और बाक्साइट के सर्वाधिक भण्डार हैं तथा अन्य खनिज साधनों के भी सर्वाधिक भण्डार हैं। यहां आसाम के बाद राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है और राज्य का 450 किलोमीटर लम्बा समुद्र तट है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि तब राज्य पिछड़ा क्यों है? इसका ऐतिहासिक कारण है किन्तु मैं उस ऐतिहसिक कारण में जाना नहीं चाहता। स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के सौतेले व्यवहार से इस प्रकार की असमानता और क्षेत्रीय असन्तुलन उत्पन्न हुआ है। अन्ततः राज्य एक ओर से बंगाल और आन्ध्र प्रदेश के बीच और दूसरी ओर से मध्य प्रदेश और बिहार के बीच पिस रहा है। इतने अधिक खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद राज्य प्रतिवर्ष सूखा और बाढ़ का सामना कर रहा है। माननीय सदस्य श्री खगपति यहां बैठे हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र कोरापुट के बारे में आप अखबारों में देखेंगे कि वहां हर वर्ष लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। 1920 में जब महात्मा गांधी उड़ीसा गए तो वहां से लौटने के बाद उन्होंने बम्बई में एक वक्तव्य दिया : "यदि आप निर्धनता को देखना चाहते हैं तो आपको उड़ीसा का भ्रमण करना चाहिए।" आज भी यदि कोई उड़ीसा जाता है तो वह भी ऐसा ही वक्तव्य देगा कि यदि आप वास्तव में निर्धनता देखना चाहते हैं तो आपको उड़ीसा जाना पड़ेगा। किन्तु मैं नहीं जानता कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए धन राशि आबंटित करते समय दसवें वित्त आयोग ने उड़ीसा को किस आधार पर हाशिए पर रखा है। इस तरह से क्षैत्रीय असन्तुलन की समस्या हल नहीं होती है। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, यह और समस्याएं पैदा करेगी। इसलिए उड़ीसा विधान सभा में सभी राजनैतिक दलों ने चाहे वह जनता दल हो या कांग्रेस हो या सी.पी.आई. (एम) या भाजपा सभी ने तीन बार सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि उड़ीसा को विशेष श्रेणी का राज्य माना जाना चाहिए। उड़ीसा में सब कुछ उपलब्ध है। प्रतिदिन यहां से कोयला और क्रोमाइट दूसरे राज्यों में जा रहा है। मैं किसी विशेष कम्पनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं वित्त मंत्री हमें केन्द्रीय राशि से कुछ भी न दें चाहे वे हमें फूटी कौड़ी भी न दें, किन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि वे हमें एक बात की स्वतन्त्रता दें कि हम अपने कोयला और क्रोमाइट खानों का संचालन स्वयं करें। वे 5 या 10 वर्षों तक हमसे कुछ न लें और फिर देखें कि उड़ीसा में क्या होता है। देश के कुल क्रोमाइट अयस्क का 96 प्रतिशत उड़ीसा में है। आप हमें 10 वर्षों तक उन खानों के संचालन की अनुमति दें। हम प्रति वर्ष क्रोमाइट खानों से ही कम से कम 500 करोड़ रुपये प्राप्त करेंगे। क्रोमाइट खानों को किन लोगों को पट्टे पर दिया जा रहा है? इन खानों को बड़े औद्योगिक घरानों को पट्टे पर दिया जा रहा है, टाटा को अकेले सुखन्दा वैली क्रोमाइट खान से 200 करोड़ रुपये का लाभ होता है। वे कुछ भी नहीं करते हैं। वे कुछ भी निवेश नहीं करते हैं। वे मात्र 500 रुपया खर्च करते हैं और पारादीप कलकत्ता और विज़ाग से जहाजों में क्रोमाइट अयस्क लादते हैं और इसे अमेरिका भेज देते हैं।

वे एक खान से प्रति वर्ष 200 करोड रुपये का सकल लाभ प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण निवेश पश्चिमी तट में है। यह घराना उड़ीसा में एक रुपया तक निवेश नहीं करता है जबकि उसे मेंगनीज अयस्क और लौह अयस्क आदि यहीं से मिलते हैं। लेकिन उसका निवेश शून्य है। अतः वित्त मंत्री जी हम

आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। यदि आप क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना चाहते हैं तो आप हमें या तो विशेष दर्जा राज्य मानें और हमें समुचित हिस्सा दें अथवा वहां कोई गंभीर समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन के कारण उड़ीसा में क्षेत्रीय आन्दोलन छिड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह का आन्दोलन चल रहा है अथवा वहां जिस तरह की समस्या पैदा हो रही है वैसी ही स्थिति उड़ीसा में भी पैदा हो सकती है।

अतः कार्यभार हस्तांतरित करने के जिस फार्मूले अथवा मानदंड की सिफारिश दसवें वित्त आयोग ने की थी और जिसे संघ सरकार ने स्वीकार कर लिया था मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसे बदलना चाहिये और उड़ीसा को विशेष दर्जा राज्य माना जाना चाहिए जैसा कि उड़ीसा सभा और उड़ीसा की जनता ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है तथा उसे स्वीकृत किया है।

मैं अपने पड़ोसी श्री प्रणव मुखर्जी से आग्रह करता हूं कि वह योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से इस राज्य को समकक्ष मानने और इस राज्य की संभावनाओं पर विचार करने तथा हमें समुचित धन प्रदान करने के लिये कहें ताकि हम अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकें और अन्य राज्यों की बराबरी भी कर सकें। अथवा यह असंतुलन बढ़ेगा और खाई भी बढ़ती जायेगी।

यह नई आर्थिक नीति है। परन्तु कोई भी गैर–सरकारी क्षेत्र उड़ीसा में पैसा नहीं लागने जा रहा है क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। समूचा निवेश दिल्ली अथवा बम्बई के आसपास सीमित रहेगा और यह कलकत्ता के आसपास भी नहीं होगा। अतः कृपया इन राज्य को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह विशेष दर्जा राज्य मानें और वहां बुनियादी ढांचे का विकास करें। उड़ीसा राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ–साथ राज्य का विकास होगा। उड़ीसा एक खनिज सम्पन्न राज्य है। यदि बुनियादी ढांचे को मजबूत बना दिया जाये तो उड़ीसा के साथ–साथ देश का भी लाभ होगा।

अतः मैं दसवें वित्त आयोग के इस फार्मूले अथवा इस विधेयक में जो कुछ प्रावधान किया गया है उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि उड़ीसा को समुचित हिस्सा दिया जाये।

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जेना ने यहां मेरे नाम का उल्लेख कर कहा है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। मैं इस विषय पर ही कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

श्री श्रीकांत जेना : आपके निवार्चन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कालाहांडी और कोरापुर जिलों में भी यह हुआ है।

श्री के. प्रधानी : महोदय, मैं इस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। जनता शासन के दौरान मेरे निवार्चन क्षेत्र में भुखमरी और महामारी से कई लोग मारे गये थे। यह सच है। यह अब की बात नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, सभी जानते हैं कि जब मैं उड़ीसा विधान सभा में 15 वर्षों तक सदस्य रहा था तब शासन किसका था। तब इस राज्य के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री जे.बी. पटनायक सत्तारूढ थे। तब सभा में हर दिन इस आशय के कार्य स्थगन प्रस्ताव रखे गये कि कालाहांडी और कोरापुर जिलों में लोग मर रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और प्रचार माध्यमों से भी इसका ब्यौरा दिया जाता रहा। जब हमारे दल के शासन के दौरान लोग मरे थे तो हमने इसकी भी निंदा की थी। भूख का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कौन–सा दल सत्तारूढ़ है। वहां लोगों के मरने का कारण तो गरीबी है!

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यूनियन ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) अमेण्डमेंट बिल, 1995 और एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज (गुड्स ऑफ स्पेसियल अम्पोर्टेस) अमेण्डमेंट बिल दोनों पर एक साथ बहस की जा रही है। पहले बिल से जो प्रोसीड आने वाला है वह 1,21,692 करोड़ है और दूसरे से 19,986 करोड़ है। इसके बंटवारे की व्यवस्था इन बिलों के जरिये है। बंटवारे के आधार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अलग–अलग राय जाहिर की है।

मैं भी यह चाहता हूं कि कोई ऐसा सिद्धांत जरूर बनाया जिये जिससे देश में रीजनल इम्बैलेंस दूर हो सके। हमारे अलग–अलग राज्यों में काफी प्रगति हुई है लेकिन कुछ राज्य अब भी पिछड़े हैं और उनके पिछड़ेपन के लिये केन्द्र ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। केन्द्र की नीतियों के कारण ही कुछ राज्य अब तक पिछड़े रह गये हैं जबकि कुछ राज्य आगे बढ़ गये हैं।

अभी जो नई आर्थिक नीति बनी है, जिसके मुताबिक देश में आर्थिक कार्यवाहियों का नियमन हो रहा है, उसने तो पिछड़े राज्यों पर और भी ज्यादा प्रहार किया है। नई आर्थिक नीति के कारण पिछड़े राज्यों का पिछड़ापन और ज्यादा बढ़ रहा है। मैं अपने राज्य बिहार की स्थिति जानता हूं, आप देख लीजिये उसकी आज क्या स्थिति हो रही है।

अभी यहां उडीसा का जिक्र किया गया, वह भी पिछड़े राज्यों के अतर्गत आता है। उसके संबंध में जिन बातों की चर्चा की गयी, चाहे आबादी की बात हो, पौपूलेशन की बात हो, बैकवर्डनैस के बारे में क्लियर–कट लाईन का सवाल हो, जो साधन राज्यों के पास रॉ–मैटीरियल के रूप में मौजूद है, मैनपावर के रूप में मौजूद है, उनका लेखा–जोखा करके केन्द्रीय सरकार पिछड़े राज्यों को आगे बढ़ाना चाहती हो, ऐसी नीति केन्द्रीय सरकार की नहीं रही है। यदि ऐसी नीति रही होती तो बिहार राज्य काफी आगे बढ़ गया होता लेकिन आज वह पूरे देश में सबसे पिछड़े हुये राज्य के रूप में माना जाता है, जबकि कच्चे माल के मामले में उसने देश को बनाने का काम किया है, देश की तरक्की के लिये आधारभूत संरचना जिसने तैयार की, चाहे लोहे का सवाल हो, कोयले का सवाल हो, किसी दूसरे रॉ–मैटीरियल का सवाल हो, मैनपावर का सवाल हो, भूमिगत जल या ओवर–ग्राउण्ड वाटर का सवाल हो, मेहनत करने वाले लोगों का सवाल हो या अच्छी जमीन का सवाल हो, किसी भी मामले में बिहार हिन्दुस्तान के किसी राज्य से पीछे नहीं है लेकिन फिर भी केन्द्र और स्टेट के जो रिलेशन्स होने चाहिये, उन रिलेशन्स के अंतर्गत बिहार के साथ या इसी तरह के दूसरे पिछड़े प्रदेशों के साथ, जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, सैन्ट्रल एलोकेशन में उनको जो एलॉटमैंट मिलती है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उनके साथ सही मायनों में न्याय नहीं होता।

इसलिये मेरा सुझाव है कि बैकवर्डनैस या फण्ड के बंटवारे के मामले में, आपके पास जो रिवैन्यू आता है, उसके बंटवारे के मामले में, कई बातों को सामने रखा जाना चाहिये। यदि आप पौपूलेशन को आधार बनाते हैं तो भी ठीक है। एरिया को भी दिमाग में रखना चाहिये। यदि कोई स्टेट बड़ा है, एरिया में बड़ा है तो जाहिर बात है कि पौपूलेशन में भी वह बड़ा होगा, इसलिये दोनों बातों को सामने रखने की जरूरत है।

फिर उस प्रदेश की पर–कैपिटा इंकम क्या है, इससे राज्य की बैकवर्डनैस जाहिर होती है। उसमें बीलो पावर्टी लाईन कितने लोग रहते हैं, इससे राज्य का पिछड़ापन साबित होता है। सचमुच में यदि किसी राज्य की मदद केन्द्र करे तो वह काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है लेकिन रॉ–मैटीरियल और दूसरे मामलों में राज्य सम्पन्न हैं, उनका एक्सप्लायटेशन होता है। उसके सारे माल को उठाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है लेकिन उसकी अवस्था में कोई सुधार नहीं होता है।

आबादी का सवाल उठाया गया है और यह कहा गया है कि 1971 की सेंसस को आधार माना जाएगा। मैं समझता हूं कि जब 1991 की सेंसस मौजूद हैं, तो कोई वजह नहीं है कि 1971 की सेंसस को आधार माना जाए और उसके आधार पर फंड के बंटवारे की बात की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अंदर जो बंटवारे की चर्चा की गई है और जिसमें यह है कि 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 47 प्रतिशत कर दिया जाए, तो इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि केन्द्र का हिस्सा कम होना चाहिए। केन्द्र के पास आमदनी के इतने सारे स्रोत हैं और राज्य के पास इतने सीमित स्रोत हैं कि जब इस तरह की आमदनी के परसेंटेज के अनुपात की बात की जाती है, तो मेरा कहना यह है कि वह परसेंटेज 60 और 40 का होना चाहिए। यानी 40 प्रतिशत केन्द्र का हिस्सा होना चाहिए और 60 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होना चाहिए। वैसे यह बिल फायनेंस कमीशन की रिक्मेंडेशन पर लाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र का 40 और राज्य का 60 प्रतिशत अनुपात होना चाहिए।

जहां तक डैफीसिट का मामला है उसके बारे में आप 40 प्रतिशत बांटना चाहते हैं। पिछड़े राज्यों में तो ठीक है, लेकिन जो 20 प्रतिशत बचे, वे भी पिछड़े राज्यों में खर्च हो सकते हैं क्योंकि जो राज्य आगे बढ़े हुए हैं, वे किस तरह से खर्च करते हैं, उनकी जो आमदनी होती है यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस प्रकार से यदि बंटवारा किया जाएगा, तो हमारे देश के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको दूर किया जा सकता है, वरना हमारे देश में जितना बड़ा असंतोष उभर रहा है, वह दूर नहीं हो सकता है। आज देश में झारखंड के नाप पर, उत्तराखंड के नाम पर या किसी अन्य नाम पर जो आंदोलन अलग–अलग राज्यों को बनाने के बारे में हो रहे हैं और लोगों में जो मानसिकता पनप रही है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको वह सब मदद केन्द्र से नहीं दी जा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए, यह ठीक नहीं है। अगर केन्द्र ठीक से फंक्शन करे और फंड का ठीक ढंग से एलोकेशन हो, तो इन मामलों को सुलझाने में मदद हो सकती है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी जो ख्वाहिश है और हमने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को मैं इन बिलों को यहां लाने के लिए साधुवाद दूंगा। जिस प्रकार का वे बिल लाए हैं वह सराहनीय है।

राजा चलैय्या समिति ने उत्पादन शुल्क के कराधान के बारें में अनेक संस्तुतियां प्रस्तुत की थीं उनमें से काफी को आपने स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी अनेक संस्तुतियां आपके पास विचाराधीन हैं, उनको लागू किया जाए। उनके लागू होने के बाद लोगों को राहत महससू होगी। कर पारदर्शी और सरल हो यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य बनता है और उस नाते से केन्द्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे स्तुत्य है, लेकिन अभी बहुत कुछ कदम इस नाते से और उठाए जाने चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, मैं राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा नगर से आता हूं। मेरे यहां एशिया की सबसे बड़ी जे. के. सिंथेटिक फैक्ट्री है। श्रीराम फर्टिलाईजर के खाद के दो बड़े कारखाने हैं तथा साथ ही गढ़ेपान में बिड़ला के चम्बल फर्टिलाईजर के नाम से दो बड़े कारखाने हैं। सोडा ऐश का बहुत बड़ा कारखाना है। कुछ दिनों पूर्व मैं आपके विभाग के अंदर गया और मैंने वहां जाकर जानकारी प्राप्त की कि पिछले तीन सालों में आपने कितने कारखानों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की जांच करने के लिए अचानक छापे डाले तो माननीय मंत्री महोदय आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे बताया गया कि हमने बीड़ी के दो कारखानों पर छापा डाला और उनको कर अपवंचन के मामले में पकड़ा। मैंने उनसे पुरजोर शब्द में कहा कि मेरा केवल बीड़ी के कारखाने के लिए आग्रह नहीं है। मेरा आग्रह तो कोटा और राजस्थान में जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके कर अपवंचन के लिए है। उन्होनें तुरंत ही मुझे बहकाने के लिए कहा कि शायद आपका ध्यान खाद के दो बड़े कारखानों की तरफ गया है। उन पर तो किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता क्योंकि खाद को तो ऐग्जैम्प्ट किया हुआ है। मैंने उनसे तुरंत कहा क्योंकि मैं कोटा नगर परिषद का अध्यक्ष रहा था और उस समय मैंने एक बहुत बड़ा कोयले का स्कैंडल पकड़ा था। उस नाते मैंने उनसे कहा कि आप इतना तो बतायें कि खाद पर तो कोई कर नहीं लगता। उसे तो ऐग्जैम्प्ट किया हुआ है लेकिन रॉ-मैटीरियल नेफ्ता जो इन कारखानों के लिए आता है, उस पर कोई कर लगता है या नहीं तो उन्होंने सकपकाते हुए कहा कि कर लगता है। वे कहने गले कि जहां से रॉ-मैटीरियल आता है, वे वहीं से कर चुकाता करके यहां लाती हैं। मैंने उनको कहा कि मालगाड़ी तो सीधे कारखानों के अंदर आती हैं और ऐसी स्थिति में यदि वहां पर किसी प्रकार की मिली-भगत करके कर अपवंचन है तो आप क्या करेंगे? उसका जवाब उनके पास नहीं था। यह सही है कि आपने पिछले दिनों में कर अपवंचन के पकड़-धकड़ के बहुत बड़े आंकड़े उपस्थित किये हैं और उसके कारण आपके कार्य की प्रशस्ति बढ़ी है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, उस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1992-93 में 721 करोड़ रुपये की कर चोरी की तुलना में 1993-94 में 911 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले प्रकाश में आये हैं। इसी प्रकार कर अपवंचन निदेशालय स्तर पर वर्ष 1992-93 में 58 करोड़ रुपये की कर चोरी की तुलना में 1993-94 में 272 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले प्रकाश में आये हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि अभी-भी आपके यहां कर अपवंचन की घटनायें बड़ी तादाद में हैं। यह सब कार्य इसलिए तेजी से बढ़ा, विभाग में ऐफीशैंसी इसलिए आई कि आपके विभाग में सन् 1995 में करीब 21 अधिकारियों को विशेष सेवा अभिलेखों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाया गया। कृपा करके आप कर अपवंचन के जो मामले हैं, उन मामलों में यदि इनाम देने की घोषणा करे तो इससे आपके यहां कर अपवंचन की रुकावट में और भी तेजी हो सकती है।

मेरा आपसे यह कहना है कि जहां आपने यह किया है वहीं आपने राज्यों को धनराशि वितरित करने की जो बात कही है, उसमें राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया। राजस्थान जैसा कि मेरे साथी श्री गिरधारी लाल भार्गव बता रहे थे कि राजस्थान में जहां एक तरफ मरूस्थल है, वहीं दूसरी तरफ अरावली की पर्वत शृंखलायें हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग चम्बल के कारण सिंचित है, बाकी का सारा एरिया डेजर्ट है। राजस्थान में आज भी पीने का पानी गंदा होने के कारण लोग अपंग होते हैं। राजस्थान की सरकार ने कर संबंधी विभागों से समय-समय पर निवेदन किया है कि हमें हमारे करो का हिस्सा ठीक प्रकार से प्राप्त हो, पूरी धनराशि मुहैया करवाई जाए। जब आप जवाब दें तो स्पष्ट करें कि राजस्थान को जो राशि मुहैया करवा रहे हैं, उसे और बढ़ाएं क्योंकि वह एक तरफ से तो डैजर्ट का इलाका है और दूसरी तरफ अरावली पर्वत है। इसलिए राजस्थान को धनराशि आबंटन करने में कंजूसी न करें। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप उसके साथ न्याय करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस नए प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. नायडू रामास्वामी (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आल इंडिया अन्ना द्रविड़मुनेत्र कड़गम की तरफ से मैं संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1995 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1995 पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दोनों विधेयक दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार

पर सभा के समक्ष लाये गये हैं। संघ उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विभिन्न राज्यों के बीच जिन दरों पर भागीदारी योग्य है वे विधेयकों की सारणियों में दी गई हैं। इनकी दरें 1995–96 से 1999–2000 तक लागू हैं।

महोदय, हालांकि दानों विधेयकों के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उन तथ्यों का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। जिन्हें दसवें वित्त आयोग ने वितरण की इन दरों में सुझाव देने हेतु ध्यान में रखा था पर यह बात साफ है कि वित्त आयोग ने ऐसे राज्यों की जनसंख्या के आंकड़ों पर अवश्य विचार किया होगा।

अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आयोग ने वितरण की दरों पर सिफारिश करने के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उठाये गये परिवार नियोजन मानदंडों के महत्व पर विचार किया है। उदाहरणार्थ, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में, तमिलनाडु का जनसंख्या नियंत्रण में पहला स्थान है। यदि आयोग जनसंख्या के आंकड़ों पर, राज्य सरकार द्वारा किये गये जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर कोई प्रोत्साहन दिये बिना ही विचार करता तो उस दिशा में यह राज्य सरकार के साथ अन्याय होता। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वितरण की दरों का निर्णय करते समय सर्वोत्तम जनसंख्या नियंत्रण उपायों हेतु दिये गए ऐसे प्रोत्साहनों को पैकेज में सम्मिलित किया गया है।

मैं आयोग से यह भी चाहता हूं कि वह शुल्क के वितरण की दरों को राज्य सरकारों द्वारा अनुपालित सुदृढ़ वित्तीय नीतियों विशेषतः निधि उपयोग पहलुओं तथा योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन विशेषतः गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनी योजनाओं तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति से सम्बद्ध करे। हमारे डॉ. पुरात्थी थलाइवी के कुशल नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन प्रयोजनार्थ बनी योजनाओं के कार्यान्वयन में निधि उपयोग के मामले में तमिलनाडु का शीर्षस्थ स्थान है।

महोदय, भारत के बदले आर्थिक माहौल में यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की जाये ताकि बढ़ी हुई निजी भागीदारी के फलस्वरूप सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र में निवेश में की गई कटौती को पूरा किया जा सके।

जहां तक बिक्री कर का संबंध है, केन्द्र सरकार इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों का बलपूर्वक अतिक्रमण

जहां तक तमिलनाडु का सम्बंध है, हमारी कुशल नेता पुराचीथलाइवी के मुख्य मंत्री का पदभार संभालने के छः महीनों के भीतर ही लिट्टे को धराशायी कर दिया जबकि केन्द्र सरकार सीधी सेना की मदद से भी कश्मीर असम तथा पंजाब में आतंकवादी समस्याओं पर काबू पाने में नाकामयाब रही है। लेकिन हमारी पुराची थलाइवी ने पुलिस की मदद से अत्याधुनिक शस्त्रों की मदद लिये बिना ही लिट्टे के अतिक्रमण पर रोक लगा दी। असम, कशमीर तथा पंजाब में आतंकवादियों से राष्ट्रीय आतंकवादी का नाम दिया गया है जबकि लिट्टे को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का नाम दिया गया है। जर्मनी ने लिट्टे को कोई माल अथवा सामान बेचने पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ठहराया गया है। लेकिन अब केन्द्र सरकार भी पुलिस के लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अत्याधुनिक राज्यों की खरीद करने के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी देने में विलम्ब कर रही है। हमारी पुराची थलाइवी लिट्टे को अतिक्रमण पर काबू पाकर भारत की रक्षा कर रही है। केन्द्र सरकार पुलिस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंकार कर रही है। अतः मेरा निवेदन है कि तमिलनाडु के लिए विशेष निधि मंजूर की जाये।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखपटनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत अन्यक्रम वित्त की इन राशियों में से विभिन्न राज्य अधिक हिस्से की मांग कर रहे हैं क्योंकि रज्यों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि कतिपय कोटियों में लगभग दो प्रतिशत अथवा तीन प्रतिशत की सीमांतक बढ़ोत्तरी हुई है फिर भी अधिकांश राज्य अपने वित्त में अधिक घाटा दिखा रहे हैं। एक तरफ तो यह मांग है कि राज्यों में से ही एक समान 'पैट' प्रणाली होनी चाहिये। चैकिन उनकी जनसंख्या तथा उनकी आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से उनकी आय में भारी असमानताएं है। जब तक विशेषतः उन राज्यों के लिए जो औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हैं का बड़ा शेयर नही होगा तब तक ये राज्य गरीब ही रहेंगे और हम सबको खुशहाल नहीं रख सकते हैं। अतः उन राज्यों की जो आन्ध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा जैसे कृषि प्रदेश उनकी मदद करने के लिए बल दिया जाना चाहिये। ये ऐसे राज्य हैं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये हैं लेकिन वे अधिक कृषि उत्पादन द्वारा राष्ट्र को अपना काफी योगदान दे रहे हैं। तथापि वे ग्रामीण जनता की गरीबी का उन्मूलन करने के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकृत करने में नाकामयाब रहे हैं। ये योजनाएं यथा आवसीय योजनाएं तथा शिक्षा संबंधी योजनाएं आदि, जो विशेषतः गरीब वर्ग के लोगों तथा दलित वर्ग के लोगों के लिए हैं, प्रमाणित हुई हैं। हाल

ही में एक योजना घोषित की गई है, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। लेकिन इसके साथ ही यह राज्यों की अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी।

यह पूर्णतः केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। लेकिन इसके साथ ही केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों यथा आन्ध्र प्रदेश तक की आलोचना हुई थी कि एक ही कीमत पर तथा रियायती कीमत पर चावल मुहैया कराना राज्य का अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। लेकिन इसके साथ ही, केन्द्र इन योजनाओं पर असंतोष प्रकट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह गरीब वर्ग के लोगों के प्रयोजनार्थ बनी इन याजनाओं की सराहना कर रहा है। यह जानकर खुशी है और साथ ही मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि हो सकता है इस बार भी बहुत देर हो जाये क्योंकि वित्त आयोग ने प्रतिवदेन सभा पटल पर रख दिया है और प्रतिवदेन के अनुसार, अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है–और आने वाले वर्षों में राज्यों को उत्पाद शुल्कों की वसूलियों में अच्छा शेयर मिलेगा ताकि उनके पास धन का घाटा न रहे। मैं इस विधयेक का समर्थक करता हूं।

[हिन्दी]

डा. एस.पी. यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विधेयक संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 1979 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 1957 प्रस्तुत किये हैं। 45 परसैंट हिस्सा जो राज्यों को मिलता था, वह अब 47 परसैंट देने का प्रस्ताव किया है।

अभी विजय कुमार यादव जी ने कहा कि 60–40 का रेशो होना चाहिये अगर 60–40 के रेशो में नहीं दे सकते हैं तो वह कम से 50–50 होना चाहिये। 50 परसैंट राज्य को मिलना चाहिये और 50 परसैंट केन्द्र के पास रहना चाहिये। केन्द्र से अधिक जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है। मंत्री जी ने इस विधेयक में चीनी, तम्बाकू, कॉटन फैब्रिक्स, ऊनी फैब्रिक्स और मानव द्वारा निर्मित फैब्रिक्स पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की बात कही है। इसमें तीन आइटम्स इस प्रकार के हैं जो कि गरीब तबके और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं जैसे कि चीनी है, सूती कपड़ा है या मानव द्वारा निर्मित कपड़ा है। इनका उपयोग अधिकांशतः गरीब लोग करते हैं। इन चीजों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। कांग्रेस की सरकार गांधी जी की बात करती है। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाये गये उत्पाद शुल्क का विरोध किया था और इसको लेकर आन्दोलन भी किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया था। यहां अपने देश की सरकार अपने ही लोगों पर कर बढ़ाने की बात करे तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है क्योंकि कर बढ़ाने से पहले सरकार को कर वसूली की व्यवस्था करनी चाहिये। कर वसूली में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए?

डॉ. एस.पी. यादव : मुझे लगाभग पांच से दस मिनट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम सभा का समय दस मिनट तक बढ़ा दें ताकि आप अपनी बात कह सकें। सभा की मर्जी से हम सभा का समय दस मिनट तक बढ़ायेंगे। सभा समय बढ़ाने के लिए सहमत हो गयी है। कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

डॉ. एस.पी. यादव : मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिये। कर वूसली के मामले में मनमोहन सिंह जी विशेषज्ञ हैं। वह वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की महत्ता का सही–सही आकलन करते हुए नई जवाबदेही के रूप में उसे सेवा शुल्क का नाम दिया है। सेवा शुल्क के तहत बजट के द्वारा दूरभाष सेवा शेयर 6.00 प.प.

खरीद फरोख्त और सार्वजनिक बीमा सेवाओं पर सांकेतिक शुल्क अध्यारोपित किया गया है जिसे एकत्र करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को सौंपी गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बार सरकार ने प्रत्यक्ष कर वसूली का जिम्मा किसी अप्रत्यक्ष उगाही वाले विभाग के सुपुर्द की है। क्या कारण है कि दूसरे विभाग उसकी उगाही नहीं कर पाते हैं? माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कर वसूली में इतना ज्यादा घोटाला है, कर्मचारी कई तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं और करोड़ों रुपया सरकार का कर वसूली में लोगों की जेबों में जा रहा है। हम लोग जब पब्लिक एकाउन्टस कमेटी में थे, उस समय टूर पर गये हुए थे। हिन्दुस्तान में एक कम्पनी है जॉन्सन एंड जॉन्सन। उसने प्रिकली हीट पाउडर का आयात किया था। उसके केवल 15 प्रतिशत का टैक्स दिया गया जबकि उस पर 115 परसैंट टैक्स देना चाहिये था।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसके दो कायदे हैं। एक तो प्रिकली हीट पाउडर का उपयोग कॉस्मेटिक्स के लिए किया जाता है तो उस पर 115 परसेंट ड्यूटी है और अगर उसका उपयोग मेडिसिन्स के लिए किया जाता है तो उस पर 15 परसेंट ड्यूटी है। हालांकि जॉन्सन एंड जॉन्सन कम्पनो प्रिकली हीट पाउडर का उपयोग पाउडर बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स में करती है और उन्होंने मेडिसिन्स में दिखाकर 15 प्रतिशत ड्यूटी अदा की और 100 प्रतिशत ड्यूटी का गोलमाल किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे बड़े–बड़े घोटाले तमाम समितियों के द्वारा उजागर किये जाते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कुछ पता नहीं चलता। हमारी रिपोर्टस् भी चली जाती हैं। यह पता ही नहीं चलता कि इन पर कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ। अतः अगर उत्पाद शुल्क नई चीजों पर बढ़ाया जाता है तो बेहतर यह है कि शुल्क की उगाही करने के लिए अच्छे साधन उपलब्ध कराये जायें और डिपार्टमेंट्स पर सख्ती की जाये या कर वसूली करने की प्रणाली में ऐसा चेंज किया जाये, एफिशियेंसी लाई जाये या उसको पारदर्शी बनाया जाये जिससे कि कर उगाहने में अधिक सुविधा हो और कर वसूली अधिक हो सके। कर वसूली में जो कुछ परेशानियां डिपार्टमेंट के लिए आती हैं, उन परेशानियों में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये। पूरे साल में यह आकलन करना चाहिये कि कितनी उगाही हुई और कितनी किन कारणों से नहीं हो सकी। जो ऐसे उद्योगपति हैं, छोटे या बडे उद्योगपति हैं, उन्हें किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कर की अदायगी क्यों नहीं की? इन कार्यों पर भी अगर वित्त मंत्रालय पर वित्त मंत्री जी ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि सरकार को लाभ हो सकता है। कर वसूली करने के तरीके को काफी व्यापक और लचीला बनाना पड़ेगा। उसका कुछ विस्तार भी करना पड़ेगा जिससे कि कर की वसूली अच्छी तरीके से हो सके। इन्होंने जो दो विधेयक प्रस्तुत किये हैं, मैं उसका विरोध तो नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि आम आदमी के उपयोग की चीजों पर कर न बढ़ाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 1, 1995 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.05 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 1 अगस्त, 1995/10 श्रावण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।